उत्तर प्रदेश
निगम अधिनियम 1959
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959)
(अद्यतन संसोधित)

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों के लिए नगर निगमों की स्थापना की व्यवस्था करने का अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में नगर निगमों की स्थापना के लिए व्यवस्था की जाये जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर-शासन सुनिश्चित हो सके अतएव एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

अध्याय 1 प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 कहा जायेगा।
2. इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा।
3. यह अध्याय तुरन्त प्रवृत्त हो जायेगा और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध, जहाँ तक उनका सम्बन्ध किसी नगर (city) से है, ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे [और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं]किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर के

लिए निगम का संगठन करने के सीमित प्रयोजन के लिए अध्याय II के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं।

. नगर में कक्षों (wards) का परिसीमन ;

. निर्वाचक सूचियों (electoral rolls) का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन ;

. किसी नगर निगम का नगर-प्रमुख या सभासद चुने जाने तथा नगर-प्रमुख या सभासद निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त अर्हताएँ तथा अनर्हताएं

. सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा नगर निगम के यथावत् संगठन (constitution) के लिये आवश्यक अन्य समस्त विषय;

धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवर्तित होंगे और किन्हीं अन्य विधायनों (enactments) में किसी बात के रहते हुए भी नगर निगम के यथावत संगठन के लिए उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियां की जा सकती हैं जो आवश्यक हों।

(2) परिभाषायें:-

विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:

1. "विज्ञापन (advertisement)" से तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (Placard Board), नोटिस, युक्ति (device) अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रर्दानार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिये अनुकूलित कर लिये गये हों ;
2. "नियत दिन (appointed day)" से, किसी नगर के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिए नगर निगम का यथावत संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय
3. "विधान सभा की सूचियाँ (Assembly Rolls)" से तात्पर्य है ऐसी निर्वाचक सूचियाँ जो रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल एक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन और तदनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तैयार की गई हों ;
4. "नानबाई की दुकान या नानबाई ग्रह (bakery or bake-house)" से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें बिक्री या लाभ के लिए किसी भी रीति से रोटियाँ (bread) बिस्कुट या लेमनजूस आदि मिठाईयाँ (confectionery) सेंकी, पकाई या तैयार की जाती हों ;
5. "बजट अनुदान" से तात्पर्य है ऐसी कुल धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मुख्य शीर्षक

(major head) में बजट के तखमीनों के व्यय के अन्तर्गत दिखाई हो तथा निगम द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या कोई हस्तानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाय ;

6. "भवन" के अन्तर्गत मकान घर के बाहर के कक्ष (out-house) अस्तबल, छादक (shed), झोपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान (enclosure) या ढाँचा (structure) है चाहे वह पत्थर (masonry) ईट, लकड़ी, मिट्टी (mud), धातु से या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्य के रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत बरामदे, स्थित चबूतरे (fixed platforms), मकानों की कुर्सियाँ (plinths) दरवाजे की सीढ़ियाँ (door-steps), दीवालें तथा हातों की दीवालें (compound-wall) और मेड़ (fencing) तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढाँचा (portable temporary structure) नहीं है;

7. "भवन पंक्ति (building line)" से तात्पर्य है वह पंक्ति जो "सड़क रेखाकरण (street alignment) के पृष्ठ भाग में हो तथा जिस तक सड़क से लगी हुई भवन की मुख्य दीवार वैध रूप से बढ़ायी जा सकती हो जिसके आगे भवन का कोई भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा के जो भवन संबंधी नियमों में विहित की गयी हो;

8. "उपविधि" से तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि;

9. "मलकूप (cesspool)" के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (settlement tank) या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज (foul matter) को ग्रहण करने उसके निस्तारण (disposal) के लिये हो;

10. " नगर" से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थानीय क्षेत्र, जो धारा ३ के अधीन नगर के रूप में संगठित किया गया हो;

11. किसी नगर के सम्बन्ध में "डिवीजन के कमिश्नर" से तात्पर्य है डिवीजन का कमिश्नर जिसमें उक्त नगर स्थित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे डिवीजन के कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों;

12. "घनाकार स्थान (cubical contents)" से जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो तात्पर्य यह है वह स्थान (space) जो उसकी दीवारों और छत के वाह्य (external) धरातलों तथा उसके सबसे नीचे के खण्ड (story) का हो उसके फर्श के परी धरातल में समाविष्ट हों;

13. "दुग्धशाला (dairy)" के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म (frame), पाठशाला (cattle shed), दूध गोदाम, दूध की दुकान या अन्य ऐसा स्थान है जहाँ से विक्रय के लिए दूध दिया जाता हो (supplied) या जहाँ बेचने के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता हो या जहाँ बेचने के लिए दूध

से मक्खन, घी, पनीर (cheese), दही या सुखाया हुआ अथवा जमाया हुआ (dried or condensed) दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे ग्वाले (dairy-men) के सम्बन्ध में जिसके अध्य ासन में दूध बेचने के लिए कोई स्थान नहीं है दुग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहाँ वह दूध बेचने के लिए प्रयुक्त अपना पात्र (vessel) रखता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुकान या अन्य स्थान नहीं है जहाँ केवल वहाँ पर ही उपयोग के लिए दूध बेचा जाता हो;

14. "ग्वाला (dairy -man)" के अन्तर्गत गाय भैंस, बकरी, गधी (ass) या अन्य पशु का जिसका मनुष्यों के उपयोग (consumption) के निर्मित बिक्री के लिये प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो रक्षक (keeper) और दूध लाकर जुटाने वाला (purveyor) तथा दुग्धशाला का अध्यासी (occupire) भी है

15. "दुग्धशाला के पद ार्थ (dairy produce)" के अन्तर्गत दूध, मक्खन, घी, दही, मट् ठा (butter milk) पनीर (cheese) तथा दुग्धजन्य सभी पदार्थ हैं;

16. "भयानक रोग (dangerous disease)" से तात्पर्य है हैजा, ताऊन (plague), चेचक (small-pox) या अन्य कोई ऐसा संक्रामक (epidemic) तथा संसर्गजन्य (infectious) रोग जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिससे निगम समय-समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करें;

17. **17-क.** "निदेशक" का तात्पर्य धारा 5-क के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय

निदेशक उत्तर प्रदेश से है,

18. "जिला जज" के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जज भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तान्तरित किया गया हो

19. "नाली (drain)" के अन्तर्गत नाला (sewer) सड़क के नीचे की नालियाॅं (tunnel), पाइप खाई (ditch), जलमार्ग (gutter) अथवा प्रणाली (channel), जल कुण्ड (cistern), फ्लश टंकी (flush-tank), फ्लश टंकी (septic-tubs), मल टंकी (septic-tank), या कोई अन्य युक्ति (device), जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ (sewage or offensive matter), दूषित-जल (polluted water), कूड़ा-करकट (sullage), बेकार जल नाली के जल अथवा उपभूमिगत जल (sub soil water) को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिये प्रयुक्त होते हों तथा उनसे संसक्त (connected) कोई पुलिया, संवीवन दण्ड (ventilation shaft) या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संधायन (fittings) हैं। नाली के अन्तर्गत किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थो को उठाने एकत्र करने निकालने अथवा हटाने के लिये प्रयुक्त कोई निष्कासक (ejector) दबी हुई हवा से युक्त प्रणाल (compressed air mains) मल इत्यादि के मुहरबन्द प्रणाल (sealed sewage mains) तथा कोई विशेष यंत्र अथवा उपकरण भी हैं;

20. "भोजनालय (eating house)" से तात्पर्य है कोई ऐसा भू-गृहादि (premises) जहाँ जनता

अथवा जनता का कोई वर्ग (section) जा सकता हो और जहाँ वहीं अथवा अन्यत्र किसी ऐसे व्यक्ति के जो उक्त भू-गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमें कोई स्वत्व (interest) रखता हो या उसका प्रबन्ध करता हो लाभ अथवा फायदे के लिये किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भरित (supplied) किया जाता है;

21. "निर्वाचक" से किसी कक्ष (ward) के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निवरचक सूची में दर्ज हो;

22. "आवश्यक सेवाएँ" से तात्पर्य है धारा 112-ख में निर्दिष्ट सेवा;

23. "फैक्ट्री (factory)" से तात्पर्य है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में परिभाषित कोई फैक्ट्री (factory);

24. "गलीज (fifth) के अन्तर्गत मल इत्यादि विष्ठा तथा अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ है;

24-क. "वित्त आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-झ के अधीन संगठित वित्त आयोग से है;

25. "वित्तीय वर्ष (financial year) से तात्पर्य है पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाला वर्ष;

26. "भोजन (food)" के अन्तर्गत भेषजों (drugs) अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है जो सामान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अथवा बनाने में ड़ाली जाती हो अथवा प्रयुक्त होती हो तथा उसके अन्तर्गत मिठाईयाँ, स्वादिष्ट बनाने की तथा रंगने की वस्तुयें मसाले एवं

चटनी (condiments) भी हैं;

27. "ढांचे पर बने भवन" (frame building) से तात्पर्य है ऐसा भवन जिसकी बाहर की दीवारें लकड़ी अथवा लोहे की बनी हों तथा जिनका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो;

28. "गृहनाली (house -drain)" से तात्पर्य है व नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू-गृहादि की नाली हो और उसके जल-निस्तारण के लिये प्रयुक्त होती हो और केवल निगम की नाली से मिलाने के प्रयोजन के लिये बनाई गई हो;

29. "गृह-पथ" अथवा "सेवा पथ (house gully or service passage)" से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी (strip of land) जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने अथवा किसी संडस मूत्रालय मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुँचाने के लिये निगम के कर्मचारियों के अथवा उपयुक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहाँ से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहाँ तक पहुँचने के लिये मार्ग देने के लिए निर्मित की गई हो अलग कर दी गई हो अथवा उपयोग में लायी जाती हो।

30. "कुटी (hut)" से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन जो मूलतः लकड़ी मिटटी पत्तियों घास कपड़े अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत किसी भी आकार का कोई ऐसा अस्थायी ढाँचा अथवा किसी भी सामान से निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है जिसे निगम इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये "कुटी" घोषित कर दे।

31. "निवासी (inhabitant)" से किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो अथवा वह अचल सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो।

32. "न्यायाधीश (judge)" से तात्पर्य है प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट एक्ट 1887 के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय (court of small causes) का न्यायाधीश।

33. "भूमि" के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो अथवा निर्माण हो चुका हो अथवा जो पानी से ढंकी हो भमि से उत्पन्न होने वाले लाभ जमीन से संलग्न अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुयें और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन (legislative enactment) द्वारा सृजित हुए हों।

34. "अनुज्ञप्त नल मिस्त्री (licensed plumber)" अनुज्ञप्त भू-मापक (licensed surveyer) 'अनुज्ञप्त' वास्तुशास्त्री (licensed architect) "अनुज्ञप्त" अभियन्ता (structural designer) तथा "अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक (clerk of works)" से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन निगम ने क्रमश: नल मिस्त्री भू-मापक, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढाँचे का निर्माता (structural designer) अथवा निर्माण लिपिक के रूप में अनुज्ञप्त किया हो।

35. "निवास गृह (lodging house) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग जहाँ कि

धन के प्रतिफल (monetary consideration) में भोजन अथवा अन्य सेवा के सहित अथवा उनसे रहित निवास की व्यवस्था की जाती हो और इसके अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन अथवा भवन का भाग भी है जो धन देकर अथवा अन्यथा तीर्थ-यात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिए प्रयुक्त होता हो।

36. "बाजार (market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है जहाँ पशु-धन अथवा पशुओं के लिये खाद्य-पदार्थ अथवा मांस, मछली, फल, साग-सब्जी मनुष्यों के भोजन के लिये अभिप्रेत पशु अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ चाहे वे कुछ् भी हों के विय के लिये अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के निमित्त लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमति के एकत्रित हों चाहे वहाँ क्रेताओं के एकत्र होने के सम्बन्ध में कोई सामान्य विनियमन न हो और चाहे उस स्थान के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा "बाजार" के कारबार पर अथवा "बाजार" में आने-जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो;

37. "पक्का भवन (masonry building) से तात्पर्य है ढाँचे पर बने भवन अथवा कुटी से भिन्न कोई भवन और इसके अन्तर्गत ऐसा ढाँचा (structure) भी है जिसका पर्याप्त भाग ईंट, पत्थर, अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी धातु से बना हो;

38. "निगम का सदस्य" का तात्पर्य है काई सभासद या कोई पदेन सदस्य या कोई नाम-निर्दिष्ट सदस्य और जब तक कोई प्रतिकूल बात व्यक्त न की गयी हो इसके अन्तर्गत नगर प्रमुख भी

होगे चाहे;

39. "मुख्य नगरधिकारी" का तात्पर्य है धारा 58 के अधीन नियुक्त नगर का मुख्य नगरधिकारी अपर मुख्य नगर अधिकारी और धारा 107 के अधीन नियुक्त कोई उप नगर अधिकारी और सहायक नगरधिकारी भी हैं;

40. "निगम की नाली" से तात्पर्य है निगम में निहित कोई नाली;

41. "निगम की बाजार" से तात्पर्य है कोई बाजार जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो;

42. "निगम की वधशाला" से तात्पर्य है कोई वधशाला जो निगम में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता हो;

43. "निगम कार्यालय" से तात्पर्य है निगम का कार्यालय;

44. "निगम कर" से तात्पर्य है कोई लाभकर (impost) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो;

45. "निगम जलकल" से तात्पर्य है वह जलकल जो निगम का हो अथवा उसमें निहित हो;

45-क. "महानगर क्षेत्र" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड ग. में यथापरिभाषित क्षेत्र से है।

45-ख. "नगरपालिका" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की किसी संस्था से

हैं।

45-ग. "नगरपालिका क्षेत्र" का तात्पर्य किसी निगम के प्रादेशिक क्षेत्र से हैं।

46. "अपदूषण (nuisance) के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य कार्यलोप (omission) स्थान या वस्तु है जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इन्द्रियों को क्षति, संकट, उर्द्वेजन अथवा काष्ट पहुँचे अथवा पहुँचने की संभावना हो अथवा जो जीवन के लिये संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो;

47. "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित है-

क. कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन का जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो तत्समय उसके स्वामी को किराया अथवा उसका कोई भाग दे रहा हो अथवा उसके लिए देनदार हो;

ख. स्वामी जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो;

ग. किराया-मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant);

घ. किसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी अनुज्ञप्तिगृहीता (licensee) तथा;

ड़. कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति (damages) का देनदार (liable) हो;

48. "दुर्गन्धयुक्त पदार्थ" के अन्तर्गत पशुओं की लाशें गोबर धूल तथा मल इत्यादि से भिन्न दुर्गन्धित सड़े अथवा सड़ाने वाले (putrid or putrefying) वाले पदार्थ हैं;

49. "निगम का पदाधिकारी" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसीन हो किन्तु उसके अन्तर्गत निगम अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य न होंगे;

50. "सरकारी गजट" से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रचारित गजट;

51. "आज्ञा" से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो;

51-क. "पिछड़े" वर्गो का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है

नोट- उ.प्र. लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची निम्नवत है:-

अनुसूची-एक
देखिए धारा २ ख.

1	अहीर	29	नायक
2	अरख	30	फकीर

3	काछी	31	बंजारा
4	कहार	32	बढ़ई
5	केवट या मल्लाह	33	बारी
6	किसान	34	बैरागी
7	कोईरी	35	बिन्द
8	कुम्हार	36	बियार
9	कुर्मी	37	भर
10	कम्बोज	38	भुर्जी या भड़ भूजा
11	कसगर	39	मठियारा
12	कुंजड़ा या राईन	40	माली, रौनी
13	गोसाई	41	मनिहार
14	गूजर	42	मुराब या मुराई
15	गड़ेरिया	43	मोमिन (अंसार)
16	गद्दी	44	मिरासी
17	गिरि	45	मुस्लिम कायस्थ
18	चिकवा (करसाब)	46	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
19	छीपी	47	मारछा
20	जोगी	48	रंगरेज
21	झोजा	49	लोध, लोधा, लोट, लोधी राजपूत
22	डफाली	50	लोहार
23	तमोली	51	लोनिया
24	तेली	52	सोनार
25	दर्जी	53	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)

26	धीवर	54	हलवाई
27	नक्काल	55	हलवाई
28	**नोट:-** (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	56	हज्जाम (नाई)

. **"स्वामी" से तात्पर्य है-**

क. किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू-गृहादि किराये पर उढाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं;

1. कोई अभिकर्त्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिए किराया प्राप्त करता हो;
2. कोई अभिकर्त्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिए समर्पित (devoted) किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू-गृहादि सौंपा गया हो या जिसका सम्बन्ध उक्त भू-गृहादि से हो;
3. कोई आदाता व्यवस्थापक अथवा प्रबन्धक जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू-गृहादि को अवधायन (change) में लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो तथा;
4. भोग-बन्धकी (mortgagee-in-possession);

ख.किसी पशु वाहन अथवा नाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने पर इस स्वामी.के अन्तर्गत

वह व्यक्ति भी है जो तत्समय उक्त पशु वाहन अथवा नाव का अवधायक (inchange) हो;

52. -क "पंचायत" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड च. में निर्दिष्ट पंचायत से है;

53. "भवन का भाग" के अन्तर्गत कोई दीवाल भूमिगत कमरा या मार्ग (underground room or passage) बरामदा स्थित चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भूमि पर बनी हुई हो जो प्रस्तावित (projected) भवन का स्थल (site) या अहाता होने वाली हो;

53-क. "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;

54. 54. "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है;

55. "विहित" का तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदन्तर्गत बने नियम या आज्ञा द्वारा या किसी अन्य विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित;

56. "विहित प्राधिकारी" से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त की गयी हो और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय तो उस डिविजन का कमिश्नर जिसमें वह नगर स्थित हो;

57. "पेट्रोलियम" से तात्पर्य पेट्रोलियम एक्ट 1934 में परिभाषित पेट्रोलियम;

58. "निजी सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क जो सार्वजनिक सड़क न हो;

59. "संडास" (privy) से तात्पर्य है वह स्थान जो शौच-निवृत्ति या लघुशंका-निवृत्ति या दोनों के लिए अलग कर दिया गया हो और इसमें वह ढांचा जिससे यह स्थान बनाया गया हो उसके भीतर मल-मूत्रादि के लिए रखा गया बर्तन तथा उससे सक्त संधायन (fittings) और उपकरण यदि कोई हों सम्मिलित होगें। इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नाबदान जल संडास (aqua privy) शौचालय तथा मूत्रालय भी हैं;

60. "सार्वजनिक स्थान" के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है जिनमें जन-साधारण जा सकते हैं या उन्हें वहाँ जाने की अनुमति हो;

61. "सरकारी प्रतिभूतियाँ" (public securities) से तात्पर्य है-

क. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ;

ख. प्रतिभूतियाँ सम्भार (stocks) ऋणपत्र (debentures) या अंशक (ahares) पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ब्याज संरक्षित किया हो;

ग. धन के ऋणपत्र (debentures) या अन्य प्रतिभूतियाँ जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनकी ओर से भारतीय गणतंत्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी किया गया हो;

घ. प्रतिभूतियाँ जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पाष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दे;

62. "सार्वजनिक सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क-

63. **क.** कोई व्यक्ति किस निवास-गृह में "रहने वाला" (reside) समझा जाता है जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोने के कमरे के रूप में कभी-कभी प्रयोग करता है- चाहे व्यवधानों के साथ (interruptedly) या निरन्तर और

ख. किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवास-गृह में रहना छोड़ दिया है" कि वह उसमें अनुपस्थित है या उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास-गृह है जिसमें वह रहता है यदि वह किसी भी समय उसमें लौट आने के लिए स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो।

64. "कूड़ा-करकट" (rubbish) के अन्तर्गत भूल राख टूटी हुई ईंटे, बजरी (mortar) टुटे हुये शीशे उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा-करकट और किसी प्रकार का कूड़ा-करकट जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हो, हैं;

65. "नियम" से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम;

66. "अनुसूची" से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;

67. "अनुसूचित बैंक" पद का वही अर्थ होगा, जो (Schedule Bank) अर्थ का रिजर्व बैंक आफॅ इण्डिया एक्ट 1934 में किया गया है;

68. "निगम का सेवक तथा निगम का कर्मचारी" से तात्पर्य है कोई व्यक्ति जो निगम से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो;

69. "मल इत्यादि" (sewage) से तात्पर्य है विष्ठा (nightsoil) और नाबदानों शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुएँ (contents) और गन्दगी गलीज आदि के स्थानों (sinks) स्नानघरों, अस्तबलों, पाठशालाओं तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से निकला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यथ्र द्रव-पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों (manufactories) से निकलने वाले तरल पदार्थ भी हैं;

70. "आकाश चिन्ह" (sky sign) से तात्पर्य है कोई शब्द वर्ण नमूना (model), चिन्हयुक्त या अन्य प्रतिरूप (representation) जो विज्ञपन घोषणा (announcement) या निर्देशन (direction) के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर या उसके पर पूर्णत: या अंशतः किसी खम्भे (post) बल्ली (pole) घ्वजदंड (standard) चौखट या अन्य किसी अवलम्ब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो (supported or attached) और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णत: या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं;

क. उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग; और

ख. कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्त (device), जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञपन या घोषणा के प्रयोजनों के लिए कम में लायी गई हो और जो किसी भवन ढांचे या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके पर हो या जो किसी

सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके पर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके पर हो;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगे-

1. ध्वज स्तम्भ (flagstaff) बल्ली, वायु-दिग्दर्श पंख (weathercock) या वायु दशा सूचक यंत्र (vane) जब तक वे पूर्णत: या अंशत: किसी विज्ञपन या घोषणा के लिए अनुकूलित या प्रयुक्त न किये गये हों।
2. चिन्ह जो किसी ऐसे पटल (board) चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर हो जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) के सबसे परी भाग (top) पर किसी कारनिस या दीवाल से सटकर बने हुये भागों (biockilog course) पर या किसी छत के किनारे (nidge) पर सुरक्षित रूप से लगाया गया हो और खुला-कार्य (open work) न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक उँचाई तक न हो; या
3. कोई प्रतिरूप (representation) जो केवल इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 में परिभाषित (defined) रेल प्राशासन (Railway Administration) के कारबार से सम्बन्ध रखता हो और जो पूर्णत: उक्त रेल-प्राशासन के किसी रेलवे-स्टेशन के चत्वर (yard) प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट स्थान (approach) पर या उसके पर या ऐसे

भू-गृहादि पर या उसके पर रखा गया हो और जो इस ढंग से रखा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सके;

71. विशेष निधि (special fund) से तात्पर्य है धारा 139 के अधीन संगठित कोई निधि;

72. "राज्य-सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार;

73. "राज्य निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;

74. "सड़क" (street) के अन्तर्गत कोई राजमार्ग पुलियों-पुलों की उँची सड़क (causeway), पुल मार्गसेतु (viaduct), मेहराब, पथ (road), गली, पगडंडी (footway), उपमार्ग, आंगन (court), सँकरी-गली (allry), घुड़सवारी का मार्ग या रास्त ा चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन-साधारण के आने-जाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके पर जन-साधारण लगातार बीस वर्षो से आते-जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों, है, और यदि किसी सड़क व पगडंडी और वाहन मार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही होंगे।

टिप्पणी

किसी सार्वजनिक मार्ग पर एक पंक्ति में बनी दूकानों तथा उस मार्ग के बीच बना हुआ खम्बेदार साथ-साथ चलने वाला खम्बेदार बरामदा एक सार्वजनिक पथ होता है। गोपेश खन्न बनाम ए०डी०ए० 1988, यू०पी०एल०बी०ई०सी० 214 (खण्ड पीठी)

75. "सड़क रेखाकरण" (street alignment) से तात्पर्य है वह रेखा (line) जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पाश्वर्ती (adjoining) भूमि से अलग करती हो

76. "मिठाई की दुकान" से तात्पर्य है कोई भू-गृहादि या किसी भू-गृहादि का वह भाग जो किसी आइसक्रीम अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाईयों की चाहे वह किसी के लिए भी अभिप्रेत हो और चाहे उनका जो भी नाम हो और चाहे वे भू-गृहादि में या उसके बाहर उपभोग के लिए हों बनाने व्यवह्त करने या बिक्री के लिए संग्रह करने (manufacture, treatment or storage for sale) अथवा थोक या फुटकर विक्रय के निमित्त प्रयुक्त हो;

"प्रेक्षागृह कर" (theatre tax) से तात्पर्य है मनोविनोदों अथवा मनोरंजनों (amusemrnts or entertainmints) पर लगाया गया कर;

टिप्पणियाँ

क्या "थियएटर कर" भारत के संविधान का अतिलंघन करता है इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चूँकि सिनेमा थिएटरों का उनकी सीटों की संख्या तथा उनकी स्थिति का अवधारण करते हुये उनकी आय की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया है और इसलिए ऐसा कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिलंधन हुआ है। डिलाइट टाकीज बनाम दी सिटी आफ जबलपुर कारपोरेशन ए०आई०आर० 1966 एम०पी० 298। कर का स्वरूप- यह कर उस मनोरंजन के कार्य पर अधिरोपित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हम तमाशा देखते हैं, न कि वह वृत्ति अथवा व्यापार पर कोई कर है। वेस्टर्न इण्डिया थिएटर लिमिटेड बनाम कैन्टोनमेन्ट बोर्ड पूना कैन्ट ए०आई०आर० 1956 एस०सी० 582 थिएटर कर- इसके अन्तर्गत सिनेमा कर भी आता है निरंजन लाल भार्ग बनाम उ०प्र० राज्य 1972 ए०एल०जे० 279

77. "व्यापारिक व्यर्थ द्रव्य पदार्थ (Trade premises)" से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ चाहे उसमें अन्य पदार्थो के कण घुले-मिले हों और जो पूर्णत: या अंशत: किसी व्यापारिक भू-गृहादि (trade premises) में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उत्पादित होती हो और किसी व्यापारिक भू-गृहादि के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य यह है कि उपयुक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू-गृहादि में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं है;

78. "व्यापारिक भू-गृहादि" (trade premises) से तात्पर्य है कोई भू-गृहादि जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिये प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत हों;

79. "व्यापारिक कूड़ा-करकट (trade refuse) से तात्पर्य है और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है किसी व्यापार निर्माण (manufacture) या कारबार का कूड़ा-करकट;

80. "वाहन (vehicle)" के अन्तर्गत है यान (carriage), गाड़ी (cart), परिवहन (van), ठेलागाड़ी (dray), मोटरठेला (truck), हाथ से चलायी जाने वाली गाड़ी, बाइसिकिल, ट्राइसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन जो सड़क पर प्रयुक्त किया जाता हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो;

81. "कक्ष (ward)" का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है

82. **क.** "कक्ष समितियों" का तात्पर्य है संविधान के अनुच्छेद 243-घ में निर्दिष्ट कक्ष समितियों से है;

83. "नाबदान (water closet)" से तात्पर्य है ऐसा नाबदान जिसमें जल निस्सारण प्रणाली से संसक्त कोई पृथक स्थिर पात्र (fixed receptacle) लगा हुआ हो, और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वचालित (automatic) रूप से स्वच्छ जल से धोये जाने की पृथक व्यवस्था हो;

84. "जल सम्बन्ध (water connection)" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

क. कोई टंकी (tank) जल कुण्ड (cistern) पानी निकालने का बम्बा (hydrant) बम्बा (stand pipe) मीटर अथवा नल (tap) जो किसी निजी पर स्थित हो और 34 निगम के किसी जल-प्रनाड (water-main) अथवा पाइन से मिलता हो, और

ख.पानी का पाइप जो उक्त टंकी (tank) जलकुण्ड, पानी निकालने के बम्बे, बम्बे, मीटर अथवा नल को उपयुक्त जल प्रनाड अथवा पाइप से मिलाता हो;

85. "जलमार्ग' (water-course)" के अन्तर्गत कोई नदी, सोता (stream) अथवा गूल (channel) है चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम;

86. "घरेलू प्रयोजनों के लिए जल" के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिए हो अथवा वाहनों को धोने के लिए हो, जब उक्त ढोर, घोड़े अथवा वाहन बिक्री या किराये के लिए रखे जाते हों अथवा समवाहक (common carrier) के पास हों और इसके अन्तर्गत किसी व्यापार निर्माण (manufacture) अथवा कारोबार अथवा भवन के प्रयोजनों के लिए अथवा बागों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए अथवा निर्झर (fountions) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिए जल सम्मिलित नहीं है।

87. "जलकल (water-works)" के अन्तर्गत कोई झील सोता (stream) झरना (spring) कुएँ का पम्प (well pump) जलाशय जलकुण्ड (cistern) टंकी (tank) प्रणाली (duct) चाहे वह ढकी

हुई हो अथवा खुली हुई बाँध (sluice) मुख्य पाइप (mainpipe) पुलियाँ (cluvert) इंजिन (engine) जल वाहन (water-truck) पानी निकालने के बम्बे (hydrant) बम्बा (stand pinpe) जल ले जाने की अन्य कोई व्यवस्था (conduct) और यंत्र (machinery) आदि तथा भूमि भवन अथवा वस्तु है जो जल संभरण के लिए हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होती हों अथवा जल संभरण के स्रोतों (sources) की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती हों

88. "कारखाना (workshop)" से तात्पर्य है कोई भवन स्थान अथवा भू-गृहादि अथवा उसका कोई भाग जो फैक्ट्री न है और जहाँ अथवा जिसके पर वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को तथा नियोजक (employer) को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और जहाँ अथवा जिनके अहाते अथवा घेरे (compound or precincts) के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी प्रक्रिया में सहायता देने के लिए अथवा उसके प्रासंगिक रूप में शारीरिक श्रम करने वाले लोग नियोजित हों अथवा प्रयुक्त होते हों -

क. कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना अथवा;

ख. कोई वस्तु परिवर्तित करना उसकी मरम्मत करना उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना अथवा;

ग. किसी वस्तु को किसी के लिए अंगीकार करना।

89. "संक्रमणशील क्षेत्र" और लघुतर नगरीय क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त

नगरपालिका अधिनियम 1916 में क्रमश: उनके लिये किये गये हैं

क. वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा-1. संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड 2. के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र जिसकी सीमायें उसमें विनिरदिष्ट हों ऐसे नाम के नगर से जाना जायेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें।

1. 1958 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 17 सितम्बर 1958 की बैठक में पारित किया गया तथा "भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्टपति ने दिनांक 22 जनवरी 1959 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 24 जनवरी 1959 को प्रकाशित।
2. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 16 अप्रैल 1957 का उ.प्र. असाधारण गजट देखिए
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 की धारा

ख. जहाँ संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड 2.के अधीन किसी पाश्चातवती अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें वहाँ ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त समस्त अधिसूचनायें नियम विनियम उपविधियाँ आदेश और

निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर फीस और प्रभार उपयुक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा "नगर महापालिका के स्थान पद शब्द "नगर निगम तथा शब्द "नगर महापालिकाओं के स्थान पर शब्द "नगर निगमों प्रतिस्थापित किये गये।

2. उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 सित

4 क. द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 की धारा 4 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य निकाला गया।

8. उ०प्र० अधिनियम संख्या 26 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

9. उ०प्र० अधिनियम संख्या 3 सन 1987 द्वारा बढ़ाया गया।

10. उ०प्र० अधिनियम संख्या 26 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

11. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

12. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा निकाला गया।

13. उ०प्र० अधिनियम संख्या 41 सन 1976 द्वारा बढक़ाया गया।

14. उ०प्र० अधिनियम संख्या 21 सन 1964 की धारा 2 द्वारा संशोधित किया गया।

15. उ०प्र० अधिनियम संख्या 14 सन 1859 की धारा 3 द्वारा शब्द इंड्यिन निकाल दिया गया।

16. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा बढक़ाया गया।

17. उ०प्र० अधिनियम संख्या 26 सन 1995 द्वारा शब्द में निर्दिष्ट के स्थान पर प्रतिस्थापित।

18. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा शब्द महापालिक' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा खण्ड 38 एवं 39 प्रतिस्थापित किये गये।.

2. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा बढक़ाया गया।

4. उ०प्र० अधिनियम सं० 4 सन 1994 जो उ०प्र० के असा० गजट में दिनांक 23 मार्च 1994 को प्रकाशित हुआ।

5. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा बढक़ाया गया।

6. उ०प्र० अधिनियम सं० 24 सन 1972 द्वारा रखा गया।

7. उ०प्र० अधिनियम सं० 14 सन 1959 की धारा 3 की उपधारा 2.द्वारा शब्दों इण्डियन पेट्रोलियम एक्ट 1899" के स्थान पर रखा गया उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा

शब्द महापालिका के स्थान शब्द "निगम" प्रतिस्थापित।

8. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अब रेल अधिनियम 1989

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा जोड़ा गया
4. उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा शब्द धारा 6-क के अधीन संगठित के स्थान पर रखा गया।
5. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित
6. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा जोड़ा गया
7. उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा धारा 3 प्रतिस्थापित की गयी

निगम का संगठन तथा शासन

4. नगर निगम का निगमित निकाय होना-

संविधान के भाग 9-क के अनुसार उसके अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन संगठित किसी नगर निगम को . . . . (नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायगा और वह एक निगमित निगम को . . . . (नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायगा और वह एक निगमित निकाय होगा।

5. निगम के प्राधिकारी -

प्रत्येक नगर के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित निगम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे-

1. निगम
2. कक्ष समितियाँ,
3. निगम की कार्यकारिणी समिति,

4. नगर प्रमुख ;
5. निगम की विकास समिति,
6. इस अधिनियम के अधीन निगम के लिये नियुक्त एक मुख्य नगर अधिकारी और एक अपर मुख्य नगर अधिकारी तथा
7. ऐसी स्थिति में जब निगम विद्युत-सम्भरण अथवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रम (electricity supply or public transport undertaking) अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे तो निगम की ऐसी अन्य समिति अथवा समितियाँ, जिन्हें निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिए स्थापित करे।

5-क. स्थानीय निकाय निदेशक -

1. राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।,
2. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निदेशक, निगम के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो द्वारा 538 और 539 के अधीन अधिकारी न हों), जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करे, प्रयोग करेगा।

6. निगम की संरचना -

1. निगम एक नगर प्रमुख और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
2. सभासद जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो साठ से अन्यून और एक सौ दस से अनधिक होगी और जो संख्या, खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी;
3. नाम-निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पाँच से अन्यून और दस से अनधिक होगी ;
4. पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के वे सदस्य हैं जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं;
5. पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के वे सदस्य हैं जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;
6. द्वारा 5 के खण्ड के अधीन स्थापित समितियों के, यदि कोई हों, अध्यक्ष, यदि वे निगम के सदस्य नहीं हैं :

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मत देने का

अधिकार नहीं होगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (क) से में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्ति से निगम के संगठन या पुर्नसंगठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(2) सभासद कक्षों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे।,

6-क**.** कक्ष समितियों का संगठन और संरचना-

1. तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में दस कक्ष होंगे।
2. कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति में समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।
3. प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगेः

I. कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सभासद;

II. पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवरचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

4. कक्ष समिति अपने संगठन के पश्चात अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवरती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।
5. अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा, किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निवाचन के लिये पात्र होगा।
6. सभासद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।
7. कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा।
8. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।,

7. स्थानों का आरक्षण-

1. प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों, के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों, की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों में ऐसे क्रम में चक्रानु क्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा

विहित किया जाय:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि किसी निगम में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगाः

किन्तु अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।

2. [* * * * *]

3. उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

4. उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जायेंगे से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

5. राज्य में निगमों के नगर प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये इस द्वारा के अधीन स्थानों और पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

7. **स्पष्टीकरण-** यह स्पष्ट किया जाता है कि इस द्वारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों और पदों के लिये निर्वाचन लड़ने से निर्वाचित नहीं करेगी।,

निगम का कार्यकाल-

I. कोई निगम जब तक कि उसे द्वारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक के 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बना रहेगा।

II. किसी निगम के संगठन के लिये निर्वाचन-

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ;

(ख) द्वारा 538 के अधीन उसके विघटन के आदेश के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

पूरा कराया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विघटित निगम की शेष अवधि, जब तक कि निगम बनी रह सकती थी, छ: मास से कम हो, वहाँ ऐसी अवधि के लिये निगम का संगठन करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा।

III. किसी निगम के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर संगठित किया गया निगम उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित निगम, उपधारा (1) के अधीन बना रहता, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बना रहेगा।,

7-क. [* * * * *]

8-क. निगम के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासक के लिए अस्थायी उपबन्ध,-(1) जहाँ किसी क्षेत्र को संविधान के अनुच्छ‍ेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है, और राज्य सरकार की राय है कि संविधान के अधीन, ऐसे क्षेत्र के लिए 3निगम का सम्यक संगठन होने तक ऐसा करना सम‍ाचीन है, वहाँ राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि -

I. ऐसे क्षेत्र में अधिकारिक का प्रयोग करने के लिए संगठित नगरपालिका, या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से, जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे आगे इस द्वारा में विनिर्दिष्ट दिनांक कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायेगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा ;

II. निगम उसके नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, कक्ष समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और द्वारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित्त नियुक्त

अधिकारी में (जिसे आगे प्राशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से कक्ष समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जाएगा ;

III. प्रशासक को ऐसे वेतन और भत्ते, जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निर्मित्त नियत किये जायँ, निगम की निधि से दिये जायेंगे।

1. प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए यदि खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में-

   (एक) उस निर्मित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, या

   (दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा उस निर्मित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उपखण्ड (क) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

2. इस द्वारा के उपबन्ध द्वारा 579 और 570 में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

9. निगम के संगठन की विज्ञप्ति -

किसी नगर निगम के लिए सभासदों तथा नगर-प्रमुख के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि उक्त नगर की 3निगम यथावत संगठित हो गयी है।

नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख

10. उपनगर-प्रमुख -

I. प्रत्येक निगम के लिए एक उपनगर प्रमुख होगा।
II. यदि कभी नगर प्रमुख किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा नगर-प्रमुख का पद रिक्त हुआ हो, इस पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति नगर-प्रमुख के पुनः कार्यभार सम्भालने अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति होने तक उपनगर-प्रमुख करेगा।

11. नगर-प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएँ-

1. कोई भी व्यक्ति नगर-प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा -

I. यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,
II. यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है,

III. यदि वह द्वारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निर्मित्त अर्ह है, अथवा

IV. यदि वह सभासद के किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात छः महीने व्यतीत न हो गये हों।

2. **[* * * * *]**

3. कोई व्यक्ति जो निगम का सभासद, नहीं है, उपनगर-प्रमुख के पद पर निर्वाचन के 43-ए के लिए पात्र न होगा।

11-क. नगर-प्रमुख का निर्वाचन -

I. नगर-प्रमुख का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

II. द्वारा 16 में यथाउल्लिखित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर-प्रमुख पुनर्निवाचन के लिये पात्र होगा।

III. किसी सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी हैं) नगर-प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

IV. यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर-प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर-प्रमुख निर्वाचित होता है, तो वह नगर-प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा।,

12. उपनगर-प्रमुख का निर्वाचन -

I. उपनगर प्रमुख, यथास्थिति, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात या नगर प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किया जायेगा।

II. **[* * * * *]**

III. उपनगर-प्रमुख सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ श्लाका द्वारा होगा।

IV. यदि उपनगर-प्रमुख, नगर प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उपनगर-प्रमुख के पद की रिक्ति उस दिनांक से होगी, जब से वह नगर-प्रमुख का पद ग्रहण करें।

V. द्वारा 47 के उपबन्ध यथासम्भव उपनगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

13. सभासदों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायेगा-

उपनगर-प्रमुख के निर्वाचन के प्रयोजन के निर्मित्त सभासदों का निर्वाचन किसी स्थान के अपूरित रहने पर भी, पूर्ण समझा जायेगा यदि द्वार 6 के अधीन निश्चित सभासदों की कुल जनसंख्या की कम से कम चतुष्पंचमांश (four-fifths) संख्या पूरी हो गई हो।

14. नगर-प्रमुख अथवा उपनगर-प्रमुख के पदों की आकस्मिक रिक्ति-

यदि नगर-प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख की मृत्यु अथवा उनके पद-त्याग अथवा अन्य किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जायें तो यथास्थिति नगर-प्रमुख अथवा उपनगर-प्रमुख का निर्वाचन तत्पश्चात यथाशीघ्र द्वारा 11-क में या, यथास्थिति द्वारा 12 में, उपबंधित रीति से होगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी शेष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

15. नगर-प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख की पदावधि -

1. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय-

    (क) नगर प्रमुख की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगी ;

    (ख) उप नगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या सभासद के रूप में उसके पद के शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी।

2. किसी आकस्मिक पद की पूर्ति के निर्मित्त निर्वाचित नगर-प्रमुख अथवा उपनगर-प्रमुख की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी ;

3. नगर-प्रमुख अथवा उपनगर-प्रमुख, जब तक कि वह अपना पदत्याग नहीं कर देता अथवा उसका अर्ह होना समाप्त नहीं हो जाता अथवा वह अनर्ह नहीं हो जाता, उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नगर प्रमुख अथवा उपनगर प्रमुख जैसी स्थिति हो, के पद को ग्रहण नहीं करता।

15. [* * * * *]

16. नगर-प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -

1. नगर प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल इस द्वारा में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रस्तुत किया जायगा।

2. नगर प्रमुख के पद ग्रहण करने से दो वर्ष के भीतर इस द्वारा के अधीन अविश्वास के किसी प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त नहीं की जायेगी।

3. नगर-प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मन्तव्य का लिखित तथा निगम के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से, न्यून न हो, हस्ताक्षरित नोटिस, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति

सहित हस्ताक्षरकत्तर सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों द्वारा उस डिवीजन के कमिश्नर को दिया जायगा, जिसमें कि सम्बद्ध नगर स्थित हो।

4. डिवीजन का कमिश्नर इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के निर्मित्त एक अधिवेशन संयोजित करेगा जो उस दिनांक तथा समय पर होगा जिसे कि वह नियत करे और जो उस दिनांक से, जिस पर उपधारा (3) के अधीन उसे नोटिस दिया गया था, 30 दिन से पहले तथा 35 दिन के बाद न होगा। वह अधिवेशन के दिनांक से कम से कम सात स्पष्ट दिवस पूर्व निगम के प्रत्येक सदस्य निवास-स्थान पर ऐसे अधिवेशन तथा तदर्थ नियत दिनांक एवं समय का नोटिस भेजेगा तथा साथ ही साथ उस नोटिस को ऐसी रीति से प्रकाशित करवायेगा जिसे वह उचित समझे। तत्पश्चात प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसे नोटिस प्राप्त हो गयी है।

5. जिला न्यायाधीश इस द्वारा के अधीन संयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा तथा कोई और व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता न कर सकेगा। यदि अधिवेशन के लिये नियत समय से आधे घंटे के भीतर जिला न्यायाधीश अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो अधिवेशन उस दिनांक और उस समय तक के लिये स्थगित हो जायेगा जिसे उपधारा (9) के अधीन जिला न्यायाधीश नियत करेगा।

6. यदि जिला न्यायाधीश अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उस किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर

सकता है जिसे वह निश्चय करे। किन्तु यह दिनांक उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन के लिये नियत दिनांक से पन्द्रह दिन से अधिक न होगा। वह अविलम्ब ही डिवीजन के कमिश्नर को अधिवेशन के स्थगन की सूचना देगा। यह आवश्यक नहीं है कि स्थगित अधिवेशन के सम्बन्ध में दिनांक और समय की सूचना सदस्यों को धचिअताशः दी जाय, किन्तु डिवीजन का कमिश्नर और उपधारा (4) में व्यवस्थित रीति के अनुसार स्थगति अधिवेशन के दिनांक और समय की नोटिस का प्रकाशन करेगा।

7. [* * * * *]

8. उपधारा (5) और (6), में की गयी व्यवस्था को छेड़कर इस द्वारा के अधीन प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन से संयोजित कोई भी अधिवेशन किसी अन्य कारणवाश स्थगित नहीं किया जायेगा।

9. इस द्वारा के अधीन संयोजित अधिवेशन के प्रारम्भ होते ही 2 जिला न्यायाधीश, उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढक़ेगा जिस पर विचार करने के लिये अधिवेशन संयोजित किया गया हो तथा उस प्रस्ताव को वाद-विवाद के निर्मित्त प्रस्तुत घोषित करेगा।

10. इस द्वारा के अधीन किसी भी प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित न किया जायेगा।

11. ऐसा वाद-विवाद, जब तक कि वह पहले ही न समाप्त हो जाय, अधिवेशन आरम्भ होने के निर्मित्त नियत समय से तीन घंटों की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगा। यथास्थिति वाद-विवाद की

समाप्ति अथवा उक्त तीन घंटों की समाप्ति पर यह प्रस्ताव निगम के समक्ष मतदान के निर्मित्त प्रस्तुत किया जायगा।

12. जिला न्यायाधीश, न तो प्रस्ताव के गुण-दोषों पर भाषण दे सकेगा और न उसे उस पर मत देने का अधिकार होगा।

13. अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात जिला न्यायाधीश, अधिवेशन के कार्य-विवरण की एक प्रति, प्रस्ताव व उस पर मतदान के फल की एक प्रति के सहित तुरन्त नगर-प्रमुख तथा डिवीजन के कमिश्नर के पास अग्रसारित करेगा।

14. उपधारा (13) में उल्लिखित प्रतियों के प्राप्त होने के पश्चात तीन दिन के बाद यथाशीघ्र डिवीजन का कमिश्नर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में इस आख्या के सहित कि नगर-प्रमुख ने द्वारा 19 के साथ पठित उपधारा (17) के उपबन्धों के अनुसार त्याग-पत्र अग्रसारित किया है या नहीं, उन प्रतियों को राज्य सरकार के पास भेज देगा।

15. प्रस्ताव तभी सफल समझा जायेगा जब कि वह निगम के कुल सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया हो।

16. यदि प्रस्ताव उपर्युक्तत प्रकार से सफल न हो अथवा गणपूर्ति जो कि तत्समय निगम के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून होगा के अभाववाश अधिवेशन ही न हो सके, तो

अधिवेशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने तक उसी नगर प्रमुख में अविश्वास के किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार नहीं किया जायेगा ;

17. इस द्वारा के अनुसार नगर-प्रमुख के सम्बन्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित और संदिष्ट होने पर उपनगर प्रमुख--

(क) ऐसा संदेश पाने के तीन दिन के भीतर अपना पदत्याग देगा, तथा

(ख) ऐसे संदेश के पाने से तीन दिन की अवधि की समाप्ति पर नगर प्रमुख के रूप में काम करना रोक देगा।

18. उपधारा (17) के खंड (क) के अनुसार नगर प्रमुख के उस उपधारा में मिली हुई अवधि के भीतर कार्य करने में असफल रहने पर, राज्य सरकार आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक से उसे हटा देगी तथा इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं कोई बात होने पर भी अनुगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र न होगा।

19. [* * * * *]

20. [* * * * *]

21. [* * * * *]

22. [* * * * *]

23. इस द्वारा के उपबन्धों के अधीन 3 निगम के किसी सदस्य, डिवीजन के कमिश्नर जिला न्यायाधीश, अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई प्राश्न नहीं किया जायेगा।

टिप्पणियाँ

अविश्वास साधारण अनुक्रम में निर्वाचित किसी व्यक्ति को अथवा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को भी अविश्वास के मत द्वारा हटाया जा सकता है। अपवर्जन किसी प्रकार का विभेद नहीं करता। हाजी अब्दुल कयूम बनाम केशव शरण ए०आई०आर०1964 इला०368.

अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-

नगर पालिका अधिनियम के अधीन सभापति से हटाये जाने की प्रक्रिया को आज्ञापालक (mandatory) धारण किया गया। महेश चन्द्र बनाम ताराचन्द्र मोदी, ए०आई०आर० 1958 इला० 72 (पूर्ण पीठ),

प्रस्ताव- "प्रस्ताव" शब्द को मात्र एक प्रस्थापना माना गया। प्रस्ताव की एक प्रति भेजी जाती हैं। महेश चन्द्र बनाम ताराचन्द्र मोदी, ए०आई०आर० 1958 इला० 374 (पूर्ण पीठ) द्वारा में दी गयी प्रस्ताव की प्रक्रिया का अनुसरण किया ही जाना होगा। अब्दुल अलीम खाँ बनाम उ०प्र० सरकार, 1967 ए०एल०जे० 942 अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में होने वाली प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण किया जाना होगा।

ख्गुलाम महीउद्दीन बनाम मुन्सिफ एटा, ए०आई०आर० 1961 इला० 2001 अनर्ह हो गये सदस्य भी अविश्वास के प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ख्मूलचन्द्र शमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1962 ए०एल०जे० 381.

अवधि- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की द्वारा 16(4) के अधीन विहित की गयी अवधि का अनुसरण करना ही होगा। "30 दिनों से पहले तथा 35 दिन के बाद पद का निर्वचन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि यह प्राविधान गणना किये जाने से 30 दिन को अलग नहीं करता जय चरण लाल अमल बनाम उ०प्र० राज्य, 1967 ए०एल०जे० 936 परिसीमा के लिये यह कहा गया कि वह नोटिस के भेजने की तारीख से चलेगी।

आस्थगन- बैठक की अध्यक्षता करने वाला न्यायिक अधिकारी बैठक को आस्थगित कर सकता है। ऐसा आस्थगन या स्थगन पहले से भी किया जा सकता है। जयचरण लाल अमल बनाम उ०प्र० राज्य, 1967 ए०एल०जे० 936 ;

संसूचना- तीनों ही चीजें, कार्यवृत्त की प्रति, नोटिस की प्रति तथा मतदान का परिणाम, एक ही संसूचना (Communication) में भेजी जा सकेगी महेश चन्द्र बनाम तारा चन्द्र मोदी, ए०आई०आर० 1958 इला० 374,

17. नगर-प्रमुख सदस्य होगा-

I. नगर प्रमुख, निगम का पदेन सदस्य होगा।

II. निगम अथवा उसका किसी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते समय नगर-प्रमुख मतों की समानता (equality of votes) की दशा में एक निर्णायक मत (casting vote) देने का अधिकारी होगा परन्तु सदस्य के रूप में उसे मत देने का अधिकार न होगा।

18. नगर-प्रमुख के भत्ते -

नगर प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख को ऐसे भत्ते या सुविधाएँ, जो निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दी जा सकती हैं।,

19. नगर-प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख का त्याग-पत्र-

I. यदि नगर प्रमुख अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो राज्य सरकार को सम्बोधित होगा, ऐसा कर सकता है, और यह त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन यह सूचना कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मुख्य नगराधिकारी को प्राप्त हो।

II. उपनगर-प्रमुख किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो नगर-प्रमुख को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग कर सकता है और यह त्याग-पत्र नगर-प्रमुख को मिलते ही प्रभावी हो जायगा।

निगम के सदस्य

20. [* * * * *]

21. [* * * * *]

22. [* * * * *]

23. सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम-निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे-

द्वारा 24, 25, 26, 28, 29, 30-क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावाश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. सभासद के निर्वाचन के लिये अर्हतायें-

कोई व्यक्ति सभासद के रूप में चुने जाने के लिये और सभासद होने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह

(क) नगर का निर्वाचक न हो ;

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिये आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है।,

25. सभासदों की अनर्हताएँ-

I. कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, सभासद, चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा, यदि

II. उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दंड् दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो;

III. वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

IV. वह निगम में लाभ के किसी पद पर हो,

V. वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा डिस्टक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्टक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टर हो ;

VI. वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या के लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा निगम को माल सम्भारित करने के लिए या किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए

किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार निगम ने अपने पर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा या हित रखता हो;

VII. वह निगम को देय ऐसे कर के जिन पर द्वारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो नियम द्वारा दिये गये पानी के लिये देय हो एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो;

VIII. यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक छः वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गयी हो ;

IX. वह किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से वकालत करने के लिये विवर्जित कर दिया गया है ;

X. वह इस अधिनियम की द्वारा 80 तथा 83 के अधीन निगम का सदस्य होने के लिये अनर्ह है ;

XI. वह किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी ने उस रोग को असाध्य घोषित कर दिया है ;

XII. परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगी और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र,

जिसको अब अगर अनुसूचित कर दिया गया है,, में क्षेत्राधिकार रखने वाली नगरपालिका परिषद, अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, उसको 2निगम का बकाया समझा जायेगा।

XIII. राज्य विधान मण्ड्ल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पचीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;,

XIV. [* * * * *]

XV. [* * * * *]

कोई व्यक्ति सभासद चुन लिये जाने पर सभासद बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि वह

I. स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध है (interested or concerned) वह वृत्तिक हैसियत से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है; अथवा

II. बीमारी अथवा २निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छेड़कर २निगम के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

5. उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि वह

I. वह पेंशन पाता है,

II. नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

6. उपधारा (1) के खण्डके अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है

I. कोई संयुक्त सम्भार समवाय अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति जिससे निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा ;

II. निगम के लिये मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक विक्रय में जिसमें वह किसी कलेंड्र वर्ष में कुल मिलाकर 2000 रू से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

7. कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात इस द्वारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायगा।

टिप्पणियाँ

दोषसिद्ध एवं दण्डादेश--

यदि सम्मोचन (release) के पश्चात पाँच वर्ष का समय न बीत गया हो, तो कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अनर्ह (disqualified) होगा। शरतचन्द्र बनाम खगेन्द्रनाथ, ए०आई०आर० 1961 एस०सी० 334, यदि दोष-सिद्धि नैतिक अक्षमता जैसे कि न्याय, निष्ठा, शील अथवा सदाचार के विरूद्ध किसी अपराध के लिए हुई हो तो ऐसा व्यक्ति अनर्ह (disqualified) हो जायगा। बालेश्वर सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, बनारस, ए०आई०आर० 1959 इला० 71 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन किसी अपराध को एक नैतिक अक्षमता का अपराध माना गया। इन्द्रलाल बनाम लच्छी राम, ए०आई०आर० 1966, राजस्थान 42।

लाभ का पद धारण करना -

किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में कि जिससे युक्तियुक्त रूप से लाभ अर्जित करने की आशा की जा सके, यह कहा जायगा कि वह लाभ का पद धारण करता है। देवराज बनाम केशव, ए०आई०आर० 1954 बम्बई 214 (हेड्मास्टर सेकेन्ड्री स्कूल बी०जी० बरकट बनाम रिटर्निंग आफिसर, ए०आई०आर० 1978 बम्बई, 259 डाइरेक्टर आफ कारपोरेशन, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, के विषय में यह धारण किया गया

कि वह एक लाभ का पद धारण करता है। गोविन्द बासू बनाम शंकर प्रसाद, ए०आई०आर० 1942 एस०सी० 254.।

निगम के साथ संविदा--

संसुगत तारीख पर संविदा में हित को किया जाना होगा। चतुर्भ्ुज विट्ठलदास जसनी बनाम मोरेश्वर परसराम, ए०आई०आर० एस०सी० 237. लेकिन यदि राज्य ने संविदा का अनुसमर्थन न किया हो, तो कोई अनर्हता न होगी। ललितेश्वर प्रसाद शाही बनाम बरटेश्वर प्रसाद, ए०आई०आर० 1966 एस०सी० 500.

26. सभासद तथा विशिष्ट सदस्य की पदावधि --

I. आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निर्मित्त निर्वाचित सभासद से भिन्न सभासद की पदावधि निगम के कार्यकाल के समकक्ष होगी।

II. आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित किसी भी सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य का कार्यकाल उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा।

27. सभासदों का निर्वाचन--

I. सभासदों का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली के अनुसार होगा।

II. अपने पद से हटने वाला सभासद पूनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

28. सभासदों के पद की आकस्मिक रिक्ति --

यदि किसी सभासद की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति, उसकी मृत्यु तथा त्याग-पत्र अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय, तो ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा सभासद यथाशक्य उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचित किया जाएगा, जो सामान्य निर्वाचन में सभासदों के निर्वाचन के लिये इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबन्धित हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पद से हटने वाले (outgoing) सभासद की पदावधि साधारणतः रिक्त होने के चार महीने के भीतर समाप्त हो रही हो, तो ऐसी रिक्ति बिना पूर्ति के छोड़ दी जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

29.

सभासदों का त्याग-पत्र कोई सभासद किसी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख, जो नगर प्रमुख को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है और उसका त्याग-पत्र नगर प्रमुख को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जायगा।

30. एक से अधिक कक्ष के निर्मित्त एक ही व्यक्ति का निर्वाचन:-

I. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्षों से सभासद निर्वाचित हो जाय तो वह ऐसे अन्तिम निर्वाचन के दिनांक के तीन दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी को उस कक्ष की सूचना देगा, जिसकी सेवा में वह रहना चाहता है।

II. ऐसी सूचना न देने पर मुख्य नगराधिकारी लाटरी डालकर वह कक्ष निर्धारित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा, जिसकी सेवा में ऐसा व्यक्ति रहेगा।

III. ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने हुए अथवा अधिसूचित कक्ष के लिये ही निर्वाचित समझा जायगा तथा अन्य किसी कक्ष अथवा कक्षों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ नवीन निर्वाचन द्वारा द्वारा इस प्रकार भरी जायँगी मानो कि वे आकस्मिक रिक्तियाँ हों।

30. सदस्यों को वाहन-भत्ता या सुविधाएँ-

सभासदों को निगम के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये ऐसा वाहन-भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय।,

कक्षों का परिसीमन

31. कक्षों की व्यवस्था--

I. सभासदों के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ द्वारा 32 में दी हुई रीति से प्रत्येक नगर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जायगा जो कक्ष कहे जायेंगे, और प्रत्येक कक्ष के लिये पृथक निर्वाचक नामावली होगी।

II. प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व, निगम में सभासद द्वारा किया जायेगा।

32. परिसीमान आज्ञा--

1. राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करेगी--

I. किसी नगरपालिका क्षेत्र को ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या जहाँ तक सम्भव हो सके, संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो, कक्षों में विभाजित करेगी;

II. कक्षों की संख्या, जिसमें किसी नगरपालिका क्षेत्र को विभाजित किया जायेगा, अवधारित करेगी;

III. प्रत्येक कक्ष का विस्तार अवधारित करेगी;

IV. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगी।

2. उपधारा (1) के अधीन आज्ञा का पांडुलेख आपत्तियों के लिये, जो सात दिन से कम न हो, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

3. राज्य सरकार उपधारा **(2)** के अधीन की गयी किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी, और यदि आवाश्यक हुआ तो तदनुसार आज्ञा का पांडुलेख संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायगा और तत्पाश्चात् वह अंतिम हो जायगा।

(3) 33. परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव--

1. राज्य सरकार अपनी किसी परिवर्ति आज्ञा (subsequent order) द्वारा 32 की उपधारा
2. के अधीन की गयी किसी भी अंतिम आज्ञा को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है।

I. उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिये, द्वारा 32 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथावाश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।,

II. इस द्वारा के अधीन किसी भी अंतिम आज्ञा के परिवर्तन अथवा संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार विद्यमान सभासदों को परिवर्तित अथवा संशोधित कक्षों में इस प्रकार विभाजित (apportion) कर देगी कि जहाँ तक युक्तितः साध्य हो, वे अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का यथासंभव अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहें।

III. विद्यमान सभासद उसी कक्ष में पदासीन होगा जो उसे नियत किया गया है और उस पद पर ऐसी दशा में पदासीन रहता यदि कक्ष अपवर्तित तथा असंशोधित ही रहे होते।

निर्वाचक तथा निर्वाचक नामावली

34-

35. प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली--

प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।,

36. निर्वाचकों की अर्हताएँ--

धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण--

I. किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह समझ लिया जायगा कि वह किस क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

II. मामूली निवास-स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

III. संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र में अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिवारित नहीं समझा जायगा।

IV. यह निश्चिय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायगा।

V. यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहाँ का निवासी है तो उस वस्तु का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायगा।

37. निर्वाचकों की अनर्हताएँ--

1. कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिए अनर्ह होगा, यदि वह-

I. भारत का नागरिक न हो; या

II. विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो; या

III. निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

2. किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने (inforce) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उक्त अनर्हता निवारण को प्राधिकृत कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायगा।

38. पंजीयन एक कक्ष तथा एक स्थान में होना

1. कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

2. कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

3. कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रणाशील क्षेत्र, छवनी या ग्राम पंचायत, से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

39. निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकाशन--

1. राज्य निर्वाचक आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामार्श से, इस निर्मित्त पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट करे।
3. निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से हो;

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिए नाम-

निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायगा।

5. जहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ वह इस अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, नहीं किया जायगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध; प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायगा।

6. निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने, या सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध; अपील ऐसे समय के

भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायगी।

40. निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण--

राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उपनिर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का आदेश दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निर्देशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।

41. निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों से सम्बद्ध अन्य विषय-

जहाँ तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकता है, अर्थात-

I. दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियाँ और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियाँ प्रवृत्त होंगी तथा उसके प्रवर्तन की अवधि;

II. सम्बद्ध निर्वाचक (elector) के प्रार्थना-पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना;

III. निर्वाचक नामावलियों में लिपिक अथवा मुद्रण सम्बन्धी गलतियों को ठीक करना;

IV. किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना;

निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना:-

1. जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है; परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है, अथवा;
2. जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है। परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिए अर्ह है।
3. ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह हैं;
4. ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह हैं;
5. नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निर्मित्त प्रार्थना-पत्र पर देय शुल्क;
6. *

7. निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण; तथा

8. सामान्यतः निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय।

मतदान

42. मत देने का अधिकार-

1. कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा।

2. कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह द्वारा ३७ में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

3. कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में निगम के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा, और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है, तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।

4. इस बात के होते हुए भी कि किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है, तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

5. यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार का दंण्ड के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (lawful custody) में है, तो वह मतदान नहीं करेगा।

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन हो।

43. मतदान प्रणाली

44. मतदान की रीति-

किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहाँ मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (secret ballot) द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जायगा।

टिप्पणी

मतपत्र द्वारा मतदान- मतपत्र पर चिन्ह इस ढंग से लगाया जाना चाहिए कि उससे यह प्रकट हो कि ऐसा चिन्ह लगाया जाना मतदाता का सोच-विचार करके किया गया कार्य था। पी.आऱ फ्रांसिस बनाम ए०वी० अरियान, ए०आई०आर०1986 केरल 252। मतपत्र की पीठ पर बनाये गये चिन्ह को दोषपूर्ण धारण नहीं किया जा सकता, और ऐसे मत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वरूप सागर बनाम इलेक्शन ट्राइब्युनल, ए०आई०आर० 1960 इला० 66। मतपत्र पर चिन्ह लगाये जाने के विषय में होने वाले नियमों का अनुसरण किया जाना जरूरी है। यदि उनका पूर्णरूपेण पालन नहीं किया जाता तो मत को अस्वीकार कर दिया जायगा। पी० वेंकटानारायण बनाम जी०वी०एस० राव, ए०आई०आर० 1967 आन्ध्र प्रदेश 11।

निर्वाचनों का संचालन

45. निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, आदि-

I. निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

II. उपधारा (1) के अधीन रहते हुए द्वारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

46. निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी आदेश-

किसी मामले के सम्बन्ध में, जहाँ तक इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध नहीं बनायें गये हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा नगर प्रमुख सभासदों के स्थानों से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था कर सकता है अर्थात-

I. निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन अध्यक्षों तथा मतदान अधिकारियों और क्लकों की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

II. नाम-निर्देशन, परीक्षण, नाम वापस लेने तथा मतदान के लिये दिनांकों को निश्चित करना;

III. वैध (valid) नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति तथा तदर्थ अपेक्षाएँ, नाम-निर्देशनों का परीक्षण तथा उम्मीदवारों से नाम वापस लेना;

IV. निर्वाचन अभिकर्त्ताओं, मतदान अभिकर्त्ताओं तथा गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति तथा उनके कर्त्तव्य ;

V. सामान्य निर्वाचनों के विषय में प्रक्रिया, जिसमें मतदान के पूर्व ही किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों (contested or uncontested) की प्रक्रिया;

VI. मतदाताओं की पहचान;

VII. मतदान का समय;

VIII. मतदान का स्थगित किया जाना तथा फिर से मतदान करना;

IX. निर्वाचनों में मतदान की रीति;

X. मतों का परीक्षण तथा उनकी गणना और पुनर्गणना तथा मतों की संख्या की समानता की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा;

XI. सभासद नगर प्रमुख अथवा उप-नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की विज्ञप्ति;

XII. जमा की हुई धनराशियों की वापसी तथा जब्ती;

XIII. निर्वाचन अध्यक्ष, मतदान अभिकर्त्ता तथा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो किसी कक्ष में निर्वाचक होने के कारण मतदान के अधिकारी हैं, किन्तु जो किसी ऐसे पोलिंग-स्टेशन पर कार्य के लिये नियुक्त किया गया है, जहाँ वह मतदान का अधिकारी नहीं है;

XIV. प्रक्रिया, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के सम्बन्ध में अनुसरित की जायगी जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाता है जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति मत दे चुका है;

XV. मतदान बक्सों, मत-पत्रों तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कागज-पत्रों की अभिरक्षा, अवधि, जब तक के लिये उन्हें सुरक्षित रखना है तथा ऐसे कागज-पत्रों का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना;

XVI.

XVII. निर्वाचन-पत्रों की प्रतियों को जारी करना तथा उन प्रतियों के लिये मूल्य निर्धारित करना;

XVIII. उपनगर प्रमुख के निर्वाचन के लिए सभासदों की सूची रखना; और

XIX. सामान्यतया निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी अन्य सभी विषय।

47. निर्वाचनों का न हो पाना -

I. यदि सभासद के किसी निर्वाचन में कोई स्थान बिना पूर्ति के रह जाता है, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये फिर से निर्वाचन होगा।

II. निर्वाचन के संचालन तथा सभासद के कार्यकाल निर्धारण के लिए उपधारा (१) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये हुआ है।

48. निर्वाचन अपराध -

1. लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग-सात के अध्याय तीन की धारा 125, 126, 127, 127-क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134-क, 135, 89, 135-क, और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो-

I. किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो;

II. शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द कक्ष रख दिया गया हो;

III. धारा 127-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में शब्द मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्थान पर शब्द मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) रख दिये गये हों;

IV. धारा 134 आर 136 में, शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन के स्थान पर शब्द उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के द्वारा या अधीन रख दिये गये हों;

2. यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) को यह विश्वास करने का कारण हो कि निगम के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अध्याय की द्वारा 129 या 134, 94, या 134-क

अथवा द्वारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जाँच करा सकता है और ऐसे अभियोजन चला सकता है जो उसे परिस्थितियों को देखते हुए आवाश्यक प्रतीत हों।

3. धारा 129 अथवा 134, 95 अथवा 134-क के अधीन अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कोई न्यायालय तब तक न करेगा जब तक कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय), की आज्ञा द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न की जाये।

49. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक -

किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी

I. इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष को निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र है या नहीं; या

II. निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या

III. निर्वाचन अधिकारी द्वारा या किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

50. निर्वाचन और रिक्ति के लिये अधिसूचना -

1. किसी निगम के गठन या पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायेगा।
2. उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाये, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार सभासदों और नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए, आहूत करेगी।

I. राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, धारा १२ के अधीन उप-नगर प्रमुख के निर्वाचन के लिये एक या उससे अधिक दिनांक

नियत करेगी और सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उप-नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिये आहूत करेगी।

3. यदि मृत्यु या त्याग-पत्र या किसी अन्य कारण से नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख या किसी सभासद के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो, यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।
4. जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्बन्धित कक्ष या, यथास्थिति, सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा।

कार्यकारिणी समिति

51. कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि -

1. कार्यकारिणी समिति

I. नगर-प्रमुख, जो पदेन कार्यकारिणी, समिति का सभापति (chairman) होगा, तथा

II. ऐसे 12 व्यक्तियों को, जो निगम द्वारा सभासदों में से चुने जायेंगे, से मिलकर बनेगी।

2. कार्यकारिणी समिति उनके प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पाश्चात उतनी बार, जितना कि उपसभापति के स्थान की रिक्ति की पूर्ति करने के निर्मित्त आवाश्यक हो, अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करेगी।

3. उपसभापति, ज्यों ही वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य न रहे, उप-सभापति न रहेगा।

4. उपधारा (1) के खंड (2) में अभिनिर्दिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचन के पश्चात होने वाले उसके प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

5. कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (4) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवा-निवृत्त हो जाया करेंगेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो, तब कार्यकारिणी समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (4) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा-निवृत्त हो जायेंगे।

6. वे सदस्य, जो उपधारा (5) के अधीन अपने उपधारा (4) के अन्तर्गत निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात सेवा-निवृत्त हों, उपधारा (5) मेें निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे कार्यकारिणी समिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर निर्धारित किये जायेंगे तथा

अनुगामी वार्षों में वही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा-निवृत्त होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निर्मित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा।

7. निगम उपधारा (2) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निर्मित्त नियुक्त करेगी जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा-निवृत्त होना हो।

8. समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसके शेष कार्यकाल तक के लिए एक सदस्य निर्वाचित करके की जायगीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि शेष अवधि दो मास से कम की है, जो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

9. सेवा-निवृत्त होने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

52.

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उसके उप-सभापति का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (System of proportional representation) के अनुसार

संमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा।

53.

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पद-त्याग कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, नगर-प्रमुख को सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है और वह नगर-प्रमुख को प्राप्त होने के साथ ही प्रभावी हो जायगा।

विकास समिति

54. विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्यकाल:-

1. विकास-समिति

I. उपनगर-प्रमुख, जो कि इसका पदेन सभापति (chairman) होगा,

II. सभासदों में से निगम द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले दस व्यक्तियों; तथा

III. ऐसे दो व्यक्तियों जो खंड (क) और (ख) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें उक्त सदस्यों की राय में निगम के प्रशासन अथवा सुधार, विकास या नियोजन संबन्धी विषयों का अनुभव हो, संयोजित (co-opted) किये जायेंगे;

से मिलकर बनेगी।

2. विकास समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उप-सभापति के पद में रिक्ति होने के कारण जब कभी आवाश्यक हो, निर्वाचित सदस्यों में से एक को अपना उप-सभापति निर्वाचित करेगी।

3. उप-सभापति सदस्य न रहने पर यथाशीघ्र पद छोड़ देगा।

4. संयोजित (co-opted) सदस्य को विकास समिति अथवा उसी किसी उप समिति में, जिसका वह सदस्य हो, भाषण करने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का अधिकारी न होगा।

5. संयोजित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

6. उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति निगम द्वारा सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् होने वाले उसके पहले अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे।

7. विकास समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने के पहले दिन के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (6) में उल्लिखित निगम का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवानिवृत्त हो जाया करेंगेः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब विकास समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (6) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा-निवृत्त होंगे।

8. वे सदस्य, जो उपधारा (7) के अधीन अपने उपधारा (7) के अधीन निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्व ऐसे समय और रीति से, जिसे विकास समिति का सभापति अवधारित करे, लाटरी डालकर चुने जायेंगे तथा अनुगामी वर्षों में वे ही सदस्य इस द्वारा के अधीन सेवा-निवृत्त होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में, जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निर्मित्त कार्यकाल का आकलन उनकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा।

9. निगम उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में विकास समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निर्मित्त नियुक्त करेगी, जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा-निवृत्त होना हो।

10. समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शेष कार्यकाल तक के लिए की जायेगीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि निगम अन्यथा संकल्प न करे।

11. सेवा-निवृत्त होने वाला कोई सदस्य, चाहे वह निर्वाचित रहा हो अथवा संयोजित, पूनर्निर्वाचन अथवा पुनर्संयोजन का पात्र होगा।

55. विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन -

विकास समिति के सदस्यों तथा उसके उप-सभापति (Vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा।

56. विकास समिति के सदस्यों का पद-त्याग -

विकास समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र नगर प्रमुख को प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र नगर प्रमुख को मिल जाने पर प्रभावी हो जायेगा।

धारा 5 के खंड (ड़) के अधीन संगठित समितियाँ

57.

1. धारा 5 के खंड (ड़) के अधीन समितियों का संगठन (1) द्वारा 5 के खंड (ड़) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने ही सदस्य होंगे जितने कि निगम निर्धारित करे, किन्तु उनकी संख्या 12 से अधिक न होगी।

2. राज्य सरकार के एतदर्थ किन्हीं ऐसे निर्देशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति के सदस्य अपने में से एक सभापति तथा एक उपसभापति चुनेंगे तथा सभापति अथवा उपसभापति के पद की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नये निर्वाचन द्वारा करेंगे।
3. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा निर्वाचन की रीति से सम्बद्ध उपबन्ध द्वारा 5 के खंड (ड़) के अधीन संगठित किसी समिति पर यथाशक्य लागू होंगे।

57- क. महानगर योजना समिति

1. सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति संगठित की जाएगीइ;
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का एक अध्यक्ष जो नियमों द्वारा नियत रीति से चुना जायगा, और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक इतनी संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी।
3. उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कुल सदस्यों की संख्या में से
4. **(क)** दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात

के अनुसार अपने में से निर्वाचित किए जाएगें; और

(ख)एक तिहाई सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे

I. एक अधिकारी, जो केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो;

II. एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो;

III. एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के वन विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो;

IV. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश;

V. निदेशक, पयरवरण, उत्तर प्रदेश;

VI. उत्तर प्रदेश जल सं‌भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक;

VII. उत्तर प्रदेश जल सं‌भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित महानगर क्षेत्र में स्थित जल संस्थान का महाप्रबन्धक;

VIII. लोक निर्माण विभाग का एक अधीक्षण अभियन्ता;

IX. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का एक अधीक्षण अभियन्ता;

X. महानगर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का उप सभापति।

4. उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का निर्वाचित सदस्य जिस पद पर होने के आधार पर ऐसा सदस्य बना था, उस पद पर न रहने पर समिति का सदस्य न रह जायेगा।

5. उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य शहरी विकास विभाग में भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

6. सदस्यों की कोई रिक्ति महानगर योजना समिति के संगठन या पुनर्संगठन में बाधक नहीं होगी।

7. महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में-

1. निम्नलिखित का ध्यान रखेगी;

I. महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनायें;

II. नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के मामले, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पयरवरण संरक्षण है;

III. भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताएँ;

IV. उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार;

और राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने सम्भाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वितीय हों या अन्य;

2. ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामार्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

8. महानगर विकास समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

स्पाष्टीकरण-

इस धारा के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका का तात्पर्य नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत से है।

58.मुख्य नगराधिकारी

1. मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य नगर अधिकारी, और एक या अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगीः

2. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक मुख्य नगर अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न कर देः

3. किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को अपर मुख्य नगर अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह निगम का ज्येष्ठतम वेतनमान में उप नगर अधिकारी न हो।

59. मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी के, वेतन और भत्ते, आदि

1. मुख्य नगराधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी, निगम निधि में से उतना मासिक वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।

2. नियोजन (Employment) की अन्य शर्तें जिनमें छुट्टियाँ पेंशन तथा भविष्य निधि (Provident Fund) में अंशदान भी सम्मिलित हैं, वे होंगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करे।

निर्वाचनों से सम्बद्ध विवाद

60. जब तक आपत्ति आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा -

इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूल आपत्ति न की जायगी।

61. नगर-प्रमुख या उपनगर-प्रमुख, के निर्वाचन पर आपत्ति करना -

1. किसी व्यक्ति के नगर-प्रमुख या उपनगर-प्रमुख, के रूप में निर्वाचन पर उक्त निर्वाचन का कोई भी असफल उम्मीदवार अथवा कोई भी व्यक्ति, जिसका निर्वाचन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा निगम का कोई भी सदस्य नगर में क्षेत्राधिकारयुक्त जिला जज के समक्ष द्वारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत करके आपत्ति कर सकता है।
2. याचिका निर्वाचन फल घोषित होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

62. सभासद के निर्वाचन पर आपत्ति करना -

1. सभासद के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बद्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है।
2. याचिका द्वारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है।
3. किसी व्यक्ति के सभासद के रूप में निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचन-सूची अथवा सूचियों में लुप्त कर दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम, जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था, निर्वाचन-सूची अथवा सूचियों में सम्मिलित कर दिया गया है।
4. याचिका निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायेगी।

63. आवेदन का आकार-पत्र तथा उसका विषय -

1. निर्वाचन आवेदन में यह या वे आधार निर्दिष्ट रहेंगे, जिन पर प्रतिवादी (respondent) के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो और उसमें उन वास्तविक तथ्यों का भी संक्षिप्त उल्लेख होगा, जिन पर आवेदक (petitioner) आश्रय करता है। उसमें उस भ्रष्टाचार के, जिसके विषय में आवेदक का कथन है कि उसका व्यवहार हुआ है, पूरे विवरण उल्लिखित किये जायेंगे और उन पक्षों (parties) के नाम, जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का व्यवहार किया है तथा इस प्रकार किये गये भ्रष्टाचार का दिनांक और स्थान, आदि के सम्बन्ध में यथासम्भव पूरा ब्योरा दिया जायेगा।
2. आवेदन पर और यदि उसके साथ कोई अनुसूची अथवा संलग्नक (annexure) हो तो ऐसी अनुसूची अथवा संलग्नक पर भी आवेदक के हस्ताक्षर होंगे तथा वह ऐसी रीति से प्रमाणीकृत होगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में पक्ष निवेदनों (pleading) के प्रमाणीकरण के लिए निर्दिष्ट की गयी है।
3. आवेदक (petitioner)μ

I. यदि वह द्वारा 64 के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों को तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को; और

ii. अन्य ऐसे उम्मीदवारों को, जिसके विरूद्ध; अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा।

टिप्पणियाँ

उद्देश्य- द्वारा निर्वाचन याचिका का प्ररूप (form) निर्धारित करती है।

निर्वाचन याचिका का स्वरूप-

निर्वाचन याचिका व्यक्तियों के बीच कोई वाद नहीं होती, किन्तु वह एक कार्यवाही होती है, जिसमें निर्वाचन-क्षेत्र स्वयं प्रधान पक्षकार होता है। जगन्नाथ बनाम जसवन्त सिंह, ए०आई०आर०, 1954 एस०सी० 210। याची को याचिका दाखिल कर देने के पश्चात् उसे वापस लिये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन्मती महप्पा बसाप्पा बनाम देसाई बसराज आयप्पा, ए०आई०आर० 1958 एस०सी० 698।

निर्वाचन याचिका का प्रस्तुत किया जाना-

एक अनुप्रमाणित प्रति भी दाखिल की जानी चाहिए। मूल पर हस्ताक्षर होने से दोष शुद्ध हो जायगा। सुब्बा राव बनाम इलेक्शन ट्राइब्युनल, ए०आई०आर० 1964 एस०सी० 1027।

निर्वाचन याचिका के पक्षकार-

विजयी प्रत्याशी के साथ-साथ प्रत्येक हारे हुए प्रत्याशी को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। फैजन अली खाँ बनाम इलेक्शन ट्राइब्युनल, 1968 ए०एल०जे० 70।

पक्षकारों को पक्ष बनाने में विफलता-

यदि याचिका में जरूरी पक्षकार को पक्ष न बनाये जाने का दोष हो, तो याचिका निष्फल हो जायगी, और ऐसे दोष को शुद्ध नहीं किया जा सकता। के० कामराज नादर बनाम कुन्जु बेवर, ए० आई० आर० 1958 एस०सी० 687।

याचिका की अन्तर्वस्तु-

याचिका में द्वारा 63 (1) द्वारा यथाविहित सारवान तथ्यों का संक्षिप्त वृत्त दिया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता घातक होगी। बलवन्त सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण, ए०आई०आर० 1960 एस०सी० 770, भ्रामक याचिका खारिज कर दी गई। हुकुम सिंह बनाम बनवारी लाल विप्रा, ए०आई०आर० 1965 इला० 522।

याचिका का सत्यापन-

याचिका का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा। सत्यापन में कोई दोष घातक नहीं होता, बल्कि उसको तत्पाश्चात् उपयुक्त संशोधन करके शुद्ध किया जा सकता है। मुरारका राधेश्याम रामकुमार बनाम रूपनाथ राठौर, ए०आई०आर० 1964, एस०सी० 1445।

64. अनुतोष जिसका आवेदक दावा कर सकता है-

आवेदक यह दावा करने के अतिरिक्त कि समस्त अथवा किसी सफल उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है, इस घोषणा के लिए भी दावा कर सकता है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार यथोचित रूप से निर्वाचित हुआ है।

65. प्रत्यारोपण-

1. यदि किसी निर्वाचन आवेदन में किसी ऐसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है तो निर्वाचित उम्मीदवार अथवा अन्य कोई पक्ष यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य दे सकता है कि यदि उक्त उम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो उस उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होताः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उपर्युक्त कोई अन्य पक्ष उक्त साक्ष्य देने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने यदि वह निर्वाचन, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो,

2. सभासद का हो तो उस पर निर्वाचन आवेदन के नोटिस तामील होने के 21 दिन के भीतर तथा अन्य सभी दशाओं में 3 दिन के भीतर-निर्वाचन की सुनवाई करने वाले जिला जज को अपने उक्त

आशय का नोटिस न दे दिया गया हो और द्वारा 79 में विहित प्रतिभूति (security), यदि कोई हो, न दे दी गई हो।

3. (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ निर्वाचन याचिका की दशा में धारा 63 द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन, विवरण तथा ब्यौरे दिये जायेंगे तथा वे उसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे।

66. आवेदन कब खारिज किया जायगा-

यदि कोई निर्वाचन याचिका इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो अथवा प्रतिभूति जमा करने के सम्बन्ध में द्वारा 79 के अधीन बनाये गये उपबन्धों का पालन न किया गया हो अथवा उस पर निर्दिष्ट समय के भीतर आवाश्यक मुद्रांक शुल्क न दिया गया हो तो जिला जज तत्काल उसे अस्वीकार कर देगा।

67. आवेदन की सुनवाई की प्रक्रिया-

1. जिला जज किसी ऐसे निर्वाचन आवेदन की, जो द्वारा 66 के अधीन खारिज न किया गया हो, सुनवाई करेगा।
2. आवेदन की सुनवाई करने वाला जिला जज ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो द्वारा 79 के अधीन विहित की जाय।

68. आवेदन का स्थानान्तरण-

1. निर्वाचन आवेदन से सम्बद्ध किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर तथा अन्य पक्षों को नोटिस देने के पश्चात, और ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात, जो सुनवाई चाहते हैं, अथवा बिना किसी प्रकार की नोटिए दिये हुए स्वतः किसी समय, हाईकोर्ट-

I. किसी जिला जज के पास विचाराधीन किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई के लिए किसी अन्य जिला जज को स्थानान्तरित कर सकता है, अथवा

II. सुनवाई के लिए ऐसे आवेदन को उस जिला जज को पुनः स्थानान्तरित कर सकता है, जिसके यहाँ से वह आवेदन हटा लिया गया था।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन कोई निर्वाचन आवेदन स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानान्तरित किया गया हो तो वह जिला जज को तत्पाश्चात उक्त आवेदन की सुनवाई करेगा, स्थानान्तरण की आज्ञा में किसी अनुकूल निर्देश के अधीन रहते हुये, ऐसे अवस्थान (point) से सुनवाई आरम्भ कर सकता है जिस अवस्थान से वह स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानान्तरित किया गया थाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह उचित समझे तो ऐसे साक्षियों को, जिसकी पहले गवाही हो चुकी थी, पुनः बुला सकता है और उनका पुनः परीक्षण कर सकता है।

69. आवेदन पर निर्णय-

यदि सुनवाई के समय आवेदन अन्य प्रकार से अस्वीकृत न हुआ हो तो जिला जज निर्वाचन आवेदन की सुनवाई हो जाने के पश्चात्

1. निर्वाचन आवेदन को खारिज करने की; अथवा
2. समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की; अथवा
3. समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने तथा आवेदक अथवा अन्य किसी उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने की आज्ञा देगा।

70. आवेदन का निस्तारण करते हुए अन्य आज्ञाओं का दिया जाना-

धारा 69 के अधीन कोई आज्ञा देते समय जिला जज ऐसी आज्ञा भी देगा, जिसमें

1. यदि आवेदन में यह दोषारोपण है कि निर्वाचन में कोई भ्राष्टाचार किया गया हो, तो

I. ऐसी आपत्ति को कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा उनकी सहमति (consent) से किया गया कोई भ्राष्टाचार सिद्ध हो गया है या नहीं सिद्ध हुआ है और उस भ्राष्टाचरण के प्रकार को; और

II. ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों को, यदि कोई हो, जिनके बारे में सुनवाई के समय यह सिद्ध हो गया हो कि वे किसी भ्राष्टाचरण के दोषी हैं और ऐसे आचरण के प्रकार (nature) को अभिलिखित किया हो; तथा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के उपखंड (5) के अधीन दी गई आज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि

1. उसे जिला जज के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दिखाने का नोटिस न दिया गया हो कि एतदर्थ उसका नाम क्यों न लिखा जाय; और
2. यदि नोटिस के अनुसार वह उपस्थित होता तो जब तक उसे किसी ऐसे गवाह से, जिसका जिला जज ने पहले ही परीक्षण कर लिया हो तथा जिसने उस व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य दिया हो, जिरह करने का और अपनी सफाई में साक्ष्य देने और सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

71. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार- यदि जिला जज का मत हो कि-

1. अपने निर्वाचन के दिनांक पर कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान की पूर्ति के निर्मित्त चुने जाने के लिए अर्ह नहीं था अन्यथा अनर्ह था; अथवा
2. निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता अथवा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 78 में निर्दिष्ट कोई भ्राष्टाचार किया गया है (अथवा
3. कोई निर्वाचन-पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है;
4. निर्वाचन फल पर जहाँ तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है

1. कोई निर्वाचित-पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किये जाने से; अथवा

2. निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्राष्टाचार से, जिसे निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता अथवा ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्त्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने किया; अथवा
3. किसी मत के अनुचित रूप से ग्रहण करने, न लेने अथवा अस्वीकार कर देने या किसी ऐसे मत के ग्रहण करने से जो शून्य हो ; अथवा
4. इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों अथवा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का अपालन करने के कारण;

   सारवान प्रभाव पड़ा है,

   तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

72.

आधार जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है

यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अलावा इस घोषणा का भी दावा किया है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है और जिला जज का यह मत है कि

I. वस्तुतः आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया है; अथवा

II. यदि निर्वाचित उम्मीदवार को भ्राष्टाचार के कारण प्राप्त हुए मत न मिले होते तो आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होता;

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करके यथास्थिति आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

73.

मतों की समता की दशा में प्रक्रियायदि किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करते समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्हीं उम्मीदवारों ने बराबर-बराबर मत प्राप्त किये हैं और उनमें से किसी एक के पक्ष में मत के बढ़ जाने से वह व्यक्ति निर्वाचित घोषित किये जाने का अधिकारी हो जायेगा तो

I. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहाँ तक वह उक्त उम्मीदवारों के मध्य उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित करता है, आवेदन के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, और

II. जहाँ तक उक्त निर्णय प्रश्न को निर्धारित न करता हो जिला जज उन उम्मीदवारों के बीच लाटरी द्वारा निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के पक्ष में लाटरी निकले उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है।

74.

1. जिला जज की आज्ञा के विरूद्ध अपील (1) जिला जज द्वारा द्वारा 69 अथवा 70 के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा के विरूद्ध आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर हाईकोर्ट को अपील हो सकेगीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट उपर्युक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारणवश इस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका।

2. प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के स्मृति-पत्र के साथ सरकारी खजाने की ऐसी रसीद नत्थी करेगा जो यह प्रकट करती हो कि उसके द्वारा किसी सरकारी खजाने अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हाईकोर्ट के नाम अपील के वाद-व्यय की प्रतिभूति के रूप में पाँच सौ रूपये की धनराशि जमा की गई है।

3. इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हाईकोर्ट को इस अध्याय के अधीन अपील के सम्बन्ध में वही अधिकार, क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा मानो कि वह उसके स्थानिक दीवानी अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिग्री से प्रोद्‌भूत अपील होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस द्वारा के अधीन प्रत्येक अपील दो से अन्यून जजों की बेंच द्वारा सुनी जायगी।

5. प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निर्णीत की जायगी और यह प्रयास किया जायगा कि हाईकोर्ट में अपील का स्मृति-पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर अपील अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय।
6. हाईकोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गयी हाईकोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा।
7. जब धारा 69 के खंड (ख) के अधीन आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील की जाय तो हाईकोर्ट पर्याप्त कारण प्रदाश्रित करने पर उस आज्ञा की कार्यान्विति स्थगित कर सकता है, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो तथा ऐसी दशा में यह समझा जायेगा कि द्वारा 77 के अधीन आज्ञा कभी प्रभावी नहीं हुई तथा जब तक अपील खारिज न कर दी जाय, आज्ञा प्रभावित न हो सकेगी।

75. आज्ञाओं तथा निर्णयों की अंतिमता-

धारा 74 के अधीन अपील होने पर हाईकोर्ट का निर्णय तथा केवल ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुए ही द्वारा 69 अथवा 70 के अधीन दी हुई जिला जज की आज्ञा अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

76. आज्ञा का संवहन-

धारा 69 तथा 70 के अधीन दी गयी अपनी आज्ञाओं की घोषणा करने के बाद जिला जज उनकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

77. आज्ञा का प्रभावी होना-

धारा 69 अथवा 70 के अधीन जिला जज द्वारा दी गयी कोई आज्ञा उस दिन के, जिस पर उसकी घोषणा की गयी हो, बाद वाले दिनांक से प्रभावी होगी।

78. भ्रष्टाचार-

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित भ्रष्टाचार समझे जायेंगेः

1. घूस देना, अर्थात उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई परितोषण (gratification) का दान, समुपस्थान अथवा उसके लिए वचन देना जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

I. किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये, अथवा निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिये अथवा

II. किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मत देने अथवा न देने के लिये; प्रेरित करना हो, अथवा जो

III. किसी व्यक्ति को, जो इस प्रकार उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिए, अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये अथवा चुनाव लड़ने से हट जाने के लिए अथवा

IV. किसी निर्वाचक को मत देने के लिये अथवा न देने के लिए पुरस्कार के रूप में हो।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए शब्द परितोषण (gratification) ऐसी परिपुष्टियों तक ही सीमित नहीं है जो धन के रूप में हों अथवा जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जा सके, अपितु इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मनोरंजन तथा पुरस्कारार्थ सभी प्रकार के नियोजन भी सम्मिलित हैं ;

2. अनुचित प्रभाव डलना अर्थात किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचन में निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करनाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि

1. इस खंड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनमें उल्लिखित कोई व्यक्ति, जो

I. किसी उम्मीदवार को अथवा किसी निर्वाचक को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह उम्मीदवार अथवा निर्वाचक अभिरूचि रखता हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की धमकी देता है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार (social ostracism) और किसी जाति अथवा सम्प्रदाय से अलग कर देना भी सम्मिलित है अथवा

II. किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसमें वह अभिरूचि रखता है

दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक अपराध (divine displeasure or spiritual cesure) का भागी होगा या बना दिया जायगा तो यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति इस खंड के अर्थ में उक्त उम्मीदवार अथवा निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप कर रहा है।

III. किसी सार्वजनिक नीति की घोषणा अथवा किसी सार्वजनिक कार्यवाही का वचन अथवा किसी ऐसे विधिक अधिकार का प्रयोग, जिसका उद्देश्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप करना न हो, इस खंड के अथ्र में हस्तक्षेप नहीं समझे जायेंगे।

3. जाति, मूलवंश, समाज अथवा धर्म अथवा प्रथा के आधार पर उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मत देने अथवा मत देने के लिए क्रमबद्ध अपील अथवा उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता को समुन्नत करने के लक्ष्य से धार्मिक चिन्हों के प्रति अपील अथवा राष्ट्रीय चिन्हों जैसे कि राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रप्रतीक का प्रयोग अथवा उनके प्रति अपील।

4. किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अथवा उम्मीदवारी की वापसी अथवा चुनाव लड़ने से हटने के सम्बन्ध में ऐसे तथ्य के प्रकथन का प्रकाशन जो असत्य हो, और जिन्हें या तो वह असत्य समझता हो, अथवा जिसकी

सत्यता में उसे विश्वास न हो और जो उस उम्मीदवार के चुनाव के सुयोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डलने के लिए युक्तितः आयोजित हो।

5. किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता का किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वह चाहे जीवित हो या मृत अथवा किसी बनावटी नाम से अथवा अपने ही नाम से जब कि वह व्यक्ति उसी या दूसरे कक्ष में पहले ही मतदान कर चुकने के फलस्वरूप मत देने का अधिकारी न हो, शलाका-पत्र के लिए प्रार्थना करवाना अथवा प्रार्थना करने में प्रोत्साहन देने अथवा प्रार्थना कराने का प्रयत्न करना।

6. किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं उम्मीदवार के अथवा उसके परिजनों अथवा अभिकर्त्ता से भिन्न किसी निर्वाचक की द्वारा 46 के अधीन प्रचारित आज्ञा द्वारा व्यवस्थित मतदान-स्थल तक अथवा वापस ले जाने के लिये धनराशि देकर अथवा अन्य या किसी वाहन अथवा यान का किराये पर लेना या अन्यथा प्राप्त करना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक निर्वाचन द्वारा अथवा कई निर्वाचकों द्वारा संयुक्त लागत पर उसे या उन्हें किसी मतदान-स्थल तक अथवा मतदान के लिये निश्चित स्थान तक और वापस लाने-ले जाने के प्रयोजन से किसी वाहन या यान का किराये पर लिया जाना इस खंड के प्रयोजन के निर्मित्त भ्रष्टाचार न होगा, यदि इस प्रकार किराये पर लिया गया वाहन या यान ऐसा वाहन या यान हो, जो यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित न होता होः

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी निर्वाचक द्वारा अपनी लागत पर किसी मतदान-स्थल तक अथवा मतदान के लिये निश्चित स्थान तक जाने और वापस आने के लिये किसी सार्वजनिक परिवहन के वाहन अथवा यान के अथवा किसी टैम या रेल के डिब्बे का प्रयोग इस खंड के प्रयोजन के निर्मित्त भ्रष्टाचरण न समझा जायगा।

-स्पष्टीकरण-

इस खंड में पद वाहन से तात्पर्य है कोई ऐसा वाहन, जो सड़क परिवहन में प्रयुक्त किया जाय अथवा प्रयोग किये जाने के योग्य हो, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित होता हो, अथवा अन्य किसी प्रकार से अथवा चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिये अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रयुक्त होता हो।

I. किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में संलग्न तथा निम्नलिखित वर्गों से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति से उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता की संभावना को समुन्नत करने के लिये (मत देने से भिन्न) अन्य कोई सहायता प्राप्त करने या प्राप्त करवाने अथवा प्राप्त करने या प्राप्त करवाने के लिये प्रेरित अथवा प्रयास करना

II. गजटेड अधिकारी ;

III. वेतनभोगी जज और मजिस्ट्रेट ;

IV. भारत संघ की साशस्त्र सेनाओं के सदस्य ;

v. पुलिस दल के सदस्य ;

vi. आबकारी विभाग के अधिकारी ;

vii. माल विभाग के अधिकारीगण, जिनके अन्तर्गत गाँव के एकाउन्टेन्ट जैसे पटवारी लेखपाल, तलती, कारनाम तथा उसके समस्त अधिकारीगण किन्तु इसके अन्तर्गत अन्य ग्राम्य अधिकारीगण नहीं हैं, तथा

viii. राज्य सरकार की सेवा में संलग्न अन्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग जो नियत किये जायँ।

टिप्पणियाँ

अनुचित प्रभाव अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि विजयी प्रत्याशी द्वारा अनुचित प्रभाव डलने के कारण उसके प्रत्याशी की चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रभावित हुई थी। [लाल सिंह केसरी सिंह बनाम बल्लभदास शंकरलाल, ए०आई०आर० 1967 गुजरात 62 ऐसे किसी मामले में यह जरूरी नहीं होता कि प्रभावाधीन रखा गया निर्वाचक शिक्षित नहीं था (तदैव)। अनुचित दबाव का वास्तविक प्रभाव सिद्ध किया जाना होगा। [रामदयाल बनाम सन्तलाल, ए०आई०आर० 1959 एस०सी० 855] यह एक ऐसा मामला था जिसमें दैनिक अरिष्ट के अभिकथन द्वारा अनुचित प्रभाव डला गया था।

धर्म के आधार पर किया गया अनुरोध अनुचित प्रभाव की परिभाषा में आता है। [शुभनाथ देवगम बनाम रत्न नारायण, ए०आई०आर० 1960 एस०सी० 148]।

मिथ्या कथन का प्रकाशन आपराधिक मनःस्थिति यह सिद्ध करना जरूरी होगा कि प्रत्याशी या उसके अभिकर्त्ता ने तथ्य के मिथ्या कथन का प्रकाशन किया। [डॉ० दलजीत सिंह बनाम ज्ञानी करतार सिंह, ए०आई०आर० 1966 एस०सी० 773]। यह सिद्ध करना होगा कि प्रत्याशी या उसका अभिकर्त्ता कथन का रचयिता (नजीवत) था। [शिव प्रताप सिंह बनाम राम प्रताप, ए०आई०आर० 1965 एस०सी० 677]।

यह अभिकथन कि किसी प्रत्याशी ने पिछले निर्वाचन में द्रव्य प्राप्त करके अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, [मारानन्द बनाम बृजमोहन लाल शर्मा, ए०आई०आर० 1967 एस०सी० 808]।

79.

निर्वाचनों से सम्बद्ध विवादों के निर्णय संबंधी नियम राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियम बना सकती है

I. निर्वाचन आवेदनों की सुनवाई करने वाले जिला जजों के लिये कर्मचारियों की नियुक्त तथा पारिश्रमिक ;

II. निर्वाचन आवेदनों की समाप्ति और वापसी ;

III. अनुपस्थिति अथवा असंचालन अथवा न्यायालय की आज्ञाओं के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और तदन्तर्गत दी गयी आज्ञाओं के अपालन के फलस्वरूप निर्वाचन आवेदनों को खारिज करना ;

IV. आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया ;

निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज के अधिकार ;

I. सुनवाई का स्थान ;

II. प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना ;

III. जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी अथवा जब्ती ;

IV. द्वारा 70 के अधीन प्रदत्त (awarded) व्यय की प्राप्ति ;

V. पक्षों को स्थानापन्न करना ;

VI. निर्वाचन आवेदनों के निर्णयाभिलेखों का रखा जाना तथा छाँटा जाना ;

VII. अन्य विषय, जिनकी राज्य सरकार की राय में व्यवस्था करना आवश्यक हो।

80.

1. निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचारों के कारण अर्हताएँ (1) इंडियन पेनल कोड, 1860 की धारा 171-ई या 171-एफ के अधीन कारावास दंड्य अपराध तथा रिप्रीजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट, 1951, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर धारा 48 द्वारा प्रवृत्त किया गया हो, की धारा 135 अथवा द्वारा 136 के अधीन दंड्य अपराध निगम की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।
2. द्वारा 78 में निर्दिष्ट भ्रष्टाचार निगम की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।
3. अनर्हता की अवधि उपधारा (1) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में दोष-सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपत्ति (पिदकपदह) के द्वारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।

कुछ अन्य विषय

81.

शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञा न करने से पूर्व अथवा अर्हन होने या अनर्ह होने की दशा में स्थान ग्रहण करने या मत देने पर दंड यदि कोई व्यक्ति निगम के नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख अथवा सदस्य के रूप में निगम के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक में धारा 85 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं

का अनुपालन किये बिना, अथवा यह जानते हुए कि वह यथास्थिति नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख या सभासद होने के लिये अर्ह नहीं है अथवा अनर्ह है, स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है तो वह प्रत्येक उस दिन के पहले जिस पर वह उक्त प्रकार से स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है, दंड रूवरूप 50 रू० जुर्माना देने का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जायगा।

82.

अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि निगम का कोई सदस्य द्वारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

83.

सदस्यों का हटाया जाना (1) राज्य सरकार निगम अथवा उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटा सकती है

I. कि उसने द्वारा 25 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें वह अपने वादग्राहक (client), निर्देष्टा (princ) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से

(professionally) अभिरूचि रखता हो। यथा सभासद या किसी समिति के सदस्य के रूप में मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर कार्य किया हो;

II. कि वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यपालन में शारीरिक अथवा मस्तिष्क रूप में असमर्थ हो गया है;

III. कि उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के पालन के घोर दुराचार का दोषी रहा हैः

1. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस द्वारा के अधीन हटाये जाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा न दी जायगी जब तक कि आज्ञा से सम्बद्ध सभासद अथवा समिति के सदस्य को, इस बात का कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसे ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।
2. किसी व्यक्ति को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ही हटाया जायगा तथा यह हटाया जाना विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।
3. राज्य सरकार किसी सदस्य को जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी भयंकर संसर्गजन्य रोगों में किसी से ग्रस्त हो, निगम अथवा उसकी किसी समिति, संयुक्त समिति अथवा उपसमिति के अधिवेशन में उपस्थित न होने का निर्देश दे सकती है तथा कोई सदस्य जिसे, इस प्रकार निर्देश दिया गया हो, निगम या उसकी समिति, संयुक्त समिति अथवा उपसमिति के अधिवेशन में उपस्थित होने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि राज्य

सरकार के संतोषानुसार उसके इस बात का प्रमाण देने पर कि वह उस रोग से मुक्त हो गया है, राज्य सरकार निदेश वापस नहीं ले लेती;

4. कोई भी वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन निगम की सदस्यता से हटाया जा चुका हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिये निगम के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा सदस्य होने से अनर्ह रहेगा, तथा कोई भी व्यक्ति, जो निगम की किसी समिति से हटाया गया हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिये उस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा उसका सदस्य होने के लिये अनर्ह रहेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय इस अनर्हता को हटाने की आज्ञा दे सकती है।

84.

85. सभासदों, इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना-

1. इंडियन ओथ्स ऐक्ट, 1873 में किसी बात के होते हुये भी प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, जो सभासद निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो, अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थातः

2. मैं . . . . क, ख, जो निगम का सभासद/नगर प्रमुख/निर्वाचित, विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखण्डता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा।

(1-क) निगम के धारा 9 के अधीन संगठन या द्वारा 538 के अधीन पुर्नसंगठन हो जाने के सात दिन के भीतर मुख्य नगर अधिकारी निर्वाचित घोषित किये गये नगर प्रमुख और सभासद, का एक अधिवेशन बुलायेगा। डिवीजन का कमिश्नर और उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट नगर-प्रमुख को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात नगर प्रमुख ऐसे सभासदों को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा।

3. कोई व्यक्ति जो सभासद या नगर प्रमुख निर्वाचित हो चुका हो अथवा हो विकास समिति का कोई संयोजित सदस्य हो, अपनी पदावधि के प्रारम्भ से तीन महीने के भीतर या उक्त दिनांक के पश्चात आयोजित निगम के प्रथम तीन अधिवेशनों में से किसी एक में, दोनों में से जो भी परवर्ती हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा एतदर्थ अपेक्षित शपथ अथवा प्रतिज्ञान न करे तो वह अपने पद आसीन रहेगा और उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

4. कोई भी व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई है, निगम के किसी अधिवेशन में अथवा विकास-समिति का सदस्य संयोजित होने की दशा में उस समिति के किसी अधिवेशन में उस समय तक न हो तो स्थान ग्रहण करेगा और न यथास्थिति सभासद, अथवा नगर प्रमुख अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में कोई कार्य ही करेगा जब तक उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

86. निर्वाचन व्यय-

1. किसी नगर की निर्वाचन सूचियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण तथा उस नगर के लिए इस अधिनियम के अधीन संचालित निर्वाचनों के सम्बन्ध में किए गए समस्त व्यय, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उसके द्वारा निर्दिष्ट आयति (मगजमदज) पर्यन्त निगम पर भारित होंगे तथा उन्हें निगम से वसूल किया जा सकेगा।
2. निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन का संचालन करने का उत्तरदायी कोई पदाधिकारी निगम को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसी धनराशि दे जो उस निर्वाचन के संचालन के लिए आवाश्यक हो और तत्पश्चात निगम निर्वाचन अधिकारी अथवा अन्य संबद्ध पदाधिकारी को उक्त धनराशि उपलब्ध करायेगा।

87.

1. राज्य सरकार का अधिकार राज्य सरकार विहित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में, किन्तु जो अधिनियम में अथवा आज्ञा द्वारा विहित नहीं किए गए हैं, नियम बना सकती है।
2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ड ाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है

I. नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख या सभासद के निर्वाचन तथा नगर प्रमुख, उपनगर-प्रमुख अथवा सभासद के स्थान की रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति;

II. कार्यकारिणी समिति, विकास-समिति तथा द्वारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की तथा विकास-समिति के सदस्यों के संयोजन की रीति ;

III. कार्यकारिणी, समिति तथा विकास समिति के उपसभापति के निर्वाचन की तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सभापति तथा उपसभापति के निर्वाचन की रीति;

IV. मुख्य नगराधिकारी के अधिकतम वेतन और भत्ते;

V. किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में धारा 82 के अधीन किसी प्रश्न के प्रतिप्रेषण (तममितमदबम) की रीति;

VI. यह जानने की प्रक्रिया कि धारा 25 तथा 83 के प्रयोजनों के निमित्त कोई सदस्य किसी भयानक रोग से पीड़ित हैं या नहीं, और

VII. द्वारा 85 के अधीन शपथ ग्रहण करने से सम्बद्ध विषय।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा द्वारा 4 प्रतिस्थापित की गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा अन्तः स्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 41, सन 1976 द्वारा बढाया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 9 मूल अधिनियम की द्वारा 6 प्रतिस्थापित की गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा मूल अधिनियम की द्वारा 6-क प्रतिस्थापित की गई। इसके पूर्व द्वारा 6-क को उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 10 द्वारा मूल अधिनियम की द्वारा 7 प्रतिस्थापित की गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 की द्वारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा अन्तःस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा उपधारा (2) निकाल दी गयी

उपरोक्त अधिनियम द्वारा शब्द उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 11 द्वारा मूल अधिनियम की द्वारा 8 प्रतिस्थापित की गयी।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 12 द्वारा द्वारा 8-क निकाल दी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 3 सन 1983 द्वारा बढायी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा शब्द इस अधिनियम के अधीन के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 की द्वारा 72 द्वारा नगरपालिका बोर्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा अन्तःस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा कूछ शब्द निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा उपधारा (2) निकाली गयी

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 की द्वारा 15 द्वारा 11-क जोड़ी गयी इसके पूर्व द्वारा 11-क उ०प्र० अधिनियम सं. 17 सन 1982 द्वारा निकाल दी गई थी

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम, सं० 7 सन 2000 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित (1-10-1999 से प्रभावी)

उ०प्र० अधिनियम, सं० 41 सन 1976 द्वारा निकाली गयी

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द नगर प्रमुख और निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द द्वारा 9 के प्रयोजनों के निर्मित्त और नगर प्रमुख और निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द द्वारा 12 में के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 की द्वारा 20 द्वारा द्वारा 15-क निकाली गयी

उ०प्र० अधिनियम, सं० 12 सन 1994 की द्वारा 20 द्वारा शब्द "उप निकाला गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 17 सन 1982 द्वारा शब्द "दो तिहाई से के स्थान पर रखे गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द "नगर प्रमुख के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाली गयी।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द नगर प्रमुख के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द उप निकाला गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन 1998 द्वारा शब्द आधे से अधिक से बहुमत के स्थान पर रखे गये (13-11-1997 से प्रभावी)

उ०प्र० अधिनियम सं० 17 सन 1982 द्वारा निकाली गयी।

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन 1964 द्वारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1997 द्वारा मूल अधिनियम की द्वारा 20, 21 और 22 निकाल दी गयी।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्यों तथा निकाले गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 15 सन 1983 द्वारा शब्द पाँच वर्ष के स्थान पर रखा गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 15 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1974 की द्वारा 24 द्वारा शब्द कोढक़ग्रस्त है अथवा निकाले गए

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द सिविल सर्जन के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द नगर पालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा जोड़ा गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा निकाला गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

विस्तृत जानकारी के लिये उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली द्वारा ड० एच़एऩ त्रिपाठी का अवलोकन करें।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन 1964 की द्वारा 5 द्वारा बढायी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा शब्द प्रत्येक नगर के स्थान पर रखा गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाली गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा 15 दिन के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा उपधारा (1-क) बढायी गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाली गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा द्वारा 39 प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा शब्दों राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा मूल अधिनियम की द्वारा 45 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया

उपरोक्त अधिनियम के द्वारा पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात (2) बढा दी गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य और निकाल दिये गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाला गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्दो कक्षों में जहाँ अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं, निर्वाचनों के लिये विशेष प्रक्रिया निकाला गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा निकाल दिया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निकाल दिया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापिता

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा अंक 135-क बढाया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा शब्दों राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा बढाया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा बढाया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 35 सन 1978 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 7 द्वारा उपधारा (2-क) अन्तःस्थापित (1-10-1999 से प्रभावी)

उ०प्र० अधिनियम सं० 41 सन 1976 द्वारा शब्द उपनगर प्रमुख के स्थान पर रखा गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द और विशिष्ट सदस्यों निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्यों तथा निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा द्वारा 57-क जोड़ी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1995 द्वारा अन्तःस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा अन्तःस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 17 सन 1982 द्वारा शब्द उपनगर प्रमुख के स्थान पर रखा गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 17 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य अथवा निकाले गए

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य अथवा निकाले गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य अथवा निकाल दिये गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य निकाले गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य निकाल दिये गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा द्वारा 84 निकाल दी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन 1964 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द अथवा विशिष्ट सदस्य निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1964 की द्वारा 9(2) द्वारा बढायी गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1964 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 26 सन 1965 द्वारा शब्द अथवा द्वारा 539 निकाल दिये गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 की द्वारा 23(ख)(एक) द्वारा शब्द सभासदों और विशिष्ट सदस्यों की जगह रखे गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 की द्वारा 23(ख)(दो) द्वारा शब्द और विशिष्ट सदस्यों निकाले गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 की द्वारा 23(ग) द्वारा शब्द या विशिष्ट सदन निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1977 द्वारा शब्द विशिष्ट सदस्य निकाल दिये गये

निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाहियां

88- निगम के अधिवेशन-

1. निगम कार्यों के सम्पादनार्थ प्रतिवर्ष कम से कम उसके 6 अधिवेशन होंगे तथा उसको अन्तिम बैठक और आगामी अधिवेशन की पहली बैठक के लिए निश्चित दिनांक के बीच दी महीने से अधिक का अन्तर नहीं होने पायेगा।
2. नगर-प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख जब वह उचित समझे, निगम का अधिवेशन बुला सकता है तथा निगम के कुल सदस्यों की संख्या के छठे भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निगम का अधिवेशन अवश्य बुलाएगा। यह प्रार्थना-पत्र यथास्थिति नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख को उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी सदस्य द्वारा अथवा रजिस्ट्री से भेजा जा सकता है। 'ऐसे प्रार्थना-पत्र के दिये जाने अथवा तामोल किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर बुलाया जायेगा।'

89- कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन-

1. कार्य का सम्पादन करने के लिये कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति का अधिवेशन प्रति मास कम से कम एक बार अवश्य होगा।

2. उपधारा 1. में उल्लिखित किसी समिति का सभापति (Chairman) अथवा उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति (Vice- Chairman) जब वह उचित समझे, समिति का अधिवेशन बुला सकता है और समिति के सदस्यों को कुल संस्था के एक-चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर समिति का अधिवेशन अवश्य बुलायेगा।

90- गणपूर्ति-

1. यदि किसी विशेष संकल्प द्वारा कोई कार्य सम्भावित करना अपेक्षित है तो ऐसे कार्य के सम्पादनार्थ गणपूर्ति, यथास्थिति, निगम अथवा समिति के सदस्यों को संस्था को कम से कम आधी होगी।
2. उपधारा 3. में उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अन्य दशा में निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कार्य सम्पादित न किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण अधिवेशन में कुछ सदस्यों की कम से कम 1/5 संख्या उपस्थित न रहे।
3. यदि कोई अधिनेशन नहीं होता अथवा गणपूर्ति के अभाव से अपना कार्य-सम्पादन जारी नहीं रख पाता है तो अधिवेशन का अधिष्ठाता (Presiding Officer) यह आदेश देगा कि ऐसे समय अथवा स्थान पर, जिसे वह उचित समझे, अधिवेशन बुलाया जाय और तत्पश्चात् मुख्य नगराधिकारी

सभी सदस्यों को ऐसे अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना देगा और वह कार्य जो मूल अधिवेशन में किए जाने के लिए सूचीकृत था अब इस अधिवेशन में लाया जायेगा और सामान्य रीति से सम्पादित किया जायगा, किन्तु इसके लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

91- अधिवेशन और कार्यो की सूचना-

1. स्थगित किए गए अधिवेशन के अतिरिक्त अन्य सभी अधिवेशनों में सम्पादित होने वाले कार्यो की एक सूची यथास्तिति निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति अथवा धारा 5 के खण्ड ड़. के अधीन निर्मित किसी समिति के प्रत्येक सदस्य के अपने दिए हुए पते पर भेज दी जायगी। यह सूची ऐसे अधिवेशन के लिए निश्चित समय से निगम के अधिवेशन की दशा में कम से कम 96 घंटे पूर्व तथा उपर्युक्त अन्य समितियों के अधिवेशन की दशा में कम से कम 72 घंटे पूर्व दी जायगी और उपधारा 2. में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, इस अधिवेशन में उस कार्य के अलावा, जिसकी सूचना दी गयी है, अन्य कोई भी कार्य न तो लाया जायगा और न सम्पादित किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि यदि पूर्वोक्त कार्यो की सूची डाक द्वारा भेजी जाय तो वह डाक द्वारा भेजने के प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी जायगी (under certificate of posting)।

2. यथास्थिति निगम अथवा उपधारा 1. में उल्लिखित किसी समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे संकल्पमय उसकी एक प्रतिलिपि के, की नोटिस मुख्य नगराधिकारी को भेजेगा अथवा देगा, जिसे वह किसी ऐसे अधिवेशन में प्रस्तावित करना चाहता है जिसकी नोटिस उपधारा 1. के अधीन दी गयी है। यह नोटिस अधिवेशन के लिए निश्चित दिनांक से निगम के अधिवेशन को दशा में कम से कम 48 घंटे पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन की दशा में कम से कम 24 घंटे पूर्व दी जायगी और तत्पश्चात् मुख्य नगराधिकारी संकल्प को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक सदस्य के पास घुमवा देगा। इस प्रकार भेजे गए किसी संकल्प पर, जब तक अधिवेशन अन्यथा निश्चित न करें, अधिवेशन में विचार किया जायगा और उसका निस्तारण किया जायगा।

92- निगम के अधिवेशनों में बहुमत द्वारा निर्णय-

1. निगम अथवा उसकी किसी समिति द्वारा निर्णय के लिए उपेक्षित समस्त विषय, इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर, अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित किए जायेगे।

2. समस्त अधिवेशन में मत हाथ उठाकर दिये जायेगे, किन्तु निगम द्वारा बनायी जाने वाली उपविधियों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि कोई प्रश्न अथवा प्रश्न वर्ग, जो निर्दिष्ट किया जाय, गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा निर्णीत किया जायगा।

3. किसी अधिवेशन में जब तक उपस्थित सदस्यों की कम से कम एक-चौथाई संख्या द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती, ऐसे अधिवेशन में अधिष्ठाता द्वारा की गयी इस आशय की कोई घोषणा कि संकल्प मान लिया गया अथवा गिर गया है और कार्यवाही के निवरण में इसी आशय की प्रविष्टि, बिना इस प्रमाण के कि इस संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में प्राप्त कितने मत अभिलिखित हुए है अथवा मतों का कौन-सा अनुपात अधिलिखित हुआ है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतदर्थ निश्चयात्मक साक्ष्य होगी।

4. यदि किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को कम से कम एक-चौथाई संख्या मतदान की मांग करे तो अधिष्ठाता के आदेशों के अनुसार उपस्थित सदस्यों के, जो मत देना चाहें, मत लिए जायेगे और ऐसे मतदान का परिणाम उस अधिवेशन में निगम का संकल्प समझा जायेगा।

93- निगम तथा कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन का स्थगन-

निगम अथवा धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति के किसी अधिवेशन का, जिसमें गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या उपस्थित हो, अधिष्ठाता उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय-समय पर अधिवेशन को स्थगित कर सकता है।

94- अधिवेशनों के अधिष्ठाता (Presiding Officer)-

1. नगर प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उपनगर प्रमुख निगम के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
2. किसी समिति के सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति का उप सभापति समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
3. निगम की दशा में नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख और धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति की दशा में सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में किसी अधिवेशन में, उपस्थित सदस्यगण अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से ही किसी सदस्य का निर्वाचन करेगे।
4. धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम अथवा किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यथास्थिति निगम अथवा समितियों के समक्ष किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे सकता है और मतों की समानता की दशा में एक निर्णायक मत भी दे सकता है।

95- निशेष समितियां तथा संयुक्त समितियां-

1. निगम अपने अधिकारों कर्त्तव्यों अथवा कृत्या से सशक्त किसी मामले की जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन (report) देने के लिए विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर एक विशेष समिति का संगठन कर सकती है, जो ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो, मिलकर बनेगी जिन्हें वह एतदर्थ योग्य समझे। विशेष समिति के प्रत्येक सदस्य की समिति में बोलने तथा उसमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जो निगम का सदस्य नहीं है, समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार न होगा।
2. निगम धारा 5 में उल्लिखित समितियों से किसी दो अथवा दो से अधिक समितियों की ऐसे मामलों के लिए, जिनमें इन समितियों का संयुक्त हित हो, संकल्प द्वारा समय-समय पर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकती है।
3. प्रत्येक विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति ऐसे समस्त आदेशों का पालन करेगी, जो निगम द्वारा समय-समय पर उसे दिए जायं।
4. निगम किसी भी समय किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति को विघटित (dissolve) अथवा उसके विधान को परिवर्तित (alter) कर सकती है अथवा किसी विशेष समिति को प्रतिनिधानित कोई अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य उससे वापस ले सकती है।

5. प्रत्येक विशेष समिति तथा संयुक्त समिति अपने में से किसी एक सदस्य को सभापति नियुक्त करेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम का कोई भी सदस्य एक से अधिक विशेष समितियों अथवा संयुक्त समितियों का सभापति न हो सकेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सभापति नियुक्त न किया जायगा जो निगम का सदस्य न हो।
6. किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति के अधिवेशन में सभापति को अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निगम का सदस्य नहीं होगा इस पद के लिए नहीं चुना जायगा।
7. किसी विशेष समिति का प्रतिवेदन (report) यथाशक्य शीघ्र निगम के समक्ष रखा जायेगा ओर तत्पश्चात् निगम उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे अथवा उसे ऐसी अन्य जांच-पड़ताल करने तथा ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निमित, जिसके लिए वह आदेश दे, विशेष समिति को वापस भेज सकती है।

96- अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य सम्पादन-

1. 1. निगम समय-समय पर निम्नलिखित के लिए छावनी के प्राधिकारी (cantonment-authority) अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय

(combination) के साथ बिल मिल कर कार्य कर सकती है ओर यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसा कार्य अवश्य करेगी-

I. किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसमें उपर्युक्त सभी प्राधिकारियों का संयुक्त हित हो, उनके अपने-अपने निकायों में से एक संयुक्त समिति की स्थापना तथा ऐसी समिति के सभापति की नियुक्ति;

II. उक्त समिति को ऐसे निबन्धनों (terms) के, जो किसी संयुक्त् कार्य के निर्माण और उसके भावी संधारण (maintenance) के सम्बन्ध में ऐसे प्रत्येक निकाय के लिए बन्धनकारी (binding) हों, बनाने का अधिकार और अन्य ऐसा अधिकार प्रतिनिधानित करना, जो इन निकायों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हो; और

III. किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके हेतु समिति की नियुक्ति की गयी है, ऐसी किसी समिति की कार्यवाहियों का विनियमन करने के निमित्त उपविधियां बनाना और उनमें संशोधन करना।

2. यदि किसी मामले के सम्बन्ध में निगम ने उपधारा 1. के उपबन्धों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की हो और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी ने सहमति होने से इन्कार कर दिया हो तो राज्य सरकार पूर्वांचल मामले में छावनी प्राधिकारी से भिन्न उस अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने के लिए ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है, जिसे वह उचित समझे तथा उक्त अन्य प्राधिकारी उस आज्ञा का पालन करेगा।

3. यदि निगम तथा उक्त किसी अन्य प्राधिकारी के मध्य, जो इस धारा के अधीन निगम से मिल गई हो, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उस राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी कोई छावनी प्राधिकारी हो तो उस पर उक्त निर्णय तब तक बन्धनकारी न होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी पुष्टि न करें।

4. निगम छावनी प्राधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ इन प्राधिकारियों की ओर से स्वयं चुंगी (octroi) अथवा सीमाकर (terminal tax) अथवा पथकर (tolls) लगाने के लिए समय-समय पर करार कर सकती है और ऐसी दशा में लगाए गए करों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों नगर का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया गया हो कि उसके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हों, जो ऐसे प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के नियंत्रण के अधीन हों।

5. निगम जिन निबन्धनों (terms) पर उपधारा 1. अथवा उपधारा 4. के अधीन किसी छावनी प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ सम्मिलित होने का विचार करे वे लिखित रूप में रखे जायेगे तथा राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के अधीन होंगे।

6. राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन के अधीन उपधारा 5. में उल्लिखित निबन्धन, समस्त सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों की सहमति से परिर्तित अथवा विखण्डित (reseind) किए जा सकते हैं, और

इस प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा विखंडन ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो परस्पर निश्चित कर लिया जाय तथा पुर्वोक्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाय।

97- उप समितियां-

1. कार्यकारिणी समिति, विकास-समिति, कक्ष समिति धारा 5 के खण्ड ड़. के अधीन नियुक्त कोई समिति, अथवा कोई संयुक्त समिति किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके सम्बन्ध में उसे कार्यवाही करने का अधिकार हो और जो उसके मतानुसार अधिक उपयोगी ढ़ंग पर किसी उप-समिति द्वारा पूरा किया जा सकता हो, एक अथवा एकाधिक उप समितियों की नियुक्ति कर सकता है।
2. उपधारा 1. के अधीन नियुक्त कोई उप समिति ऐसे अधिकारों का उपयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, जो उस नियुक्त करने वाली समिति समय-समय पर उसे प्रतिनिधारित करे, अथवा दे।

98- प्रश्न करने का अधिकार-

नियमों द्वारा विहित शर्तो के अधीन रहते हुए कोई सभासद इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा नगर के निगम शासन से सम्बद्ध किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है।

99- अन्य समितियों के अधिवेशनों में किसी समिति के सभापति की उपस्थिति-

नगर- प्रमुख की अनुमति से निगम की किसी समिति का कोई सभापति निगम का किसी अन्य समिति के अधिवेशन में उपस्थित रह सकता है तथा उसमें भाषण कर सकता है पर; इस धारा के कारण वह उस समिति में मतदान का अधिकारी न होगा।

100- नगर प्रमुख तथा उप-नगर प्रमुख के पदों की रिक्ति-

जब कभी नगर प्रमुख तथा उप-नगर प्रमुख दोनों के पद रिक्त हों तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुए, जो विहित अधिकारी एतदर्थ दे, नगर प्रमुख अथवा उप नगर प्रमुख के निर्वाचित होने तक नगर प्रमुख के नैत्यिक (routine) कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

101- अधिवेशनों में मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों को उपस्थिति-

1. मुख्य नगराधिकारी का निगम के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किसी समिति, उप-समिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय कोई वक्तव्य अथवा वस्तुस्थिति सम्बन्धों कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, परन्तु उसे उस अधिवेशन में मत देने अथवा कोई प्रस्ताव (proposition) प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा।
2. निगम अथवा उपधारा 1. में निर्दिष्ट कोई समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उप समिति निगम के किसी भी पदाधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह उसके किसी ऐसे अधिवेशन

में उपस्थित हो, जहां किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही हो, जिस पर उस पदाधिकारी ने उपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए कोई कार्यवाही की हो और यदि किसी पदाधिकारी को ऐसे किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के आदेश मिलते है तो यथास्थिति निगम समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उप समिति के अपेक्षानुसार उससे कोई वक्तव्य देने अथवा वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करने अथवा किसी विषय से, जिस पर उसने कार्यवाही की हे, सम्बद्ध किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए जो, उसके पास हो, अनुरोध किया जा सकता है।

3. किसी भी ऐसे पदाधिकारी को, जिसे राज्य सरकार ने विशेष रूप से एतदर्थ प्राधिकृत दिया हो, निगम के अधिवेशन में उपस्थित रहने तथा उसमें किसी ऐसे विषय पर भाषण देने का अधिकार होगा, जिसका प्रभाव उसके विभाग पर पड़ता हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उसे विशेष ज्ञान हो।
4. निगम राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह किसी सरकारी विभाग के अध्यक्ष अथवा उस विभाग के किसी अन्य अधिकारी को निगम के अधिवेशन में उपस्थित होने का निर्देश दें।

102- निगम, कार्यकारिणी समिति इत्यादि की कार्यवाहियां-

निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति तथा अन्य सभी समितियों व उप समितियों का अधिवेशन तथा उसके समक्ष आये हुए कार्यो का सम्पादन और निस्तारण निगम द्वारा बनायी गयी उपविधियों द्वारा विहित रीति से किया जायगा।

103- इस अध्याय के अधीन निर्मित उपविधियाँ-

1. इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत तथा उनके अधीन रहते हुए निगम अपने और कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, कक्ष समिति तथा ऐसी समितियों, जिनका निर्माण धारा 5 के खण्ड ड़. के अन्तर्गत हुआ हो, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के अधिवेशनों का आयोजन तथा उन अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का विनियमन करने के लिय उपविधियाँ बना सकती है।
2. उपधारा 1. के अधीन प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है-

I. निगम समितियों और उप-समितियों के अधिवेशनों का समय तथा स्थान,

II. रीति, जिससे ऐसे अधिवेशनों की सूचना दी जायगी,

III. उक्त अधिवेशनों का प्रबन्ध तथा स्थगन ओर उनमें व्यवस्थित रूप से कार्य सम्पादन के विनियमन, जिसके अन्तर्गत शांति भंग करने के दोषी (guilty of disorderly conduct) सदस्य को निकालना (withdrawal) अथवा उन्हें निलम्बित करना (suspension) भी है,

IV. निगम समिति अथवा उप समिति के अधिवेशनों की प्रक्रिया (procedure),

V. विवरण पुस्तिका (minute book) तथा निगम, समितियों तथा उप-समितियों को काय्रवाहियों का अभिलेख रखना,

VI. कार्यवाहियों के विवरणों तथा प्रतिवेदनों की जांच और शुल्क अदा करने पर अथवा अन्य प्रकार से उसकी प्रतियां सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को देना,

VII. समितियों और उप- समितियों का संगठन,

VIII. किसी उप-समिति को नियुक्ति करने वाली समिति के समक्ष उप-समिति के निर्णय की अपील,

IX. प्रश्न पूछने के अधिकारों से सम्बद्ध शर्ते तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर।

3. इस धारा के अधीन निर्मित उपविधियां धारा 542, 543, 544, 546, 547 तथा 549 के अधीन होगी।

104- रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अमान्य न समझी जायेगी-

1. निगम अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप-समिति का काई कार्य अथवा उसकी कार्यवाही इस कारण कि उसमें कोई रिक्ति थी न तो अमान्य हो होगी और न उस पर आपत्ति ही की जायगी।

2. किसी व्यक्ति के जो सभासद अथवा नगर-प्रमुख अथवा उप-नगर प्रमुख अथवा निगम के पीठासीन प्राधिकारी (presiding authority) अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उप-समिति के सभापति अथवा उप-सभापति अथवा सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, निर्वाचन

अथवा उसकी नियुक्ति सम्बन्धी किसी अनर्हता अथवा त्रुटी के कारण यथास्थिति निगम अथवा किसी समिति अथवा उप-समिति के, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया है, किसी कार्य अथवा कार्यवाही को दोषपूर्ण नहीं समझा जायगा (deemed to vitiate), किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन व्यक्तियों ने उक्त कार्य अथवा कार्यवाही में भाग लिया हो उनका बहुमत ऐसा करने का अधिकारी रहा हो।

3. जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाय, निगम अथवा किसी समिति अथवा उप-समिति का प्रत्येक अधिवेशन, ऐसी कार्यवाहियों के बारे में, जिसका विवरण इस अधिनियम अथवा उपविधियों के अधीन तैयार तथा हस्ताक्षरित (signed) हो चुका हो, यथाविधि आयोजित और किया गया समझा जायगा तथा अधिवेशन के समस्त सदस्यों के विषय में यह समझा जायगा कि वे यथाविधि अर्ह रहे है और यदि वे कार्यवाहियां किसी समिति अथवा उप समिति की हो तो उप समिति अथवा उपसमिति के विषय में यह समझा जायगा कि उसका यथाविधि संगठन हुआ था और उसे विवरण पुस्तिका (minute book) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार था।

105-

केवल अनियमितता के आधार पर कार्य और कार्यवाहियों पर आपत्ति करने के संबंध में प्रतिबन्ध- इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर, प्रक्रिया में किसी ऐसे दोष अथवा

अनियमितता के ही आधार पर, जिससे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

पदाधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग

106- पदों का सृजन-

1. ऐसी शर्तो के अधीन, जो विहित की जायें, महापालिका अपने कार्यो के संचालनार्थ समय-समय पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक पदों का, जैसा वह आवश्यक समझें, सृजन कर सकती है:-

I. उप-नगराधिकारी,

II. सहायक नगराधिकारी

III. मुख्य अभियन्ता,

IV. नगर स्वास्थ्य अधिकारी,

V. मुख्य नगर लेखा परीक्षक, और

VI. पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के अन्य ऐसे पद जो उसके कृत्यों के कुशल सम्पादन के निमित्त आवश्यक हों;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश देती है कि नगर निगम किसी पद का सृजन करें तो उसके लिए उस पद का सृजन करना अनिवार्य होगा:

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्ध के अधीन सृजित किसी पद की समाप्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना न की जाएगी।

2. उपधारा 1. के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

107- पदों पर नियुक्ति 1. उप नगराधिकारी सहायक नगराधिकारी, मुख्य अभियन्ता-

1. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक ओर ऐसे अन्य पदों पर, जो राजय सरकार विनिर्दिष्ट करे, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से की जायेगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर-स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों में से जिनको कि राज्य सरकार प्रति नियुक्ति (deputation) पर भेजना स्वीकार करे, कि जाएगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

2. अन्य पदों पर जिनका प्रारम्भिक वेतन तीन सौ एक रूपये प्रतिमास से कम न हो, नियुक्तियां के स्थान पर शब्द "ऐसे पदों पर, जो उपधारा 1. में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं हैं, पर नियुक्तियां"

I. उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हो, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

II. अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी को, होगा।

3. उपधारा 1., 2. तथा 5. में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा 4. के अधीन संगठित चुनाव करने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेंगी और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार-

I. उप पदाधिकारियों एवं सेवकों के संबंध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हो, मुख्य नगर लेखा परीक्षक की, तथा

II. अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी को, होगा।

4.

उपधारा 3. में उल्लिखित चयन समिति (Selection Committee) नगराधिकारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिए नियुक्ति करनी हो, होगें। मुख्य नगराधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोद्दिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाली समिति का सभापति होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी या मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्तु अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो ऊपर उल्लिखित समिति बनाई जाएगी उसमें मुख्य नगर अधिकारों या मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जैसी भी दशा हो, सभापति के रूप में होंगे तथा निगम के दो और पदाधिकारी जिनकों कार्यकारिणी समिति नामोद्दिष्ट करेगी सदस्यों के रूप में होंगे।

5.

निगम के इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य और निगम के अन्य विभागों के ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान उपधारा 3. में निर्दिष्ट पदों के वेतनमान से कम हो।

निगम द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्हीं उपविधियों के अधीन रहते हुए धारा 112 में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जाएगी।

6.

नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद होने की दशा में मुख्य नगराधिकारी सम्बन्ध मामले को राज्य सरकार को भेज देगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

108-

कतिपय पदों पर स्थानापत्र और अस्थायी नियुक्तियां- धारा 107 में किसी बात के होते हुए भा उक्त धारा का उपधारा 1., 2. और 3. में उल्लिखित पदों पर स्थानापत्र तथा अस्थायी नियुक्तियां उन उपधाराओं में

निर्दिष्ट नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश प्राप्त किए, की जा सकती है, किन्तु यथास्थिति बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति को सिफारिश के अनुसरण में ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं चलेगी और न कोई ऐसी नियुक्ति की जाएगी जिसके एक वर्ष से अधिक तक चलते रहने की आशा हो।

108-

1. निगम द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति- धारा 107 ओर 108 में किसी बात के होते हुए भी-

I. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथेपरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी; और

II. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान का नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

109-

सेवा की शर्ते इत्यादि- निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों को उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते वही होगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करे।

110-

1. निगम के पदाधिकारियों के दण्ड की व्यवस्था- 1. निगम के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित हे, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करे।

2. निगम के पदाधिकारियों तथा सेवकों को दण्डित होने के बाद अपील करने का वह अधिकार प्राप्त रहेगा जो विहित किया जाय।

111-

राज्य सरकार के नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार- यदि धारा 107 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी धारा 106 में उल्लिखित अथवा उनके अधीन सृजित किसी पद पर किसी उचित अवधि के भीतर नियुक्ति नहीं करता

तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को उचित अवसर देने तथा राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद यदि आवश्यक हो, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगी ओर तत्पश्चात् वह नियुक्ति समस्त प्रयोजनों के लिये सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

112-

1. कतिपय पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य- 1. मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपर मुख्य नगर अधिकारी, उप नगराधिकारी तथा सहायक नगराधिकारी, मुख्य नगराधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ निर्दिष्ट करें।
2. उपधारा 1. के अधीन उसे प्रतिनिधारित अधिकारों के अनुसरण में अपर मुख्य नगर अधिकारी उप नगराधिकारी अथवा सहायक नगराधिकारी को उनके द्वारा सम्पादित समस्त कार्य तथा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकार सभी प्रयोजनों के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित और प्रयुक्त समझे जायेगे।
3. मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निगम के विभागों के अध्यक्ष कहलायेंगे और ऐसे कर्त्तव्य का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधायन के अधीन आरोपित किये गये हों।

112-

1. **(क)**सेवाओं का केन्द्रीकरण- 1. धारा 106 से 10 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों ओर सेवकों की, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की नगर निगमों के लिये या नगर पंचायतें, नगरपालिका परिषद् और जल संस्थानों के लिये सामान्य हों और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्ते निहित कर सकती है।
2. जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों ओर सेवकों तथा धारा 577 के खण्ड ड़. के उपखण्ड 1. के अधीन उन पदों के कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपयुक्त पाये जाये, विहित रीति से, अस्थायी या अन्तिम रूप से, सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आवेदन से सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रूकावट न होगी।

3. उपधारा 1. और 2. के उपबन्धों की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिविष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।

4. पूर्ववर्ती उपधारा 1., 2. और 3. में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों का राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

-स्पष्टीकरण-

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मंडलों में समाविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद्, नगर निगमों ओर जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवायें सृजित की जा सकेगी।

112

(**ख**)आवश्यक सेवायें- निगम की निम्नलिखित सेवायें आवश्यक सेवायें होगी:-

I. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें;

जल-कल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवायें;

II. मेहतर

III. रोशनी विभाग का कर्मचारी वर्ग;

IV. परिवहन सेवायें और

V. ऐसी अन्य सेवाओं जो नियमों में निर्दिष्ट की जाये।

112-

ग आवश्यक सेवाओं को कोई सदस्य बिना अनुमति के त्याग-पत्र आदि न देंगे- आवश्यक सेवा का कोई सदस्य-

1. मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किस पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना, या
2. बीमार अथवा ऐसी दुर्घटना के बिना, जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अन्य कारण के बिना जिसे मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त में समझे, या
3. मुख्य नगराधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिये बिना न तो अपने पद से त्याग-पत्र देगा, न अपने पद के कर्त्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा, और

112-

घ- आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार-

1. यदि राज्य सरकार की यह राज हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रूक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक हों, बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्दिष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी।
2. जब उपधारा 1. के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुये भी-

I. बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना, जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कर्त्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा, और

II. न अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इंकार करेगा ओर न जानबूझ कर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो ऐसे पदाधिकारी की राय में, जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे, अदक्षता पूर्ण हो।

113- नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों के प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है-

I. महा निगम के कार्य संचालनार्थ सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को अर्हताये तथा भर्ती की रीति;

II. धारा 106 की उपधारा 1. के खण्ड 6. के अधीन सृजित पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के पदों के नाम (designation) तथा वेतनक्रम (grade);

III. अस्थायी अथवा स्थानापत्र (ifficiating) रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति;

IV. पूर्वोक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन, उपलब्धियों और अन्य भत्तें;

V. निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग और अन्य सेवकों की छुट्टी, दण्ड व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पदच्युति अथवा नौकरी से हटाया जाना भी होगा, अपील, अनुशासन सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियां तथा सेवा की शर्ते;

VI. पदाधिकारियों को महानिगम के विभागाध्यक्षों के रूप में निर्दिष्ट करना;

VII. धारा 112-क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना,वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनमें लेना और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण,

छुट्टी, दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य अनुशासनिक विषय और सेवा की अन्य शर्ते।

अध्याय 5

निगम और उसके प्राधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

114. निगम के अनिवार्य (obligatory) कर्तव्य- निगम का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयों में से प्रत्येक के लिए किसी भी ऐसे साधन या उपाय(means or measures) द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिए वह विधिक रूप (lawfully) से सक्षम है, समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करेः

1. उन स्थानों पर, जहाँ प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हों, इस प्रकार के और उस स्थल पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमा सूचक चिन्ह खड़े करना, जिनके द्वारा नगर की सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होना हो ;

2. निगम में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भू-गृहा आदि पर संख्या लिखवाना ;

3. मल इत्यादि (sewage), दुर्गन्धयुक्त पदार्थ (offensive matter) और कूड़े-करकट को एकत्रित कराना और हटवाना तथा उसके उपयोग (treatment) और निस्तारण (disposal) की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण भी सम्मिलित है;

4. नगर की समस्त सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की पानी से धुलाई (watering), बुहारी द्वारा

उनकी सफाई(scavenging) तथा उन्हें स्वच्छ रखना और वहाँ से सारा कूड़ा-करकट (sweeping) हटवाना ;

5. नालियों और जल-निस्तारण निर्माण-कार्यो, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों (water closets), मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उनकी सफाई (cleansing) ;

6. निगम द्वारा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू-गृहादि के मल (sewage) इत्यादि को प्राप्त करने और उसे निगम के नियंत्रण के अधीन नालियों को पहुँचाने के उद्देश्य से भू-गृहादि पर या उसके प्रयोग के लिए पात्रों (receptacles), संधायनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों का सम्भरण (supply) और निर्माण तथा संधारण;

7. समस्त निगम जलकलों का प्रबन्ध तथा संधारण और ऐसे नये कार्यो का निर्माण या अर्जन (acquisition) जो घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये, पर्याप्त जल-सम्भरण (supply water) के लिए आवाश्यक हों ;

8. मनुष्यों के उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित (polluted) न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना ;

9. निगम में निहित सार्वजनिक सड़कों, बाजारों तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक

स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना ;

9-क पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उसका संधारण ;

10. सार्वजनिक चिकित्सालयों की, जिनमें संक्रमण या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, स्थापना, उनका संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

11. संक्रमण, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रसार को नियंत्रित करना;

12. जलान्तक रोगों (antirabic diseases) की चिकित्सा की व्यवस्था करना ;

13. बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों, (ambulance service) का संधारण ;

14. सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (public vaccination) की पदृति की स्थापना तथा उसका संधारण ;

15. प्रमुख आँकड़ों (statistics), जिसमें जन्म-मरण के आँकड़े भी हैं, का पंजीयन (registrations)

16. मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं सन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा

उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन ;

17. रोगों का या खाद्य पदार्थो के मिलावट का पता लगाने या सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध खोज-कार्यो के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों की परीक्षा या विश्लेषक के लिए रासायनिक या जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगाशालाओं (bacteriological laboratories localities) की व्यवस्था, उनका संधारण अथवा प्रबन्ध;

18. अस्वास्थ्यकर स्थानों का पुनरूद्धार (reclamation), हानिकर (noxious), उद्भजक (vegetation) का हटाया जाना और सामान्यतः समस्त अपदूषणों(nuisance) का समाप्त किया जाना ;

19. आपत्तिजनक (offensive) तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकों (callings) तथा कार्यो जिनके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति भी है, का विनियमन तथा उनका समाप्त किया जाना ;

20. मृतकों के शव-निस्तारण के स्थानों का संधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे शवों का निस्तारण करने के लिए, जिनका कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्थाओं

को यथाशक्ति सहायता देना ;

21. सार्वजनिक बाजारों और वधशालाओं और चर्मशोधनाशालाओं, का निर्माण तथा संधारण एवं समस्त बाजारों और वधशालाओं का विनियमन;

22. खतरनाक भवनों तथा स्थानों को निरापद (secure) बनाना या हटाना;

23. पानी निकालने के बम्बों का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुँचाना, जिसके लिए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा समय-समय पर आदेश दे। इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकलों का संधारण या प्रबन्ध और जन-धन की रक्षा भी सम्मिलित है;

24. सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित (obstruction) अवरोधों तथा बाहर निकाले हुये अनियमित भागों (projections) को हटाना;

25. प्रारम्भिक शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा (nursery education) भी है, के लिए स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना;

26. शरीर संवर्द्धन सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना या उनका संधारण करना या उन्हें सहायता देना;

27. पाशु-चिकित्सकों या संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना;

28. कांजी हौजों (cattlepounds) के निर्माण या अर्जन (acquisition) और संधारण;

29. सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उपमार्गो, पुलियों, पुलों की ऊँचाई सड़कों;(cause-ways) तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना;

30. सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनका संधारण ;

31. यातायात(traffic) का विनियमन तथा यातायात चिन्हों (traffic signs) की व्यवस्था करना ;

32. निगम के सफाई कर्मचारियों तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गो के लोगों की, उनके रहने के लिए क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास-व्यवस्था में सहायता करना;

33. नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई, गृह-निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यानिवत करना और नयी सड़कों का विन्यास भी सम्मिलित हैं;

34. निगम में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उसके मूल्य में विकास करना;

34-क समाज के दुर्बल वर्गो के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण;

34-ख सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि ;

34-ग कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पाशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;

35. निगम कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुलें स्थानों तथा अन्य निगम में निहित सम्पत्ति का संधारण;

36. एक बुलेटिन प्रकाशित करना, जिसमें निगम तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों (proceedings) या उन कार्यवाहियों के सार तथा निगम के कार्य-कलापों; (activities) की अन्य सूचनायें दी गयी हों;

37. सरकारी पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण-पत्रों(return statements) तथा ऐसी रिपोर्टो को तैयार और प्रस्तुत करना, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार निगम को आदेश दे ; और

38. इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी आभार (obligation) की पूर्ति करना

39. 239 गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन ;

40. नगरीय निर्धनता कम करना ;

41. नगरीय सुख-सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।,

115. निगम के स्वविवेकानुसार (discretionary) कर्तव्य-

1. निगम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए समय-समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णत: या अंशतः व्यवस्था कर सकता है ;

2. नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देख-भाल के लिए, जो अशक्त (infirm), रूग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूँगे या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधाहीन (handicapped) बच्चों की देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने,कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला-सेवा आश्रम सम्मिलित हैं, संगठन, संधारण अथवा प्रबन्ध करना ;

3. गर्भवती या दूध पिलाने वाली (nursing) माताओं या शिशुओं या स्कूली बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना;

4. तैरने के जल-कुण्ड (pools), कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर (wash houses) स्नानगृह तथा

अन्य संस्थाएँ जो नदी के किनारों पर स्नान घाटों के विकास तथा निर्माण के लिए हों;

5. नगर-निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थो का संभरण, वितरण और वैज्ञानिक निर्माण-क्रिया ; (Processing) के निमित्त नगर में या उसके बाहर दुग्धाशालाएँ या फार्म स्थापित करना ;

6. सार्वजनिक सड़कों या स्थानों में मनुष्यों के लिए पीने के पानी के फौव्वारे (drinking fountain) अथवा प्याऊ के पानी के बम्बों (standposts), का तथा पाशुओं के लिए चरहियों (water troughs) का निर्माण तथा संधारण;

7. संगीत तथा अन्य ललित कलाओं (fine arts) को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम-स्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना;

8. द नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा संबंधी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना;

9. मनोविनोद के मैदानों (recreation grounds), मूर्ति-स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना;

10. प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन (athletics) या खेलकूद के समारोहों का आयोजन;

11. नगर में ठहराने की जगहों (lodging house) ,शिविर-स्थलों; (camping grounds) और

विश्राम-गृहों का विनियमन;

12. प्रेक्षागृहों (theatres) , विनम्र-गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण;

13. वस्तुओं की दुष्प्राप्यता के समय जीवन-धारण के लिए आवाश्यक वस्तुएँ बेचने के निमित्त दुकानों और स्टालों का संगठन तथा संधारण ;

14. निगम के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए निवास-गृहों (dwellings) का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका संधारण ;

15. निगम के कर्मचारियों को निर्माण-कार्य के लिए ऐसे निबन्धनों पर और ऐसी शर्तो के अधीन, जो निगम द्वारा विहित की जाये, ऋण देना ;

16. निगम के कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य (measures) करना ;

17. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण करने के लिए किसी संस्थापन (undertaking) को खरीदना या ऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिए हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना ;

18. नगर के भीतर या बाहर व्यकितयों तथा माल को लाने-ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व

स्वीकृति से ट्रामा-वे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्ध ;

19. धारा 144 के खंड; 25 में उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना ;

20. पुस्तकालयों , संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों, वनस्पति - विज्ञान विषयक या जीव विज्ञान विषयक, संग्रहालयों की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना ;

21. स्नानागारों, स्नान घाटों, कपड़ा धोने के घरों, तालाबों, कुओं, बाँधों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यो का निर्माण, उनकी स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिए अंशदान देना ;

22. आशक्तों के लिए सेवाओं या पाशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण ;

23. ऐसे पाशु-पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण(nuisance) पैदा होता हो या हानिकरक कीडे-मकोड़े (vermins) को नष्ट करना तथा छुट्टे या लावारिस कुत्तों को पकड़ कर बन्द करना (confinement) या उन्हें नष्ट करना;

24. नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ अथवा लोक-कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक

निधि में अंशदान देना;

25. अभिनन्दन-पत्र प्रदान करना तथा स्वागत करना;

26. पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पाशुओं के बाड़ों(breeding stud) की स्थापना तथा उनका संधारण;

27. निवासगृहों की व्यवस्था करने में या गृह निर्माण योजनाओं को कार्यन्वित करने में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधाएँ देना;

28. गरीबों की सहायता की व्यवस्था करना;

29. गौशालाओं और किराये की गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों, टट्टुओं और पाशुओं के लिए आरोग्यकर पशुशालाओं का निर्माण, तथा संधारण;

30. भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण;

31. किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यो की व्यवस्था करना;

32. धारा 144 में या इस धारा के अन्य खंडों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न अन्य उपाय करना, जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हो;

33. बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह या मनोरंजन के निमित्त अंशदान देना;

34. पर्यटक-कार्यलय की स्थापना तथा संधारण;

35. निगम के कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य देकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना स्थापित करना तथा उसका संधारण;

36. विष्ठा (night soil) और कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना;

37. व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा निगम बैंक की स्थापना करना;

38. अपने कर्मचारियों के लिए श्रम -हितकारी केन्द्रों की स्थापना करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन, यूनियन या क्लब का सामान्य प्रगति के लिए अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्य-कलापों में आर्थिक सहायता देना ;

39. निगम यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना ;

40. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो की सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने की व्यवस्था करना ;

41. भिक्षा-वृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिए कार्यवाही करना ;

42. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्तव्यों का, जो विहित की जायें उनका निर्वहन करने के लिए निगम के पुलिस-बल की स्थापना तथा संधारण ;

43. राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य का भार ग्रहण करना, जिसका उद्देश्य सुख-सुविधा या रोजगार की व्यवस्था करना या उसमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो;

44. कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति से निगम या समस्त निगम के सम्बन्ध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना, सम्बद्ध निगम या निगमों, का कर्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस सम्बन्ध में इस प्रकार लागू हों मानो वह धारा 144 द्वारा आरोपित काई कर्तव्य हो।

116. निगम के प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन-

1. विभिन्न निगम प्राधिकारियों के कृत्य क्रमशः वे ही होंगे, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विशिष्ट रूप से विहित किये जायँ।

2. यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक कृत्य जिस किस निगम प्राधिकारी विशेष का कृत्य है, तो मुख्य नगराधिकारी संशय या विवाद को राज्य सरकार को प्रतिपेषित कर सकता है यदि नगर प्रमुख ऐसा आदेश दे तो वह उसे राज्य सरकार को प्रतिपेषित करेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उसके बारे में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

117. निगम के प्राधिकारियों के कृत्य-

1. उस दशा को छोड़कर जबकि इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था की गयी हो नगर का निगम प्रशासन निगम में निहित होगा।

   1-क इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियों और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय।

2. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर नगर के निगम प्राशासन का अधीक्षण, निगम के लिए और उसकी ओर से कार्यकारिणी समिति में निहित होगा।

3. विकास समिति, अध्याय 14 में उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी और उसे उक्त अध्याय में

उल्लिखित अधिकार प्राप्त होंगे।

4. धारा 5 के खंड (ड.) के अधीन नियुक्त समिति के कृत्य और अधिकार वही होंगे जो उसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा सौंपे जायँ।

5. नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के, तथा जहाँ कहीं भी इसमें स्पष्टतः ऐसा निर्देश किया गया हो, यथास्थिति, निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबन्धों, परिसीमाओं तथा शर्तो के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार मुख्य नगराधिकारी में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा, जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किये गये हों या उसे दिये गये हों।

6 उपधारा (5) के अपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना मुख्य नगराधिकारी-

1. इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा उनके तुरन्त अधीनस्थ निगम पदाधिकारियों और सेवकों को छोड़कर समस्त निगम पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य विहित करेगा और उसके कार्यो तथा कार्यवाहियों का निरीक्षण और नियंत्रण करेगा और उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवा तथा

विशेषाधिकारों और भत्तों से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का निस्तारण करेगा।

2. किसी आपातकाल (emergency) में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए या निगम की सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही करेगा जो आपात को देखते हुये अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य निगम प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति और निगम को तत्काल उस कार्यवाही को सूचना देगा, जो उसने की है और साथ ही उसे ऐसी कार्यवाही करने के कारण भी बतायेगा। मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उस पर कितना धन, यदि कोई हो, जिसकी बजट अनुदान में व्यवस्था नहीं है, खर्च हुआ है अथवा खर्च होने की संभावना हैः

और प्रतिबन्ध यह भी है, कि मुख्य नगराधिकारी इस खंड के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग न करेगा, यदि उस कार्य विशेष को करने में बजट अनुदान के अतिरिक्त किसी ऐसी धनराशि के व्यय होने की संभावना हो, जो

1. 10,000 रूपये से या जब उस कार्य के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो तो 20,000 रूपये

से अधिक हो, तो

2. संबद्ध वित्तीय वार्ष में इस खंड के अधीन बजट अनुदान से अधिक पहले से व्यय हो चुकी किसी धनराशि के सहित 50,000 रू० से या उस कार्यवाही के लिए नगर प्रमुख की सहमति प्राप्त हो, 1,00,000 से अधिक हो।

118. मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकार तथा कर्तव्य -मुख्य नगर लेखा-परीक्षक-

1. ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निर्देश हो तथा निगम निधि के लेखों के परीक्षण के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो निगम अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा उससे अपेक्षित हो ;
2. कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने तुरन्त अधीनस्थ लेखा परीक्षक तथा सहायक लेखा परीक्षक, लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को नियत करेगा ; तथा
3. कार्यकारिणी समिति या की आज्ञाओं के अधीन रहते हुये उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करेगा तथा नियमों के अधीन रहते हुये उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों की सेवाओं,

प्रतिफलों और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध समस्त प्रश्न का निस्तारण करेगा।

119. कृत्यों का प्रतिनिधि-

1. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन रहते हुये तथा ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, निगम द्वारा किये जायँ
2. निगम कार्यकारिणी समिति को या मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकती है जो अनुसूची 1 के भाग (क) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;
3. कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी जो अनुसूची 1 के भाग ख में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों;
4. विकास समिति मुख्य नगराधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपेन कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी, जो अनुसूची 1 के भाग (ग) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;
5. मुख्य नगराधिकारी किसी निगम कर्मचारी को अपने कृत्यों में से किसी ऐसे कृत्य को प्रतिनिधानित कर सकेगा जो अनुसूची 1 के भाग (घ) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची 1 के

भाग क, भाग ख, भाग ग अथवा भाग घ में उल्लिखित किसी कृत्य को प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में, अथवा ऐसे किसी कृत्य को, जिसका उसमें उल्लेख नहीं है, अप्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में घोषित कर सकती है तथा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त वह उपर्युक्त कृत्ये जैसी भी स्थिति हो, प्रतिनिधानित किया जा सकेगा अथवा प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में न रह जायगा, मानो अनुसूची 1 में उसका कोई उल्लेख नहीं है अथवा उक्त सूची में उसका उल्लेख है।

6. यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा कृत्यों को प्रतिनिधानित किया जाय, तो उस आज्ञा की, जिसके द्वारा प्रतिनिधान किया जाय, एक प्रति कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ रखी जायगी।
7. मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उसके किसी कृत्य का प्रतिनिधान होते हुये भी मुख्य नगराधिकारी उक्त कृत्य के यथाविधि सम्पादन के लिये उत्तरदायी बना रहेगा।

120. मुख्य नगराधिकारी द्वारा अन्य विधियों के अधीन निगम के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन-

1. तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा निगम को दिये गये, उस पर आरोपित किये गये या उसमें निहित कोई भी अधिकार, कर्तव्य और कृत्य ऐसी विधि के उपबन्धों तथा ऐसे प्रतिबन्धों, सीमाओं और शर्तो के अधीन रहते हुये, जो निगम द्वारा आरोपित की जाय, मुख्य नगराधिकारी

द्वारा प्रयुक्त, संपादित या निर्वहित किये जाएंगे।

2. मुख्य नगराधिकारी इस सम्बन्ध में किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आज्ञा द्वारा जिसकी एक प्रति सूचनार्थ कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जाएगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक से भिन्न किसी भी निगम पदाधिकारी को मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य को, अपने पुनरीक्षण तथा ऐसी शर्तो और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे प्रयोग, सम्पादन तथा निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है।

121. निगम कार्यकारिणी समिति से कार्यवाहियों, आदि के अवतरण मंगा सकती है-

निगम किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन बनी किसी समिति या उपसमिति की कार्यवाहियों के अवतरण मँगा सकती है और वह किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध या संसक्त विवरणी, विवरण-पत्र, लेखा या रिपोर्ट भी मँगा सकेगी जिसमें कार्यवाही करने के लिये ऐसी समिति या उपसमिति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकार प्राप्त हों और यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी या उप-समिति द्वारा ऐसी किसी भी अधियाचन की पूर्ति अनुचित विलम्ब किये बिना की जायगी।

122. मुख्य नगराधिकारी से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन, आदि प्रस्तुत कराने के सम्बन्ध में निगम

के अधिकार-

1. निगम अथवा कार्यकारिणी समिति, किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह
2. किसी ऐसे अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजना या अन्य लेख्य को प्रस्तुत करे जो मुख्य नगराधिकारी के रूप में उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी निगम पदाधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी या किसी सेवक के कार्यालय की पत्रावलियों में अभिलिखित हो;
3. इस अधिनियम के प्राशासन या नगर के स्थानीय प्राशासन विषयक किसी मामले से सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी, योजना-तखमीना, विवरण-पत्र, लेखा या आंकड़े प्रस्तुत करे;
4. इस अधिनियम के प्राशासन या नगर के स्थानीय प्राशासन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय में स्वयं एक प्रतिवेदन प्रस्तृत करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करके उसे अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करे।
5. मुख्य नगराधिकारी ऐसी प्रत्येक अधियाचना की पूर्ति करेगा जब तक कि उसके मतानुसार उसकी तत्काल पूर्ति करना, निगम या जनता के हितों के प्रतिकूल न हों, जिस दाशा में वह उक्त

आशय की लिखित रूप से घोषणा करेगा और यदि निगम या कार्यकारिणी समिति द्वारा आदेश दिया जाय तो वह प्रश्न नगर प्रमुख को भेज देगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

123. आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग निगम की स्वीकृति के अधीन होगा-

इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी निगम प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दाशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था हो, निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

1. ऐसे व्यय के लिये, जहाँ तक से उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वार्ष में करना हो, बजट अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था की गई हो, और
2. यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग या कर्तव्य के पालन में उक्त वित्तीय वार्ष की किसी अवधि के लिये या उसकी समाप्ति के पश्चात किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व ग्रहण करने के पूर्व निगम की स्वीकृति ले ली गयी हो।

124. नियम बनाने का अधिकार -

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती हैः

क धारा 114 के खंड (1) के अधीन सीमासूचक चिन्हों के विवरण तथा स्थल के अनुमोदन की रीति;

ख उन स्थितियों में, जिनके निमित्त उक्त अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गयी हो, धारा 114 और 115 में निर्दिष्ट कर्तव्यों या दायित्वों की पूर्ति से सम्बद्ध रीति तथा प्रक्रिया;

3. नगर के स्थानीय प्राशासन की कार्यकारिणी समिति के अधीक्षण के अधिकारों से सम्बद्ध प्रक्रिया;

4. वह रीति, जिसके अनुसार मुख्य नगराधिकारी द्वारा कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग किया जायगा;

5. धारा 117 की उपधारा (6) के खंड क में निर्दिष्ट नगर निगम के पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य, निरीक्षण (supervision) और नियंत्रण से सम्बद्ध विषय;

6. मुख्य नगराधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों के कृत्यों के विषय में संशयों तथा विवादों का निर्णय ;

7. धारा 119 तथा 120 की उपधारा 2 के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों को किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधित्व किये जाने से सम्बद्ध विषय;

8. धारा 120 की उपधारा 2 के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों के प्रतिनिधानित करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

9. रीति, जिसके अनुसार धारा 121 और 122 के अधीन कार्यवाहियों या अन्य लेख्यों या पत्रादि से अवतरण प्रस्तुत किये जाने की अधियाचना की जाय;

10. ऐसी अधियाचना की पूर्ति विषयक प्रक्रिया;

11. रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन लेख्यों तथा अन्य पत्रादि को प्रस्तुत करने का प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय के लिये नगर प्रमुख को भेजा जायगा ;

12. रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा 2 के अधीन मुख्य नगराधिकारी की घोषणा निगम को प्रेषित की जायगी;

13. निगम या मुख्य नगराधिकारी का सामान्यतः किसी ऐसे विषय में पथ-प्रदर्शन जो इस अध्याय के अधीन उनके कर्तव्यों के पालन, कृत्यों का सम्पादन या अधिकारों के प्रयोग से संसक्त हो, और

14. ऐसे विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों, या किये जायँ।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन 1994 द्वारा शब्दों सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के निमित्त के स्थान पर प्रतिस्थापित

. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा जोड़ा गया

. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा अन्तःस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों निकाल दिये गये।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा अन्तःस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा निगम रखा गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 6

सम्पत्ति और संविदे

125. निगम, के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार;

1. निगम, को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्तियों या उसमें किसी स्वत्व को अर्जित करने, अपने अधिकार में रखने और उसका निस्तारण करने का अधिकार होगा चाहे वह सम्पत्ति नगर की सीमाओं के भीतर स्थित हो या बाहर।
2. ऐसी समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व, जिन्हें निगम, ने अर्जित किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और इसके उपबन्धों के अधीन निगम, में निहित होंगे।
3. निगम, ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को, जो सरकार द्वारा उसे हस्तान्तरित की जाय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट संभावना की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उसका पुनर्ग्रहण भी है, अपने अधिकार में रखेगा और उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार हस्तान्तरण करते समय आरोपित या निर्दिष्ट करे।

126. कतिपय दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार;

(1) नियत दिनांक से तथा राज्य सरकार के किन्हीं तदर्थ निदेशों के अधीन रहते हुए,

(क) समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व और नगदी रोकड़ सहित आस्तियाँ; (मेज), चाहे वह कहीं भी हो, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी नगरपालिका परिषद, इम्प्रुमेन्ट ट्रस्ट या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिए स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र, के भीतर और बाहर दोनों ही जगह क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की निगम, में निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेंगी; और

(ख) पूर्वोक्त नगरपालिका परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के नगर में सम्मिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में, समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार चाहे वे किसी संविदा से या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, और जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व वर्तमान ऐसे निगम, के अधिकार, दायित्व तथा आभार हो जायेंगे।

(2) यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक सम्पत्ति, स्वत्व या आस्ति उपधारा (2) के अधीन निगम, में निहित हो गयी है या नहीं, अमुक अधिकार, दायित्व या आभार निगम, के अधिकार, दायित्व या आभार हो गये हैं या नहीं, तो संशय या विवाद मुख्य नगराधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया जायगा, जिसका निर्णय, यदि वह किसी न्यायालय के किसी निर्णय से, अवक्रांत न हो जाय, अंतिम होगा।

127. सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कतिपय उपबन्ध;

(1) सम्पत्ति के अर्जन, निगम, की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

(2) जहाँ कहीं यह व्यवस्था हो कि मुख्य नगराधिकारी किसी नगर के भीतर या बाहर किसी चल या अचल सम्पत्ति या ऐसी अचल सम्पत्ति में किसी स्वत्व को अर्जित कर सकेगा अथवा जहाँ कहीं इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था आवश्यक या इष्टकर हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी सम्पत्ति को अनुबंध; (agreement) द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित कर सकेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि

(क) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे संकल्प से बाधित होगा जिसके द्वारा किसी विशेष मामलों के किसी वर्ग के लिये निबन्धन, दरें या अधिकतम मूल्य निश्चित किये जायँ।

(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी

(1) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने में;

(2) किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय;

(3) 12 महीने से अधिक की अवधि के लिये किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेने में; या

(4) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान अथवा रिक्तदाय स्वीकार करने में, और

(ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में निगम, की स्वीकृति की आवश्यकता होगीः

(1) किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना या उसे अर्जित करना, यदि उस सम्पत्ति का, जिसे स्वीकार करना या अर्जित करने या विनिमय में देने का विचार हो, मूल्य 5,000 रूपये से अधिक हो;

(2) किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर लेना; या

(3) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान या रिक्तदाय स्वीकार करना, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 5,000 रू० से अधिक हो।

128. सम्पत्ति बेचने के अधिकार

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके अथवा उनके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम, को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पति को या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन निगम, द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो, बेचे, किराये पर दे, पट्टे पर उठाये, उसका विनिमय करे, उसे बन्धक रखे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा निगम, को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनिमय की जायगी, न बंधक रखी जायगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायगी।

129. सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि निगम, की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात

(**1**) निगम, की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण निगम, की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

(**2**) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार निगम, की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेचकर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्ययन कर सकता है, जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में 500 रूपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो, जिसे निगम, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करे, या निगम, की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी एक समय में 12 महीने से अधिक न होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान का संविदा न हो या उसका वार्षिक लगान 3,000 रू० से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के 15 दिन के अन्दर देगा।

(**3**) मुख्य नगर अधिकारी, कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से निगम, की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है, जिसका मूल्य 5,000 रू० से अधिक न हो, और इसी प्रकार की स्वीकृति से निगम, की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके

अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है, या निगम, की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच सकता है, या स्थायी रूप से उसे पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना (premium) 50,000 रूपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया 3,000 रूपये से अधिक न हो।

(**4**) मुख्य नगराधिकारी निगम, की किसी चल या अचल सम्पत्ति को निगम, की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकता है।

(**5**) उपधारा (5-क) और (5-ख) में यथाव्यवस्थित के सिवाय, निगम, की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार-मूल्य से कम धनराशि पर न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा

(**क**) कोई परिनियत निकाय;

(**ख**) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि; (जो कृषि, औद्योगिकी या पशु-पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य-पालन तथा कुक्कुट-पालन भी हैं, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण, निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो, या

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिए; जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है जिसमें धर्म, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर लाभार्थियों के सम्बन्ध में विभेद नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गयी किसी रियायती मूल्य का

(1) पट्टे की दिशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार-मूल्य के आधे या दस हजार रूपये से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण-यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(5-क) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से निगम, द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार निगम, द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(**5-ख**) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, निगम, का कोई गृह या गृह-स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण-पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर, जैसा कि निगम, उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।,

(**6**) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन कार्यकारिणी समिति की अथवा निगम, की स्वीकृति सामान्य रूप से मामलों के किसी वर्ग के लिए या किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट रूप से दी जा सकती है।

(**7**) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजन के लिए किये गये निगम, की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

129-क. निगम, के भू-गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, वर्ष 1866 के अध्याय 7 का लागू किया जाना उत्तर प्रदेश आवस एवं विकास परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो निगम, के हों या उसमें निहित हों अथवा निगम, द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस

अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित परिषद के भू-गृहादि के सम्बन्ध में लागू हों, और उसमें

(क) परिषद;

(ख) नियत प्राधिकारी; पट्टे

(ग) न्यायाधिकरण; और

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन विषय के लिए किये गये अभिदेश माशः

(प) निगम

1. जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर भी है;
2. धारा 371 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण; और
3. इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किए गए अभिदेश समझे जायेंगे।,

130. अचल सम्पत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया

(1) जब कभी मुख्य नगराधिकारी किसी अचल सम्पत्ति को या किसी सुखाधिकार (easement) को, जिसका निगम, में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो, धारा 127 के अधीन किसी अनुबंध

(agreement) द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो या जब कभी कोई अचल सम्पत्ति या कोई सुखाधिकार जिसका निगम, में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो तो राज्य सरकार स्वविवेकानुसार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से दिये गये मुख्य नगराधिकारी के प्रार्थना-पत्र पर और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आज्ञा दे सकती है कि उसे निगम, की ओर से अर्जित करने के लिये कार्यवाही की जाय, चाहे वह सम्पत्ति या सुखाधिकार, (property or easement) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 या उस मामले में लागू होने वाली किसी अन्य विधि के आशयान्तर्गत कोई ऐसी भूमि है, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(2) जब कभी किसी नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिये या किसी वर्तमान सड़क को चौड़ी करने अथवा उसमें सुधार करने के लिये भूमि अर्जित करने के निमित्त उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसी नयी सड़क या वर्तमान सड़क की भूमि से मिली हुई ऐसी अतिरिक्त भूमि को, जो सड़क के दोनों किनारों पर बनायी जाने वाली इमारतों के लिये अपेक्षित हो, प्रार्थना-पत्र दे और ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है।

(3) यह धारा अध्याय 14 के अधीन किसी अर्जन (acquisition) पर लागू नहीं होगी।

131. संविदे करने का निगम, का अधिकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निगम, को ऐसे संविदे करने का अधिकार प्राप्त होगा जो इस अधिनिमय के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

132. संविदों के निष्पादित किये जाने से संबद्ध कुछ उपबन्ध

(1) धारा 131 में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदे, जिनमें अचल सम्पत्ति या उसमें किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदे सम्मिलित हों,

जो इस अधिनियम के अधीन निगम, के कार्यों के सम्बन्ध में किये गये हों, निगम, के लिए और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेंगे और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये ऐसे सब संविदे तथा संपत्ति सम्बन्धी अधिकार-पत्र (assurances of property) मुख्य नगराधिकारी द्वारा या निगम, के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य नगराधिकारी सामान्यतः या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लिखित रूप में अधिकृत करें, निगम, के लिए और उसकी ओर से निष्पादित (executed) किये जायेंगे।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी कोई संविदा जिसे मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य निगम, अधिकारी की स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि ऐसी स्वीकृति न दी गयी हो।

(**3**) कोई ऐसी संविदा, जिसमें एक लाख रूपये से अधिक और पाँच लाख रूपये से अनधिक व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(**4**) कोई ऐसा संविदा जिसमें पाँच लाख रूपये से अधिक का व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह निगम, द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(**5**) ऐसे प्रत्येक संविदे की सूचना जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जाय और जिसमें पचास हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये से अनधिक का व्यय होना हो, संविदे के किये जाने के 15 दिन के भीतर, कार्यकारिणी समिति को दी जाएगी।

(**6**) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदे के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन (discharge) पर तथा किसी मूल संविदे पर लागू होंगे।

133. निष्पादन की रीति

(1) प्रत्येक ऐसा संविदा जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा निगम, की ओर से किया जाय ऐसी रीति से और ऐसे रूप (form) में किया जायगा कि वह उस पर अपनी ओर से किये गये किसी संविदे की भाँति ही बन्धनकारी हो, और वह उसी भाँति ही परिवर्तन या निर्वहन (discharge) किया जा सकेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि

(**क**) निगम, की सामान्य मुहर ऐसे प्रत्येक संविदे पर लगायी जाय जिस पर यदि संविदा साधारण व्यढितयों के बीच किया जाय, जो उस पर मुहर लगाना आवश्यक होगा; और

(**ख**) किसी कार्य के निष्पादन के लिए या किसी सामान्य या माल के सम्भरण (supply) के लिये किया गया प्रत्येक संविदा, जिसमें दो हजार पाँच सौ रूपये से अधिक का व्यय होना हो, लिखित रूप से होगा और उस पर निगम, की मुहर लगायी जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा

(**1**) यथास्थिति किया जाने वाला काम या सम्भरित (supply) किया जाने वाला सामान या माल;

(**2**) ऐसे काम, माल या सामान के लिए दिया जाने वाला मूल्य; और

(**3**) अवधि, जिसके भीतर उक्त संविदा या उसका निर्दिष्ट भाग कार्यान्वित किया जायगा।

(**2**) निगम, की सामान्य मुहर (comman seal) मुख्य नगराधिकारी की अभिरक्षा (custody) में रहेगी, और किसी सभासद, की उपस्थिति के बिना, किसी संविदे या दूसरे विलेख (instrument) पर नहीं लगायी जायगी। सभासद, संविदे या विलेख पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक होगा कि संविदे पर मुहर उसके सामने लगायी गयी है।

(**3**) उक्त संविदे और विलेख पर उपर्युक्त सभासद, के हस्ताक्षर उस संविदे या लेख के निष्पादन के समय किये गये किसी गवाह के हस्ताक्षर से भिन्न (distinct) होंगे।

(**4**) इस धारा में की गई व्यवस्था के अनुकूल निष्पादित किया गया कोई संविदा निगम, पर बन्धनकारी (binding) न होगा।

134. निर्माण कार्यों का निष्पादन निगम, मामलों के किसी वर्ग के लिए सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट मामले में विशेष रूप से यह निर्णय कर सकती है कि मुख्य नगराधिकारी संविदा द्वारा कार्य (work) का निष्पादन करेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

135. पाँच लाख रूपये से अनधिक के तखमीने

(**1**) मुख्य नगर अधिकारी किसी तखमीने की जो कि एक लाख रूपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई तखमीना जिसकी राशि पचास हजार रूपये से अधिक हो उस मुख्य नगर अधिकारी द्वारा केवल नगर-प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है।

(**2**) कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि पाँच लाख रूपये से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है।,

136. पाँच लाख रूपये, से अधिक के तखमीने

(**1**) यदि किसी कार्य के अथवा कार्यों के समूह के निष्पादन के लिये कोई ऐसी योजना (project) बनायी जाय जिसकी पूरी तखमीनी लागत पाँच लाख रूपये, से अधिक हो, तो

(क) मुख्य नगराधिकारी तत्सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (report) जिसके अन्तर्गत तखमीने और नक्शे भी होंगे, जो अपेक्षित हों, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा। कार्यकारिणी समिति अपने सुझावों सहित यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को निगम, के समक्ष रखेगी।

(ख) निगम, उक्त प्रतिवेदन तथा सुझावों पर विचार करेगी और या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी या उसे पूर्णरूप से, अथवा उसमें परिष्कार (modification) करने के बाद स्वीकार कर लेगी।

(2)

(क) यदि निगम, उक्त योजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी संपूर्ण तखमीनी (estimated) लागत दस लाख रूपये, से अधिक बैक्ती है, तो उपर्युक्त परिष्कारों के अधीन रहते हुए, उसका एक प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को भेजा जायगा।

(ख) राज्य सरकार या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी अथवा उसे पूर्ण रूप से, अथवा उसमें परिष्कार करने के बाद, स्वीकार कर लेगी।

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा।

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन न किया जायगा।

स्पष्टीकरण इस धारा में और धारा 135 में शब्द तखमीना (estimate) से तात्पर्य है समस्त योजना के लिये कुल तखमीना, जिसमें समस्त संव्यवहार (transaction) जो मिलकर योजना बनाते हैं, सम्मिलित हैं।

136-क. कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैक्क प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न आयोजित की जाय या विनिश्चय न किया जाय, तो समझा जाएगा कि निगम ने निधि स्वीकृत कर दी है और यदि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायगा कि निगम ने तदनुसार निधि स्वीकृत कर दी है। मुख्य नगर अधिकारी तदोपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम, परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी आख्या राज्य सरकार को भेजेगा।

137. भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरूद्ध समझौते (covenants) प्रवृत्त (infoce) करने के निगम, के अधिकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई ऐसा समझौता, जो उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे निगम, की वह सम्पत्ति विक्री अथवा विनिमय (exchange) द्वारा हस्तांतरित की गई हो, निगम, के साथ सम्पन्न किया गया हो इस बात के होते हुए भी किसी ऐसे अचल सम्पत्ति पर, जिसके लाभार्थ वह समझौता हुआ था, न तो निगम, का कब्जा ही और न उसमें उसका कोई हित ही है, उसी प्रकार और उसी सीमा तक निगम, द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) होगा, जिसे समझौते के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार मिलते हों, मानो निगम, का उस पर कब्जा है अथवा उसका उसमें हित है।

138. नियम बनाने के अधिकार

(**1**) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है।

(**2**) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है

(क) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड क के अधीन निगम, में निहित होने वाली सम्पत्ति या आस्तियाँ (assets) निश्चित करने के लिए प्रक्रिया;

(ख) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगम, के अधिकार, दायित्व और आभार निश्चित करने के लिये प्रक्रिया;

(ग) निगम, के लिये या उसकी ओर से सम्पत्ति खरीदने या उसे अर्जित करने अथवा निगम, में निहित उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री, उसका पट्टा करने, उसे किराये पर देने, उसका विनिमय या निस्तारण करने के लिये सामान्य प्रक्रिया;

(घ) वे निबन्धन (terms) तथा दरें, जिनके अनुसार निगम, के लिए कोई अचल सम्पत्ति खरीदी अथवा किसी अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जित की जाय;

(ङ) निगम, के लिए तथा उसकी ओर से किसी सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के सम्बन्ध में हुए खर्चों, उसके लिये दिया गया प्रतिकर (compensation) तथा तत्सम्बन्धी अन्य परिव्यय (charges) का भुगतान;

(च) संविदे करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(छ) रीति जिससे संविदे निष्पादित किये जायँ;

(ज) संविदों के यथावत संपादन (performance) के लिए माँगी जाने वाली प्रतिभूति ;

(**झ**) निर्माण-कार्यों के लिए विस्तृत नक्शों और तखमीनों को तैयार और स्वीकृत किया जाना तथा टेंडरों का आमंत्रित किया जाना, उनकी जाँच और उनका स्वीकार किया जाना;

(ञ) निर्माण-कार्यों का निष्पादन तथा उनकी स्वीकृति की शर्तें;

(**ट**) ये विषय जो निर्दिष्ट किये जाने वाले हों या किये जायँ।

अध्याय 7

निगम निधि तथा अन्य निधियाँ

139- निगम निधि तथा अन्य निधियों का संगठन-

1. प्रत्येक निगम के लिये एक निधि, जिसे आगे निगम निधि कहा जायगा, को स्थापना की जायगी और इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन, इस निधि में वे सभी धनराशियां जमा की जायगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि अथवा संविदा के अधीन निगम द्वारा अथवा उसके ओर से प्राप्त हों। इन धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:

(क) निगम की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाला धन;

(ख) निगम की सम्पत्ति के किराये

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों (fees) और जूर्मानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जूर्मानों से भिन्न) से प्राप्त धन:

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधी की अभिसंघित (compounding) करने से प्राप्त समस्त धनराशियां ;

(ङ) निगम के धन के किसी विनिहितकरण (investment) से, अथवा इस धन के सिलसिले में किये गये किसी संव्यवहार (transaction) से प्राप्त समस्त ब्याज और लाभ ;

(च) निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं, (private bduesr) अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान (gift) अथवा जमा की हुई धनराशि के रूप में समस्त प्राप्त धन, जिसमें राज्य का संचित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है।

उन शर्तो के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जायं।

2. निगम निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी। मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश को- ऑपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में जिन्हें निगम निश्चित करे, एक खाते में जिसे की निगम निधि का खाता कहा जायगा, जमा कर देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नकद रूपया रोक सकता है

जितना चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो।

3. निगम एक विकास निधि की स्थापना करेगी और ऐसी विशेष निधियों को जो विहित की जायं, अथवा ऐसे अन्य निधियों को भी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, स्थापना कर सकती है। ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायेगा।

140- प्रयोजन जिनके लिए निगम निधि का उपयोग किया जायगा-

निगम निधि में समय-समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का उपयोग, सर्वप्रथम सफाई मजदूरों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने के लिए और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिमान क्रम में किया जायगा।

1. अध्याय 8 के उपबन्धों के अधीन निगम द्वारा देय समस्त ऋणों की वापसी की यथोचित व्यवस्था (provision) करने में ;
2. धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा निगम पर आरोपित समस्त दायित्वों का निर्वहन करने में
3. ऐसी समस्त धनराशियों, परिव्ययों (charges) तथा व्ययों (costs) के भुगतानों में, जो

धारा 114 तथा 115 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये तथा इस अधिनियम के अन्य किसी प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो अथवा जिन भुगतानों की अदायगी इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन विधिवत स्वीकृत की जायेगी जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे-

(क) निगम लेखों की लेखा परीक्षा के व्यय

(ख) इस अधिनियम के अधीन हुए प्रत्येक निर्वाचन के व्यय ;

(ग) मुख्य नगराधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे पदाधिकारी के, जिसकी सेवायें राज्य सरकार निगम की प्रार्थना पर निगम को दे दे, वेतन, भत्ते तथा सेवा- निवृत्तियों के अंशदान (contributions to pensions) तथा छुटिट्यों के वेतन ;

(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न निगम के पदाधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त निवृत्ति-वेतन, उपदान, अंशदान और कारूण्य अधिदेय ;

(ङ) निगम के प्रशासन अथवा उपक्रम (undertaking) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में की जाने वाली कोई सेवा अथवा दिये जाने वाले किसी परामर्श के लिये विशेषज्ञों के वेतन

तथा शुल्क ;

(च) इस अधिनियम द्वारा निगम अथवा उप निगम पदाधिकारियों पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में अथवा प्रदत्त किसी अधिकारी के प्रयोग में निगम अथवा निगम की ओर से उन निगम पदाधिकारियों द्वारा किये गये समस्त व्यय और लगी लागत जिसके अन्तर्गत वह धन भी है जिसे प्रतिकर के रूप में देना निगम के लिए अपेक्षित हो अथवा उसके अधिकार में हो ;

(छ) प्रत्येक धनराशि जो

(1) यथास्थिति राज्य सरकार की आज्ञा से अथवा आर्वीट्रेशन ऐक्ट, 1940 के अधीन दिये गये किसी निर्णय (award) के अनुसार अथवा दीवानी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा के अनुसार ;

(2) मुख्य नगराधिकारी के विरूद्ध की गई किसी दीवानी अथवा फौंजदारी न्यायालय की किसी आज्ञा अथवा डिक्री के अधीन

(3) किसी वाद अथवा न्य विधिक कार्यवाही अथवा दावे में हुई सुलह के अनुसार, देय हो

(ज) सार्वजनिक संस्थाओं को दिये जाने वाले ऐसे चन्दे जिनके बारे में महापालिका का परामर्श लेने के बाद राज्य सरकार यह घोषित करे कि वे नगर निवासियों के हित में है।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायगा यदि वह निगम की सड़कों, नालियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रायलों में झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढ़ोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यो के लिये निगम द्वार नियोजित हो।

140- क - कतिपय मुकदमों पर निगम निधि से होने वाले व्यय पर निर्वहन किया जायगा-

राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 84, धारा 534, धारा 537, धारा 538 के अधीन जो आदेश दिया गया हैं या दिया हुआ तात्पर्पित है उसके सम्बन्ध में किसी निगम या नगर प्रमुख या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ निगम निधि से कोई व्यय निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।

141- सार्वजनिक सेवाओं के लिये अत्यावश्यक कार्यो के निर्मित्त निधि में से अस्थायी भुगतान-

1. निगम राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी का लिखित अधियाचना (equisition) पर

मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय ऐसे किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है जिसके बारे में यथास्थिति राज्य सरकार अथवा उक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए उस कार्य का करना अत्यधिक आवश्यक है। मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिए निगम निधि में से कोई भुगतान जहां तक कि वह निगम प्रशासन के नियमित कार्यो में असम्यक् रूप से बाधा डाले बिना किया जा सकता हो कर सकता है।

2. उपधारा (1) के अधीन अधियाचना प्राप्त हाने पर मुख्य नगराधिकारी उसकी एक प्रति तत्काल निगम को भेज देगा। इस प्रति के साथ वह निगम की सुचना के लिये उस कार्यवाही का एक प्रतिवेदन(report) भी भेजेगा जो उसने उक्त अधियाचना के सम्बन्ध में की है।

3. राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन सम्पादित किये गसे समस्त कार्यो तथा उन कार्यो में लगे हुए स्थापन (establishment) के व्यय वहन करेगी और उस व्यय को निगम निधि के खाते में डाल दिया जायेगा (coedited)।

142- लेखे रखना तथा उनको परीक्षा-

1. निगम की प्राप्तियां तथा व्यय के लेखे ऐसे रीति से रखे जायगे जो विहित की जाय।

2. मुख्य नगर लेखा परीक्षक प्रतिमास निगम के लेखों की जांच पूर्व परीक्षण करेगा और

कार्यकारिणी समिति को एक मास के भीतर उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन (report) देगा जो अन्तिम पूर्वगामी मास की प्राप्तियों और व्यय का सार (abstract) जिस पर समिति के दो से अन्यून सदस्यों तथा मुख्य नगर लेखा-परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, प्रत्येक मास प्रकाशित करेगी।

3. कार्यकारिणी समिति भी समय-समय पर और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझें, स्वतन्त्र रूप से (indepandently) निगम के लेखों की जांच तथा उनकी परीक्षा भी करा सकेगी।

143- विशेष लेखा-परीक्षा-

राज्य सरकार किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नियुक्त लेखा परीक्षकों से निगम के ऐसी अवधि के, जिसे वह उचित समझें, लेखों को विशेष जांच और परीक्षा करने के आदेश दे सकती है। उपयुक्त लेखा परीक्षक ऐसी जांच तथा परीक्षा का एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देंगे।

144- लेखा परीक्षकों को समस्त निगम लेखा तथा अभिलेखों आदि का प्राप्त होना-

1. धारा 142 अथवा 143 क अधीन लेखों का जांच एवं परीक्षा के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को निगम के समस्त लेखे तथा

उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख और पत्र-व्यवहार प्राप्त होंगे तथा मुख्य नगराधिकारी उक्त लेखा परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति को प्राप्तियों तथा व्यय(disposal) से सम्बद्ध ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण जिसे वे मांगे, तत्काल प्रस्तुत करेगा।

2. इन धाराओं के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त परिव्यय, शुल्क एवं व्यय (charges, feesand xpenses) निगम द्वारा वहन किये जायेंगे।

145- वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरणों की तैयारी-

1. मुख्य नगराधिकारी प्रति वर्ष पहली अप्रैल के बाद यथाशक्य शीघ्र पूर्वगामी, राजकीय वर्ष (official year) में नगर के स्थानीय प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन (report) और साथ ही एक ऐसा विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसमें उक्त वर्ष में निगम निधि में जमा की गयी धनराशियां तथा उसमें से निकाले गये भुगतान(disbursements) ओर उक्त वर्ष की समाप्ति पर निधि के खाते में बची पूंजी (balance) दिखायी जायेंगी। मुख्य नगराधिकारी इस प्रतिवेदन तथा विवरण-पत्र की कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा।
2. प्रतिवेदन ऐसे आकार में होगा तथा उसमें ऐसी सूचनाएं दी जायेगी, जिनका कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निर्देश करे।
3. तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उक्त प्रतिवेदन तथा विवरण-पत्र की जांच करेगी। उक्त विवरण-

पत्र तथा समिति को समीक्षा (review) की एक-एक प्रति राज्य सरकार तथा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जायेगी। उनकी प्रतियां निगम के कार्यालय में बिक्री के लिए भी रखी जायेंगी।

146- बजट-

1. मुख्य नगराधिकारी ऋणी (indebted) निगम की दशा में प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य निगम की दशा में प्रति वर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निगम को निधि के आय और व्यय के तखमीने तैयार करायेगा और उन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष ऐसे आकार में, जो विहित किया जाय और ऐसी रीति से रखा जायगा, जिसे कार्यकारिणी समिति अनुमोदित करे।

2. ऐसे तखमीनों में

(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अनुदानों का ध्यान रखा जायगा

(ख) समस्त ऋणों के, जिनके अन्तर्गत सरकार से लिये गये ऐसे ऋण तथा उन पर देय ब्याज भी है, जिन्हें चुकाने का दायित्व निगम पर है, चुकाने की व्यवस्था होगी,

(ग) धारा 126 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के द्वारा निगम पर आरोपित दायित्वों के विमोचन (discharge) की व्यवस्था होगी

(घ) निगम निधि में से ऐसी धनराशि को, जो शिक्षा के लिए निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि के

बराबर होगी, सुविधाजनक किस्तों में अथवा एकमुक्त अदा करने की व्यवस्था होगी

(३) उक्त वर्ष के अन्त में ऐसी धनराशि से अन्यून नकद धनराशि (cash balance) रखने की व्यवस्था होगी, जिसे राज्य सरकार विहित करे

(च) नगर-प्रमुख द्वारा स्वविवेक से धारा 114 अथवा 115 में अभिदिष्ट किसी एक अथवा एकाधिक विषयों पर व्यय करने के लिए 5 हजार रूपये से अनधिक धनराशि की व्यवस्था होगी।

3. कार्यकारिणी समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये गये बजट तखमीनों पर यथास्थिति 10 दिसम्बर अथवा 10 जनवरी को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र विचार करेगी और उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा उन्हें निगमों की दशा में 15 जनवरी तथा अन्य निगम की दशा में 15 जनवरी से पहले निगम को प्रस्तुत करेगी।

4. निगम बजट के तखमीनों को, यदि वह ऋणी है तो एक खर्च से पूर्व और यदि ऋणी नहीं है तो तखमीनों से सम्बद्ध वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम रूप से अंगीकार करेगा ओर उनकी प्राप्तियां राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारणवश निगम ने तखमीनों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के

प्रारम्भ से पूर्व बजट के तखमीनों को अन्तिम रूप से अंगीकार नहीं किया है तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किये बजट के तखमीनों अथवा यदि उपधारा (3) के अधीन कार्यकारणी समिति ने इन तखमीनों का प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे तखमीनों के सम्बद्ध में यह समझा जायगा कि वे जब तक निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती उस वर्ष के बजट के तखमीनें है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऋणी निगम के सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन बजट के तखमीनों का अंगीकार किया जाना राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगा।

147- बजट के पुनरीक्षित तखमीनें-

ऋणी निगम के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर तथा ऐसे निगम के सम्बन्ध में जो ऋणी नहीं है, 1 अक्टूबर के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र उस वर्ष के बजट के पुनरीक्षित तखमीने निगम द्वारा अंगीकार किये जायेगे, जहां तक सम्भव होगा, किन्तु यहां उल्लिखित परिष्कारों (modifications) के अधीन रहते हुए, ये पुनरीक्षित तखमीने धारा 146 के समस्त उपबन्धों के अधीन रहेंगे।

परिष्कार-

1. धारा 146 की उपधारा (1) और (3) में "10 दिसम्बर" और "10 जनवरी" के स्थान पर

क्रमश: "10 अगस्त" और "10 सितम्बर" रखे गये समझे जायेगे

2. धारा 146 की उपधारा (3) में "10 जनवरी" और "15 फरवरी" के स्थान पर क्रमश: "15 अगस्त" और "15 सितम्बर" रखे गये समझे जायेगें
3. धारा के अन्त में प्रथम प्रतिबन्धक (proviso) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धक रक्खा गया समझा जायगा

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक निगम, बजट के पुनरीक्षित तखमीनों को अंगीकार नहीं करता तब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध वर्ष की 1 अक्टूबर को प्रवृत्त बजट तखमीने, धारा 149 और 151 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के बजट तखमीने रहेंगे।

148- करों की दरों का निर्धारण-

निगम यदि वह ऋणी है तो 15 फरवरी को या उसके पूर्व ओर अन्य दशाओं में 15 मार्च को या उसके पूर्व, कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् अध्याय 9 में विहित परिसीमाओं (limitations) तथा शर्तो के अधीन रहते हुए उन दरों का निर्धारण करेगी जिनके हिसाब से धारा 172 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निगम कर आगामी वित्तीय वर्ष में लगाये जायेगे।

149- निगम बजट अनुदानों की राशि बढ़ा सकती है और अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है-

1. कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर निगम किसी वित्तीय वर्ष में समय-समय पर बजट के किसी अनुदान की राशि में बृद्धि कर सकती है अथवा उक्त वर्ष में किसी विशेष अथवा अप्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति के लिये बजट में कोई अतिरिक्त अनुदान भी कर सकती है, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वर्ष के अन्त में अनुमानित नगद रोकड़ (cash balance) जिसमें किसी विशेष निधि की रोकड़ (balance), यदि कोई हो, अपवर्जित (exelude) कर दी जायगी, धारा 146 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन विहित धनराशि से अथवा निगम निधि या अन्य विशेष निधियों के सम्बन्ध में निगम द्वारा तत्समय एतदर्थ निश्चित की गई किसी और बड़ी धनराशि से कम न हो।

2. ऐसे बढ़ायें गये अथवा अतिरिक्त बजट अनुदानों के बारे में यह समझा जायेगा कि ये निगम द्वारा, उस वर्ष के लिये जिनमें कि वे किये गये हैं, अनुमोदित बजट तखमीनों में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

3. बजट के एक मद (head) से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उसमें कमी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जायगी।

150- निगम निधि में परिव्यय पर प्रतिबन्ध-

उन दशाओं को छोड़कर जिनकी व्यवस्था निगमों द्वारा एतदर्थ की जाय निगम निधि में से उस समय तक कोई व्यय अथवा भुगतान न किया जायगा जब तक कि उसकी व्यवस्था किसी चालू बजट के अनुदान में नहीं हो जाती तथा जब तक कि ऐसे बजट अनुदान में ऐसी कमी अथवा स्थानान्तरण के होते हुए भी जो धारा 149 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो उसमें पर्याप्त बचत (balance) उपलब्ध न हो।

151- बजट के तखमीनों में परिवर्तन-

निगम धारा 146 अथवा धारा 147 के अधीन अंगीकृत बजट तखमीनों को; समय-समय पर जैसा कि परिस्थितियों को देखते हुए वांछनीय हो, बदल अथवा परिवर्तित कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋणी निगम की दशा में इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवर्तन या तब्दीली राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगी।

152- ऋणी निगम-

यदि राज्य सरकार की राय में किसी निगम पर इतना ऋण है कि उसके बजट पर राज्य सरकार का

नियंत्रण करना वांछनीय हो जाता हो, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा विज्ञापित करके इस स्थिति की घोषणा कर सकती है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी निगम ऋणी निगम समझी जायगी।

152-क- अधिभार-

1. निगम का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक निगम के किसी धन या सम्पति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के लिये अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरूपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो;
2. अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय ;
3. यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख; उप-नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरूद्ध प्रतिकर के लिये बाद संस्थित कर सकती है।

153- नियम बनाने के अधिकार-

राज्य सरकार इस अध्याय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये तथा विशेषतया एतद द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है-

1. निगम निधि के खाते में मुख्य नगराधिकारी द्वारा भुगतानों को प्राप्त करना तथा प्राप्त धन को किसी बैंक अथवा बैंकों में रखना;
2. निगम की निधियों का संचालन (operation);
3. निगम निधि के किसी अंश को नगर के बाहर स्थित किसी बैंक अथवा अभिकरण (agency) के पास जमा करना ;
4. बचत (surplus) के धन को लाभ पर लगाना;
5. निगम द्वारा रखे जाने वाले लेखे; वह रीति जिससे लेखों का परीक्षण किया तथा उन्हें प्रकाशित किया जायगा। किसी व्यय को न मानने (disallowance) तथा (surcharge) के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों के अधिकार और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियाँ की जायेगी;

6. बजट की एक मद से दूसरी मद में अथवा एक ही मद के अन्दर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उनमें कमी करना;

7. प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (report) और लेखों के विवरण की तैयारी;

8. निगम के लेखों को रखने की रीति।

अध्याय 8

ऋण लेने के अधिकार

154- निगम के ऋण लेने का अधिकार-

1. निगम राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ऐक्ट; 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर; एक या अधिक बार ऋण ले सकती है तथा ऋण- पत्रों को जारी करके या अनरू प्रकार से किसी ऐसी अचल सम्पत्ति की प्रतिमूति पर; जो निगम में निहित हो, या जिसे निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये जाने का प्रस्ताव हो, या समस्त अथवा किन्हीं करों (taxes), महसूलों (duties), पथकरों (tolls) उपकरों (cesses), शुल्कों (fees) तथा आदेयों (dues) जिन्हें निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाने का प्राधिकार दिया गया हो, की प्रतिभूति पर अथवा उन समस्त प्रतिभूतियों या उनमें से किन्हीं प्रतिभूतियों पर ब्याज पर ऐसी कोई भी धनराशि ले सकता है, जो निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो-

(क) इस अधिनियम के अनुसार किये गये कार्यो पर निगम द्वारा खर्च की गई लागतों, परिव्ययों या व्ययों के भुगतान लिये;

(ख) इस अधिनियम के अधीन लिये गये किसी उधार (loan) के भुगतान के लिये या किसी ऐसे अन्य उधार या ऋण के भुगतान के लिये, जिसकी अदायगी या दायित्व निगम पर हो;

(ग) सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये जिसमें इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत ऋण देना भी सम्मिलित है;

[1] कोई ऋण किसी स्थायी कार्य (permanent work) से भिन्न किसी अन्य कार्य के सम्पादनार्थ नहीं लिया जायगा। स्थायी कार्य के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य सम्मिलित होगा, जिस पर होने वाला व्यय राज्य सरकारकी राय में, कई वर्षो तक होता रहे;

[2] कोई ऋण तब तक नहीं लिया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार ऋण का प्रयोजन, उनकी धनराशि, उस पर देय ब्याज की दर तथा तत्सम्बन्धी अन्य शर्ते, जिसमें ऋण उगाहने का दिनांक तथा उसके भुगतान की अवधि तथा रीति सम्मिलित है, अनुमोदित न कर दें;

[3] वह अवधि जिसके भीतर ऋण का भुगतान किया जायगा किसी भी दशा में 30 वर्ष से अधिक न होगी।

2. जब कोई धनराशि उपधारा (1) के अधीन ऋण के रूप में ली गई हो या फिर से ली गई हो (borrowed) तो-

(क) ऋण का कोई भाग, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना; उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाया जायगा, जिसके लिये ऋण लिया गया था; और

(ख) किसी धनराशि का कोई भाग, जो किसी निर्माण कार्य (work) के सम्पादन के लिये प्रथम बार या पुन: ऋण के रूप में लिया गया हो, निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के वेतन या भत्ते के भुगतान की, सिवाय उनके जो एक मात्र (exclusively) उस निर्माण-कार्य के सम्पादन में लगे हुए हों, जिसके लिये उक्त धनराशि ली गयी थी; अथवा आत्र्रतक प्रकार के व्ययों की, पूर्ति के लिये उपयोग में न लाया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम के ऐसे पदाधिकारियों या कर्मचारियों के; जो अंशत: नक्शों तथा प्राक्कलन के तैयार करने या उक्त निर्माण-कार्य के सम्पादन या देख-रेख या निर्माण-कार्य के लेखे रखने के लिये नियुक्त किये गये हों, वेतनों तथा भत्तों पर होने वाले व्यय का उतना भाग, जो कार्यकारिणी समिति निश्चित करे, ऋण के रूप में ली कई फिर से ली गई धनराशि में से अदा किया जा सकता है।

155- निगम का सार्वजनिक प्रतिमूतियों पर बैंकों से ऋण लेने का अधिकार-

धारा 154 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31

केउपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे बैंक या बैंकों से, जिनसें या जिसमें निगम निधि की बचत धनराशियां (surplus money) जमा की गयी हों, किन्हीं सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर, जिनमें तत्समय निगम का नगदी शेष (cash balance) लगायी गयी हो, ऋण ले सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऋणी निगम की दशा में इस धारा के अधीन ऋण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही लिया जायगा।

156- कम और कैसे ऋण का भुगतान किया जाय-

1. प्रत्येक ऋण का, जो धारा 154 के अधीन लिया गया हो उस अवधि के भीतर भुगतान किया जायगा, जो उक्त धारा के अधीन उसके लिये अनुमोदित हो। यह भुगतान निम्नलिखित विधियों में से उस विधि से किया जायगा, जो उक्त उपबन्ध के अधीन अनुमोदित की जाय, अर्थात्-

   (क) किसी ऐसी निक्षेप निधि (sinking fund) में से भुगतान (payment) करके जो ऋण के सम्बन्ध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गयी हो;

   (ख) मूलधन तथा ब्याज के समीकृत भुगतानों (equal payments) द्वारा;

(ग) किसी ऐसी धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिये धारा 154 के अधीन स्थापित की गई हो और अंशत: उस धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिये धारा 154 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) से अधीन उधार ली गई हो;

(ड़) ऐसी अन्य विधि से, जिसमें रूपया निकालना भी सम्मिलित है जिसे सरकार निर्दिष्ट करे।

2. ऐसे किसी ऋण से जो नियत दिन से पहले लिया गा हो, भुगतान सामान्यत: उसी विधि से किया जायगा जो ऐसे ऋण के भुगतान के लिये प्रवृत्त रही हो या यदि ऐसी कोई विधि न रही हो तो भुगतान उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी निधि से किया जायगा।

157- निक्षेप निधि का संधारण तथा उपयोग-

1. जब कभी धारा 154 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध (1) के अधीन निक्षेप से किसी ऋण के भुगतान की स्वीकृति दी गई हो तो निगम ऐसी निधि को स्थापित करेगी और उसमें ऐसे दिनांकों पर, जो उक्त प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित हुए हों, उतनी धनराशि देगी जो चक्रबृद्धि ब्याज सहित समस्त व्ययों के देने के बाद अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण की अदायगी के लिये पर्याप्त हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय ऋण के भुगतान के लिए स्थापित निक्षेप निधि

में जमा धनराशि इतना हो कि यदि उसे चक्रबृद्धि ब्याज पर बढ़ने दिया जाय तो उससे अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण चुकता हो जायेगा तो राज्य सरकार की अनुज्ञा से ऐसी निधि में और धनराशियों का देना बन्द किया जा सकता है।

2. निगम किसी निक्षेप निधि या उसके किसी भाग को उस ऋण के परिशोध (discharge) में या उसके निमित्त उपयोग में ला सकती है जिसके लिए ऐसी निधि स्थापित की गयी हो और जब तक वह उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी।

158- निक्षेप निधि का लगाया जाना (investment)-

1. निक्षेप निधि में जमा की गयी समस्त धनराशियां निगम द्वारा यथासंभव शीघ्र मुख्य नगराधिकारी के नामे में-

(क) सरकारी प्रतिभूतियों में, या

(ख) सरकार द्वारा संरक्षित (guaranted) प्रतिभूतियों में, या

(ग) निगम के ऋण-पत्रों में लगायी जायेगी और निगम द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के समय-समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिए निगम के कब्जे में रहेंगी।

2. समस्त लाभांश ब्याज तथा अन्य धनराशियां, जो इस प्रकार लगाई गई किसी धनराशि

(investment) के सम्बन्ध में प्राप्त हों, प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उपयुक्त निक्षेप-निधि में जमा की जायेगी और उपधारा (1) में विहित रीति से लगायी जायेगी (invested)।

3. दो या दो से अधिक निक्षेप-निधियों के नाम में जमा धनराशियां निगम के स्वविवेकानुसार किसी एक ही (common) निधि में लगाई जा सकती है और निगम के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार लगाई गई प्रतिभूतियों को विभिन्न निक्षेप-निधियों में बांट दे।

4. यदि निक्षेप-निधि का कोई भाग निगम के ऋण-पत्रों पर लगाया जाय या भुगतान के लिए निश्चित अवधि से पहले ऋण के किसी भाग को चुकता करने के लिए उपयोग में लाया जाय तो वह ब्याज, जो अन्यथा ऐसे ऋण-पत्रों या ऋण के ऐसे भाग पर देय होता, निक्षेप-निधि में दिया जायगा और उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट रीति से लगाया जायगा (invested) ।

5. इस धारा के अधीन लगाये गये धन में उपधारा (1) के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए परिवर्तन किया जा सकता है या उसे किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित किया जा सकता है (transposed) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई लगाई गई धनराशि किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित की जाय तो उस निक्षेप-निधि में, जिसमें से वह धनराशि दूसरे मद में स्थानान्तरित की गयी हो (transposed retaired) उतनी ही धनराशि बढ़ा दी जायेगी।

6. उस वर्ष में जिसमें ऋण, जिसके चुकाने के लिए निक्षेप स्थापित की गयी है, देय हो, वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप-निधि के मुलधन के भाग के रूप में अलग को जायगी और वह धनराशि, जो ऐसी निक्षेप-निधि के अंगभूत भाग पर ब्याज के रूप में प्राप्त हो, निगम द्वारा ऐसे रूप में रक्खी जायगी (retained) जिसे वह ठीक समझे।

159- निक्षेप निधि तथा अतिरिक्त धनराशि का निगम द्वारा जारी किये गए ऋण-पत्रों में लगाया जाना-

1. किन्हीं ऐसे निक्षेप निधियों के सम्बन्ध में जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा निगम को सार्वजनिक प्रतभुतियों में लगाने का आदेश या अधिकार दिया गया हो और किसी अतिरिक्त (surplus) धनराशि के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के द्वारा निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी को प्रतिभूतियों में लगाने का अधिकार दिया गया हो, निगम के लिए यह बैध होगा कि वह इस प्रकार धनराशि लगाने के प्रयोजन के हेतु किन्हीं ऋण-पत्रों को, जो किसी ऐसे ऋण के निमित्त जिसके लिए राज्य सरकार की यथावत् स्वीकृति ले ली गयी हो, जारी किए गयें हों या किये जाने वाले हों, रक्षित तथा पृथक् कर दे (reserve and set apart) : किन्तु प्रतिबन्घ यह है कि इस प्रकार ऋण-पत्रों की रक्षित तथा पृथक् करने का आशय राज्य सरकार को ऋण जारी करने की एक शर्त के रूप में विज्ञापित (notified) कर दिया गया हो।

2. निगम की ओर से सीधे मुख्य नगराधिकारी की और उसके नाम में उक्त किन्हीं ऋण-पत्रों के जारी किये जाने का प्रभाव यह न होगा कि ऋण-पत्र समाप्त या रद्द हो जायेगे, किन्तु इस प्रकार किया गया प्रत्येक ऋण-पत्र सभी प्रकार से उसी रूप में वैध होगा मानो वह किसी अन्य व्यक्ति को और उसके नाम में जारी किया गया हो।

3. निगम द्वारा जारी किए गये किसी ऋण-पत्र का निगम द्वारा क्रय या निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी को उसका हस्तान्तरण अभ्यर्पण या पृष्ठांकन का प्रभाव यह नहीं होगा कि वह ऋण-पत्र समाप्त या रद्द हो जायेगा, किन्तु वह उसी प्रकार और उसी अवधि तक वैध और परक्राम्य होगा मानो वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो या उसे हस्तान्तरित, अभ्यपित या पृष्ठांकित किया गया हो।

160- निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा-

1. इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित सम्पूर्ण निक्षेप निधियों का एक्जामनर लोकल फड एकाउन्ट्स द्वारा वार्षिक परीक्षा की जायेगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ (cash) ओर उससे सम्बन्धित प्रतिभुतियां का मुख्य वास्तव में उस धनराशि के बराबर है या नहीं, जो इस प्रकार का निधियों के नाम में जमा होता, यदि रूपया नियमित रूप से लगाया गया होता और उस पर उसे दर से ब्याज मिला होता जो पहले से प्राक्कलित (estimated)

की गयी थी।

2. निक्षेप-निधि में जमा धनराशि का हिसाब भविष्य में किये जाने वाले ऐसे सम्पूर्ण भुगतान का जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसा निधि में करना आवश्यक हो, वर्तमान मुल्य के आधार पर यह कल्पना करके लगाया जायेगा कि सम्पूर्ण धनराशियां नियमित रूप से लगाई जाती है और उन पर पहले का प्राक्कलित (estimated) दर से ब्याज मिलता है।

3. किसी निक्षेप-निधि की प्रतिभूतियों का मुल्यांकन इस धारा के प्रयोजनों के लिये उनके चालू बाजार मुल्य पर किया जायेगा, किन्तु उन ऋण-पत्रों का मुल्य, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये हों, सह मूल्य (at per) पर लगाया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम उस हानि का तुरन्त पूरा करेगा, जो ऋण के भुगतान के समय ऐसे ऋण-पत्रों के वास्तविक विक्रय पर हुई हो।

4. निगम किसी निक्षेप- निधि में, जब तक कि राज्य सरकार विशिष्ट रूप से क्रमिक पुनरस्संधान (gradualre-adjustement) का स्वीकृति न दे दे, किसी ऐसी धनराशि का तुरन्त भुगतान करेगा, जिसके कम होने का इक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ने प्रमाणित किया हो।

5. यदि किसी निक्षेप- निधि में, जमा रोकड़ (cash) तथा प्रतिभूतियों का मूल्य उस धनराशि से

अधिक हो, जो उसमें जमा होना चाहिए, तो एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ऐसी अतिरिक्त (excess) धनराशि का प्रमाणित करेगा और तत्पश्चात् निगम उक्त अतिरिक्त धनराशि को निगम निधि में स्थानान्तरित कर सकती है।

6. यदि उपधारा (4) या (5) के अधीन एक्जामिनर लोकल फण्ड एकाउन्ट्स द्वारा दिए गए किसी प्रमाण-पत्र की शुद्धता (accuracy) के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो निगम भुगतान या स्थानान्तरण करने के पश्चात् सम्बद्ध विषय को राज्य सरकार को भेज सकती है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

161- ऋण के भुगतान न करने पर निगम निधि का कुर्क किया जाना-

1. यदि निगम द्वारा उधार ली गई किसी धनराशि या उस पर दये ब्याज या किसी व्यय (costs) का ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान न किया जाय, तो राज्य सरकार यदि उक्त ऋण स्वयं उसी ने दिया हो, निगम निधि या उसके किसी भाग को कुर्क किया जा सकता है ओर यदि ऋण उसने नहीं दिया है तो वह ऋणदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर तथा उसके सम्बन्ध में निगम के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निगम निधि या उसके किसी भाग को कुर्क करेगी।

2. ऐसी कुर्की के पश्चात कोई व्यक्ति, सिवाय उस पदाधिकारी के, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ नियुक्त किया हो, कुर्क की गई निधि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कार्यवाही न करेगा, किन्तु वह पदाधिकारी उससके सम्बन्ध में ऐसे समस्त कार्य कर सकता है, जो निगम के किसी प्राधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी ने उस दशा में किए होते, यदि ऐसी कुर्की न हुई होती ओर आगम (proceeds) का उपयोग बकायों (arrears), उनके सम्पूर्ण ब्याज तथा उनके सम्बन्ध में देय व्यय और कुर्की के तथा परवर्ती कार्यवाहियों के कारण हुए समस्त व्ययों के शोधन के निमित्त कर सकता है :

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कुर्की से कोई ऐसा ऋण न तो मारा जाएगा (defeated) और न उसका उस ऋण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, जिसके लिए कुर्क निधि या उसका कोई भाग विधि के अनुसार पहले बंधक (pledged) रहा हो और ऐसे समस्त परिव्ययों (prior charges) का भुगतान निधि के आगम या उसके किसी भाग से किया जाएगा इसके पूर्व कि आगम के किसी भाग का उपयोग उस दायित्व के शोधन में किया जाय, जिसके सम्बन्ध में कुर्की हुई थी।

162- ऋण-पत्रों के आकार-पत्र -

1. इस अधिनियम के अधीन जारी किए जाने वाले ऋण-पत्र ऐसे आकार पत्र (form) में होंगे,

जिसे निगम राज्य सरकार को पूर्व स्वीकृत से समय-समय पर निर्धारित करे।

2. किसी ऐसे ऋण-पत्र का, जो उपधारा (1) के अधीन यथावत् प्राधिकृत आकार-पत्र में हो, ग्रहीता ऐसी शर्तो पर, जो निगम समय-समय पर निर्धारित करेगी अपने ऋण-पत्र के विनियम(exchange) में कोई ऐसा ऋण-पत्र प्राप्त कर सकता है जो अन्य प्रकार के अधिकृत आकार-पत्र में हो।
3. निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऋण-पत्र पृष्ठांकन (endorsement) द्वारा हस्तान्तरणीय (transferable) होगा।
4. उक्त किन्हीं ऋण-पत्रों द्वारा सुरक्षित धनराशियों की प्राप्ति का तथा उसके सम्बन्ध में बाद प्रस्तुत करने का अधिकार तत्सम्यक ऋण-पत्र गृहिता में निहित होगा और इस सम्बन्ध में इस बात के लिए कोई अधिमान प्राप्त न होगा कि ऐसे ऋण-पत्रों में से कुछ दूसरों से पहले के दिकों के हैं।

163- ऋण-पत्रों से संलग्न कूपनों पर कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होगे-

इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए ऋण-पत्रों से संलग्न समस्त कूपनों पर निगम की ओर से कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे हस्ताक्षर किसी

यांत्रिक रीति द्वारा चित्रित किए जा सकते हैं, लिथी से लिखे जो सकते है या मुद्रांकित किए जा सकते हैं।

164- दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किए गए ऋण-पत्र इंडियन कंट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 का धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी-

1. यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई ऋण-पत्र का प्रतिभूति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देय हो और उनमें से दोनों की या किसी एक की मृत्यु हो जाये तो उक्त ऋण-पत्र या प्रतिभूति ऐसे व्यक्तियों के उत्तरजीवी (survivor) को अथवा उत्तरजीवियों को देय होगी।

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी हुई किसी बात का मृत व्यक्ति के किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा उक्त उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए यदि (claim) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2. यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी ऋण-पत्र या प्रतिभूति के संयुक्त गृहिता (joint holder) हों, तो जब तक ऐसे व्यक्तियों में से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा निगम को कोई प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हों, ऐसे ऋण-पत्र या प्रतिकूल के

सम्बन्ध में देय किसी ब्याज या लाभांश (dividend) के लिए उनमें के कोई भी व्यक्ति प्रभावकारी (effectual) रसीद दे सकता है।

165- प्रतिभूतियों को द्वितीय प्रतियों (duplicates) का जारी किया जाना-

1. यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी ऋण-पत्र के बारे में यह कहा जाय कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, पुर्णतया या अशत: नष्ट हो गया है, उसका विरूपण हो गया है अथवा वह विकृत कर दिया गया है और कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि में वही व्यक्ति हूँ जिसे खो न जाने, चुरा न लिए जाने, नष्ट न हो जाने, विरूपण न होने अथवा विकृत न होने की दशा में ऋण-पत्र देय होता, तो वह मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर ओर ऋण-पत्र के खो जानें, चुराये जाने, विरूपण होने अथवा विकृत किए जाने, नष्ट हो जाने के बारे में तथा उपने दावे के औचित्य का संतोषजनक प्रमाण करके निम्नांकित के लिए आज्ञा प्राप्त कर सकता है।-

(क) यदि वह ऋण-पत्र , जिसे खोया हुआ, युराया हुआ, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अधिक की अवधि में देय हो, तो-

(1) उक्त ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी होन तक उस ऋण-पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिए, और

(2) प्रार्थी को देय ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जाने के लिए, या

(ख) यदि वह ऋण-पत्र, जिसे खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ, अथवा विकृत किया हुआ वताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अनधिक अवधि में देय हो, तो

(1) उक्त ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति को जारी हुये बिना ही उस ऋण-पत्र से सम्बन्ध बयाज के भुगतान के लिये, और

(2) प्रार्थी को, उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् जिस पर भुगतान देय होता हो, उक्त ऋण-पत्र पर देय (due) मूल धनराशि का भुगतान किये जाने के लिये।

2. उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा तक तक न दी जायेगी जब तक कि ऋण-पत्र के खाने, चुराये जाने, नष्ट हो जाने, विरूपण हो जाने अथवा विकृत किये जाने के बारे में ऐसी विज्ञप्ति जारी न हो जाये जो निगम द्वारा विहित की जाय और जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जायगी निगम द्वारा विहित को जाय और यह आज्ञा उस समय तक न दी जायेगी जब तक प्रा

ऐसी क्षतिनिवारण न दे दे जो खोये हुए, चुराये गये या नष्ट हुए ऋण-पत्र के अन्तर्गत आगम प्राप्त समस्त व्यक्तियों (all persons deriving title) के दावों के सम्बन्ध में निगम द्वारा अपेक्षित हो।

3. उन ऋण-पत्रों की एक सूची, जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

4. यदि किसी ऐसे ऋण-पत्र के सम्बन्ध में, जो पूरा-पूरा खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ या विकृत किया हुआ बताया गया हो, धारा 168 के उपबन्धों के अधीन निगम अपने दायित्वों से मुक्त होने के पूर्व किसी भी समय ऐसा ऋण-पत्र मिल जाय तो इस धारा के अधीन उसके सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा रद्द कर दी जायेगी, किन्तु इससे मूलधन या बयाज का कोई ऐसा भुगतान, जो पहले किया जा चुका हो, बाधित न होगा।

166- ऋण-पत्रों का नवीकरण-

1. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण-पत्र का अधिकारी (entitled) होने का दावा केर, मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर ओर अपने दावे के औचित्य के बारे में उसका समाधान करके तथा प्राप्त ऋण-पत्र को ऐसी रीति से देकर और ऐसा

शुल्क देकर, जिसे मुख्य नगराधिकारी विहित करे, ऐसा एक नवीकृत ऋण-पत्र प्राप्त कर सकता है जो प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्ति को देय हो।

2. यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऐसे ऋण-पत्र के बारे में, जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, आगम (title) विषयक कोई विवाद प्रस्तुत हो तो मुख्य नगराधिकारी-

(क) यदि विवाद के सम्बद्ध किसी पक्ष को सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय से कोई ऐसा अन्तिम निर्णय प्राप्त हो गया हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे ऋण-पत्र का अधिकारी घोषित किया गया हो, ऐसे पक्ष के नाम एक नवीकृत ऋण-पत्र जारी कर सकता है,

(ख) उक्त निर्णय होने तक ऋण-पत्र का नवीकरण अस्वीकार कर सकता है, या

(ग) ऐसे जांच, जिसकी व्यवस्था आगे की गयी है, करने तथा उसके परिणाम पर विचार करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा घोषित कर सकता है कि उसके मतानुसार सम्बद्ध पक्षों में से अमुक पक्ष उक्त ऋण-पत्र का अधिकारी है और ऐसी घोषणा के तीन मास को समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पक्ष से नाम, जब तक कि उस अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी को इस आशय को नोटिस न प्राप्त हुआ हो कि ऐसे ऋण-पत्र के

सम्बन्ध में अपने आगम को स्थापित करने के लिये किसी व्यक्ति ने सक्षम क्षेत्राधिकारयुक्त किसी न्यायालय में कार्यवाही कर दी हैं, एक नवीकृत ऋण-पत्र जारी कर सकता है।

स्पष्टीकरण-

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "अन्तिम निर्णय" से तात्पर्य है ऐसा निर्णय जिसके विरूद्ध अपील न की जा सकती हो या ऐसा निर्णय जिसके विरूद्ध अपील की तो जा सकती है किन्तु विधि द्वारा अनुज्ञात (allowed) कालावधि के भीतर की न गयी हो।

3. उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी ऐसे सम्पूर्ण साक्ष्य या उसके किसी भाग को, जैसा कि सम्बद्ध पक्ष प्रस्तुत करे, स्वयं अभिलिखित कर सकता है या जिला मैजिस्ट्रेट से या उसके अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट से अभिलिखित कराने का अनुरोध कर सकता है। साक्ष्य अभिलिखित करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य का अभिलेख मुख्य नगराधिकारी को प्रषित करेगा।
4. मुख्य नगराधिकारी या इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे, तो शपथ लिवा कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है।

167- नवीकृत ऋण-पत्र के सम्बन्ध में दायित्व-

1. यदि धारा 166 के अधीन किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई नवीकृत ऋण-पत्र जारी किया जा चुका हो तो इस प्रकार जारी किये गये ऋण-पत्र के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह निगम तथा ऐसे व्यक्ति और उसके द्वारा तत्पश्चात् आगम प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के मध्य किया गया संविदा है।
2. ऐसे किसी नवीकरण का उन अधिकारों पर कोई प्रभाव न होगा जो इस प्रकार नवीकृत ऋण-पत्र के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को निगम के विरूद्ध प्राप्त हो।

168- कतिपय स्थितियों में मुक्तभार होना-

यदि धारा 165 के अधीन ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जा चुकी हो या यदि धारा 166 के अधीन कोई नवीकृत ऋण-पत्र जारी किया जा चुका हो या यदि किसी ऐसे ऋण-पत्र पर, जिनके सम्बन्ध में ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी किये बिना ही मूल धनराशि लौटाने की आज्ञा धारा 165 के अधीन दो जा चुकी हो, देय मूलधन भुगतान के लिये नियत दिनांक को या तत्पश्चात् लौआ दिया गया हो, तो निगम ऐसे ऋण के सम्बन्ध में, जिसके स्थान पर ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति या नवीकृत ऋण-पत्र इस प्रकार जारी किया जा चुका हो या जिसके सम्बन्ध में देय धन लौटाया जा चुका हो, जैसी

भी स्थिति हो-

(क) ऋण-पत्र को द्वितीय प्रति (duplicate) की दशा में धारा 165 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से या मूल ऋण-पत्र के ब्याज के पिछले भुगतान के दिनांक से 6 वर्ष पश्चात् इनमें से जो भी दिनांक परवर्ती हो,

(ख) नवीकृत ऋण-पत्र की दशा में उसके जारी किये जाने के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात्, और

(ग) ऋण-पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी किये बिना ही मुलधन का भुगतान करने की दशा में धारा 165 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् समस्त दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

169- क्षति पूर्ति (indemnity)-

धारा 160 में किसी बात के होते हुए भी मुख्य नगराधिकारी असे धारा के अन्तर्गत किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर-

1. मूल ऋण-पत्र के अधीन दावा प्रस्तुत करने वाले समस्त व्यक्तियों के दावों से निगम तथा मुख्य नगराधिकारी के पक्ष में क्षति-निवारण (indemnity) प्राप्त करने के पश्चात् जैसा कि

वह उचित समझे एक नवीकृत ऋण-पत्र जारी कर सकता है, या

2. जब तक उक्त क्षति-निवारण न हो जाय तब तक ऐसा नवीकृत ऋण-पत्र जारी करना अस्वीकृत कर सकता है।

170- वार्षिक विवरण-पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा-

1. मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक विवरण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायगे-

(क) पिछले वर्षों में लिये गये ऋण, जिनके लिये निगम उत्तरदायी हो और जिनका वर्ष आरम्भ होने के पूर्व पूर्णत: भुगतान न किया गया हो, वर्ष के आरम्भ में अदत्त धनराशि का ब्यौरा, ऋण लेने का दिनांक तथा वार्षिक ऋण परिव्यय (loan charges),

(ख) वर्ष में निगम द्वारा लिये गये ऋण तथा ऋण लेने के दिनांक तथा उसको धनराशि विषयक ब्यौरे और वार्षिक ऋण परिव्यय (loan charges),

(ग) ऐसे प्रत्येक ऋण की दशा में, जिसके निमित्त निक्षेप निधि खोली गयी हो, वर्ष के अन्त में निक्षेप-निधि में जमा धनराशि (accumulation) जिसमें वर्ष में उक्त निधि के हिसाब में जमा धनराशि अलग से दिखायी गयी हो,

(घ) वर्ष में चुकाये गये ऋण ओर किस्तों में या वार्षिक रूप से निकाली गयी धनराशियों द्वारा चुकाये गये ऋणों की दशा में उस वर्ष में चुकायी गयी धनराशियाँ और वर्ष के अन्त में देय धनराशि,

(ङ) उन प्रतिभूतियों के ब्योरे जिनमें निक्षेप निधियां लगायी गयी हों या जिनके लिए वे रक्षित हों।

2. ऐसा प्रत्येक विवरण- पत्र निगम की बैठक के समक्ष रखा जायेगा और सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और इस विवरण-पत्र की एक-एक प्रति राज्य सरकार तथा एक्जामिनर, लोकल फण्ड एकाउन्ट्स को भेजी जायेगी।

171- नियम बनाने के अधिकार-

राज्य सरकार इस अध्याय के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए और विशेषत: एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना निम्नांकित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है-

(क) इस अध्याय के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया,

(ख) निक्षेप निधि की स्थापना,

(ग) निक्षेप निधि में धन लगाना,

(घ) निक्षेप निधि की वार्षिक जांच और लेखा-परीक्षा,

(ङ) निगम निधि के कुर्क करने की रीति और

(च) ऋण-पत्रों का मुद्रण।

अध्याय 9

निगमकर

172. इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायेंगे

1. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा भारत का संविधान अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम निम्नलिखित कर लगायेगी

(क) सम्पत्ति कर

(ख) यंत्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों (vehicles) तथा किराये पर चलने या नगर के भीतर रखी गयी गाड़ियों (conveyances) या वहाँ बाँधी जाने वाली नावों पर कर

(ग) सवारी करने, जोतने, गाड़ी खींचने या बोझा ढोने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं पर कर, जब वे निगम, के भीतर रखे जायें।

2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त निगम, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती है

(क) व्यापारों, आजीविकाओं (callings) और व्यवसायों तथा सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर

(ख) ******

(ग) ******

(घ) ******

(ङ.) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर

(च) परिवृद्धि कर (betterment tax)

(छ) नगर के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तान्तरण लेखों पर कर

(ज) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर

(झ) प्रेक्षागृहों (theatres) पर कर

(ञ)******

3. निगमकर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित (assess) किये जायेंगे (levied)।

4. इस धारा की कोई बात, कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत का संविधान के अधीन राज्य विधान मंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर भारत का संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसा कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये।

सम्पत्ति-कर

173 सम्पत्ति-कर लगाये जा सकेंगे

1. धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए नगर में भवनों या भूमियों पर लगाये जायेंगे

(क) सामान्य कर, जो यदि निगम ऐसा निर्धारित करे, आनुक्रमिक दर (graduated scale) से आरोपित किया जा सकता है;

(ख) जल-कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहाँ निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो,

(ग) जल निस्सारण कर (drainage tax), जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा, जहाँ निगम में नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो;

(घ) ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छता कर (conservaney tax), जहाँ निगम संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्यभार वहन करती है।

2. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली में स्पष्ट रूप से की गयी अन्य व्यवस्था को छोड़कर ये कर यथास्थिति भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति-करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनों ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाइस प्रतिशत से कम और बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल-कर, वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम और कम से कम और साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्सारण-कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छताकर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा।

174. वार्षिक मूल्य की परिभाषा- वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है

1. रेलवे स्टेशनों, कालेजों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावसिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गई दर से मूल्यापकर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन-निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उनके संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायेगा; और,
2. ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रति वर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, निर्धारित की जाती हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी

असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो। स्पष्टीकरण एक वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार की जायेगीः-

कमरे-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

आच्छदित बरामदा आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

बालकनी, कारीड्र आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप

गैराज आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप

स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण दो: किसी भवन के मानक किराया, समस्त किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायेगी।

यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत, अधिक समझा जायेगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।,

[जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध]

175. जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध

धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाये

1. किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, जब तक कि निगम, द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाये; या तो
2. किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये से अधिक न हों और जिसे 4 निगम द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या
3. किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जलकल से जहाँ पर जनता की 4 निगम द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्धव्यास के भीतर हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) भवन में उसका अहाता (यदि कोई), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित हो;

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक

आसंगतियों द्वारा सामान्य रूप से धन हो, जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी य अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक्कृत न हो।,

176.

जल-कलों और जल-निस्सारण के निर्माण-कार्यो से होने वाली आय को एकत्र करना- जल-कर, जल-निस्सारण कर और स्वच्छता कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को, जो जल-कलों, जल-निस्सारण कार्यो, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों से इकट्ठा किए गए मल, इत्यादि और दूषित पदार्थो और ऐसे पदार्थो के निस्सारण से तथा "सलेज फार्मो" से होती हो, एकत्र किया जायेगा और इसे उक्त जल-कलों और जल-निस्सारण निर्माण कार्यो के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के सम्बन्ध में और संडासों, मूत्रालयों तथा नलकूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मो का संधारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए खर्च किया जायेगा।

177.

किन भू-गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायेगा- सामान्य कर नगर में स्थित (सभी) भवनों और भूमियों पर लगाया जायेगा, सिवाय-

1. उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण से संबद्ध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हो;

2. उन भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोत्तर के प्रयोजन के लिए अध्यासन में हो;

3. भवन जो एकमात्र जेलों, न्यायालय, गृहों, कोषागार, स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, किन्तु ऐसे वृत्तिक, व्यावसायिक, प्राविधिक और चिकित्सीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें सरकार द्वारा न तो चलाया जाता है और न प्रबन्ध किया जाता है।,

4. एन्शिएन्ट मानुमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 (प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904) में परिभाषित प्राचीन स्मारकों के किन्तु ऐसे किसी स्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दिये हुए किसी आदेश के अधीन रहते हुए;

5. किसी ऐसे भवन या भूमि के, जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये या इससे कम हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो, और निगमकी मुख्य शाखा सीवर लाइन से तीस मीटर के भीतर किसी भवन की स्थिति में अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उसमें लाश की व्यवस्था सहित शौचालय हों

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़कर भवन तथा भूमि जो भारत के संघ में निहित हों।

7. स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवसिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो;

8. स्वामी द्वारा अध्यासित आवसिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हो।,

टिप्पणी

छूट सम्बन्धी खंड किसी करारोपण कानून का किंचित प्रमुख आशय यही है कि कर अधिरोपित किया जाये। छूट देने का महत्व दूसरे स्थान पर आता है। [जसवन्त राम जय नारायण बनाम बिक्रीकर अधिकारी, (1961)12 एस०टी०सी० 919।

178. अनध्यासन (non occupation) के कारण छूट-

1. जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे अधिक दिनों तक खाली रहा हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो मुख्य नगर अधिकारी उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा, जो उतने दिनों के अनुपात में हो, जितने दिनों तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो और उससे किराया न मिला हो।

2. यदि किसी भवन में अलग-अलग लघुगृह (tenement) हों और उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो और उससे किराया न मिला हो, तो मुख्य नगर अधिकारी प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हो) को छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है, जो विहित किया जायेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायेगी जब तक निगम, को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उसमें कोई किराया नहीं मिल रहा है और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई छूट या वापसी प्रभावी न होगी।

3. उन तथ्यों, को, जिनके कारण कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपशम (relief) प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्वयं उसी पर होगा।

4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन-भूमि खाली समझी जाये यदि वह आमोद-प्रमोद के स्थान (pleasure resort) या नगरगृह या ग्राम्यगृह (town or country house) के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायेगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है। यदि उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार (tenant) के पास छोड़ दिया गया हो, जिसे उसके निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो।

टिप्पणियाँ

लेखबद्ध नोटिस का दिया जाना- मुख्य नगर अधिकारी नोटिस दिये जाने की रीति का अवधारण करेगा। उ०प्र० बिक्री कर अधिनियम के उपबन्धों का उपयोग करते हुये यह धारण किया गया कि इस मामले का विनिश्चय कि क्या कोई रीति विशेष साध्य है या नहीं, बिक्री कर अधिकारी द्वारा किया जायेगा। [गोपालदास उत्तम चन्द्र बनाम बिक्रीकर अधिकारी, (1970) 23 एस०टी०सी० 229]।

क्या डाक द्वारा तामील पर्याप्त है- जब कर निर्धारण की प्रतियाँ रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी गई तो उ०प्र० सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 में अन्तर्विष्ट उपधारणा (presumption) की गई। यह धारण किया गया कि रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे गये कर निर्धारण आदेशों की तामील याची पर हो गई है। [भारत ग्लास फैक्ट्री बनाम बिक्रीकर अधिकारी, द्वितीय, इलाहाबाद, (1964) 21 एस०टी०सी० 447, पृष्ठ 448]।

क्या तार द्वारा तामील पर्याप्त है- तामील तार द्वारा नहीं की जा सकती। बाह्य अभिकरण का हस्तक्षेप केवल एक ही रीति, अर्थात् रजिस्ट्री डाक द्वारा हो सकता है, तार द्वारा तामील नहीं की जा सकती। [किशोरी लाल अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य, 1965 ए०एल०जे० 172, पृष्ठ 174]।

179. वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपय सम्पत्ति-करों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व

1. अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़कर भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो जल-निस्सारण कर या स्वच्छता-कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के, जिस पर

उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक, अध्यासी पर लगाया जायेगा यदि वह उक्त भवनों या भूमियों का स्वामी हो या उसने उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार या निगम, से सम्बन्धित पट्टे या अन्य पट्टे पर या किसी व्यक्ति से भवन संबंधी पट्टे पर लिया हो।

2. किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः (primarily) निम्नलिखित रूप से लगाया जायेगा, अर्थात्

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टादाता से ।

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ (superior) पट्टादाता से।

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो।

(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से।

3. प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उससे उक्त कर के रूप में प्राप्य (due) हो, वसूल न होने पर मुख्य नगराधिकारी उन भवनों या भूमियों के, जिनके संबंध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी (occupier) से उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की

धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि या प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची (authenticated assessment list) में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो।

4. यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे, जिसके लिए पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन वह प्रथमतः देनदार नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर वह प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई (तमपउइनतेमउमदज) पाने का अधिकारी होगा।

180. ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व

1. भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर जल निस्सारण कर या स्वच्छता कर उस संपत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किये जायेंगेः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संपत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो मुख्य नगराधिकारी को यह विकल्प (option) प्राप्त होगा कि वह वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टादाता (lessor) से कर वसूल करें।

2. कोई पट्टादाता, जिसने उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है।

181. सम्पत्ति-कर उन भू-गृहादि पर, जिन पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा

1. राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के संबंध में देय सम्पत्ति कर, राज्य सरकार से सीधे लिये गये (held immediately) किसी भवन या भूमि की दशा में, उक्त भवन या भूमि में उन करों के देनदार व्यक्ति के स्वत्व पर तथा उक्त भवन के भीतर या भूमि में स्थित चल सम्पत्ति पर, यदि कोई हो, जिसका वह स्वामी हो और किसी अन्य भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो, जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथम भार होगा।

   स्पष्टीकरण: इस धारा में "सम्पत्ति कर" के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय, जो किसी भू-गृहादि को सम्भरण किये गये जल के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर की वसूली पर होने वाले व्यय, आ जाते हैं।

2. उपधारा (1) के अधीन उत्पन्न किसी भार (charge) को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तुत वाद की किसी डिक्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, निगमको ब्याज दिया जाय और ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद-व्यय और उक्त डिक्री के अधीन सम्बद्ध भू-गृहादि या

चल सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है। उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए देय धनराशि सहित ऐसे भू-गृहादि और चल सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि डिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान नि‍गमको कर दिया जाय।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

182. वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

1. धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊँची दरों पर न लगाया जाये‍गा जो राज्य सरकार समय-समय पर एतदर्थ, यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के सम्बन्ध में नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें।

2. नि‍गमवर्ष-प्रतिवर्ष धारा 148 के अनुसार वह दरें निर्धारित करेगी, जिसके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर लगाया जाये‍गा।

3. किसी ऐसे वाहन (vehicle), नाव या पशु के सम्बन्ध में जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो, किन्तु जो नियमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त होता हो, यह समझा जायगा कि वह नगर में प्रयोग के लिए रखा गया है।

183. धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति

1. धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा

(क) वाहन और नावें, निगमकी हों।

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहाँ लागू होते हों, उसे छोड़कर वाहन और नावें, जों भारत के संघ में निहित हों ;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो;

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने-ले जाने के लिए अभिप्रेत हों;

(**ड.**) बच्चों पेराम्बुलेटर और तीन पहिये की साइकिलें ;

(च) वाहन या नावें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी (bona fide dealers) केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों, और जो प्रयुक्त न होती हों ;

2. धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा

(क) पशु जो निगम, के हों ;

(ख) भारत के संघ में निहित पशु जब कि भारत का संविधान के अनुच्छ‍ेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध लागू न होते हों ;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो।

3. यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रश्न उठ खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या नहीं तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाय‍ेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

अन्य कर

184. परिवृद्धि कर-

परिवृद्धि कर से तात्पर्य वह कर है, जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय जो अध्याय 14 के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिए वास्तव में अपेक्षित न हो अथवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर, जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व में (करंबमदज) हो और

उससे एक-चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो।

185.

परिवृद्धि कर की धनराशिपरिवृद्धि कर की धनराशि 187 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को उक्त भूमि के बाजार-मूल्य और अध्याय 14 के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञापित किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व दिनांक पर उक्त भूमि के बाजार-मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए भूमि सब भवनों से रहित समझी जायेगी।

186.

परिवृद्धि कर का भुगतान जहाँ निगम, ने धारा १७२ की उपधारा (२) के खंड (च) में उल्लिखित कर अधिरोपित किया है, धारा १८४ में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की बृद्धि के सम्बन्ध में कोई स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से निगम, को परिवृद्धि कर अदा करेगा, जितना मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे।

187. परिवृद्धि कर लगाये जाने की नोटिस

1. राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वह दिनांक घोषित करेगी, जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायगी।
2. उपधारा (1) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी निगम, के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देगा कि वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि कर लगाना चाहता है।

188. परिवृद्धि कर का निर्धारण

1. मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस के प्रकाशन के एक मास के पश्चात किसी भी समय सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि कर की धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिसमें कर की धनराशि और किस्तों यदि कोई हों, तथा दिनांक जब कर का भुगतान किया जायेगा और ऐसे अन्य विवरणों का जो आवश्यक हो, उल्लेख किया जायेगा।
2. कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामिल किया गया हो, ऐसा नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरूद्ध मुख्य नगराधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकती है यदि उपधारा (3) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी समिति या उसकी

उपसमिति का यह समाधान हो जाय कि आपत्ति ऐसे कारणों से प्रस्तुत न की जा सकी थी, जो आपत्तिकर्ता के वश में बाहर थे।

3. आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी समिति या एतदर्थ नियुक्त उसकी उपसमिति आपत्ति का निर्णय करेगी और तत्पश्चात वह कर निर्धारण की पुष्टि कर सकती है, उसका परिष्कार कर सकती है या उसे रद्द (cancel) कर सकती है।

4. यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण का नोटिस तामील किया गया होगा, उपधारा (2) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता तो कर निर्धारण की आज्ञा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आक्षेप नहीं किया जायेगा।

189. परिवृद्धि कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प

1. परिवृद्धि कर का देनदार कोई व्यक्ति, यदि वह चाहे, निगम, को उसका भुगतान करने के बजाय निगम, के साथ उस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है कि वह उस शर्त के अधीन रहते हुए प्रतिवर्ष ६ प्रतिशत की दर से ब्याज की निरन्तर अदायगी करता रहेगा, भूमि में अपने स्वत्व पर एक भार (charge) के रूप में उक्त भुगतान को बकाया रखेगा।

2. कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो, किसी भी समय धारा 188 के अधीन निर्धारित कर की धनराशि की अदायगी कर सकता है, किन्तु उसे अपने इस अभिप्राय का 6 मास का नोटिस देना होगा।

190. परिवृद्धि कर की बकाया धनराशि की वसूली

1. परिवृद्धि कर की बकाया की वसूली अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति से की जायगी।

191. अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों (deeds of transfer) पर कर

1. यदि नगिमने धारा 172 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कर लगाया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण लेखे पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 द्वारा लगाया गया शुल्क (duty) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में [प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय] २ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

2. उक्त वृद्धि के फलस्वरूप, उगाही गई समस्त धनराशि, प्रासंगिक (incidental) व्ययों, यदि कोई हों, के घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगिमको उस रीति से अदा की जायगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

3. इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी तथा उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानो उसमें निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक देना उसके द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित हो,

(क) नगर के भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की धारा 64 को इस प्रकार पढ़ा जायेगा और इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानो उसमें निगमऔर राज्य सरकार दोनों ही को निर्दिष्ट किया गया हो।

192. विज्ञापनों का कर-

जहाँ निगमने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (ज) में उल्लिखित कर आरोपित किया है प्रत्येक वृद्धि जो किसी भूमि, भवन, दीवाल, तख्ती (hoarding) या ढाँचे (structure) पर या उसके पर कोई विज्ञापन लगाता, प्रदर्शित करता, चिपकाता या रखता है (erects, exhibits, fixes or retains) अथवा जो किसी भी स्थान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी रीति से सर्वसाधारण के सम्मुख कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार लगाये गये, प्रदर्शित किये गये, चिपकाये गये, कायम रखे गये अथवा

सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित किय गये, प्रत्येक विज्ञापन के लिए ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से तथा ऐसी मुक्तियों (exemptions) के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा की गई हो, लगाये गये कर का शोधन करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापन या नोटिस पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा-

(क) सार्वजनिक सभाओं (meetings) का ; या

(ख) किसी विधायिका संस्था या निगमके निर्वाचन या; या

(ग) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उम्मीदवारी काः

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यह कर किसी ऐसे विज्ञापन पर न लगाया जायेगा जो आकाश चिन्ह (sky sign) न हो और जो

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाय;

(ख) उस भूमि या भवन के भीतर किये जाने वाले व्यापार या व्यवसाय के बारे में हों, जिन पर या जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या ऐसी भूमि या भवन या उनके भीतर सामान्य प्रभाव (effects) की किसी बिक्री या उसको किराये पर देने के बारे में हो या उसमें या उसके भीतर होने वाली किसी बिक्री,

मनोरंजन या बैठक के बारे में हों; या

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन के नाम के बारे में हो, जिस पर अथवा जिसके पर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या उस भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के बारे में हो; या

(घ) किसी रेलवे प्रशासन के कारबार में हो; या

(ड.) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवाल या किसी अन्य सम्पत्ति पर सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के, जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, प्रदर्शित किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 1(क)

इस धारा में शब्द "ढाँचा" (structure) के अन्तर्गत पहियेदार ऐसा सचल बोर्ड (movable board) भी होगा जिसका प्रयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन के साधन के रूप में किया जाता हो।

स्पष्टीकरण 2

इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान, जो जनता के प्रयोग तथा आमोद-प्रमोद के लिए उपलब्ध हो चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग में लाया जाता हो या न लाया जाता हो।

193. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध

1. निगमद्वारा धारा 192 के अधीन कर का लगाया जाना निर्धारित किये जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी की लिखितअनुमति के बिना नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन-फलक या ढाँचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जायेगा, न प्रदर्शित किया जायेगा, न चिपकाया या कायम रखा जायेगा और न किसी स्थान में, किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायेगा।

2. मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुमति न देगा यदि

   (क) उक्त विज्ञापन धारा 541 के खंड (48) के अधीन निगमद्वारा बनायी गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो; या

   (ख) विज्ञापन के सम्बन्ध में देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो।

3. उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विज्ञापन के सम्बन्ध में, जिस पर विज्ञापन कर लग सकता हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसी अवधि के लिये अनुमति प्रदान करेगा, जिससे कर का भुगतान सम्बन्ध रखता हो, और ऐसी अनुमति देने के निमित्त कोई शुल्क न लिया जायगाः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध किसी रेलवे प्राशासन के कारोबार संबंधी

विज्ञापन पर या ऐसे विज्ञापन पर लागू न होंगे, जो किसी रेलवे कम्पनी के भू-गृहादि पर लगाया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो, चिपकाया या कायम रखा गया हो।

194. कतिपय दशाओं में मुख्य नगराधिकारी की अनुमति का शून्य होना -

धारा 193 के अधीन दी गयी अनुमति निम्नलिखित दाशाओं में शून्य (void) होगी, अर्थात्-

1. यदि विज्ञापन धारा 541 के खंड् (48) के अधीन २नि्िगम द्वारा निर्मित किसी उपविधि का उल्लघन करता हो;
2. यदि विज्ञापन में कोई परिवर्धन किया गया हो, सिवाय उस दाशा के जब मुख्य नगराधिकारी के आदेशानुसार उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ऐसा किया जाय ;
3. यदि विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण (material)परिवर्तन किया जाय ;
4. यदि विज्ञापन अथवा उसका कोई भाग दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से गिर जाय ;
5. यदि उस भवन, दीवाल या ढांचे में, जिस पर या जिसके पर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय और ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के लिये बाधक सिद्ध होता हो ; और

6. यदि भवन, दीवाल या ढाँचा, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया गया, प्रदर्शित किया गया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, गिराया या नाष्ट कर दिया जाय।

195. विज्ञापन से लाभानुपयोगी उत्तरदायी समझा जायगा -

यदि कोई विज्ञापन धारा १९२ अथवा १९३ का उल्लंघन करके किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन फलक (hoarding) अथवा ढाँचे (structure) पर अथवा उसके पर लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा जाय अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गयी लिखित अनुमति समाप्त या शून्य हो गई, तो वह व्यक्ति, जिसके लिए अथवा जिसके प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रत्यक्षतः लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, के विषय में यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति है जिसने उपबन्धों का उल्लंघन करके इस प्रकार विज्ञापन को लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या रखा गया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसकी नौकरी अथवा नियंत्रण में नहीं था अथवा वह बिना उसके आज्ञाभिनय(connivance) के किया गया था।

196. अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना

यदि धारा 192 अथवा 193 के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई विज्ञापन, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिए लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम

रखने के लिए दी गयी अनुमति समाप्त या शून्य हो गयी हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी भूमि, भवन, दीवाल विज्ञापन-फलक (hoarding) या ढाँचे के, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या रखा गया हो, स्वामी या अध्यासी को लिखित नोटिस देकर यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे विज्ञापन को उतार ले या हटा दे अथवा वह किसी भवन ; भूमि या संपति में प्रवेश कर सकता है और विज्ञापन को हटवा सकता है।

197. प्रेक्षागृह कर से मुक्ति(exemptions from theatre tax)

निम्नलिखित के विषय में प्रेक्षागृह-कर नहीं लगाया जा सकेगा-

1. कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद-प्रमोद (amusement) , जिसमें प्रवेश के लिए कोई शुल्क न लिया जाता हो अथवा केवल नाममात्र (nominal) शुल्क लिया जाता हो ;
2. कोई मनोरंजन (entertainment) अथवा आमोद-प्रमोद (amusement) जो सर्वसाधारण के लिए शुल्क पर उपलब्ध न हो ;
3. कोई मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद, जिसकी सम्पूर्ण आय बिना व्यय काटे हुए किसी सार्वजनिक दानोत्तर प्रयोजन (charitable purpose) के लिए व्यय की जाने वाली हो।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाममात्र शुल्क (nominal charge) वह शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निश्चित किया जाय।

टिप्पणियाँ

प्रेक्षागृह- कर -उ०प्र० मनोरंजन तथा दाँवबाजी अधिनियम के उपबन्धों के कारण दोहरे कर का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। यह कर इस कारण अविधिमान्य नहीं हो सकता। निरंजनलाल भार्गव बनाम उ०प्र० राज्य, 1969 ए०एल०जे० 293,। इस पद की परिभाषा में हर प्रकार के आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन आते हैं, चाहे वह किसी भवन के भीतर किये जायँ, अथवा इसके बाहर किये जायँ ख्1969 ए०एल०जे० 192, गलत नाम का संवरण करने अथवा अधिनियम में व्यापक भाषा का प्रयोग किये जाने मात्र से शक्ति का प्रयोग तब तक अविधिमान्य नहीं हो सकता जब तक कि आच्छादित विषय पर कानून बनाने की शक्ति बनी रहती है।

कर की विधिमान्यता-

किसी वस्तु का हर प्रकार का करारोपण, चाहे उसका सम्पादन मंच पर सीधे किया जाय अथवा इसका सम्पादन फिल्मों द्वारा पर्दे पर किया जाय, तथा निःसंदेह रूप से हर प्रकार का मनोरंजन एवं आमोद-

प्रमोद संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य की करारोपण की शक्ति की परिधि के अन्तर्गतआता है। निरंजनलाल भार्गव बनाम उ०प्र० राज्य, 1969 ए०एल०जे० 325 पृष्ठ 303,।

198. चुंगी की सीमाएँ निश्चित करने का अधिकार [''']

करों का आरोपण

199. प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं (proposals)का तैयार किया जाना

1. निगमधारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहे तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्थापनाएँ तैयार करने का आदेश देगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी-

(क) कर, जो धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित करों में से हों, जिसे वह आरोपित करना चाहती है ;

(ख) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग, जिनको उक्त कर देने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना तथा सम्पत्ति का अथवा अन्य वस्तु अथवा विभव (circumstances) जिस पर कर लगाया जा सकता हो, का विवरण, जिसके सम्बन्ध में उन्हें उत्तरदायी बनाया जायगा, सिवाय वहाँ और उस सीमा तक जहाँ इस अधिनियम द्वारा अथवा खंड (क) के अधीन पहले ही किसी वर्ग का विवरण

(description) की परिभाषा पर्याप्त रूप से कर दी गयी हो ;

(ग) धनराशि अथवा दर, जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली हो ;

(घ) धारा 219 में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने का आदेश दें।

2. उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनाएँ तैयार करेगी और उन नियमों का पांडुलेख (draft)भी तैयार करेगी, जिन्हें वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती हो।

3. तत्पश्चात कार्यकारिणी समिति उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्थापनाओं और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों को पांडुलेख तथा साथ में नियम द्वारा विहित किये जाने वाले प्रपत्र (form) में एक नोटिस, नियम द्वारा विहित रीत्यानुसार प्रकाशित करायेगी।

200. प्रस्थापनाएँ तैयार करने के पश्चात की प्रक्रिया-

1. उक्त नोटिस के प्रकाशन के दो सप्ताह के भीतर नगर का कोई भी निवासी निगम की पूर्ववर्ती धारा के अधीन बनाये गये किसी एक या सभी प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति भेज सकता है और इस प्रकार भेजी गयी किसी भी आपत्ति पर निगम, विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आज्ञा देगी।

2. यदि निगम परिष्कृत करने का निश्चय करे, तो मुख्य नगराधिकारी परिष्कृत प्रस्थापनाओं के, और यदि आवाश्यक हो, नियमों के संशोधित पांडुलेख को प्रकाशित करेगा, और इसके साथ ही इस आशय का एक नोटिस भी प्रकाशित करेगा कि उक्त प्रस्थापना और नियम (यदि कोई हो) आपत्ति के निमित्त पूर्व प्रकाशित प्रस्थापनाओं और नियमों के परिष्कृत रूप हैं।

3. परिष्कृत प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ प्राप्त होंगी उन पर उपधारा (1) में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

4. जब निगम अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो मुख्य नगराधिकारी उन्हें इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई आपत्तियों (यदि कोई हों) सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

201. प्रस्थापनाओं की स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा परिष्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार

पूववर्ती धारा के अधीन प्रस्थापनायें और आपत्तियाँ प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उन पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, अथवा उन्हें निगम के पास अतिरिक्त विचार हेतु भेज सकती है अथवा उन्हें बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिससे आरोपित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि न हो, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, स्वीकार कर सकती है।

202. कर-आरोपण का आदेश देने के हेतु निगमका संकल्प-

1. राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापनाएँ स्वीकृत कर ली जाने पर, राज्य सरकार, निगम, द्वारा प्रस्तुत नियमों के पाँडुलेख पर विचार करने के पश्चात कर के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाने के लिये कार्यवाही करेगी जिसे वह तत्समय आवाश्यक समझे।
2. नियम बन जाने पर स्वीकृति की आज्ञा तथा नियमों निगम, के पास भेज दी जायगी और तदुपरान्त निगम, विशेष संकल्प द्वारा उस दिनांक से जो संकल्प में निर्दिष्ट किया जायगा, कर के आरोपण का आदेश देगा।

203. कर का आरोपण-

1. धारा 202 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी।
2. संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर राज्य सरकार किसी निश्चित दिनांक से कर का आरोपण सरकारी गजट में विज्ञापित करेगी और सभी दाशाओं में इस प्रकार विज्ञापित किये जाने की शर्त के अधीन हो कोई कर आरोपित किया जा सकेगा।
3. उपधारा (2) के अधीन कर के आरोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

204. करों को परिवर्तित करने की प्रकिया(pricedure) -

किसी कर को हटाने अथवा धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में किसी कर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहाँ तक संभव हो, वही होगी जो धारा 199 से लेकर 202 में कर के आरोपण के लिये विहित है।

205. राज्य सरकार का किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार-

1. जब कभी राज्य सरकार को शिकायत किये जाने पर या अन्यथा प्रतीत हो कि किसी कर को उगाहना सार्वजनिक हितों के विरूद्ध है या यह कि कोई कर अपने भार में (incidence) उचित नहीं है, तो राज्य सरकार सम्बद्ध निगम के स्पाष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात आज्ञा द्वारा उस निगम, को यह आदेश दे सकती है कि वह उस अवधि के भीतर, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट होगी, ऐसी किसी भी त्रुटि (defect) को दूर करने का उपाय करे, जो राज्य सरकार के विचार में उस कर में अथवा उसकेनिर्धारण या वसूली की पद्धति से विद्यमान है।
2. यदि निगम, राज्य सरकार के संतोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके या पालन करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा कर की अथवा उसके किसी अंश की उगाही उस समय तक निलम्बित कर सकती है, जब तक कि त्रुटि न कर दी जाय अथवा कर को समाप्त या कम कर सकती है।

206. निगम को कर-आरोपण का आदेश देने का राज्य सरकार का अधिकार-

1. राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निगम, को आदेश दे सकती है कि वह धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई ऐसा कर, जो आरोपित न किया गया हो, ऐसी दर से और ऐसी अवधि के भीतर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, आरोपित करे और तत्पाश्चात निगमतदनुसार कार्य करेगा।

2. राज्य सरकार निगम को किसी आरोपित किये गये कर की दर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निगम कर को आदेशानुसार बढ़ायेगा, परिष्कृत करेगा अथवा परिवर्तित कर देगा।

3. यदि निगम उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने,परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिये उपयुक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानो वह[1]निगम द्वारा यथावत् पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों कानिर्धारण और लगाया जाना

207. निर्धारण-सूची का तैयार किया जाना -मुख्य नगराधिकारी

1. समय-समय पर नगर या उसके किसी भाग के] सभी भवनों या भूमियों अथवा दोनों की निर्धारण सूची तैयार करायेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा-

(क) सड़क या मोहल्ले का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो ।

(ख) सम्पत्ति का नाम (designation) या तो नाम से अथवा संख्या से जो पहचान के लिये पर्याप्त हो

(ग) स्वामी और अध्यासी के, यदि ज्ञात हों, नाम।

(घ)वार्षिक किराये का मूल्य अथवा वार्षिक मूल्य निर्धारित करने वाले अन्य वितरण ; तथा

(ङ) उन पर निर्धारित की गई कर की धनराशि।

२०७-क़ स्व-निर्धारित सम्पत्ति कर जमा करने का विकल्प -इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी आवासिक भवन का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो ; अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा १७४ के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र, ऐसे स्व-निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाये, जमा कर सकता है।]

208. सूची का प्रकाशन

जब सम्पूर्ण नगर या [उसके किसी भाग] के लिए निर्धारण सूची, जिसमें धारा 207 के खण्ड (क) से (ङ) तक के ब्यौरे दिये गये हों, तैयार हो जायें तब, मुख्य नगराधिकारी उस स्थान के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस देगा जहाँ पर उक्त सूची अथवा उसकी प्रतिलिपि का निरीक्षण किया जा सकेगा और उक्त सूची सम्पत्ति का स्वामी अथवा अध्यासी होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसका अभिकर्त्ता उक्त सूची सूची, का निरीक्षण कर सकेगा और बिना कोई शुल्क दिये उससे अवतरण (extract) भी ले सकेगा।

209. सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ-

1. साथ ही मुख्य नगराधिकारी इसके कम से कम एक मास पश्चात ऐसे दिनांक का सार्वजनिक नोटिस देगा जबकि कार्यकारिणी समिति धारा 209 में उल्लिखित सूची में दर्ज मूल्यांकनों तथा निर्धारणो(valuations and assessments)पर विचार प्रारम्भ करेगी और ऐसे सभी मामलों में, जिनमें किसी सम्पत्ति पर प्रथम बार निर्धारण किया गया हो, अथवा उसके निर्धारण में वृद्धि की गई हो, वह ऐसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी को भी, यदि ज्ञात हों, उसका नोटिस देगी।
2. मूल्यांकन त्(valuation) तथा निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ नोटिस में निश्चित किये गये दिनांक से पूर्व, मुख्य नगराधिकारी के पास लिखित प्रार्थना-पत्र के रूप में की जायेंगी, जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिनके आधार पर मूल्यांकन तथा निर्धारण पर आपत्ति की

गयी हो और इस प्रकार दिये गये समस्त प्रार्थना-पत्रों का पंजीयन (registration) मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पंजी (book) में किया जायेगा।

3. कार्य कारिणी समिति, अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ नियुक्त की गई उपसमिति, प्रार्थी को स्वयं या उसके अभिकर्त्ता द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात

(क) आपत्तियों का अनुसंधान और निबटारा करेगी ;

(ख) उपधारा (2) के अधीन रखी गयी पंजी में उपर्युक्त जाँच का परिणाम लिखवायेगी ; और

(ग) ऐसे परिणाम के अनुसार निर्धारण-सूची में आवाश्यक संशोधन करायेगी।

210. सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा

1. नगर या उसके किसी भाग के लिए, जैसी भी दाशा हो, सूची से सम्बन्धित आपत्तियों का निबटारा हो जाने के पश्चात कार्यकारिणी समिति या सम्बन्धित उप-समिति, यदि कोई हो, का सभापति उक्त सूची को और धारा 209 की उपधारा (3) के अधीन उसमें किये गये सभी संशोधन को भी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत करेगा।

2. इस प्रकार प्रमाणीकृत प्रत्येक सूची नि‍गमके कायरलय में जमा कर दी जायेगी।

3. जब सम्पूर्ण नगर की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाये तब यह सार्वजनिक नोटिस द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध घोषित कर दी जायेगी।

211. सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि-

1. प्रत्येक दो वर्ष में एक बार धारा 207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायेगी।

2. धारा 213 के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन (valuation) तथा निर्धारण [नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के ठीक पश्चात आगामी मास के प्रथम दिन तक] वैध रहेगा।

   [किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायेगा।]

212. सूची की प्रविष्टियों(entries) का निश्चयात्मक होना निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्टि-

(क) उक्त सूची में सम्बन्ध रखने वाले कर से सम्बदृ किसी प्रयोजन के निमित्त उस धनराशि के लिये, जो सूची से सम्बद्ध कालावधि में किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में लगायी जा सकती हो ; और

(ख) किसी अन्य निगम कर के निर्धारण के प्रयोजन के निमित्त उक्त कालावधि में किसी भवन अथवा भूमि के वार्षिक मूल्य के लिये निश्चायक प्रमाण होगी।

213. सूची में संशोधन तथा परिवर्तन

1. कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप-समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण-सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है

    (क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम की, जिसकी प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात कर-आरोपण के योग्य हो गयी हो, प्रविष्ट करके ; या

    (ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करके जिसे हस्तान्तरण (transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो ;

    (ग) किसी ऐसे सम्पत्ति के मूल्यांकन अथवानिर्धारण में वृद्धि करके, जिसका मूल्यांकन या निर्धारण छल, भ्रान्त कथन या त्रुटियों के कारण गलत किया गया है।

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन अथवा निर्धारण करके, जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवद्धनों अथवा परिवर्तनों के कारण बढ गया हो ; अथवा

(ङ) जब इस अधिनियम के उपबन्धों, के अधीन उस वार्षिक मूल्य का जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो, प्रतिशत निगम, द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप(coresponding) परिवर्तन करके ;

(च) स्वामी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोषजनक साक्ष्य मिलने पर कि स्वामी का पता नहीं है (is untraceable) और साथ ही साथ कमी करने की आवाश्यकता सिद्ध हो गयी है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्यांकन में कमी करके जो पूर्णता या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नाष्ट कर दिया गया हो ; अथवा

(छ) किसी लिपि संबंधी गणना की (clerical, arithmetical) या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करकेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उप-समिति स्वत्व रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उपसमिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन [या संशोधन] का और उस दिनांक का, जिस पर परिवर्तन [या संशोधन] किया जायगा, कम से कम एक महीने की नोटिस देगी।

1-क सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा

यह घोषणा की जाती है कि यह आवाश्यक न होगा कि धारा 148 के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (1) के खंड् (ङ) के अधीन किये गये परिवर्तन के संबंध में धारा 199 से 203 या धारा 207 से 210 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।

2. धारा 208 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हों, [यथासंभव उपधारा] (1) के प्रबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के अनुसरण में, की गयी किसी आपत्ति पर तथा उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर भी लागू होंगे।

3. उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन या संशोधन धारा 210 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायगा और धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर अगली किस्त देय हो।

214. संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने का आभार

जब कोई भवन निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा उसका विस्तार किया जाय तो स्वामी उक्त भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा विस्तार की समाप्ति के दिनांक से अथवा उक्त भवन के अध्यासन के दिनांक से, जो भी दिनांक के पहले पड़े, 15 दिन के भीतर उसका नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

215. पुनः अध्यासन की नोटिस देने का आभार

किसी ऐसी भूमि अथवा भवन का, जिसके लिये धारा 178 के अधीन कर में छूट दी जा चुकी हो अथवा कर लौटाया जा चुका हो, स्वामी ऐसे भवन या भूमि में पुनः अध्यासित होने के 15 दिन के भीतर ऐसे पुनः अध्यासन का नोटिस देगा।

216. करों का संह्यत किया जाना (consolisdation)-

धारा 173 में वर्णित सम्पत्ति करों के निर्धारण (assessing) लगाये जाने (levying)अथवा उगाही (collection) के प्रयोजनों के लिये, किन्तु आरोपण (imposing) अथवा मुक्ति (exemption)के प्रयोजन के लिये नहीं निगम, ऐसे किन्हीं दो अथवा अधिक करों को संहत (consolidation) कर सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संहत कर से सम्बद्ध किसी पंजी अथवा निर्धारण सूची में जो किसी व्यक्ति के निर्धारण सूची के अधीन उसके दायित्व की सूचना देने अथवा धारा १७५ अथवा १७६ के उपबन्धों का पालन करवाने के लिये प्रयोग में लायी जाती हो, मुख्य नगराधिकारी संहत कर को उसमें समाविष्ट

विभिन्न करों में संविभाजित (apportion) करेगा, जिससे प्रत्येक कर के अधीन निर्धारित की गयी अथवा उगाही गयी (assessed or collected) आसन्न धनराशि अलग-अलग दिखायी जा सके।

217. छूट(exemption)के कारण कमी (deduction)-

1. किसी संहत कर (consolidated) का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्ट किसी एकल (any single tax) में अंशतः अथवा पूर्णतः दी गई छूट (exemption) को कार्यान्वित किया जायगा।

2. उक्त कार्यान्वयन निम्न प्रकार से होगा

   (क) आंशिक छूट (total exemption) की दाशा में संहत-कर जो अन्यथा किसी ऐसे भवनों, भूमियों अथवा दोनों, जिस पर छूट लागू होती हो, के संबंध में लगाये जाने अथवा निर्धारित किये जानो योग्य (leviable or assessable) होता, की कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि की, जो एकल कर (single tax) के कारण अन्यथा निर्धारित की गयी होती, छूट के समनुरूप (corresponding) आनुपातिक भाग (proprotionate) को कम करके ; और

   (ख) पूर्ण छूट (total exemption) की दाशा में, उक्त कुल धनराशि में, एकल कर के कारण निर्धारित धनराशि को कम करके।

218. ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सरसरी कार्यवाहियाँ जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों-

1. यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूल करने योग्य कोई धनराशि किसी व्यक्ति से देय (due) हो गई हो अथवा देय होने वाली हो, और यदि मुख्य नगराधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उक्त व्यक्ति नगर की सीमाओं को छोड़ने ही वाला है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को उक्त धनराशि तुरन्त ही अदा करने का आदेश दे सकता है और इसके लिये उसके पास प्राप्यक (bill) भिजवा सकता है।

2. यदि ऐसा प्राप्यक (bill) प्रस्तुत किये जाने पर, उक्त व्यक्ति तुरन्त ही उक्त धनराशि नहीं अदा कर देता अथवा मुख्य नगराधिकारी के संतोषनुसार प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता तो उक्त धनराशि अध्याय 21 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार उसकी चल-संपत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जायगी, परन्तु अपवाद है कि उसके पर माँग की नोटिस (notice of demands)तामील करना आवश्यक न होगा, और मुख्य नगराधिकारी द्वारा अभिहरण की ब्रिकी अवधि (warrants of destress and sale)अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकता है।

अन्य विषय

219.

निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषय के संबंध में नियम-निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा विनियमित तथा नियमित (governed) होंगे, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक कि उनके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था की गई हो

1. करों का निर्धारण, उगाही अथवा संधान(assessment, collection or composition) [***]
2. करों से बचने की रोकथाम
3. प्रणाली, जिसके अनुसार धनराशि की वापसी (refund) स्वीकृत की जायेगी और उसका भुगतान किया जायेगा
4. किसी कर के कारण भुगतान माँगने की नोटिस (notice demanding payment) तथा अभिहरण के अधिपत्रों (warrant of distress) के निष्पादन के लिये शुल्क
5. अभिहरित पाशुधन के संधारण के लिये ली जाने वाली धनराशि की दर
6. करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय, जिसके संबंध में इस अधिनियम में व्यवस्था न की गयी हो अथवा अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में ऐसी व्यवस्था आवाश्यक हो।

220. अभिसंधान (composition)

1. किसी नियम के उपबन्ध के अधीन रहते हुए निगम राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत (confirmed)किसी विशेष संकल्प द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि किन्हीं या सभी व्यक्तियों को किसी कर के निमित्त अभिसंधान करने (composition) की अनुज्ञा दी जा सकती है।

2. उपधारा (1) के अधीन किसी कर के अभिसंधान (composition) के कारण देय कोई धनराशि अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

221. छूट(exemption) -

1. नि‍गम किसी ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो और ऐसी छूट (exemption)का जितनी भी बार वह आवाश्यक समझे, नवीकरण कर सकता है।
2. निगम राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी संपत्ति अथवा संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकता है।
3. राज्य सरकार आज्ञा द्वारा [ऐसी अवधि के लिये जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाये] किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग की अथवा किसी सम्पत्ति या उसके प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है।

221-क़ स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज-

1. जहां किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिये मुख्यता दायी स्वामी या अध्यासी ने निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक तक इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय कर या उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो, वहां उसके द्वारा उस धनराशि पर जो असंदत्त रह गयी

हो, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निधारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

2. उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना जहां किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार पर धारा 207-क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान किया गया कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो उसके द्वारा कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित दिनांक से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।

221-ख़ कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण

1. किसी भू-गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति, भवन के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में एक विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो इस निमित्त विहित किया जाये, निगम को प्रस्तुत करेगा।

2. यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, की गई जांच से निगम का यह समाधान हो जाये कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है, क्योंकि यथास्थिति भवन के कारपेट एरिया के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया

गया है, तो निगम व्यतिक्रमी पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाये, एक हजार रूपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

222. दायित्व प्रकट करने का आभार

1. निगमलिखित-पत्र (cimmunication) द्वारा नगर के किसी निवासी को ऐसी सूचना देने का आदेश दे सकता है जो निम्नलिखित किसी बात को निश्चित रूप से मालूम करने के लिये आवाश्यक हो

   (क) क्या उक्त निवासी पर इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर को अदा करने का दायित्व है;

   (ख) उस पर कितना कर निर्धारित किया जाना चाहिये,

   (ग) उस भवन अथवा भूमि का वार्षिक मूल्य, जो उसके अध्यासन में हो और उसके स्वामी का नाम तथा पता।

2. यदि कोई निवासी, जिसे इस प्रकार सूचना देने का आदेश दिया गया हो, उक्त सूचना नहीं देता अथवा ऐसी सूचना देता है जो असत्य हो तो दोष सिद्द होने पर उस पर जुर्माना किया जा सकता है, जो 500 रूपये तक हो सकता है।

223. खोज (discovery) करने के अधिकार

मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम के एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिये किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण तथा उसकी नाप (measure) कर सकता है अथवा किसी अस्तबल या वाहनगृह(coach house) अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जहाँ उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ कोई ऐसा वाहन अथवा पशु है जिस पर उस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षणों पर धारा 560, 562 तथा 563 के उपबन्ध लागू होंगे।

224. अपवाद (saving)

कोई निर्धारण सूची या अन्य सूची, नोटिस, प्राप्यक (bill) या इसी प्रकार का अन्य कोई लेख्य(document) जिसमें किसी कर, व्यय (charge) किराया या शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव (persons, property, thing or circumstances) का निर्देश किया गया हो, अथवा जिसमें ऐसा करना अभिप्रेत हो, केवल इसी कारण से अवैध न माना जायेगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, व्यापार के स्थान अथवा धंधे (occupation) में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभाग के विवरण के संबंध में कोई गलती है, अथवा केवल लिपि संबंधी भूल(clerical error) अथवा इसके प्रपत्र (form) में कोई त्रुटि रह गयी है और अभिज्ञान (identification) के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना ही यथेष्ट होगा तथा किसी कर की देनदारी के संबंध में किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवाश्यक न होगा।

अनुपूरक कर

225. अनुपूरक कर (supplementary taxation) लगाने के रूप में

इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप से लगाया जा सकता है जब कभी किसी वित्तीय वर्ष व में निगम अनुपूरक कर लगाने का निश्चय करे तो वह, इस अधिनियम में अथवा राज्य सरकार की आज्ञाओं अथवा स्वीकृति (sanction) में ऐसे कर के लिये विहित सीमा अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त वर्ष की अव्यतीत अवधि के लिये ऐसे कर की दरों में, जो इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, वृद्धि करके, अथवा इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले कर को, जो तत्समय न लगाया जा रहा हो, यथावत स्वीकृति से लगाकर, ऐसा कर सकता है।

226. कर संबंधी विषयों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध-

इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति तथा प्राधिकार के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से तथा अन्य प्राधिकारी के सम्मुख किसी मूल्यांकन अथवानिर्धारण पर कोई आक्षेप न किया जायेगा और न उस व्यक्ति को, जिस पर निर्धारित किया जाने वाला हो या कर लगाया जाने वाला हो, देनदारी पर कोई प्रश्न किया जायेगा।

227. नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है

(क) धारा 219 में निर्दिष्ट विषय ;

(ख) वाहन, नाव तथा पाशुओं पर करों से सम्बद्ृ पंजी (register)का संधारण तथा निरीक्षण;

(ग) [***]

(घ) [***]

(ङ) करों का अग्रिम भुगतान;

(च) अभिहरण (distress) और कुर्की (attachment) के विंरूद्ध की गयी आपत्तियों का सरसरी निस्तारण (summary disposal) ;

(छ) शर्ते जिनके अधीन करों की छूट तथा वापसी स्वीकृत की जायेगी।

अध्याय 10

नालियाँ तथा जलोत्सारण

228. मुख्य नगराधिकारी द्वारा नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था-

1. सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय-समय पर दे, मुख्य नगराधिकारी निगम की समस्त नालियों का संरक्षण (maintain) तथा उनकी मरम्मत करायेगा और कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से नगर के भीतर तथा बाहर ऐसी नयी नालियों का निर्माण करायेगा, और नगर तथा उसके सन्निकट के चतुर्दिक क्षेत्र में यथाद्देश्य जल निस्तारण के लिये समय-समय पर आवश्यक प्रतीत हों:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी (cantoment) की सीमाओं के भीतर किसी भी नाली का निर्माण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना तथा उस डिवीजन के, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिंग की सहमति के प्रतिफल या ऐसी सहमति न दिये जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, न किया जायेगा।

2. किसी ऐसी सड़क की दशा में, जिसमें निगम की नाली हो, मुख्य नगराधिकारी निगम की निधि पर भारित व्यय से किसी भू-गृहादि (premise) की नाली के, जिसे उक्त निगम की नाली से

जोड़ना हो, ऐसे भाग को भी निर्मित करायेगा जिसका उक्त सड़क के किसी भाग के नीचे बनवाना आवश्यक हो तथा सड़क के नीचे इस प्रकार बनवायी हुयी जोड़ने वाली नालियों (connecting drains) का भाग संधारित किया जायेगा और उसकी मरम्मत की जाती रहेगी।

229. निगम द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण-कार्यों का अपनाया जाना (adoption)-

1. इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय निगम के अनुमोदन से घोषणा कर सकता है कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग या नालियों या मलादि के निस्सारण के कोई निर्माण-कार्य जो नगर के भीतर स्थित हों अथवा नगर अथवा उसके किसी भाग के उपयोग में आ रहे हों, उस दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जाये निगम में निहित हो जायेंगे।

2. मुख्य नगराधिकारी, यह निर्णय करने में कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा की जाये या नहीं, मामले की समस्त परिस्थितियों तथा विशेषकर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा-

   (क) सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण-कार्य (works) किसी जलोत्सारण (drainage) या नालियों के निस्सारण (drainage disposal) अथवा मल-निस्सारण (drainage disposal) की किसी ऐसी सामान्य प्रणाली के लिये, जिसकी व्यवस्था मुख्य नगराधिकारी ने नगर अथवा उसके

किसी भाग के निमित्त की हो, अनुकूल है या नहीं अथवा उसके या उनके लिये अपेक्षित है या नहीं ;

(ख) नाली सड़क के अथवा उस भूमि के नीचे है या नहीं जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके उपबन्धों के अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा, अथवा अधीन, सड़क के लिए सुरक्षित है;

(ग) भवनों की संख्या, जिनके लिये नाली का उपयोग अभिप्रेत है, और अन्य भवनों को निकटता (proximity) या भावी विकास की संभावना का ध्यान रखते हुए क्या यह संभव है कि वह अतिरिक्त भवनों के उपयोग के लिये अपेक्षित हो सकती है;

(घ) नाली अथवा निर्माण-कार्यो के बनाये जाने की रीति और उनकी मरम्मत की दशा; तथा

(ङ.) क्या प्रस्तावित घोषणा का करना सम्बद्ध नाली या निर्माण-कार्य के स्वामी के लिये अत्यधिक हानिकर (seriously detrimental) होगा।

3. जब कभी उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो तो मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण-कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उसके विरूद्ध कारण बतायें तथा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने तक, या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक,

घोषणा न की जायेगी।

4. जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा का सम्बन्ध किसी ऐसी नाली, नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्सारण के निर्माण-कार्यो से हो जो निगम से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हों, अथवा नगर के भीतर स्थित हों, किन्तु ऐसे क्षेत्र अथवा क्षेत्र के भाग के उपयोग में आ रहे हों, जो उक्त स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हो, तो मुख्य नगराधिकारी उस प्राधिकारी को भी सूचना देगा तथा कोई घोषणा न की जायेगी, जब तक या तो उसके लिये उस प्राधिकारी की सहमति न प्राप्त हो गई हो अथवा राज्य सरकार ने चाहे बिना किसी शर्त के अथवा किन्हीं ऐसी शर्तो के अधीन, जिन्हें लगाना वह उचित समझे, ऐसी सहमति की कोई आवश्यकता न समझी हो।

5. उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी नाली अथवा नाली के भाग या किसी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, जो निगम से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन में निहित हो या हों, सम्बद्ध प्राधिकारी सरकार या रेलवे प्रशासन की प्रार्थना के बिना कोई घोषणा न की जायेगी।

6. कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन घोषणा होने के तत्काल पूर्व सम्बद्ध नाली को उपयोग में लाने का अधिकारी था, घोषणा के होते हुए भी उसे अथवा उसके स्थान पर बनायी गयी दूसरी

नाली को पहले की आयति (extent) तक ही उपयोग में लाने का अधिकारी होगा।

230. नालियाँ बनाने का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी, निगम की किसी नाली को किसी सड़क अथवा किसी अन्य स्थान के, जो सड़क के रूप में तैयार की गयी (laid out) हो या उसके लिये अभिप्रेत (intended) हो, बीच में से या उसके आरपार या उसके नीचे अथवा किसी सड़क के नीचे स्थित गोदाम (cellar) या तहखाने (vault) के नीचे से ले जा सकता है तथा सम्बद्ध भूमि के स्वामी या अध्यासी (occupier) को समुचित लिखित नोटिस देकर, नगर के भीतर स्थित किसी भी भूमि के भीतर से, बीच से या नीचे से ले सकता है या मल (sewage) इत्यादि की बाह्य गिरावट (outfall) या वितरण के प्रयोजन के लिये नगर के बाहर स्थित भूमि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही कर सकता है।
2. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि में, जहाँ पहले ही से निगम की कोई विधितः निर्मित हो, प्रवेश कर सकता है और वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार बनायी गयी निगम की किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

231. नालियों में परिवर्तन और उन्हें बन्द-करना

मुख्य नगराधिकारी, किसी-किसी नाली को बढ़ा सकता है, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकता है या उसे गहरा कर सकता है या उसे छोटी कर सकता है, उस पर मेहराब बना सकता है या अन्य प्रकार से उसका सुधार कर सकता है तथा किसी ऐसी नाली को हटा (discontinue) सकता है, बन्द कर सकता है या नष्ट कर सकता है, जो उसके मतानुसार बेकार या अनावश्यक हो गयी हो या किसी ऐसी नाली का उपयोग या तो पूर्णतया या गन्दे पानी के उत्सारण के प्रयोजन के लिये या सतह के जल के उत्सारण (surface drainage) के प्रयोग के लिये प्रतिषिद्ध कर सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा में की गयी किसी बात के कारण कोई व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से वंचित होता हो, तो मुख्य नगराधिकारी उसके उपयोग के लिये यथाशक्य शीघ्र निगम के व्यय से उतनी ही उपयुक्त किसी अन्य नाली की व्यवस्था कर देगा जितनी वह नाली थी, जो हटायी, बन्द की या नष्ट की गयी थी अथवा जिसका प्रयोग प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

232. नालियों की सफाई

1. निगम की नालियाँ इस प्रकार निर्मित की जायेंगी, संधारित एवं बनाये रखी जायेंगी कि उनसे कम से कम व्यवहार्य अपदूषण (practicable nuisance) उत्पन्न हो। इन नालियों को समय-समय पर ठीक ढंग से धोया (flushed). साफ किया और खाली किया जायगा।

2. उक्त नालियों को जल से धोने, उनकी सफाई करने तथा उन्हें खाली करने के लिए मुख्य

नगराधिकारी ऐसे हौज (reservoirs), बाँध (sluice), इंजन तथा अन्य निर्माण-कार्य (works), बना अथवा स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह समय-समय पर आवश्यक समझे।

233. निजी सड़कों की नालियों तथा भू-गृहादि का निस्सारण

निजी सड़क की नालियों को निगम की नाली से जोड़ने का अधिकार किसी निजी सड़क का स्वामी, विहित की जाने वाली शर्तो को पूरा करने पर, ऐसी सड़क की नाली को निगम को नाली से जोड़ सकता है।

234. भवनों तथा भूमि के स्वामियों और अध्यासियो को निगम की नालियों में जल-निस्सारण का अधिकार-

1. इस धारा के बाद उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भ-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नाली को निगम की नाली में अथवा अन्य ऐसे स्थान पर खाली करे (empty) जो नालियों के जल के निकास (discharge of drainage) के लिए वैध रूप से अलग कर दिया गया होः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार नहीं देगी-

   (क) किसी निगम की नाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिवाय धारा 240 के उपबन्धों के अनुकूल किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) अथवा किसी ऐसे द्रव या अन्य

पदार्थ को गिराना, जिसका गिराना इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य तिथि के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध हो;

(ख) जहाँ गन्दे पानी (full water) तथा सतह के पानी (surface water) के लिए निगम की अलग-अलग नालियों की व्यवस्था हो, वहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

(1) गन्दे पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था सतह के पानी के लिए की गयी हो, या

(2) मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सतह के पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था गन्दे पानी के लिए की गई हो;

(ग) अपनी नाली इस प्रकार बनाना कि वह झंझा के पानी (storm water) को बहा ले जाने वाली नाली से जाकर सीधी मिले।

2. उपधारा (1) के उपबन्धों से लाभ उठाने की इच्छ‍ा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उन शर्तो को पूरा करेगा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उस रीति (mode) तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में विहित करे जिसके अनुसार या अधीन नालियाँ पूवोक्त निगम की नालियों अथवा पूर्वोक्त अन्य स्थानों से जोड़ी जायेंगी।

3. मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे तो उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञा देने के बदले, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके प्रार्थनापत्र को प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर नोटिस देने के उपरान्त स्वयं नाली या नाले (drain or sewer) को उक्त प्रकार से जुड़वा (connect) सकता है। यदि मुख्य नगराधिकारी ने इस उपधारा के अधीन किसी मामले में कोई कार्यवाही की हो तो इस प्रकार किसी निर्माण-कार्य के लिए किया गया उचित व्यय पूर्वोक्त द्वारा दिया जायेगा।

235. मुख्य नगराधिकारी के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की माँग करने का (to require) अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली के भाग बन जायँ-

1. यदि कोई व्यक्ति किसी नाली के निर्माण का विचार करे तो मुख्य नगराधिकारी यदि वह समझता है कि प्रस्तावित नाली की आवश्यकता ऐसी सामान्य जल-निस्सारण प्रणाली का भाग बनने के लिए है अथवा पड़ सकती है, जिसकी निगम द्वारा व्यवस्था की गयी है अथवा जिसकी व्यवस्था करने का उसका विचार है, उस व्यक्ति से यह माँग कर सकता है कि वह उस नाली का निर्माण, पाइपों के धातु (material), आकार (size) गहराई, गिरावट (fall) दिशा, (directions) या बाह्य गिरावट (outfall), के सम्बन्ध में या अन्यथा उस रीति से जिससे निर्माण करने का उसका विचार हो, भिन्न रीति से कराये और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति का कर्तव्य हो जायेगा कि वह मुख्य नगराधिकारी की माँग (requisition) का पालन करे।

2. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अनुसार नाली का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को निगम निधि में उस अतिरिक्त व्यय को, जो उसने माँग का पालन करने में समुचित रूप से किया हो, भरपाई (reimburse) कर देगा तथा जब तक वह निगम की नाली नहीं हो जाती, वह निगम निधि में से समय-समय पर उसे उसके द्वारा समुचित रूप से किये गये उतने व्यय की भरपाई कर देगा जितना उसकी मरम्मत तथा उसके संधारण पर उक्त माँग के पालन करने में किया गया समझा जा सके।

236.

धारा २३३ तथा २३४ के अनुकल निगम की नालियों में अन्य नालियों को जोड़ने का कार्य (connections) नहीं किया जायेगा धारा २३३ और २३४ में उपबन्धित व्यवस्था अथवा किसी विहित की गयी व्यवस्था को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नाली को किसी निगम की नाली अथवा किसी अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप में अलग कर दिया गया हो, न तो जोड़ेगा और न जुड़वायेगा और मुख्य नगराधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना देने के उपरान्त इस धारा का उल्लंघन करके बनाये गये किसी ऐसे जोड़ (connection) को बन्द करा सकता है, तुड़वा सकता है अथवा उसे परिवर्तित या पुन:निर्मित कर सकता है तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय उस सड़क के स्वामी को या उस भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी

को, जिसके लाभ के लिए जोड़ (connection) बनाया गया था अथवा दोषी (offending) व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

237. नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू-गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार

1. यदि मुख्य नगराधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वाधिक सुविधाजनक साधनों (most convenient means) में एकमात्र साधन, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अपनी नाली को निगम की नाली में अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में, जो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, खाली कर सकता है, यही है कि वह उसे उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न किसी व्यक्ति की भूमि के भीतर से (into), बीच से (through) अथवा नीचे से ले जाय तो मुख्य नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी को प्राधिकृत (authorize) कर सकता है कि वह अपनी नाली उक्त भूमि के भीतर से, बीच से अथवा नीचे से ऐसी रीति से ले जाय जिसकी अनुज्ञा देना (allow) वह उचित समझे।

2. उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान (authorization) नहीं किया जायेगा जब तक कि भूमि के स्वामी को नोटिस न दे दी गयी हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति

पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

3. उपधारा (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक आज्ञा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी गयी हो अथवा उसके अभिकर्त्ता (agent) या सेवक (servant) को इस बात का पूर्ण प्राधिकार (complete authority) देगी कि वह समुचित रूप से नोटिस देने के बाद उक्त भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और श्रमिकों (workmen) के सहित प्रवेश करे (enter upon) और आवश्यक निर्माण कार्य (work) सम्पादित करे।

4. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी भू-गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अथवा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई अभिकर्त्ता या व्यक्ति, किसी ऐसे भूमि के स्वामी को, जिसमें उसके उक्त भू-गृहादि के जल-निस्सारण के लिए पहले ही कोई नाली विधितः निर्मित है, अपने ऐसा करने के आशय का समुचित रूप में लिखित नोटिस देने या प्रस्तुत करने के उपरान्त अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के सहित उक्त भूमि पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा वर्तमान नाली के स्थान पर नयी नाली बना सकता है या इस प्रकार निर्मित किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

5. इस धारा के अधीन किसी कार्य को सम्पादित करने में यथासंभव कम से कम क्षति (damage) पहुँचायी जायेगी तथा उस भू-गृहादि का, जिसके लाभ के लिए निर्माण-कार्य किया जा रहा है, स्वामी या अध्यासी-

(क) निर्माण-कार्य का सम्पादन इस प्रकार करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो;

(ख) उक्त निर्माण-कार्य के सम्पादन के प्रयोजन के लिए खुदवायी गयी, तोड़ी गयी अथवा हटायी गयी किसी भूमि अथवा किसी भवन के भाग या अन्य किसी निर्माण का अपने व्यय से तथा इस प्रकार भरवायेगा, पुनः स्थापित करायेगा (reinstate) तथा पूरा करायेगा (make good) कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) देगा जिसे उक्त निर्माण कार्य के सम्पादन के कारण क्षति उठानी पड़ी हो।

6. यदि किसी ऐसी भूमि, जिसके भीतर से, बीच से या नीचे से इस धारा के अधीन उस समय कोई नाली ले जायी गयी थी जब उस पर कुछ बना नहीं था, का स्वामी बाद में किसी समय उक्त भूमि पर भवन निर्मित करने (erect) की इच्छा करे तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उस भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिए उक्त नाली का निर्माण किया गया था, से यह माँग करेगा कि यह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करेगा, उसे

बन्द करा दे, हटा दे या मोड़ दे (divert) तथा भूमि को इस प्रकार भरवाये (fill in) पुनःस्थापित (reinstate) तथा पूरा कराये (make good) मानो उक्त नाली उसके भीतर से, बीच से या नीचे से नहीं ले जायी गयी थीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई माँग (requisition) तब तक न की जायगी जब तक कि ये मुख्य नगराधिकारी की राय में यह आवश्यक और इष्टकर (expedient) न हो कि प्रस्तावित भवन के निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने के लिए अथवा उसके सुरक्षित उपयोग (safe enjoyment) के लिए नाली को बन्द कर दिया जाय, हटा दिया जाय या मोड़ दिया जाय।

238.

मुख्य नगराधिकारी निगम की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू-गृहादि में जल-निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है, जिनमें जल-निस्सारण की व्यवस्था न हो जब मुख्य नगराधिकारी की राय में कोई भू-गृहादि यथोद्‌देश्य जल-निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो और कोई निगम नाली या नालियों के जल के विकास (discharge) के लिए विधिक रूप से अलग किया गया कोई स्थान उक्त भू-गृहादि के किसी भाग से सौ फीट से अनधिक दूरी पर स्थित हो तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता है कि वह

(क) ऐसी सामग्री (material) ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) की नाली बनाये तथा उसे उस धरातल (level) पर रखे और इस प्रकार पंक्तिबद्ध (alignment) करे तथा ऐसी निगम की नाली में या पूर्व रिक्त स्थान में खाली करे जिसे मुख्य नगराधिकारी आवश्यक या उचित समझे;

(ख) ऐसे समस्त उपकरणों (appliances) तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था करे और उन्हें स्थापित करे जो मुख्य नगराधिकारी को उक्त भू-गृहादि से जल-निस्सारण (drainage) को इकट्ठा करने (gathering) और प्राप्त करने तथा उसे उसके बाहर तक पहुँचाने तथा उक्त नाली तथा उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न (fixture) को यथोद्देश्य रूप से (effectually) जल से धोने (flashing) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) किसी ऐसी वर्तमान नाली या अन्य उपकरणों (appliances) या वस्तुओं की, जो जल-निस्सारण के लिए प्रयुक्त हों या जिनका उसके लिए प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, हटा दे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली की व्यवस्था करे अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे उपकरणों (appliances) या वस्तुओं की व्यवस्था करे, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(घ) ऐसे समस्त उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था करे तथा उन्हें लगाये (set-up) को भवनों के धोये जाने के समय उनके फर्श तथा दीर्घाओं (gallaries) से आने वाले बेकार पानी (waste

water) को इकट्ठा करने तथा उसे ग्रहण करने (receiving) और टोटियों (spouts) से या जल नीचे जाने वाले पाइपों (down-take pipes) द्वारा स्थानान्तरित करने (conveying) के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो ताकि उक्त बेकार पानी को सीधे सड़कों या भू-गृहादि के किसी निचले भाग के भीतर जाने से रोका जा सके।

239.

मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू-गृहादि पर, जो निगम, की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो जो जल-निस्सारण की व्यवस्था से रहित (undrained) हों, जल निस्सारण की व्यवस्था को लागू कर सकता हैजब कोई भू-गृहादि मुख्य नगराधिकारी की राय में सफल जल-निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हो, किन्तु उक्त भू-गृहादि के किसी भाग से सौ फीट कोई निगम, नाली स्थित न हो, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता कि वह

(क) एक नाली उस स्थान (point) तक, जो ऐसे नोटिस में विहित किया जायगा, निर्मित कराये, किन्तु वह स्थान उक्त भू-गृहादि के किसी भाग से सौ फीट की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिये; अथवा

(ख) ऐसे बन्द मलकूल (cesspool) का निर्माण कराये, जो ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) का हो और ऐसी स्थिति (position) में हो, ऐसे धरातल

(level) पर हो और उसमें ऐसे गिरावट (fall) की गुंजायाश (allowance) हो, जो मुख्य नगराधिकारी आवश्यक समझे और ऐसी नाली या नालियों का भी निर्माण कराये, जो इस मलकूल (cesspool) में खाली होती हों।

240. व्यापारिक व्यर्थ द्रव-पदार्थ (trade effluent) से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-

इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों (bye-laws) और एतदर्थ किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी व्यापारिक भू-गृहादि (trade premises) का अध्यासी उस भू-गृहादि से निकलने वाले किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव-पदार्थ (trade effluent) को निगम, की नालियों में गिरा सकता है।

241. मुख्य नगराधिकारी का भू-गृहादि से संयुक्त रूप से जल-निस्सारण का अधिकार-

1. जब मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि भू-गृहादि के किसी ऐसे गण या खंड (group or block) में जिसका कोई भाग किसी निगम, नाली से अथवा निगम, द्वारा नालियों के जल-निकास के लिए पृथक किये गये किसी ऐसे स्थान से, चाहे वह पहले से ही वर्तमान हो या जिसका निर्माण होने वाला हो, सौ फीट के भीतर स्थित हो, जल-निस्सारण की व्यवस्था पृथक रूप से जल-निस्सारित किये जाने की अपेक्षा संयुक्त रूप से अधिक मितव्ययिता अथवा लाभप्रद ढंग से की जा सकती है, तो मुख्य नगराधिकारी भू-गृहादि के ऐसे गण या खंड में ऐसी रीति (method) से

जल-निस्सारण की व्यवस्था करवा सकता है, जो मुख्य नगराधिकारी को उसके निमित्त सर्वोत्तम प्रतीत हो तथा ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उन भू-गृहादि के स्वामियों को ऐसे अनुपात में करना पड़ेगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे।

2. इस धारा के अधीन किसी निर्माण-कार्य (work) के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पहले मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त भू-गृहादि के, जो जल-निस्सारण किये जाने वाले हैं, स्वामियों को निम्नलिखित के संबंध में लिखित रूप में नोटिस देगा

(क) अभिप्रेत निर्माण-कार्य का स्वरूप (nature);

(ख) उसके पर होने वाला अनुमानित व्यय; तथा

(ग) ऐसे व्ययों का वह अनुपात जो प्रत्येक स्वामी द्वारा देय हो।

3. उन अनेक भू-गृहादि के तत्कालीन स्वामी जो मिल कर कोई ऐसा गण या खंड बनाते हों, जिनका उपधारा (1) के अधीन जल-निस्सारण किया जाता हो, निर्मित की गई (constructed), खड़ी की गयी (erected) या लगायी गई (fixed) या केवल ऐसे भू-गृहादि के विशेष प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गयी (continued) प्रत्येक नाली के संयुक्त स्वामी (joint owners) होंगे और यह निर्धारित किये जाने पर कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किये गये व्ययों

को उक्त भू-गृहादि के स्वामियों को किस अनुपात में वहन करना है, वे स्वामी उसी अनुपात में उन व्ययों के लिए भी उत्तरदायी (responsible) होंगे, जो प्रत्येक ऐसी नाली को अच्छी मरम्मत कराकर इसे कुशल दशा (efficient condition) में संभरित रखने के संबंध में होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ऐसी नाली को समय-समय पर निगम निधि से व्यय करके मुख्य नगराधिकारी द्वारा धुलाया जायेगा (cleansed), साफ किया जायगा तथा खाली किया जायगा।

242. मुख्य नगराधिकारी वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है-

1. यदि किसी भू-गृहादि को किसी निगम, की नाली या अन्य स्थान से जो नालियों के जल के निकास के लिए विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, जोड़ने वाली नाली चाहे वह उक्त भू-गृहादि के यथोद्देश्य जल-निस्सारण के लिए पर्याप्त हो तथा अन्य किसी प्रकार से भी आपत्तिजनक न हो, मुख्य नगराधिकारी की राय में नगर की या नगर के उस भाग की, जिसमें वह नाली स्थित हो, सामान्य जलोत्सारण प्रणाली (general drainage system) से अनुकूलित (adapted) नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी

(क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नाली को बन्द कर सकता है, रोक सकता है

या नाष्ट कर सकता है और भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देने के पाश्चात उक्त प्रयोजन के लिए आवाश्यक कोई कार्य करा सकता है;

(ख) आदेश दे सकता है कि ऐसी नाली, उस दिनांक से जो वह एतदर्थ निर्दिष्ट करे, केवल गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए या केवल बरसाती पानी के लिए या केवल अदूषित उपभूमिगत पानी (unpollutted subsoil water) के लिए या केवल बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए प्रयुक्त की जायगी और लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी से माँग कर सकता है कि वह बरसाती पानी या अदूषित उपभूमिगत पानी या बरसाती पानी और अपदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए या गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिये पूण्रतः भिन्न नाली बनाये।

2. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी नाली को तब तक बन्द, रोक या नष्ट न कर सकेगा जब तक कि वह भू-गृहादि के जल-निस्सारण के लिए वैसी ही प्रभावी और ऐसी निगम, की नाली अथवा उपयुक्त अन्य स्थान जिसे मुख्य नगराधिकारी ठीक समझे, से संचारित दूसरी नाली की व्यवस्था न कर देगा और मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस प्रकार बनवायी गयी नाली और उक्त खंड के अधीन किये गये किसी कार्य के निर्माण के व्यय का भुगतान मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा।

243.

सम्पत्ति के एक मात्र (sole) प्रयोग के लिए नालियों का निहित किया जाना और उनका संधारण धारा २८८ की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नाली, जो बनायी गयी, लगायी गयी, खड़ी की गयी या स्थापित की गयी हो, चाहे इसका व्यय निगम, ने वहन किया हो या नहीं, या जो किसी भू-गृहादि या भू-गृहादि के गण के एक मात्र प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गई हो

(क) धारा 244 में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित दिन पर और से, ऐसे भू-गृहादि या भू-गृहादि के गण के स्वामी में निहित हो जायगी ;

(ख) नाली के लिए अन्य सभी उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था की जायगी, जो उसके अधिक प्रभावकर ढंग से काम में लाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो और ऐसे भू-गृहादि के गण, स्वामी द्वारा उक्त नाली की समय-समय पर अच्छी प्रकार मरम्मत की जाया करेगी, उसे अच्छी दशा में रखा जायगा और उसे समय-समय पर निगम, निधि पर भारित व्यय से धोया जायगा (flush) साफ किया जायगा और खाली किया जायेगा।

244.

ऐसे भू-गृहादि की जो निगम के न हों, नालियों आदि पर निगम, का अधिकार, जिनका निर्माण आदि निगम, निधि से किया गया है- ऐसे जल निस्सारण निर्माण-कार्य से सम्बद्ध सभी नालियाँ, संवीजन-दण्डें

(ventilation shafts) और पाइप तथा निर्माण-कार्य सम्बन्धी सभी उपकरण एवं संधायन (fittings) जो किसी भी समय निगम, निधि या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किये गये व्यय से, जिसका निगम, का न हो, बनाये गये हों, खड़े किये गये हों और उक्त भू-गृहादि या भू-गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग या लाभ के लिए ही न हों, निगम में निहित हो जायेंगे, जब तक कि निगम, ने अन्यथा निर्धारित न किया हो।

245. नये भवन बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे-

1. नये भवन को निर्मित करना या किसी नव निर्मित या पुन:निर्मित भवन पर अध्यासीन होना तब तक वैध न होगा, जब तक कि-

(क) किसी ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की तथा ऐसे धरातल (level) पर और ऐसी गिरावट की कोई नाली न बनायी गयी हो, जो मुख्य नगराधिकारी को उस भवन के यथोद्देश्य जल-निस्सारण (drainage) के लिए आवाश्यक प्रतीत हो;

(ख) ऐसे भवन और उससे सम्बद्ध (appurtenant thereto) भू-गृहादि में ऐसे सभी उपकरणों और संधायनों (fittings) की व्यवस्था न की गई हो और उन्हें स्थापित (set-up) न किया गया हो जो उक्त भवन और उक्त भू-गृहादि से नालियों के जल को इकट्ठा करने और ग्रहण करने तथा बाहर

ले जाने के प्रयोजनों के लिए और उक्त भवन और उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्नक (fixture) की नाली को सफल रूप से (effectually) धोने (flushing) के लिए मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो।

2. पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित की जाने वाली नाली किसी निगम, की नाली में या किसी ऐसे स्थान पर ज ो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिए विधितः (lawfully) अलग कर दिया गया है और जो उस भू-गृहादि से, जिनमें उक्त भवन स्थित हो, 100 फीट से अधिक दूरी पर न हो, खाली होगी, किन्तु यदि उस दूरी के भीतर कोई ऐसी नाली या स्थान न हो तो वह नाली ऐसी नलकूप (cesspool) में खाली होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

246.

नालियों के स्वामियों का अपनी नालियों का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार किसी निगम, नाली या ऐसे अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो, जुड़ी हुई नाली का प्रत्येक स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देने या उन्हें उनके संयुक्त स्वामी के रूप में ऐसे निबन्धनों पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा जो धारा 247 के अधीन विहित किये जायँ।

247. स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त

किया जा सकता है-

1. कोई भी व्यक्ति जो, अपने भू-गृहादि को किसी ऐसी नाली द्वारा जिसका वह स्वामी नहीं है, निगम की नाली में जल निस्सारित करना चाहे, उस स्वामी से नाली का प्रयोग करने की अनुज्ञा के लिए निजी रूप से प्रबन्ध कर सकता है या उस नाली के प्रयोग का प्राधिकार दिये जाने या संयुक्त स्वामी घोषित किये जाने के लिए मुख्य नगराधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

2. यदि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने या अन्यथा मुख्य नगराधिकारी की यह राय है कि किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा उस भू-गृहादि की नाली को किसी निगम, की नाली में या अन्य ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो खाली कराने का एक मात्र अथवा सर्वाधिक सुविधाजनक साधन एक ऐसी नाली ही हो सकती है जो उक्त निगम, की नाली से या पूर्वोक्त स्थान से मिलती हो, लेकिन जो उक्त स्थायी या अध्यासी से भिन्न व्यक्ति की हो, तो मुख्य नगराधिकारी नाली के स्वामी को उस सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न की जाय, या यदि कोई आपत्ति की जाय और वह अस्वीकृत कर दी जाय तो, लिखित आज्ञा द्वारा या तो उक्त स्वामी या अध्यासी को नाली के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है या उसे संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है, किन्तु एतदर्थ किराया या प्रतिकर देने या उक्त भू-गृहादि की नाली को मिलाने वाली उपर्युक्त नाली

(communication drain) से जोड़ने और संयुक्त नाली के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई और खाली करने के लिए क्रमशः दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा ऐसी शर्तें लागू की जा सकती हैं, जो मुख्य नगराधिकारी को न्यायसंगत प्रतीत हों।

3. प्रत्येक ऐसी आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी हो हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दी गयी हो, या किसी ऐसे अभिकत्तर या व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया हो नाली के स्वामी को उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट प्रतिकर या किराया देने या प्रस्तुत करने (tendering) के पश्चात और जहाँ तक सम्भव हो अन्य प्रकार से भी उक्त आज्ञा की शर्तें पूरी करने के पश्चात और नाली के स्वामी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप में समुचित नोटिस देने के बाद उस भूमि पर, जिस पर उक्त नाली स्थित है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सहायकों और श्रमिकों (workmen) के साथ प्रवेश करने और इस अधिनियम के सभी उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी ऐसी बातें करने का, जो निम्नांकित प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, पूर्ण अधिकार होगाः

(क) दो नालियों को जोड़ना ; या

(ख) योगों (connections) का नवीकरण, उनकी मरम्मत या उन्हें परिवर्तित करना ; या

(ग) उस व्यक्ति से सम्बद्ध किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जिसके पक्ष में संयुक्त नाली या

उसके किसी भाग के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई या खाली करने के लिए मुख्य नगराधिकारी ने आज्ञा दी हो।

4. उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माण-कार्य के सम्पादन के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जिसके पक्ष में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा दी गयी हो, उन्हीं प्रतिबन्धों (restrictions) और उत्तरदायित्व के अधीन रहेगा जो धारा 237 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये हैं।

248. मल, इत्यादि और बरसाती पानी की नालियाँ अलग-अलग होंगी-

जब कभी इस अध्याय में इस बात की व्यवस्था की गयी हो कि किसी भू-गृहादि के यथोद्‍देश्य जल-निस्सारण (effectual drainage) के लिए कार्यवाही की जायगी या की जा सकती है तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि एक नाली गन्दे पानी, मल इत्यादि और दूषित पानी के लिए होगी और दूसरी तथा पूर्णतः भिन्न (distinct) नाली बरसाती और अपदूषित उपभूमिगत पानी के लिए या बरसाती, और अपदूषित उप-भूमिगत पानी दोनों के लिए होगी और प्रत्येक नाली अलग-अलग निगम, की नालियों में या अन्य ऐसे स्थानों पर जो विधितः नालियों के जल के लिए अलग किये गये हों, या अन्य उपयुक्त स्थानों पर खाली होगी।

249. नालियों को संवीजित करने (ventilation), इत्यादि के लिए पाइपों का लगाना-

1. किसी नाली या मलकूप को संवीजित करने (ventilation) के प्रयोजन के लिए चाहे वह निगम, का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, मुख्य नगराधिकारी किसी भू-गृहादि पर कोई ऐसे दंड (shaft) या पाइप खड़ा कर सकता है या उन्हें किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत होंगे और किसी भवन के बाहर निकले हुए भाग को (projections) जिसमें उनकी छत की कार्निस (caves) भी सम्मिलित हैं, काट सकता है ताकि उक्त दंड या पाइप ऐसे बाहर निकले हुए भाग से होकर पर ले जाया जा सके और उसे किसी भूमि के भीतर बीच में या उसके नीचे ऐसे उपकरण लगा सकता है (lay) जो मुख्य नगराधिकारी की राय में वायु निकलने वाले ऐसे दण्ड या पाइप को उस नाली या मलकूप से, जिसे संवीजित करने (ventilation) का विचार हो, जोड़ने के लिए आवश्यक है।
2. ऐसा दण्ड या पाइप उस रीति से खड़ा किया जायगा या लगाया जायेगा या हटाया जायेगा जो विहित की जाय।
3. यदि उक्त भू-गृहादि, भवन या पेड़ों के स्वामी के अपेक्षा करने पर मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे दंड या पाइप को हटाने से इन्कार करे जो एतदर्थ बने नियमों के अनुसार उन पर या उनके साथ खड़े किये गये हों या लगाये गये हों तो स्वामी का उत्तर प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर न्यायाधीश को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उन्हें हटा देने की आज्ञा दे दी जाय।
4. उपधारा (3) के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र की सुनवायी और निस्तारण (disposal) करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाय। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश

द्वारा दी गयी आज्ञा अंतिम होगी और उससे दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

5. यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का जो उपधारा (1) के अधीन काटी गयी हो, खोली गयी हो या अन्यथा व्यवह्यत हुई हो, स्वामी उस नाली या मलकूप का स्वामी न हो, जिसे संवीजित (ventilation) करने का विचार हो तो मुख्य नगराधिकारी जहाँ तक व्यावहारिक होगा निगम, निधि से किये गये व्यय से उस भवन को पुनर्निर्मित करेगा और ठीक करवायेगा (reinstate and make good) और उस भूमि को भरवा देगा और उसे ठीक करा देगा।

मल, इत्यादि का निस्सारण

250. नालियाँ खाली करने और मल, इत्यादि के निस्सारण के लिए स्थानों का निश्चित किया जाना-

मुख्य नगराधिकारी ऐसी रीति से जिसे वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे सभी या किसी निगम, की नाली को किसी स्थान पर चाहे वह नगर के भीतर हो या बाहर खाली करा सकता है और नगर के भीतर या किसी भी स्थान पर मल निस्सारण करा सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि

(क) मुख्य नगराधिकारी बिना निगम, की स्वीकृति के किसी निगम, की नाली को ऐसे स्थान पर खाली

नहीं करायेगा या किसी स्थान का मल-निस्सारण ऐसे स्थान पर या ऐसी रीति से नहीं करायेगा जहाँ और जिस रीति से वह अब तक खाली न की गयी हो या मल-निस्सारण न किया गया हो;

(ख) कोई निगम, की नाली किसी स्थान पर खाली नहीं करायी जायेगी और किसी ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से मल इत्यादि का निस्सारण नहीं कराया जायेगा, जिसे अस्वीकार कर देना राज्य सरकार उचित समझे।

251.

मल-निस्सारण के लिए साधनों की व्यवस्था-मुख्य नगराधिकारी मलादि (sewage) को ग्रहण करने, व्यवह्यत करने (treating), उसे इकट्ठा करने (storing), उसे कीटाणु रहित करने (disinfecting), उसका वितरण करने या अन्यथा उसका निस्सारण करने के लिए नगर के भीतर या बाहर किसी भूमि, भवन, इंजिन की सामग्री या स्थिर यंत्र (apparatus) की खरीद कर सकता है या पट्टे पर ले सकता है या किसी व्यक्ति के साथ किसी अवधि के लिए, जो २० वर्ष से अनधिक हो, नगर के भीतर या बाहर मलादि (sewage) को हटाने या उसके निस्सारण के लिए कोई प्रबन्ध (arrangement) कर सकता है।

नाबदान, संडास, मूत्रालय, आदि

252. नाबदानों (water closets) और संडासों (privies) का निर्माण-

1. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति और ऐसे निबन्धनों के, जो तत्समय प्रचलित किसी नियम या उपविधि से असंगत न हों और जिनकी वह व्यवस्था करे, के अनुकूल किसी भू-गृहादि के लिए नाबदान या संडास का निर्माण करना वैध न होगा।
2. ऐसे निबन्धनों की व्यवस्था करते समय मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि

(क) भू-गृहादि में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी अथवा संडास प्रणाली की अथवा अंशतः एक की और अंशतः दूसरे की, तथा

(ख) प्रत्येक नाबदान या संडास का स्थल (site) या स्थिति (position) क्या होगी।

253. नव निर्मित या पुनःनिर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान (accommodation)-

1. किसी ऐसे भवन का, जो मनुष्यों के निवास के लिए हो या उसके लिए अभिप्रेत हो और जिस पर या जिसमें मजदूर (labourer) और श्रमिक (workmen) नियोजित किये जाने वाले हों, बिना उक्त नाबदान या संडास के स्थान के, और ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे भवन के कपड़े और घरेलू बर्तन धोने के स्थान के, जिसको मुख्य नगराधिकारी विहित करे धारा 315

के अर्थ में निर्माण, पुन:निर्माण या रूपान्तर (convert) वैध न होगा।

2. किसी ऐसे स्थान को विहित करने में मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि-

(क) ऐसे भवन या निर्माण-कार्य में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी या संडास प्रणाली की या अंशत: एक की और अंशत: दूसरी की ;

(ख) प्रत्येक नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने और धुलाई के स्थान का स्थल या स्थिति (site or position) क्या होगी और उनकी संख्या क्या होगी।

3. उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित स्थान (accommodation) निर्धारित करने में मुख्य नगराधिकारी भवन के अध्यासियों (occupants) द्वारा नियोजित (employed) घरेलू नौकरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान तथा संडास और स्नान करने के स्थानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता का ध्यान रक्खेगा।

254. सार्वजनिक आवश्यकताएँ (public necessities)-

मुख्य नगराधिकारी सर्वसाधारण (public accommodation) के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों में नाबदान, संडास और मूत्रालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनका संधारण

करेगा।

निरीक्षण

255. ऐसी नालियों, आदि का, जो निगम, की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा

1. मुख्य नगराधिकारी सभी नालियों, संवीजन दंडें और पाइपों, मलकूपों, घर के जल-मार्गो (house gullies), नाबदानों, संडासों, शौचालयों तथा मूत्रालयों और स्नान करने तथा धुलाई के स्थलों, जो निगम, के न हों अथवा जो भू-गृहादि पर जो निगम, के न हों, निगम, निधि से किये गये व्यय से उक्त गृहादि के स्वामी या अध्यासी के प्रयोग या लाभ के लिये बनाये, खड़े, स्थापित किये गये हों (constructed, erected or set up) का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा।
2. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करते समय, किसी ऐसे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) का नमूना प्राप्त कर सकता है या ले जा सकता है, जो ऐसे भू-गृहादि से वह कर, जिसका निरीक्षण या परीक्षण किया गया हो, किसी निगम, की नाली में जाता हो, उस नमूने का विश्लेषण (analysis) विहित रीति से किया जायेगा।
3. उपधारा (2) के अधीन लिये गये नमूने के विश्लेषण का परिणाम इस अधिनियम के अधीन किसी

विधिक कार्यवाही में साक्ष्य रूप में ग्राहय होगा।

256. निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए भूमि, आदि को खोलने का अधिकार-

उक्त निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी भूमि या नाली के किसी भाग या अन्य निर्माण-कार्य को, जो भवन के बाहर हों, जिसे वह ठीक समझे, खुलवा, तुड़वा या हटवा सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण और परीक्षण करने में यथासंभव कम से कम क्षति पहुँचायी जायेगी।

257.

मुख्य नगराधिकारी मरम्मत, आदि कराने की माँग कर सकता है जब धारा २५५ के अधीन किये गये निरीक्षण या परीक्षण के फलस्वरूप मुख्य नगराधिकारी को यह पता चले कि कोई नाली, संवीजन-दंड या पाइप, नलकूप, घर का जलमार्ग (house gulley), नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई का स्थल चालू या अच्छी दशा में नहीं है अथवा सिवाय उस दशा के जब वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से या उसके अधीन बनाया गया हो, यदि वह इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों या तत्समय प्रचलित किसी विधायन (enactment) का उल्लंघन करके बनाया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी को लिखित नोटिस देकर माँग कर सकता है कि वह दोष (defect) को ऐसी

रीति से दूर कर दे, जिसे वह किसी प्रचलित नियमावली या उपविधि के अधीन रहते हुए आदिष्ट (direct) करे।

सामान्य उपबन्ध

258. ऐसे कार्यों का प्रतिषेध जो इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघन करते हों या जो बिना स्वीकृति किये गये हों-

1. कोई व्यक्ति-

   (क) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके या मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी नाली, संवीजन-दंड या पाइप,मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय, या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध जाली (trap), आवरण (covering) या अन्य संधायन या उपकरणों के स्थापन, विन्यास या स्थिति (fixing, disposition or position) को नहीं बदलेगा, न उनका निर्माण करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा, न स्थापित करेगा, न उनका नवीकरण करेगा, न उनका पुनर्निर्माण करेगा, न हटायेगा, न अवरूद्ध करेगा, न रूकवायेगा, न नष्ट करेगा और न उनमें परिवर्तन करेगा ;

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, संवीजन-दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या किसी संधायन या उपकरण को, जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रोक दिया जाता है, गिरा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है या जिनके सम्बन्ध में ऐसा करने की आज्ञा दे दी गयी है, नवीकृत या पुनर्निर्मित या चालू (unstop) नहीं करेगा ;

(ग) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, मलकूप, घर के जलमार्ग, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल के पर या उस पर अनियमित रूप से किसी आगे निकले हुए भाग अथवा अतिक्रमण (projection over or encroachment upon) को निर्मित नहीं करेगा, न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुँचायेगा, न पहुँचने देगा और न क्षति पहुँचाने की अनुमति देगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात तीन फीट से अनधिक चौड़ाई की किसी ऐसी बरसाती (weather shade) पर लागू होगी, जो किसी ऐसी खिड़की पर लगी हुई हो, जो पार्श्ववर्ती (adjoining) घर की दीवाल या खिड़की के सामने न हों ;

(घ) किसी नाली में कोई ईट, पत्थर, मिट्‌टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ

(substance or matter) न गिरायेगा, न डालेगा, न रखेगा, न गिरवायेगा, न डलवायेगा या रखवायेगा, न गिराने, डालने या रखने की अनुमति देगा, जिससे नाली को क्षति पहुँचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं (contents0 को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्सारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ;

(ङ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपबन्धित (provided for) नाली में कोई ऐसा पदार्थ या तरल पदार्थ न डालेगा, न डलवायेगा, न डालने की अनुमति देगा, जिसके ले जाने (conveyance) के लिए उस नाली की व्यवस्था न की गई हो;

(च) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूल किसी नाली में कोई रासायनिक असार वस्तु (chemical refuse) या बेकार जाने वाला वाष्प या ऐसा तरल पदार्थ, जिसका तापमान 120 डिगरी फारेनहाईट से अधिक हो और जो ऐसी असारवस्तु या वाष्प हो, जो इस प्रकार से व्यवह्यत होने पर चाहे स्वतः या नाली में बहने वाली वस्तु से मिलकर खतरनाक हो उठे या अपदूषण (nuisance) का कारण हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, न डलवायेगा और न डालने देगा (cause or suffer to discharge) ;

(छ) किसी नाली में कार्बाइड ऑफ कैल्शियम या कोई ऐसा कच्चा पेट्रोल, कोई ऐसा तेल जो पेट्रोल से बनाया गया हो, कोयला, शेल (shale), पत्थर या राल मिश्रित (bituminous) वस्तु या कच्चे पेट्रोल से बनी हुई वस्तु या ऐसा पदार्थ या मिश्रण जिसमें पेट्रोल हो और जिसकी जाँच करने पर उसमें 73 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर शीघ्र जलने वाली (inflammable) वाष्प निकलती हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

2. यदि उपधारा (1) के खंडों में प्रतिकूल कोई निर्माण-कार्य सम्पादित करने या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति नोटिस के समय उस भवन या निर्माण-कार्य का स्वामी न हो तो उस भवन या निर्माण-कार्य का स्वामी ऐसे सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये उसी प्रकार (carrying out all such requisitions) उत्तरदायी समझा जायेगा जिस प्रकार ऐसा करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

259. नाबदान को न क्षति पहुँचायी जायेगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायेगा-

1. कोई व्यक्ति, किसी नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध किसी संधायन या उपकरण को, जिसकी व्यवस्था एक या एकाधिक भवनों के निवासियों के संयुक्त प्रयोग के लिये की गई हो, न तो क्षति पहुँचायेगा और न उसे कलुषित (foul) करेगा।

2. यदि ऐसा नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे सम्बद्ध कोई संधायन या उपकरण या उन तक पहुँचने के मार्ग या उसकी दीवालें, फर्श या स्थान (seats) या उस सम्बन्ध में प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु उचित रूप से उसकी सफाई न होने के कारण ऐसी दशा में हो कि उस स्थान के निवासियों या बटोहियों के लिए अपदूषण (nuisance) या उद्वेजन (annoyance) का कारण हों, उनका प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दोषी हों (in default), अथवा इस बात के साक्ष्य न होने पर कि उनका संयुक्त प्रयोग करने वालों में से कौन व्यक्ति दोषी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने इस धारा के उपबन्धों का उल्लघंन किया है।
3. इस धारा के उपबन्धों के कारण भवन या भवनों का स्वामी किसी ऐसे दंड से मुक्त न होगा, जिसका कि वह अन्यथा भागी होता।

260. राज्य सरकार नगर की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसारित कर सकती है-

राज्य सरकार आज्ञा द्वारा, जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी, किसी क्षेत्र पर, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायेगा, किन्तु जो नगर सीमाओं से 2 मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध ऐसे अनुकूलनों (adaptations) चाहे वे संशोधन, परिवर्धन (addition) या लोप (omissions) के रूप में हों, के अधीन रहते हुए, जो उसे

आवश्यक या इष्टकर (expedient) प्रतीत हों, लागू कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों और नियमों का उस क्षेत्र पर वही प्रभाव होगा मानो वह नगर के भीतर हो।

261. अपीलें-कोई व्यक्ति जो-

1. धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा से क्षुब्ध हो ; या
2. धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन नाला या नाले (sewer) जोड़ने (connect) के नोटिस से क्षुब्ध हो;या
3. धारा 235 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी नाली को भिन्न प्रकार से बनाने के आदेश (requisition) से क्षुब्ध हो ; या
4. मुख्य नगराधिकारी के धारा 236 के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि वह किसी जोड़ (connection) को बन्द करना, गिराना, बदलना या फिर से बनवाना चाहता हो ; या
5. मुख्य नगराधिकारी की धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, जिसमें किसी स्वामी या अध्यासी को इस बात का प्राधिकार दिया गया हो वह अपनी नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में या भूमि के बीच से या उसके नीचे से ले जाये ; य
6. मुख्य नगराधिकारी के धारा 237 की उपधारा (6) के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो

कि उसने किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह आदेश दिया है कि वह नाली को एक विशेष रीति से बन्द करे, हटाये या उसका मार्ग परिवर्तित करे ; या

7. मुख्य नगराधिकारी के धारा 229 के अधीन नोटिस से क्षुब्ध हो ; या
8. मुख्य नगराधिकारी की धारा 242 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नोटिस से या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश या नोटिस से क्षुब्ध हो ; या
9. धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य नगराधिकारी के इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसका विचार किसी नाबदान या संडास को बन्द करने अथवा बदलने या गिरा देने का है ; या
10. धारा 247 के अधीन ऐसे नोटिस से क्षुब्ध हो, जिसमें स्वामी को किसी धुलाई स्थल के दोषों को दूर करने का आदेश दिया गया हो।

तो वह विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से न्यायाधीश (Judge) के समक्ष अपील कर सकता है।

262. नियम बनाने के अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना

सकती है;

2. पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ड ाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है-

(क) धारा 229 की उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण (disposal) ;

(ख) वे शर्तें और निबन्धन (condition on and restriction) जिनका नालियों के सम्बन्ध में पालन किया जायेगा ;

(ग) नालियों का निर्माण, सुधार, परिवर्तन या बन्द कर दिया जाना (discontinuance) ;

(घ) निगम, की नालियों से अन्य नालियाँ जोड़ने (connection) की शर्तें ;

(ङ) शर्तें जिन पर व्यापारिक भू-गृहादि के अध्यासी किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) को निगम, की नालियों में उत्सर्जित कर सकते हैं ;

(च) वह रीति जिससे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पद ार्थो के नमूनों का विश्लेषण किया जाय ;

(छ) शर्तें जिनकी धारा २४९ के अधीन संवीजन-दंडें या पाइपों को खड़ा करने या लगाने में पालन किया जाय, जायेगा ;

(ज) नाबदानों, संड ासों, मूत्रालयों, स्नान करने या धुलाई के स्थलों का निर्माण, स्थिति और

संधारण (maintenance) ;

(झ) वह रीति जिससे मुख्य नगराधिकारी धारा 255 और 256 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा ;

(ञ) धारा 255 और 256 के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करने के व्ययों का भुगतान ;

(ट) धारा 261 के अधीन अपील प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण की रीति और अवधि, जिसके भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

....

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

4. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

6. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

7. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

8. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

10. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

11. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

12. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

13. उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 11

जल-सम्भरण (Water Supply)

निगम के जल कल (Water Supply) का निर्माण तथा संधारण

263-जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में निगम के अधिकार -

नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिए अच्छे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण, मरम्मत, परिवर्तन, विकास और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसे किसी जलकल को बन्द कर सकता है और उसके स्थान पर इसी प्रकार के अन्य कल स्थापित कर सकता है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है जो प्रासंगिक (incidental) अथवा आवाश्यक हों, जिसमें विशेष रूप से-

1. किसी सड़क अथवा स्नान के बीच, आर-पार, पर या नीचे तथा किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भवन अथवा भूमि में, उससे होकर तथा उसके ऊपर या नीचे उक्त कलों (works) का ले जाना;
2. निगम की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी प्रकार के जल कल को अथवा जल संचय करने, उसे ले जाने या स्थानान्तरित करने (to store, to take or convey) के अधिकारों को क्रय करना या पटटे पर लेना सम्मिलित है।

264. जलकलों का निरीक्षण-

1. राज्य सरकार धारा 263 में निर्दिष्ट किसी जलकल या जल-संबंध (water connection) के निरीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसी जल-संबंध अथवा जलकल से सम्बद्ध भूमि में प्रवेश या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

2. मुख्य नगराधिकारी अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जलकल या जल-संबंध में, उस पर या उसके संबंध में निरीक्षण, मरम्मत या किसी निर्माण-कार्य के संपादन के प्रयोजन से समस्त उचित समयों में-

(क) नगर के भीतर या बाहर किसी ऐसी भूमि में, चाहे किसी में भी निहित क्यों न हो, प्रवेश कर सकता है अथवा उससे होकर गुजर सकता है जो इस प्रकार के जलकल या जल-संबंध (water-connection) से मिली हुई हो या उनके निकट हो ;

(ख) उक्त किसी भूमि पर और उससे होकर समस्त आवाश्यक व्यक्तियों, सामग्रियों (materials) औजारों तथा उपकरणों (tools and implements) को ले जाने की व्यवस्था कर सकता है।

1. इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने में कम से कम क्षति पहुँचायी जायगी। उक्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग करने में यदि कोई क्षति पहुँचे तो उसकी पूर्ति निगम की निधियों में से की जायगी।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया हो, वह यथाशक्यशीघ्र मुख्य नगराधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और मुख्य

नगराधिकारी अविलम्ब उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा। तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उसे अपनी टिप्पणियों सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी।

3. राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी और निगम उक्त प्रयोजन के लिए निधि प्राप्य होने पर राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगा।

265 निगम द्वारा आग (Fire hydrants) की व्यवस्था -

आग लग जाने पर उससे बचाव के लिए जल-सम्भरण के निमित्त तथा सम्पूर्ण प्रासंगिक (incidental) कार्यो के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसे समस्त स्थानों पर, जिन्हें आवाश्यक समझा जायगा, आग बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था, संधारण तथा मरम्मत करेगा।

266.जल-प्रणाल (water mains), आदि को ले जाने का अधिकार

1. नगर के भीतर या उसके बाहर जल प्रणाल (water main) पाइप और प्रणाली (ducts) ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगराधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, जो उसे नगर के भीतर नालियाँ ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में पहले दिये हुए उपबन्धों के अधीन प्राप्य हैं और जिनके वह अधीन है।

2. यह धारा निजी (private) जल-प्रणाल, पाइप तथा प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह निगम जल प्रणाल, पाइप और प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में लागू होती है।

267.निगम के जलकलों पर प्रभाव डलने वाले कुछ कार्यो का प्रतिषेध-

1. मुख्य नगराधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन, दीवाल या किसी प्रकार के ढाँचे (structure) का निर्माण अथवा पुनर्निमरण (erect or re-erect) न करेगा अथवा किसी निगम जल-प्रणाल के ऊपर कोई सड़क अथवा छोटी रेलवे का निर्माण न करेगा।

2. निगम की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति-

(क) उक्त क्षेत्र के किसी ऐसे भाग में किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भवन का निर्माण न करेगा, जो किसी झील, तालाब, कुआँ, जलाशय या नदी के निकट, जहाँ से निगम के जलकलों के लिए पानी लिया जाता हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा सीमांकित कर दिया जायगा;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के सीमांकन निर्माण-कार्यो (dimarcation work) को न हटायेगा, न परिवत्रित करेगा, न उन्हें हानि या क्षति पहुँचाएग और न उनमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा;

(ग) किसी ऐसे भवन को, जो उपर्युक्त क्षेत्र में पहले से स्थित हो, न विस्तार करेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा और न उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करेगा जो उस प्रयोजन के लिए भिन्न हो, जिसके लिए वह अभी तक प्रयुक्त होता रहा हो; या

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वस्तु-निर्माण (manufacture), व्यापार या कृषि का कोई कार्य नहीं करेगा और न कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी किसी झील, तालाब, कुएँ, जलाशय या नदी या उनके किसी भाग को हानि पहुँचे या जिससे ऐसी झील, तालाब, कुआँ, जलाशय या नदी का पानी कलुषित (fouled) या कम स्वास्थ्यप्रद हो जाय (rendered less wholesome)।

1. उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति-

(क) किसी निगम जल-कल में अथवा उस पर न तो कोई पदार्थ गिरवायेगा (percolate) अथवा बहवायेगा (drain) और न ऐसा होने देगा अथवा उसमें या उस पर, न कोई ऐसी चीज ही डलवायेगा अथवा कोई ऐसा कार्य ही करवायेगा, जिससे उसका पानी किसी प्रकार कलुषित(Fouled) अथवा दूषित (polluted)हो जाय, अथवा उसके गुण में कोई परिवर्तन आ जाय।

(ख) निगम की किसी ऐसी भूमि को, जो उक्त जल-कल से मिली हुई हो या उसके किसी भाग के रूप में, खोदकर या उस पर कोई वस्तु जमा (deposit) करके उसके धरातल में कोई परिवर्तन न करेगा

(ग) उक्त जल-कल के पानी में किसी पशु का प्रवेश न करायेगा और न करने देगा;

(घ) उक्त जल-कल के पानी में या उसके ऊपर न तो कोई वस्तु फेंकेगा और न रखेगा; या

(ङ) उक्त जल-कल में या उसके निकट स्नान नहीं करेगा; या

(च) उक्त जल-कल में या उसके निकट किसी पशु या वस्तु को न तो धोयेगा और धुलवायेगा।

268. धारा 267 का उल्लंघन करके किये जाने वाले कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही तथा जल-सम्भरण के किसी स्रोत (source) के निकट शौचालयों, आदि का हटवाया जाना

1. यदि धारा 276 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई भवन, दीवाल या ढाँचा (structure) निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा यदि धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (क) का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उसे हटवा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति (person offending) द्वारा वहन किया जायगा।
2. यदि कोई व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (ख) ,(ग) और (घ) के उपबन्धों का बार-बार उल्लंघन करे तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से पूर्वोक्त खंडों के उपबन्धों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसमें ऐसा न्यूनतम बल-प्रयोग भी, जो आवाश्यक हो, सम्मिलित है।
3. मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासी (occupire) को, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास (privy), शौचालय, मूत्रालय, मलकूप (cesspool) अथवा कूड़ा-करकट या मैला रखने का कोई पात्र, किसी सोते (spring)] कुएँ, तालाब, जलाशय, नदी या किसी अन्य

स्रोत(source) से, जहाँ से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पानी लाया जाता हो या लिया जाता हो, 50 फीट के अन्दर हो, उस नोटिस के तामील होने से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने तथा बन्द करने के आदेश दे सकता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त व्यक्ति आदेशानुसार कार्य नहीं करता तो मुख्य नगराधिकारी उसे हटवा अथवा बन्द करवा देगा और ऐसा करने में जो व्यय होगा, वह दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

269. जल-कर लगाने वाली निगमका आभार (obligation)

यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल-कर (water-tax) लगाया जाता है तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिए जल-सम्भरण की व्यवस्था ऐसी उस रीति से, ऐसे समय में और इतनी मात्रा में करे, जो नियमों द्वारा विहित की जायः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुघटना(accident) , असाधारण सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्हीं अनिवार्य कारणों से निगम जल का सम्भरण नहीं कर पाता तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती (forfeiture), दंड या क्षति का उत्तरदायी नहीं होगी।

270. जल के सकपट (fraudulent) तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध-

1. कोई भी व्यक्ति उसे निगम द्वारा सम्भरित किसी प्रकार के जल का सकपट (fraudulently) निस्सारण नहीं करेगा।

2. कोई व्यक्ति, जिसे नि‍गम द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो; सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिए माप (measurement) के अनुसार शुल्क(charge) लिया जाय,

किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जलकर दिया जाता हो, उस भू-गृहादि से जहाँ जल सम्भरित किया जाता है, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे भू-गृहादि में नहीं रहता, जिसके सम्बन्ध में जल-कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू-गृहादि से, जिसे निगम द्वारा निजी काम के लिए जल सम्भरित किया गया हो, तब तक जल नहीं ले जाएगा जब तक कि वह यदि जल सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल सम्भरित किया गया हो।

271. नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार के नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है

(1) निगम की सीमाओं के भीतर किसी निजी जलमार्ग (private water course) आदि का संधारण, सफाई, कुशल संचालन (efficient running) तथा उसका बन्द किया जाना;

(2) किसी ऐसे कुएँ, तालाब या अन्य स्थानों से जहाँ से पीने के लिए जल लिया जा सकता हो, निरीक्षण तथा कीटाणुरहित (disinfecting) करने के निमित्त उपयुक्त कार्यवाहियों की व्यवस्था तथा ऐसी कार्यवाहियाँ जो उनसे पानी निकालने को रोकने के लिए आवाश्यक समझी जायँ;

(3) निगम की सीमाओं के भीतर भूमि या भवन के किसी स्वामी या अध्यासी को अनुबन्ध (agreement) द्वारा पानी का सम्भरण तथा एतदर्थ शर्ते और दरें;

(4) जल-सम्भरण के प्रयोजन;

(5) अन्य समस्त प्रयोजनों की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिए जल-सम्भरण को प्राथमिकता (precedence) देना;

(6) पानी के मीटर तथा योजक पाइपों (connection pipes) का लगाना (installation);

(7) मीटरों, पाइपों (pipes) , बम्बों (standpipe) , पंपों, पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का आकार तथा प्रकार (size and nature) और वह रीति, जिससे वे सुचरू रूप से जल-सम्भरण करने के निमित्त लगाये जायेंगे, बनाये जायेंगे, नियंत्रित किये जायेंगे अथवा संधारित किये जायेंगे;

(8) प्रणाल (mains) या पाइप, जिनमें आग डट्टे (fire plug) लगाये जाने वाले हों और वे स्थान जहाँ इन आग ड्टटों की कुंजियाँ जमा की जायँ;

(9) निगम द्वारा सम्भरित किये जाने वाले जल का किसी अर्ह (qualified) विश्लेशक द्वारा आवधिक विश्लेषण; (analysis);

(10) निगम की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित जल-सम्भरण के स्रोतों (sources) तथा साधनों और जल वितरण के उपकरणों (appliances) का संरक्षण (conservation) और उन्हें हानि पहुँचाने अथवा दूषित होने (contamination) से बचाना;

(11) वह रीति जिससे जल-कलों से जल के संबंध (connections) लगाये जायेंगे या संधारित किये जायेंगे और वह अभिकरण (agency) जो उक्त निर्माण अथवा संधारण के लिए प्रयुक्त किया जायगा या किया जा सकता है;

(12) जल-सम्भरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी मामलों का विनिमय जिसमें टोंटी खोलना (turning on) या बन्द करना (turning off) और पानी नाष्ट होने से बचाना भी सम्मिलित है; और

(13) नि‍गम की सीमाओं के बाहर जल-सम्भरण की व्यवस्था करना और ऐसे सम्भरण से संबद्ध जल-करों तथा परिव्ययों (charges) की वसूली और करों को न देने (evasion of taxes) से संबद्ध मामलों की रोकथाम।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा रखा गया।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 12

सड़कें

सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार

272. सार्वजनिक सड़कों का निगम में निहित होना-

1. समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष रक्षण के अधीन रहते हुए नगर की सभी सड़कें, जो सार्वजनिक सड़कें हों या हो जायें, सिवाय उन सड़कों के जो निश्चित दिन पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हों या जो उक्त दिन के पश्चात निगम से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित और संधारित की जायँ, उनकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी (sub-soil) तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों (side drains,footways,pavement), पत्थरों और उनके अन्य सामान के सहित निगम में निहित हो जायेंगे और मुख्य नगराधिकारी के नियंत्रण में रहेंगी।
2. राज्य सरकार निगम से परामर्श करने के पश्चात विज्ञप्ति द्वारा उक्त किसी सड़क को, उसकी मिटटी, नीचे की मिटटी तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों, पत्थरों तथा उनके अन्य सामान सहित निगम के नियंत्रण से वापस ले सकती है।

273. सार्वजनिक सड़कों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी समय-समय पर सभी सार्वजनिक सड़कों का, जो निगम में निहित हों, समतल करायेगा, पक्की या खड़ंजे की करायेगा, उनमें नालियाँ बनवायेगा, उन्हें परिवर्तित करायेगा और उनकी मरम्मत करायेगा (levelled, metalled or paved,channelled, altered and repaired), जैसा कि उस समय अपेक्षित हो और समय-समय पर किसी सड़क को चौड़ी अथवा विस्तृत करा सकता है या अन्य प्रकार से भी उसमें सुधार करा सकता है या उसकी मिटटी को ऊची-नीची या परिवर्तित करा सकता है। वह पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिये बाड़े या खंभे भी लगवा सकता है और उसकी मरम्मत करा सकता हैः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क को चौड़ी करने, विस्तृत करने या उसमें अन्य सुधार करने या ऐसा कार्य जिसकी कुल लागत पाँच हजार रूपये से या इससे भी बड़ी ऐसी धनराशि से अधिक हो, जिसे निगम समय-समय पर निश्चित करे, तब तक नहीं करायेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना निगम द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

2. निगम की स्वीकृति से, जो तदर्थ प्रचलित नियमों और उपविधियों के अनुसार दी गई हो, मुख्य नगराधिकारी निगम में निहित किसी सम्पूर्ण सार्वजनिक सड़क को या उसके किसी भाग को मोड़ सकता है, उसका मार्ग बदल सकता है अथवा उसका सार्वजनिक उपयोग रोक सकता है या उसे स्थायी रूप से बन्द कर सकता है और उसके इस प्रकार बन्द किये जाने पर राज्य सरकार और निगम की पूर्व स्वीकृति से उस सड़क के या उसके उस भाग को, जो बन्द कर दिया गया हो,

स्थल (site) का इस प्रकार निस्तारण कर सकता है (dispose of) मानो वह निगम में निहित कोई भूमि हो।

274. नयी सार्वजनिक सड़कें बनाने का अधिकार -मुख्य नगराधिकारी जब वह निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय-

1. नयी सार्वजनिक सड़क का विन्यास कर सकता है और उसे बना सकता है ;
2. किसी व्यक्ति से उसकी भूमि से होकर सार्वजनिक प्रयोग के लिये या तो पूर्णत: उस व्यक्ति के व्यय से और अंशतः निगम के व्यय से सड़क बनाने का करार कर सकता है और यह भी करार कर सकता है कि ऐसी सड़क पूरी हो जाने पर सार्वजनिक सड़क हो जायगी औरनिगम में निहित हो जायगी ;
3. नयी सार्वजनिक सड़क बनाने और उसके विन्यास के लिए सहायक सुरंगें, पुल, रपटें (causeways) और अन्य निर्माण कार्य (works) करा सकता है ;
4. निगम   में निहित किसी वर्तमान सड़क या उसके किसी भाग को बदल सकता है या उसे मोड़ सकता है (divert or tum) ।

275. नयी सार्वजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई-

1. निगम, समय-समय पर सार्वजनिक सड़कों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यातायात, जिसके उन सड़कों पर होने की संभावना है, के प्रकार (nature) स्थान (locality) जहाँ वे स्थित हैं, ऊँचाई, जहाँ तक सड़कों से लगे भवन बनाये जा सकते हैं तथा इसी प्रकार की अन्य बातों (consideration) के अनुसार न्यूनतम चौड़ाई निर्दिष्ट करेगा।

2. धारा 274 के अधीन बनाई गई किसी नयी सड़क की चौड़ाई उस चौड़ाई से कम न होगी, जो उपधारा (1) के अधीन उस श्रेणी के लिए विहित की गई हो, उसके अन्तर्गत वह आती हो और कोई सीढ़ियाँ तथा धारा 293 अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अन्य बाहर निकले हुए भाग (projection) ऐसी सड़क के ऊपर बाहर न निकले रहेंगे, या सड़क तक आगे न बढ़े रहेंगे।

3. मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित नोटिस द्वारा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन नियत किसी सड़क की कम से कम चौड़ाई के भीतर स्थित बाहर निकले हुए भाग को हटावे या उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करे, जिसका वह निदेश देः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ बाहर निकला हुआ भाग विधितः खड़ा किया गया था या बनाया गया था, तो उस दाशा में मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसके हटाने या परिवर्तित करने से हानि या क्षति पहुँचे, प्रतिकर दिया जायगा।

276. किसी उपमार्ग, पुल, आदि को अपना लेने (to adopt) निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी व्यक्ति के साथ

1. किसी वर्तमान या प्रस्तावित (projected) उपमार्ग (sub way), पुल, उत्तर (viadct) या मेहराब और उन तक पहुँचने वाले मार्ग को अपनाने और संधारित करने का करार कर सकता है और तदनुसार ऐसे उपमार्ग, पुल, उतार या मेहराब और उन तक पहुँचने वाले मार्गों को सार्वजनिक सड़कों के मार्गों के रूप में या निगम में निहित सम्पत्ति के रूप में अपना सकता है और संधारित कर सकता है; या
2. किसी ऐसे उपमार्ग, पुल, उत्तर या मेहराब के निर्माण या परिवर्तन के लिये या उनके शिलान्यास (foundations) और मजबूती (support) के लिये या उन तक पहुँचने वाले मार्गों के लिये अपेक्षित किसी पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि को या तो पूर्णतः उस व्यक्तत के व्यय से या अंशतः उसके व्यय से और अंशतः निगम के व्यय से क्रय करने या अर्जित करने के लिए इन्कार कर सकता है।

277. कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार

1. मुख्य नगराधिकारी के लिये निगम की स्वीकृति होने पर यह वैध (lawful) होगा कि वह

(क) किसी सार्वजनिक सड़क विशेष पर, जो निगम में निहित हो, उसके या उसके किसी भाग के दोनों सिरों पर खंभे गाड़ कर वाहनों के यातायात (vehicular traffic) का प्रतिषेध करे, जिससे जनता की विपत्ति, अवरोध अथवा असुविधा (danger, obstruction or inconvenience) का निवारण हो सके;

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कों या विशेष सार्वजनिक सड़कों के सम्बन्ध में, सिवाय, समय संकर्षण या प्रचलन के ढंग (mode of traction or locomotion) पथ-परिवहन की सुरक्षा के लिये, उपकरणों (appliances) के प्रयोग, बत्तियों(light) और सहायकों की संख्या और अन्य सामान्य पूर्वोपायो (precautions) और विशेष परिव्ययों के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी शर्तो के अधीन, जो प्रत्येक मामले में सामान्य रूप से या विशेष रूप से मुख्य नगराधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जायँ, किसी ऐसी वाहन के आने-जाने का प्रतिषेध कर, जिसका रूप, बनावट, भार या आकार ऐसा हो या जिन पर ऐसी भारी या बेसँभाल (unweildy) वस्तुएँ लदी हों कि उनसे सड़क-पथों (roadways) या उन पर बने किसी भवन आदि को क्षति पहुँचना संभव समझा जाय या ऐसी सडक या सड़कों पर, उनके ऊपर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को खतरा या अवरोध (resk or obstruction) पहुँचना सम्भव समझा जाय।

2. ऐसे प्रतिषेधों के जो उपधारा (1) के अधीन आरोपित किये जायँ, नोटिस सम्बद्ध सार्वजनिक सड़कों या उनके भागों के दोनों सिरों पर या उनके समीप प्रमुख स्थानों पर चिपका दिये जायेंगे, जब तक कि वे प्रतिषेध सामान्यतया सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू न हों।

278. सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू-गृहादि के अर्जित करने का अधिकार-

1. इस अधिनियम के उपबन्ध तथा नियमों के अधीन रहते हुये मुख्य नगराधिकारी

(क) किसी सार्वजनिक सड़क, पुल या उपमार्ग को खोलने, चौड़ा करने, बढाने, बदलने या उसमें अन्यथा सुधार करने के प्रयोजन के लिये या किसी नई सार्वजनिक सड़क, पुल या उपमार्ग के बनाने के लिए अपेक्षित किसी भूमि और उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हो, को अर्जित कर सकता है ;

(ख) उक्त भूमि और उस पर स्थित भवन, यदि कोई हों, के अतिरिक्त, ऐसी सभी भूमि को भी उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, के सहित, जिसे ऐसी सड़क की नियमित पंक्ति(regular line) अथवा अभिप्रेत (intended) नियमित पंक्ति के बाहर अर्जित करना, उसे सार्वजनिक हित में इष्टकर प्रतीत हो, अर्जित कर सकता है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन को पटटे पर दे सकता है, बेच सकता है या अन्यथा निस्तारित (dispose of) कर सकता है।

2. वाहनों के अड्डें के लिये स्थान की व्यवस्था करने, उसके विस्तार करने या उसमें सुधार करने के लिये भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह किसी सार्वजनिक सड़क की व्यवस्था करने, उसका विस्तार करने या उसमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया गया भूमि का अर्जन है।

3. उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी भूमि या भवन के हस्तान्तरण-पत्र (conveyance) में वर्तमान भवन को हटाने, निर्मित किये जाने वाले नये भवन के विवरण (description), अवधि जिसमें

ऐसा नया भवन पूरा किया जायगा तथा उसी प्रकार के अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते समाविष्ट की जा सकती हैं, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उपयुक्त समझे।

279. सड़क की पंक्तियों (street lines) को विहित करने का अधिकार -

1. मुख्य नगराधिकारी किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों ओर पंक्ति (line) विहित कर सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क को प्रत्येक नियमित पंक्ति (line)जो नगर के किसी भाग में तत्समय प्रचलित (in force) किसी विधि के अधीन नियत दिन के ठीक पहले के दिन पर प्रवर्तित(operative) हो, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित की गई पंक्ति है। जब तक कि इस धारा के अधीन मुख्य नगराधिकारी नई पक्ति

विहित न करेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर कई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

2. तत्समय विहित पंक्ति सड़क को नियमिति पंक्ति कहलायेगी।

3. मुख्य नगराधिकारी एक पंजी (register) रखेगा, जिसमें नक्शें (plans) संलग्न रहेंगे, और उसमें ऐसी सभी सार्वजनिक सड़कें दिखाई जायेंगी जिनके सम्बन्ध में सड़क की एक नियमित पंक्ति विहित की गई हो और उस पंजी में ऐसे विवरण रहेंगे जो मुख्य नगराधिकारी को आवाश्यक प्रतीत हों और कोई भी व्यक्ति ऐसा शुल्क देने पर, जिसे कार्यकारिणी समिति समय-समय पर विहित करे, उस पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

4. **(क)** उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति सिवाय मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा तथा उन शर्तो के अनुकूलन, जो उसके सम्बन्ध में लगाई गई हों, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की भूमि पर किसी भवन के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा और मुख्य नगराधिकारी प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें वह उक्त अनुज्ञा दे कार्यकारिणी समिति को अपने कारणों का प्रतिवेदन (report) भी लिखित रूप में भेजेगा।

(ख) मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति सड़क की नियमित

पंक्ति के भीतर कोई सीमा-भित्ति (boundary wall) या सीमा-भित्ति के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा-भित्ति या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात 60 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी धारा 282 के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर भूमि अर्जित न कर सके तो उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों तथा नियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुए उस सीमा-भित्ति या उसके किसी भाग का यथास्थिति निर्माण या पुनर्निर्माण करा सकता है।

5. **(क)** यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भूमि पर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा दे देता है तो वह भवन के स्वामी को इस आशय का एक करार (agreement) निष्पादित करने का आदेश दे सकता है कि वह और उसके आगम उत्तराधिकारी (successor-in-title) इस बात के लिये बाध्य (binding) होंगे कि यदि मुख्य नगराधिकारी तत्पश्चात किसी भी समय उससे या उसके किसी आगम उत्तराधिकारी से उक्त अनुज्ञा के अनुसार किये गये किसी निर्माण-कार्य को या उसके किसी भाग को लिखित नोटिस द्वारा हटाने की माँग करे तो वे उसके लिये किसी प्रतिकर का दावा न करेंगे और यदि वे उक्त निर्माण या उसका कोई भाग न हटायें जिसके कारण उसे मुख्य

नगराधिकारी को हटाना पड़े तो वे उसे हटाये जाने के व्यय का भुगतान करेंगे।

(ख) मुख्य नगराधिकारी ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व स्वामी को निगम कार्यालय में ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो उसकी राय में हटाये जाने के व्यय को और ऐसे प्रतिकर को, यदि कोई हो, जो उस भवन के आगम उत्तराधिकारी या हस्तान्तरणग्रहीता (transferee) को देय हो, पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

280. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना-

1. यदि कोई भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक सड़क से मिलता हो, सड़क को नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो मुख्य नगराधिकारी जब कभी यह प्रस्तावित किया जाय कि

(क) उस भवन को फिर से बनाया जाय या उसे उस सीमा तक नीचा किया जाय कि उसका आधे से अधिक भाग भूमि की सतह (ground level) के पर रह जाये तो आधा भाग घनफुटों में नापा जायगा; या

(ख) ऐसे भवन के, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, किसी भाग को हटा दिया जाय, फिर से निर्मित किया जाय या उसमें कोई परिवर्धन किया जाय, या उसके ढाँचे में परिवर्तन किया जाय;

उस भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाये जाने का आदेश दे सकता है।

2. जब कोई भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, गिर पड़े या जल जाय, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी निगम की ओर से सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की उस भूमि पर तुरन्त कब्जा कर सकता है जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और यदि आवाश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है ;
3. इस धारा निगम के अधीन अर्जित भूमि तत्पश्चात सार्वजनिक सड़क का भाग समझी जायगी और इस रूप में नि‍गम में निहित हो जायगी।

281. भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी का अतिरिक्त अधिकार-

1. यदि कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी की राय में, भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना आवाश्यक हो, तो वह, यदि धारा 280 के उपबन्ध लागू न होते हों, लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि वह भवन या उसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, क्यों न गिरा दिया जाय और उक्त पंक्ति के भीतर की भूमि मुख्य नगराधिकारी द्वारा अर्जित क्यों न कर ली जाय।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार स्वामी ऐसे पर्याप्त कारण न बता सके, जिनसे मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो सके, तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग को, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, ऐसी अवधि के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय।

3. यदि उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, भवन का स्वामी ऐसे भवन या उसके किसी भाग को, जो उक्त पंक्ति के भीतर आता हो, न गिरा सके, तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्ययों को स्वामी से वसूल कर सकता है।

4. मुख्य नगराधिकारी निगम की ओर से सड़क की उक्त पंक्ति के भीतर स्थित भूमि के उस भाग पर भी अधिकार कर लेगा जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो और वह भूमि तत्पश्चात सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी और इस रूप में निगम में निहित हो जायगी।

5. इस धारा की कोई बात राज्य में निहित भवनों पर लागू नहीं समझी जायगी।

282. सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या ऐसी भूमि को अर्जित करना जिस पर प्लेटफार्म, आदि हों-

यदि कोई भूमि, जो निगम में निहित न हो, चाहे वह खुली हुई हो या घिरी हुई (open or close), किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और उस पर कोई भवन न हो या यदि कोई मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़ (hedge) या मेड़ (fence) या किसी भवन के बाहर की कोई अन्य संरचना (structure) जो सार्वजनिक सड़क से लगी हुई हो, या किसी मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़, मेड़ या उक्त अन्य संरचनाओं का कोई भाग उस सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भूमि या भवन के स्वामी को कम से कम पूरे चौदह दिन का अपने ऐसा करने के आशय का लिखित नोटिस देने के पश्चात तथा इस बीच में प्रस्तुत किन्हीं आपत्ति-पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात निगम की ओर से उक्त भूमि और उसके बाड़े की दीवालें (enclosing wall) आड़ या मेड़, यदि कोई हो, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी या अन्य ढाँचे पर, जैसा कि पर कहा गया है, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदे, सीढ़ी या अन्य ऐसे ढाँचे के भाग पर, जैसा कि पर कहा गया है, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हों, अधिकार कर सकता है, और यदि आवाश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है और इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि तत्पश्चात सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगीः

किन्त प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि या भवन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो, तो संबद्ध सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा और यदि भूमि या भवन किसी ऐसे निगम में निहित हो, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार संगठित किया

गया हो (constituted) तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायगा।

283. भवन और भूमि के उन भागों को, जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हों, अर्जित करने के पश्चात उनके शेष भागों को अर्जित करना-

1. यदि कोई भवन या भूमि अंशतः सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाले भाग को अलग कर देने के बाद शेष भूमि किसी लाभप्रद प्रयोग के लिये उपयुक्त और ठीक न होगी तो वह स्वामी की प्रार्थना पर उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाली भूमि के अतिरिक्त उक्त भूमि को भी अर्जित कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि निगम में निहित सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायगी।
2. तत्पश्चात ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि धारा 284 के अधीन भवनों को आगे बढ़ाने (setting forward) के प्रयोजनार्थ काम में लायी जा सकती है।

284. भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना-

1. यदि कोई भवन, जो सार्वजनिक सड़क से लगा हुआ हो (abuts), उस सड़क की नियमित पंक्ति के पृष्ठ भाग में हो तो जब कभी

(क) उस भवन को फिर से बचाने का ; या

(ख) उस भवन में ऐसी रीति से परिवर्तन या मरम्मत करने का जिसमें उस भवन का या उसके उस भाग को जो उक्त सड़क से लगा हुआ हो (abuts), भूमि की सतह से ऊपर उस भवन या भाग के आधे भाग तक (जो आधा भाग घन फिटों में नापा जायगा) हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्ताव किया जाय, मुख्य नगराधिकारी किसी आज्ञा में, जिसे वह उस भवन के पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने या मरम्मत करने के संबंध में जारी करे, यह अनुज्ञा दे सकता है या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से आदेश दे सकता है कि उस भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक आगे बढ़ा दिया जाय।

2. इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई दीवाल, जो किसी भू-गृहादि को सार्वजनिक सड़क से अलग करती हो, भवन समझी जायगी और यदि उक्त पंक्ति के साथ-साथ कोई दीवाल ऐसे सामानों से और ऐसे नाप (dimensions) की बना दी जाय, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करे, तो ऐसा करना उस अनुज्ञा या अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायगा, जो किसी भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक बढ़ाने के लिये दी गई हो।

285. प्रतिकर दिया जायगा और उन्नति के परिव्यय (betterment charges) लगाये जायेंगे-

1. धारा 280, 281, 282 या 283 के अधीन किसी सार्वजनिक सड़क के लिये अपेक्षित किसी भूमि या भवन के स्वामी को, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके भवन या भूमि को इस प्रकार अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप उसे जो हानि हो और मुख्य नगराधिकारी द्वारा गई आज्ञा के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा जो व्यय किया गया हो, उसका प्रतिकर दिया जायगाः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि

   (1) ऐसी अवशिष्ट (remainder) संपत्ति के जिसका इस प्रकार अर्जित किया गया भवन या भूमि एक भाग थी, मूल्य में इस संपत्ति को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने में, जो वृद्धि या कमी होने की संभावना हो, उस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने में विचार किया जायगा और उसका संधान किया जायगा (allowed for):

   (2) यदि मूल्य में ऐसी वृद्धि उस क्षति की धनराशि से अधिक हो, जो उक्त स्वामी को हुई हो या जो उसने व्यय की हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी से ऐसी वृद्धि की आधी धनराशि उन्नति के परिव्यय (betterment charges) के रूप में वसूल कर सकता है।

2. यदि धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के परिणामस्वरूप उस भवन के स्वामी को कोई क्षति या हानि हो, तो उसे मुख्य

नगराधिकारी द्वारा ऐसी क्षति या हानि के लिए, भवन को आगे बढ़ाने से उसके मूल्य में किसी संभावित वृद्धि का विचार करने के पश्चात प्रतिकर दिया जायगा।

3. यदि अतिरिक्त भूमि जो किसी ऐसे व्यक्ति के भू-गृहादि में सम्मिलित की जायगी जिसे धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने का आदेश या अनुमति दी गई हो, निगम की हो, तो भवन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा या अनुज्ञा उस भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त हस्तान्तरण (conveyance) होगी और ऐसी अतिरिक्त भूमि मूल्य और हस्तान्तरण (conveyance) के अन्य निबन्धन और शर्ते (terms and conditions) उक्त आज्ञा या अनुज्ञा में निर्धारित कर दी जायेगी।

4. यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करने पर, भवन का स्वामी निगम को दिये जाने के लिए निश्चित किये गये मूल्य या हस्तान्तरण के अन्य निबन्धनों या शर्तो के संबंध में असन्तुष्ट हो, तो मुख्य नगराधिकारी, उक्त स्वामी को उक्त निबन्धन और शर्ते भेजने के पश्चात 15 दिन के भीतर किसी भी समय स्वामी के प्रार्थना-पत्र भेजने पर, मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधीश के पास भेज सकता है।

निजी सड़कों के संबंध में उपबन्ध

286.

भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क बनाने के लिए स्वामी का आभार -यदि किसी भूमि का स्वामी उस भूमि या उसके किसी भाग या भागों को भवनों के निर्माण के लिए स्थलों (sites) के रूप में उपयोग करें, या उन्हें बेचे, या पटटे पर दे या अन्यथा उनका निस्तारण करे, तो वह ऐसी दाशाओं को छेड़कर जब ऐसा स्थल या ऐसे स्थल किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिले हों, ऐसी सड़क या सड़कों या मार्ग या मार्गो का विन्यास करेगा और उन्हें बनायेगा जो उक्त स्थल या स्थलों तक पहुँचते हों और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिलते हों।

287.

1. भवनों और निजी सड़कों के लिए भूमि का विन्यास करने के लिए नोटिस -(1) यदि किसी व्यक्ति का विचार

    (क) किसी भूमि को किसी क्रेता (purchaser) या पट्‌टागृहीता (lessee) को इस प्रसंविदा (covenant) या करार के अधीन बेचने पर पट्‌टे पर देने का हो कि वह उस पर भवन बनायेगा,

    (ख) भूमि को चाहे उस पर कोई भी निर्माण न हो, या अंशतः निर्माण हो भवन के लिए गाटों (plots) में बाँटने का हो; या

    (ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देने का हो; या

(घ) किसी निजी सड़क को बनाने या उसका विन्यास करने का हो, चाहे जनता को उस सड़क पर से आने-जाने या वहाँ तक पहुँचने की अनुज्ञा देने का विचार हो या न हो, तो वह नियमों और उपविधियों में उल्लिखित रीति से अपने विचार का लिखित नोटिस मुख्य नगराधिकारी को देगा।

2. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस पर उस रीति से कार्यवाही करेगा, जो नियमों और उपविधियों में विहित हों और ऐसे सामान्य आदेशों के अधीन जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय-समय पर दें, भवनों के लिए भूमि का विन्यास, प्रत्येक भवन के गाटे की लम्बाई-चोड़ाई (dimensions) और क्षेत्रफल, प्रत्येक निजी सड़क का तल (level), दिशा (direction) चौड़ाई और जल-निस्सारण के साधन, ऐसी सड़कों के किनारे लगाये और पोषित किये जाने वाले पेड़ों की किस्म और संख्या, ऐसी भूमि पर या ऐसी सड़क के दोनों किनारों पर बनाये जाने वाले सभी भवनों की ऊँचाई, जल निस्सारण के साधन और उनका संवीजन (vantilation) और उनमें पहुँचनें के मार्ग निर्धारित करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस अथवा नियमों के अधीन माँगे गये नक्शे, खंड, ब्योरे, योजनायें या अतिरिक्त सूचनायें, यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन तक उस व्यक्ति को जिसने नोटिस दिया, विषयों में से किसी के सम्बन्ध में अपनी असहमति सूचित करने में उपेक्षा या चूक करता है, तो ऐसे व्यक्ति लिखित

संसूचना द्वारा अपेक्षा या चूक की ओर मुख्य नगराधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है और यदि वह उपेक्षा या चूक मुख्य नगराधिकारी द्वारा लिखित सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन दिन की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है तो समझा जायगा कि उक्त व्यक्ति की प्रस्थापनाएँ मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित कर ली गई हैः

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यहाँ अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी व्यक्तिको अधिनियम अथवा किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है।

3. यदि मुख्य नगराधिकारी उक्त निर्माण-कार्यो के संबंध में कुछ शर्तो के अधीन या बिना किसी शर्त के अपना अनुमोदन (approval) लिखित रूप से किसी व्यक्ति को सूचित कर दे या यदि उक्त निर्माण-कार्य पूर्वोक्त रूप में मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुमोदित समझा जाय तो उक्त व्यक्ति उपधारा (1) मुख्य नगराधिकारी को नोटिस मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी समय नोटिस में या पूर्वोक्त किसी लेख्य (document) में दिये गये आशय (intention) के अनुसार और मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित शर्तो के अनुसार यदि कोई हों, उक्त निर्माण-कार्य के संबंध में कार्यवाही कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन हो जाय।

288. नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायगा-

1. कोई व्यक्ति तब तक किसी भूमि को, चाहे उसका विकास न हुआ हो या अंशतः हुआ हो, भवन निर्माण के लिए न बेचेगा, न पटटे पर देगा, न प्रयोग करेगा या न उसके प्रयोग की अनुमति देगा, न ऐसी किसी भूमि को भवन के गाटों में बाँटेगा, न किसी निजी सड़क को बनायेगा, न उसका विन्यास करेगा

(क) जब तक कि धारा 286 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो;

(ख) जब तक कि उस व्यक्ति ने धारा 287 में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने आशय का पहले ही लिखित नोटिस न दे दिया हो और जब तक कि ऐसा नोटिस दिये जाने के पाश्चात 60 दिन समाप्त न हो गये हों और जब तक उक्त कार्य उन आदेशों के (यदि कोई हों), जो धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन निश्चित और अवधारित किये गये हों, अनुकूल न हों;

(ग) जबकि धारा 287 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 287 की उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माण-कार्य करने का अधिकार हो उसमें निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न कर सके, तो किसी भी समय उस निर्माण-कार्य को संपादित करने के अपने आशय का नये सिरे से नोटिस

दे सकता है और ऐसा नोटिस धारा 287 की उपधारा (1) के अधीन दिये नये सिरे से दिया गया नोटिस समझा जायगा।

(घ) जब तक कि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी को उस दिनांक का लिखित नोटिस न दे जिस पर वह कोई ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में कार्यवाही करना चाहता है, जिसे करने का उसे अधिकार है और नोटिस में उल्लिखित दिनांक से सात दिन के भीतर उस निर्माण-कार्य को आरम्भ न कर दे।

2. यदि इस धारा का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाय या उसे करने की अनुज्ञा दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कार्य करने वाले या करने की अनुज्ञा देने वाले किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह

(क) उस दिन को या उससे पहले, जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, ऐसे लिखित कदम द्वारा, जिस पर उसने एतदर्थ हस्ताक्षर किये हों और जो मुख्य नगराधिकारी को संबोधित हो, इस बात का कारण बताये कि इस धारा का उल्लंघन करके जो विन्यास, गाटा, सड़क या भवन बनाया गया है, उसे मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार क्यों न बदल दिया जाय, या यदि ऐसा करना उसकी राय में अव्यवहारिक हो तो वह सड़क या भवन क्यों न गिरा या हटा दिया जाय, या भूमि उसी स्थिति में क्यों न कर दी जाय, जैसी कि वह अनधिकृत निर्माण कार्य से संपादित किये जाने के पहले थी ; या

(ख) स्वयं या किसी ऐसे अभिकत्तर द्वारा जिसे उसने एतदर्थ यथावत प्राधिकृत किया हो, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित हो और पूर्वोक्त रूप से कारण बताये।

3. यदि वह व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह कारण न बता सके कि वह सड़क या भवन उक्त रूप में क्यों न बदल दिया जाय, गिरा दिया जाय या हटा दिया जाय या वह भूमि उक्त पूर्व स्थिति में क्यों न कर दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी बदलवाने, गिराने, हटाने या भूमि को उक्त स्थिति में करने का कार्य करा सकता है और उसका व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा अदा किया जायगा।

4. धारा 286 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में वर्णित कार्यवाही करने के बदले कोई सड़क या सड़कों, मार्ग या मार्गो को बना सकता है, जो धारा 286 में निर्दिष्ट स्थल या स्थलों तक पहुँचे और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिल जाय तथा ऐसे करने में किये गये व्यय की धनराशि स्थल अथवा स्थलों के स्वामी या स्वामियों से ऐसे अनुपात तथा ऐसी रीति से वसूल करेगा जो निर्धारित की जाय।

289. निजी सड़कों तथा पहुँचने के साधनों का समतल किया जाना और उनकी जल-निस्सारण व्यवस्था-

1. यदि कोई निजी सड़क या किसी भवन तक पहुँचने का कोई अन्य साधन मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार समतल, पक्का, चौरस, पत्थर का (flagged) या खंड़जों (paved) का या नालों या नालियों तथा मोरियों (seweged, drained channelled) सहित न बनाया गया हो, या जिसमें रोशनी या छाया के लिए वृक्षों की व्यवस्था न की गयी हो, तो वह कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से लिखित नोटिस द्वारा उन भू-गृहादि के, जो उक्त सड़क या पहुँच के अन्य साधनों के सामने पड़ते हों या उनसे सटे हों या उनसे लगे हुये हों (abutting) या जिन तक पहुँचने का मार्ग ऐसी सड़क या पहूँच के अन्य साधनों से होकर बनाया गया हो या जिन्हें इस धारा के अधीन संपादित निर्माण-कार्यो से लाभ पहुँचेगा, स्वामी या अनेक स्वामियों को पूर्वोक्त अपेक्षाओं में से किसी एक या एकाधिक को ऐसी रीति से पूरा करने का आदेश दे सकता है जो वह आदिष्ट करे।
2. यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्दिष्ट रीति से उपर्युक्त अपेक्षा या अपेक्षाओं को पूरा न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी यदि उचित समझे, उसे पूरा कर सकता है और उसका व्यय चूक करने वाले स्वामी या स्वामियों से अध्याय 21 के अधीन वसूल किया जायगा।
3. यदि वसूली चूक करने वाले दो या दो से अधिक स्वामियों से की जानी हो तो वह इस आधार पर कि उनके भू-गृहादि का कितना भाग सामने पड़ता है और ऐसे अनुपात में की जायगी जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित किया जाय।

290. निजी सड़कों को सरकारी सड़क घोषित करने का अधिकार-

1. जब कोई निजी सड़क मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार समतल, पक्की, चौरस, पत्थर की या खंड़जों की या नालों, नालियों तथा मोरियों सहित बनायी गयी हो और ठीक कर दी गई हो, तो वह यदि रोशनी के खंभ (lamp post) और उस सड़क पर रोशनी के लिए अन्य आवाश्यक स्थिर-यंत्रों (apparatus) की व्यवस्था उसके संतोषानुसार की गयी हो, उस सड़क को सरकारी सड़क घोषित कर सकता है और उस सड़क के स्वामियों या स्वामी को प्रार्थना पर यह घोषित करेगा कि उक्त निजी सड़क, सरकारी सड़क है। यह घोषणा ऐसी सड़क के किसी भाग पर लिखित नोटिस लगाकर की जायगी और तत्पश्चात् वह निजी सड़क सार्वजनिक सड़क हो जायगी और उसी रूप में निगम में निहित हो जायगीः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नोटिस लगाने के पश्चात् एक मास के भीतर उस सड़क का या उसके वृहत्तर भाग का स्वामी मुख्य नगराधिकारी को लिखित नोटिस देकर इस संबंध में आपत्ति करे तो वह सड़क सार्वजनिक सड़क नहीं होगी।

2. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी सड़क के जो सार्वजनिक सड़क न हो और उपधारा (1) के अधीन न आती हो, किसी भाग पर लिखित रूप से सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के पश्चात दो मास के भीतर उस सड़क के स्वामी उक्त नोटिस के विरूद्ध निगम के कार्यालय में आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यकारिणी-समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी

और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो मुख्य नगराधिकारी उस सड़क या उस भाग पर अतिरिक्त नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करेगा।

291.

किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंशतः निजी होने की दाशा में धारा 289 और धारा 290 का लागू होना यदि किसी सड़क का केवल कुछ भाग ही सार्वजनिक सड़क हो तो उस सड़क का शेष भाग धारा 289 और धारा 290 के समस्त प्रयोजनों के लिए निजी सड़क समझा जा सकता है।

बाहर निकले हुए भाग और अवरोधक

(Projections and Obstructions)

292. सड़कों, आदि पर बाहर निकले हुए भागों का प्रतिषेध

1. धारा 293 में की गई व्यवस्था के अनुकूल, कोई व्यक्ति किसी भू-गृहादि से सटाकर (against) या उसके सामने कोई ऐसी संरचना या स्थापक (structure of fixture) न निर्मित करेगा, न लगायेगा, न बढ़ायेगा, और न रखेगा, जायेगा

(क) किसी सड़क के ऊपर लटकता हो, जिसका कोना उसके आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर निकला हो (jut of project into) या जो किसी भी प्रकार से उसका अतिक्रमण करता हो या जो किसी भी प्रकार से सड़क पर जनता के सुरक्षित या सुविधाजनक गमनागमन को अवरूद्ध करता

हो; या

(ख) किसी सड़क की किसी नाली या खुली नाली के आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर हो, या उनका अतिक्रमण करता हो जिससे ऐसी नाली या खुली नाली के प्रयोग या उसके ठीक से काम करने में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई कार्य को अवबाधित (impede) करता हो।

2. मुख्य नगराधिकारी किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी (occupier) से लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी ढाँचे या संलग्नक को, जो उक्त भू-गृहादि से सट कर या उसके सामने इस धारा का या नियत दिन के ठीक पहले दिन नगर में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करके निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, हटाने या उसके संबंध में अन्य ऐसी कार्यवाही करने की, जिसका व आदेश दे, अपेक्षा कर सकता है।

3. यदि उक्त भू-गृहादि का अध्यासी उस नोटिस के अनुसार किसी ढाँचे या संलग्नक को हटाये या बदले तो उसे जब तक कि उक्त ढाँचा या संलग्नक स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया, लगाया गया या रखा गया न हो तो उक्त नोटिस के पालन करने में सभी उचित व्ययों को भू-गृहादि के स्वामी के खाते में डालने का अधिकार होगा।

4. यदि कोई ऐसा ढाँचा या संलग्नक, जिसका उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है किसी भू-गृहादि से सटाकर या सामने 1 अप्रैल, 1901 के पहले किसी समय निर्मित किया गया हो, लगाया गया

हो, बढ़ाया गया हो, या रखा गया हो तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से नोटिस दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे मामले में ढाँचा या संलग्नक वैध रूप से (lawfully) निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायगा जिसे उसके हटाने या बदलने से हानि या क्षति पहुँचे।

टिप्पणी

नोटिस के बिना छज्जे के हटाये जाने का प्रभाव -कोई भी निर्माण जो किसी भी प्रकार किसी मार्ग के पर लटक रहा हो या ढ़क लेता हो और जो किसी भी प्रकार सर्वसाधारण को मार्ग से सुरक्षित रूप से गुजरने में बाधक हो, निकला हुआ भाग (projection) होता है, उसको बिना नोटिस के हटाया नहीं जा सकता। लोधाराम बनाम न०म०पा०, कानपुर, 1981 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 116: 1986 (6) ए०एल०आर० 635: 1980 ए०डब्ल्यू०सी० 52: 1980 ए०एल०जे० 1087।

293. कुछ दाशाओं में सड़कों के पर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है

1. मुख्य नगराधिकारी ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह प्रत्येक मामले में उचित समझेगा, सड़क से लगे हुए किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को-

(क) उस सड़क या उसके किसी भाग पर बरसाती कमाचा (arcade) ; या

(ख) किसी सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आर-पार (over or across) बरामदा, छज्जा, मेहराब, योगमार्ग (connecting passage) बरसाती (sun shade), ऋतुसूचक ढाँचा (wather frame), छत्र (canopy), तिरपाल (awning) , या अन्य ऐसा ही ढाँचा या वस्तु, जो किसी मंजिल (storey) से बाहर निकली हो, बनाने की लिखित अनुमति दे सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी ऐसी सार्वजनिक सड़कों पर बरसाती कमाचा (arcade) बनाने की अनुमति नहीं दी जायगी, जिस पर उसे बनाने की स्वीकृति सामान्तया निगम द्वारा न दी गई हो अथवा जब किनारों के बीच की चौथई 60 फीट से कम हो।

2. इस धारा के अधीन दी गयी अनुमति के निबन्धनों के अधीन और उसके अनुसार निर्मित किये गये या रखे गये किसी बरसाती कमाचे, बदामदे, छज्जे, मेहराब, योगमार्ग, बरसाती, ऋतुसूचक, छत्र, तिरपाल या अन्य ढाँचा या वस्तु पर धारा 292 के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे।

3. मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बनाये गये बरामदे, छज्जे, बरसाती, ऋतुसूचक ढाँचे में ऐसी ही किसी वस्तु के हटाने का आदेश दे सकता है, और वह स्वामी या अध्यासी तदनुसार कार्यवाही

करने के लिए बाध्य होगा किन्तु उसे इस प्रकार हटाने के कारण हुई हानि तथा उस पर किये गये व्यय के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

294. सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे, आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिए

1. कोई दरवाजा, फाटक, परद (bar) या सबसे नीचे के मंजिल की खिड़की मुख्य नगराधिकारी से बिना अनुज्ञप्ति (licence) लिये हुए इस प्रकार लटकायी या रखी न जायगी कि वह किसी सड़क पर बाहर की ओर खुले।

2. मुख्य नगराधिकारी किसी भी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू-गृहादि के, जिसके सबसे नीचे की मंजिल का कोई दरवाजा, फाटक, परदा या खिड़की, किसी सड़क पर बाहर की ओर, या ऐसी भूमि पर, जो सड़क के सुधार के लिए आवाश्यक हो, उस रीति से खुलती हो उससे मुख्य नगराधिकारी की राय में उस सड़क के पर जनता के सुरक्षित और सुविधाजनक गमनागमन अवरूद्ध होते हों, स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस दरवाजे, फाटक, परदे या खिड़की को इस प्रकार बदलवाये कि वह बाहर की ओर न खुले।

295. सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध -

1. कोई व्यक्ति धारा 293 या 300 के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के अनुकूल किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी सड़क की किसी खुली नाली (channel) नाली, कुयें या तालाब पर या

उसके पर कोई दीवाल, मेंड़, (fence) , कटघरा (rail), खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढाँचा, चाहे वह स्थिर हो या चल (fixed or movable) और चाहे स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो या कोई संलग्नक (fixture) न इस प्रकार निर्मित करेगा और न लगायेगा कि उस सड़क, खुली नाली, कुएँ या तालाब के लिए कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या वह उस पर आगे निकला हो, उसके पर बाहर निकला हो या उसके किसी भाग को घेरे हुए होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसी किसी निर्माण (erection) या वस्तु पर लागू नहीं समझी जायगी जिस पर धारा 302 की उपधारा (1) का खण्ड (ग) लागू होता हो।

2. कोई व्यक्ति, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के

(क) किसी सड़क पर या किसी सड़क की खुली नाली (channel), पनाली (drain) या कुएँ पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कोई दूकान (stall), कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर (bale) या कोई भी अन्य वस्तु इस प्रकार न रखेगा या जमा करेगा कि उससे उस पर अवरोध हो या उसका अतिक्रमण (encroachment) हो;

(ख) किसी सड़क के पर, या किसी सड़क की किसी खुली नाली, पनाली, कुंये या तालाब के पर किसी भवन की कुर्सी (plinth) की रेख (line) के आगे कोई तख्ता या कुर्सी (chair) सड़क के धरातल से 12 फीट से कम की ऊँचाई पर बाहर नहीं निकलेगा;

(ग) किसी सड़क से लगी हुई दीवाल या भवन के भाग से पूर्वोक्त ऊँचाई से कम ऊँचाई पर कोई भी वस्तु न लगा सकता है और न लटका सकता है (attached to or suspend from):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) की कोई बात भवन सामग्री (building material) पर लागू नहीं होती।

3. कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी पशु को न बाँधेगा और न अपने परिवार या घर के किसी सदस्य को बाँधने देगा और न बाँधने की अनुमति देगा। पूर्वोक्त रूप में बाँधा गया कोई पशु मुख्य नगराधिकारी या निगम के पदाधिकारी या नौकर द्वारा हटाया जा सकता है और वह उसके सम्बन्ध में वही कार्यवाही करेगा जो छूटे हुये (stray) पाशुओं के संबंध में की जाती है।

296.

मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है मुख्य नगराधिकारी, बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है

1. कोई ऐसी दीवाल, मेंड़ (fence), कठघरा (rail), सीढ़ी, छप्पर (booth) या अन्य ढाँचा, चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या स्थायी, या कोई ऐसा स्थापक (fixture)जो किसी सड़क में या उसके पर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएँ या तालाब पर या उसके पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नियत दिन के पश्चात् निर्मित या संस्थापित किया जाय;

2. कोई दुकान (stall) कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गट्ठर, तख्ता या आलमारी, या अन्य कोई भी वस्तु, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी, निकाल दी गई हो;

3. कोई भी वस्तु, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक सड़क में, इस अधिनियम का उल्लंघन करके फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाय और कोई वाहन, बंडल (package) बक्स या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसमें या जिन पर ऐसी वस्तु रखी हो।

टिप्पणियाँ

अन्य निर्माण-

किसी सार्वजनिक मार्ग पर पर लटका रहने वाला छज्जा इस धारा के अन्तर्गत नहीं आता। लोधराम बनाम न०म०पा०, कानपुर, 1981 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 116।

निर्माण का हटाया जाना-अधिकारित - किसी मार्ग के ऊपर किसी निर्माण को इस अधिनियम के अधीन बिना नोटिस के हटाने की अधिकारिता नगर निगम को प्राप्त है। मुहम्मद अमीन अमीन न०म०पा०, 1982 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 717।

297. झाड़ियों और पेड़ों को छाँटने के लिए आदेश देने का अधिकार -मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा

किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, या उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर लगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को जो सड़क के पर लटकती हों और से अवरूद्ध करती हों या जिनसे संकट उत्पन्न होता हो, काटने या छाँटने का आदेश दे सकता है।

298.

दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार -जब कोई निजी मकान, दीवाल, या अन्य निर्माण या उनसे संबद्ध कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और अन्य सार्वजनिक नाली को अवरूद्ध करे या सड़क को घेर ले, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे अवरोध या घेरे को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकता है और उस व्यय को अध्याय 21 में दी गई रीति से वसूल कर सकता है या नोटिस द्वारा स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

टिप्पणी

बाधा-भूमि के धरातल के नीचे किया गया कोई निर्माण भी बाधा हो सकेगा। वह या अन्य निर्माण के अर्थ के अन्तर्गत आयेगा, और उसको हटाया जा सकेगा। लोधाराम बनाम न०म०पा०, कानपुर, 1981 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 116।

299. नियत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढाँचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार

1. मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिससे सटे हुए या जिसके सामने या जिससे कोई संबद्ध कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कटघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढाँचा या संलग्नक, नियत दिन के पूर्व निर्मित या संस्थापित किया गया हो, जिसका निर्मित या संस्थापित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अवैध हो, आदेश दे सकता है कि वह उक्त दीवाल, मेड़, काठघरे, खंभे, सीढ़ी, दूकान या अन्य ढाँचे या वस्तु को हटा दे।
2. यदि भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी सिद्ध कि ऐसा बाहर निकला हुआ भाग, अतिक्रमण (encroachment) या अवरोध ऐसी अवधि से अस्तित्व में है जो सीमावधि के अधीन उसे रूढ़ि प्राप्त आगम (perscriptive title) देने के लिए पर्याप्त है (या यदि ऐसी अवधि 30 वर्ष से कम हो तो 30 वर्ष तक) या वह यह सिद्धकरे कि वह एतदर्थ यथावत अधिकृत किसी निगम प्राधिकारी की सहमति से बनाया गया है, और यह सिद्ध करे कि वह अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए सहमति मान्य (valid) हो, समाप्त नहीं हुई है, तो निगम इसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसके हटाये या बदले जाने से क्षति पहुँचे उचित प्रतिकर देगा।

टिप्पणी

नियुक्त दिन, अर्थात 1-2-1960 के पश्चात किया गया निर्माणः धारा लागू नहीं होगी- नियुक्त दिन के पर्याप्त पश्चात अर्थात 16-5-1963 को किया गया। यह धारा केवल तब लागू होती है जबकि निर्माण

नियुक्त दिनांक अर्थात 6-2-1960 के पूर्व किया गया हो। शिवसागर शुक्ल बनाम न०म०पा०, इलाहाबाद, 1984 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 283।

300. मुख्य नगराधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर छप्पर, आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है -

जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य पदाधिकारी की, जिसे जिला मजिस्टेट समय-समय पर एतदर्थ नाम-निर्देशित करें, सहमति से मुख्य नगराधिकारी उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर छप्पर और ऐसा ही कोई अन्य ढाँचा अस्थायी रूप से निर्मित करने की लिखित अनुमति दे सकता है।

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण-कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में उपबन्ध

301. सड़कों पर या उनके निकट निर्माण कार्यो का संपादन-

जब कभी किसी सड़क पर या उसके निकट निगम की ओर से किसी निर्माण-कार्य का सम्पादन हो रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी सुरक्षा और सुविधा के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करेगा, जिसे उसके लिये नियमों के अधीन करना अपेक्षित हो। जब पूवोक्त कोई निर्माण-कार्य या कोई ऐसा निर्माण-कार्य, जो विधितः सड़क पर संपादित किया जा सके, किया जा रहा हो तो मुख्य नगराधिकारी नियमों में दी गयी रीति से सड़क को गमनागमन के लिए पूर्णतया या अंशतः या किसी ऐसे गमनागमन के लिए, जिसे वह आवाश्यक समझे, बन्द कर सकता है।

302. बिना अनुमति के सड़क न खोदी जाय, न तोड़ी जाय और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय-

1. मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम के पदाधिकारी या नौकर से भिन्न कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा या अन्य वैध प्राधिकार के बिना-

   (क) किसी भूमि या खड़ंजे या किसी दीवाल, मेंड़, खंभे, जंजीर या किसी अन्य सामग्री या वस्तु को, जो निगम में निहित किसी सड़क का भाग हो या किसी खुली जगह में हो, न खोदे, न तोड़, न अपने स्थान से हटाये (displace), न उसमें कोई परिवर्तन करे और न उसे कोई क्षति पहूँचाये ;

   (ख) निगम में निहित किसी सड़क या खुली जगह पर कोई भवन-सामग्री एकत्र न करे ;

   (ग) निगम में निहित किसी सड़क या किसी खुली जगह पर किसी भी निर्माण-कार्य के प्रयोजन के लिये कोई पाढ़ (scaffold) या अन्य स्थायी निर्माण (erection) या गारा बनाने (marking mortar) या ईटें, चूना, कूड़ा-करकट या अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ (bar) कठघरे, पटल (board) या अन्य वस्तुएँ न लगायें।\

2. उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के विवेकानुसार उसके द्वारा उस व्यक्तिको, जिसे अनुज्ञा दी गई हो, अनुज्ञा को समाप्त करने के सम्बन्ध में कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस देने पर समाप्त की जा सकेगी।

3. मुख्य नगराधिकारी बिना नोटिस दिये

(क) ऐसी भूमि या खंड़जे या किसी दीवाल, मेंड़, खंभे, छड़ या अन्य सामग्री या वस्तु को, जो सड़क का भाग हो, उसी दाशा में करवा सकता है, जैसी कि हव उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा लिये बिना किसी प्रकार से खोदे जाने, तोड़े जाने, अपने स्थल से हटाये जाने या परिवर्तित किये जाने के पूर्व थी ;

(ख) उन दशाओं को छोड़कर, जिनमें उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी सड़क पर भवन-सामग्री एकत्र करने की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो और प्रार्थना-पत्र देने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्रार्थी को कोई उत्तर न भेजा गया हो, किसी भवन-सामग्री या किसी पाढ़ (scoffold) या किसी अस्थायी निर्माण या बाड़े के रूप में किन्हीं खंभों, छड़ों, कठघरो, पटलों या अन्य वस्तुओं को, जो किसी सड़क पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा या प्राधिकार के बिना एकत्र की गई हो या लगायी गयी हो या जो ऐसी अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्रिति की गई हो या लगायी गई हो, परन्तु उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटायी न गई हो, हटवा सकता है।

303. उन व्यक्तियों द्वारा जन-सुरक्षा के पूर्वोपायों (precautions) का किया जाना, जिन्हें धारा 302 के अधीन अनुज्ञा दी जाय

1. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 302 के अधीन अनुमति दी जाय अपने व्यय से उस स्थान को, जहाँ भूमि या खड़ंजा खोदा गया हो या जहाँ उसने भवन-सामग्री एकत्र की हो या कोई पाढ़ निर्माण या अन्य वस्तु लगायी हो, उचित रूप से मेंड़ द्वारा घिरवायेगा और उसकी रक्षा करवायेगा और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें उसका दुर्घटना बचाना आवाश्यक हो, रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करायेगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदने या तोड़ने की अनुज्ञा दी गई हो या जो अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदे या तोड़े यथाशक्य पूर्ण वेग से उस निर्माण-कार्य को पूरा करेगा, जिसके लिये कि वह खोदा या तोड़ा जायगा और भूमि को भरेगा और उस खोदी या तोड़ी गई सड़क या खडंजे को अविलम्ब मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार फिर पूर्ववस्था में करके ठीक करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से सड़क या खंड़जे को ठीक करवा सकता है और ऐसा करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा।

3. मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदने या तोड़ने की अनुमति दी गयी हो या जो किसी अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी निर्माण-कार्य का सम्पादन करने के लिये किसी सड़क की भूमि या खंड़जा खोदे या तोड़े यह आज्ञा दे सकता है कि वह उसके सन्तोषानुसार उस सड़क से होकर भू-

गृहादि को जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के निमित्त यातायात (traffic) के लिये मार्ग या उसके परावर्तन (passage of diversion) को और किसी नाली, जल-सम्भरण या प्रकाश के ऐसे साधनों को, जो उक्त निर्माण-कार्य के सम्पादन के कारण बाधित होते हों, व्यवस्था करे।

304. भवन, जो सड़कों के कोनों पर हों-

1. मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे भवन के, जिसका निर्माण हो चुका हो या जिसका निर्माण होने वाला हो या जिसका पुनर्निर्माण या मरम्मत होनी हो और जो दो या अधिक सड़कों के संगम पर स्थित हो, कोने को ऐसी ऊँचाई पर और ऐसी रीति से, जिसे वह निर्धारित करे, गोल किये जाने या ढालू किये जाने (rounded and splayed) का आदेश दे सकता है और उक्त आज्ञा में चहारदीवारी (compound wall) या मेंड़ (fence) या आड़ (hedge) या किसी भी प्रकार की अन्य संरचना (structure) के संबंध में या उस भवन से सम्बद्ध भू-गृहादि पर कोई पेड़ लगाने या उसे रहने देने के संबंध में ऐसी शर्तें भी लगा सकता है, जिन्हें वह आवाश्यक समझे।
2. उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा के कारण होने वाली किसी हानि या क्षति के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर दिया जायगा।

3. ऐसी प्रतिकर निर्धारित करने में उस लाभ का ध्यान रखा जायगा, जो उस भू-गृहादि को सड़कों के सुधार से प्राप्त हो।

आकाश-चिन्ह और विज्ञापन

305. आकाश-चिन्ह के संबंध में विनियम

1. कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस प्रकार का कोई आकाश-चिन्ह, जो नियमों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियतदिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसी लिखित अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिये, जो दो वर्ष से अधिक न हो, दी या नवीकृत की जायगी, पर इस शर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायगी, यदि

(क) मुख्य नगराधिकारी के आदेशों के अधीन उस आकाश-चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय इसमें अन्य कोई परिवर्धन किया जाय;

(ख) आकाश-चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन किया जाय;

(ग) आकाश-चिन्ह या उसका कोई भाग दुर्घटना से नष्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय

(घ) उस भवन या ढाँचे में, जिस पर या जिसे पर आकाश-चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाय, जिसमें आकाश-चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थापन (disturbance) अन्तर्ग्रस्त हों;

वह भवन या ढाँचा, जिस पर या जिसके पर आकाश-चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय।

2. यदि उस अनुज्ञा के अनुकूल, जिसकी व्यवस्था इसके पूर्व की जा चुकी है, कोई आकाश-चिन्ह नियत दिन के पश्चात किसी भूमि, भवन या ढाँचे पर या उसके पर खड़ा किया जाय, लगाया या रहने दिया जाय, तो उस भूमि, भवन या ढाँचे के स्वामी या अध्यासी व्यक्ति(person in occupation) के संबंध में यह समण जायगा कि उसने इस धारा का उल्लंघन करके ऐसे आकाश-चिन्ह को खड़ा किया, लगाया या रहने दिया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि उक्त उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके नियोजन या नियंत्रण में नहीं था अथवा उसके अज्ञानाभियान के बिना हुआ है।

3. यदि कोई आकाश-चिन्ह इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी अवधि के लिए उसके खड़े किये जाने, लगाने या रहने दिये जाने के लिये दी गई आज्ञा समाप्त या शून्य हो जाने के पश्चात खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन या ढाँचे के स्वामी या अध्यासी को, जिस पर या जिसके पर आकाश-चिन्ह खड़ा

किया, गया या रहने दिया गया हो, ऐसे आकाश-चिन्ह को उतारने और हटा देने का आदेश दे सकता है।

306. विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण -

1. मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि, भवन, दीवाल, बाढ़ (hoarding) या संरचना के स्वामी या उसमें अध्यासीन व्यक्तियों को उस अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो, उस भूमि, भवन, दीवान, भोजनालय या ढाँचे पर के किसी विज्ञापन के उतारने या हटा देने का आदेश दे सकता है।

2. यदि विज्ञापन उस अवधि के भीतर उतारा या हटाया न जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे उतरवा या हटवा सकता है, और उसके उतारने या हटाने में उचित रूप से किया गया व्यय ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

3. इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होंगे, जो

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता हो;

(ख) ऐसे व्यापार या कारबार (trade or business) से संबंध रखता हो जो उस भूमि या भवन के भीतर किया जाता हो या जो उस भूमि या भवन या उनके किसी सामान (effects) के किसी विक्रय या उसे किराये पर उठाने से संबंध रखता हो या जो उनमें आयोजित किये जाने वाले किसी

विक्रय, मनोरंजन या अधिवेशन (meeting) से संबंध रखता हो;

(ग) किसी रेल प्राशासन के कारबार से संबंध रखता हो;

(घ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेल प्राशासन की किसी दीवाल या अन्य सम्पत्ति के पर प्रदर्शित किया जाता हो, सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह (surface) के उस भाग के जो किसी सड़क के सामने हो।

खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान, जहाँ कोई ऐसा निर्माण-कार्य किया जा रहा हो, जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो

307. सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण-कार्य के समय बाड़ों का लगाया जाना

1. कोई व्यक्ति जो किसी भवन या दीवाल को बनाने, गिराने या फिर से बनाने या किसी भवन या दीवाल के किसी भाग में परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने का विचार करता हो, ऐसी किसी भी दाशा में, जिसमें उससे सटी हुई किसी सड़क की पगडंडी अवरूद्ध या कम सुविधाजनक हो जाय, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह पहले सुविधाजनक मचान और कटेहरा सहित, यदि उसके लिए पर्याप्त स्थान हो, और मुख्य नगराधिकारी उसे वांछनीय समझें, उचित और पर्याप्त बाड़ (hoarding) में मेड़ न लगवा ले, जो ऐसे बाड़ या मेड़ के बाहर यात्रियों के लिए पगडंडी का काम देगा।

2. कोई बाड़ या मेड़ मुख्य नगराधिकारी के लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त प्रकार से न लगायी जायगी, और प्रत्येक ऐसा तख्ता या मेड़, जो ऐसी अनुज्ञा से पूर्वोक्त मचान और कटेहरा सहित लगायी गयी हो, निर्माण-कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार उस समय तक के लिये, जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के लिए आवाश्यक हो, खड़ी रहने दी जायगी और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें वह दुर्घटनाएं बचाने के लिये आवाश्यक हों, उक्त व्यक्ति उस बाड़ या दीवार पर रात्रि में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करेगा।
3. मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को इस प्रकार लगाये गये किसी बाड़ या मेड़ को हटाने का आदेश दे सकता है।

308. मुख्य नगराधिकारी खतरनाक या ऐसे स्थानों की, जहाँ कोई ऐसा निर्माण-कार्य किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने (enclosing) की कार्यवाही करेगा

1. यदि कोई स्थान मुख्य नगराधिकारी की राय में किसी सड़क के यात्रियों या उसके पास-पड़ोस के लिए पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण (protection) या घेरे के न होने के कारण या उस पर कोई निर्माण-कार्य सम्पादित किये जाने के कारण, संकटप्रद हो या यदि कोई ऐसा निर्माण-कार्य मुख्य नगराधिकारी की राय में उन व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डलता हो, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त स्थान की मरम्मत करने, उसका संरक्षण करने

या उसे घेरने या अन्य ऐसी कार्यवाही करने का, जो मुख्य नगराधिकारी को आवाश्यक प्रतीत हो, आदेश दे सकता है, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले संकट का निवारण हो सके या उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित हो जाय।

2. मुख्य नगराधिकारी ऐसा कोई नोटिस देने से पूर्व या ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त स्थान से होने वाले संकट के निवारणार्थ या उस निर्माण-कार्य पर सुरक्षा या सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अस्थायी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे और ऐसी अस्थायी कार्यवाही करने में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया गया व्यय उस स्थान के, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिया गया हो, स्वामी या अध्यासी को वहन करना पड़ेगा।

309. गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियाँ-

1. कोई व्यक्ति जो किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराने का विचार करता हो, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त बाड़ या मेड़ के अतिरिक्त, जिसकी धारा 307 के अधीन, व्यवस्था करना उसके लिए अपेक्षित हो, उस भवन के चारों ओर उसकी पूरी ऊँचाई तक आवरण (screen) की व्यवस्था न कर ले ताकि आस-पास की वायु की धूल से दूषित होने से अथवा मलवें, ईटों, लकड़ी और अन्य सामान के गिरने से होने वाली क्षति (injury) या हानि को बचाया जा सके।

2. यदि कोई निर्माण-कार्य उपधारा (1) का उल्लंघन करके प्रारम्भ किया जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उसे तुरन्त बन्द करवा सकता है और ऐसे व्यक्ति को, जो उसे करवा रहा हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा भू-गृहादि से हटवा सकता है।

सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना

310. सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जायगी

1. मुख्य नगराधिकारी

(क) सार्वजनिक सड़कों निगम उद्यानों और खुले स्थानों तथा निगम बाजारों और निगम में निहित सभी भवनों पर, उपयुक्त रीति से रोशनी के लिए उपाय करेगा;

(ख) बत्तियों, बत्तियों के खम्भों और उनसे सम्बद्ध अन्य ऐसी वस्तुओं को उतनी संख्या में प्राप्त करेगा, लगायेगा और संधारित करेगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवाश्यक हों; और

(ग) उक्त बत्तियों को तेल, गैस, बिजली या अन्य ऐसी रोशनी से जलवायेगा, जिसे निगम समय-समय पर निर्धारित करे।

2. मुख्य नगराधिकारी प्रतिकर के किसी दावे का उत्तरदायी हुए बिना उक्त बत्तियों को जलाने के लिए किसी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर संपत्ति के नीचे, पर, साथ-साथ या आर-पास बिजली के तार रख सकता और संधारित कर सकता है और बत्तियों या बिजली के तार को ले जाने, निलंबित

करने और सहारा देने के लिए खम्भे, बल्लियाँ, घ्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट्स और अन्य युक्ति किसी अचल सम्पत्ति में या पर रख सकता है और पारित कर सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे तार, खम्भे, बल्लियाँ, घ्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेटस और अन्य युक्ति इस प्रकार रखे जायेंगे कि उनके कारण किसी व्यक्तिको न्यूनतम व्यावहारिक असुविधा या अपदूषण न पैदा हो।

सड़कों पर पानी का छिड़काव

311. सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए उपाय मुख्य नगराधिकारी

1. सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे समय और मौसमों में और ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, पानी के छिड़काव के लिये उपाय कर सकता है।
2. ऐसे वाहनों, पाशुओं और स्थिर-यंत्रों (inapparatus) को, जिसे वह उक्त प्रयोजन के लिये ठीक समझे, प्राप्त और संधारित कर सकता है।

विविध

312. सड़कों की बत्तियों या अन्य निगम संपत्ति को हटाने, आदि का प्रतिबन्ध

1. कोई व्यक्ति बिना वैध (lawful) प्राधिकार के

(क) किसी बत्ती, बत्ती के खंभे या बत्तियों की जाली (lamp siron) को, जो किसी सार्वजनिक सड़क पर या निगम उद्यान, खुले स्थान या बाजार या निगम में निहित भवन में लगाई गयी हो;

(ख) किसी बिजली के तार को, जो उक्त किसी बत्ती को जलाने के लिये हो;

(ग) किसी खंभे, बल्ली, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रेकेट या अन्य युक्ति को, जो ऐसे किसी बिजली के तार या बत्ती को ले जाने, निलम्बित करने या सहारा देने के लिए हो ;

(घ) किसी सड़क पर निगम की किसी संपत्ति को न ले जायेगा, न जानबूझकर तोड़ेगा, न नीचे फेंकेगा और न क्षति पहूँचायेगा और कोई व्यक्ति किसी बत्ती को जानबूझकर न बुझायेगा और न किसी बत्ती से सम्बद्ध किसी वस्तु को क्षति पहूँचायेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से या दुर्घटनावश या अन्यथा किसी सार्वजनिक सड़क या निगम बाजार, उद्यान या सार्वजनिक स्थान या निगम में निहित भवन पर लगायी गई किसी बत्ती को तोड़ेगा या किसी सड़क पर निगम की किसी सम्पत्ति को तोड़ेगा या उसे क्षति पहुँचायेगा, तो उसे इस प्रकार की गई क्षति की मरम्मत कराने के व्यय को वहन करना होगा।

313. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है

राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा, किन्तु जो नगर की सीमाओं से दो मील से अधिक दूर न होगा, इस अध्याय की किसी धारा और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें राज्य सरकार आवाश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त उपर्युक्त रूप में प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उसी प्रकार प्रभावशील होंगे मानो कि वह नगर के भीतर हों।

314. नियम बनाने का अधिकार

1. इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।
2. उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है

(क) रीति, जिससे धारा 273 के अधीन निगम किसी सार्वजनिक सड़क को बन्द करने की स्वीकृति देगा और ऐसी सड़क के स्थल का निस्तारण;

(ख) रीति, जिससे धारा 279 के अधीन किसी वर्तमान पंक्ति के स्थान पर सड़क की नयी पंक्ति विहित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दी जायगी।

(ग) रीति, जिससे कोई व्यक्तिधारा 287 के अधीन भूमि को भवन के प्रयोजनों के लिए बेचने या

पट्टे पर देने (let) आदि या किसी निजी सड़क के विन्यास करने के अपने अभिप्राय का, नोटिस देगा और वह प्रक्रिया जिसे मुख्य नगराधिकारी ऐसे नोटिस पर कार्यवाही करने में, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना और प्रमाणीकृत नक्शा (plan) माँगना भी है, अपनायेगा;

(घ) धारा 301 के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए उस समय की जाने वाली कार्यवाही जब सड़कों पर या उनके पास किसी निर्माण-कार्य का संपादन हो रहा हो।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय 13

निर्माण के विनियम

भवनों के निर्माण आदि से सम्बद्ध नोटिस

315- परिभाषा-

इस अध्याय में पद 'भवन निर्माण करना' के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे-

1. उस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाय, किसी वर्तमान भवन के किसी सारभूत (substantial) भाग का पुनर्निर्माण;
2. किसी ऐसे भवन या भवन के आगे को, जो प्रारम्भ में मनुष्यों के रहने के अभिप्राय से न बनवाया गया हो, और जो पहले मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त र हो रहा हो, निवास-गृह (dwelling house) में परिवर्तन करना;
3. किसी भवन के किसी एक निवास-स्थान (tenement) या दो अथा उसके अधिक निवास-स्थानों को संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा अधिक या कम निवास-गृहों में परिवर्तित करना, जिससे उस जल-निस्साण या सफाई की व्यवस्था अथवा उसकी मजबूती पर प्रभाव पड़े;
4. किसी ऐसे भवन को, संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा किसी धार्मिक उपासना के स्थल अथवा

पवित्र (sacred) स्थान के रूप में बदलना, जो प्रारम्भ (originally) में ऐसे प्रयोजन के लिये अभिप्रेत न रहा हो, अथवा निर्मित न किया गया हो;

5. दीवालों अथवा भवनों के बीच के किसी खुले स्थान को आच्छादित करना अथवा उसमें छत डालना (covering or roofing), जहां तक उस ढ़ांचे का सम्बन्ध है, जो ऐसे खुले स्थान को आच्छादित करने अथवा उसमें छत डालने से तैयार होता हो;

6. किसी ऐसे भवन को छोटी दुकान (stall), दुकान (shop), भंडार (warehouse) अथवा माल गोदाम (godown) के रूप में परिवर्तित करना, जो प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रयोग के लिये न बनवाया गया हो;

7. किसी ऐसे सड़क अथवा भूमि से संलग्न किसी दीवाल में, जो दीवाल के स्वामी में निहित न हो, ऐसा दरवाजा बनाना जो ऐसी सड़क अथवा भूमि पर खुलता हो;

8. कोई अन्य कार्य, जिसके सम्बन्ध में एतदर्थ बनायी गयी किसी उपविधि द्वारा यह घोषित किया जाय कि वह किसी भवन का निर्माण समझा जाय।

316- भवन निर्माण का नोटिस-

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, जो भवन निर्माण करना चाहता हो, मुख्य नगराधिकारी को अपने ऐसा करने के

अभिप्राय का लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से देगा और उसमें ऐसे ब्योरे उल्लिखित होंगे जो उपविधियों द्वारा विहित किये जाय।

317- भवन में सरम्मत, परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में नोटिस-

प्रत्येक व्यक्ति जिसका अभिप्राय-

1. किसी भवन में परिवर्द्धन करना;
2. किसी ऐसे भवन में जो ढ़ोचे पर बना भवन (frame building) न हो, कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उस भवन की किसी बाह्य दीवाल या पाख (parting wall) अथवा किसी ऐसी दीवाल का, जिसके ऊपर उसकी छत हो उस आयति तक हटाया जाना या पुननिर्माण अन्तर्ग्रस्त है, जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधा बहिस्पर्शी (superficial) फुटों में नापा जायगा;
3. किसी ढ़ाचे पर बने भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उसका पूर्वोक्त प्रकार के किसी दीवाल के आधे से अधिक खम्भों या धन्नियों (posts or beams) का हटाया जाना या उनका पुननिर्माण अन्तर्ग्रस्त है या जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार की किसी दीवाल का उस आयति तक हटाया जाना या पुननिर्माण अन्तर्ग्रस्त है जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल

के आधे से अधिक हों, जो आधा बहिस्पर्शी फुटों में नापा जायगा

4. भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन (alteration) करना, जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्ग्रस्त हों-

(1) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपभागों में विभाजित करना, जिससे वह अलग-अलग दो या अधिक कमरों में परिवर्तित हो जाय;

(2) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थल (passage or space) को कमरा या कमरों के रूप में परिवर्तित करना;

(3) सड़क से लगे हुए और उसकी नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना; उसका निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना अथवा उसमें परिवर्द्धन करना।

5. भवन में किसी प्रकार का कार्य संपादित करना, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्ग्रस्त हों-

(1) छत का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण;

(2) छत को चौरस छत (terrace) के रूप में परिवर्तित करना;

(3) चौरस छत को छत के रूप में परिवर्तित करना; अथवा

(4) "लिफ्ट शैफ्ट" का निर्माण।

6. भवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत करना, जिसमें कमरे के फर्श का निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो (भूमि वाले फर्श को छोड़कर);
7. वाह्य दीवाल के किसी दरवाजे अथवा खिड़की को स्थायी रूप से बन्द करना; अथवा
8. मुख्य जीने का हटाया जाना अथवा उसका पुननिर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना हो;

वह मुख्य नगराधिकारी को एक लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी सूचना के साथ देगा, जो तदर्थ बनायी गयी उपविधियों के अनुसार अपेक्षित हो और उसके साथ ऐसे लेख्य तथा नक्शे भेजेगा जो विहित किये जाय। 318- योजनाओं आदि का अस्वीकार करना यदि वे विहित रीति से न बनायी गयी हों या जब प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी द्वारा माँगे गये ब्यौरे प्रस्तुत न करें- कोई नक्शा, खण्ड (section), विवरण (disscription), संरचनात्मक चित्र (structural drawings) अथवा संरचनात्मक परिगणना (structural calculation) और अन्य कोई नोटिस, जो उसके निमित्त विहित की गयी शर्तो की पूर्ति न करे या जिसके

सम्बन्ध में अतिरिक्त विवरण तथा ब्यौरे मुख्य नगराधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा नियत की जाय, प्रस्तुत न किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त तथा वैध नहीं समझा जायगा।

319- अवधि, जिसके भीतर मुख्य नगराधिकारी कार्य सम्पादन करने के निमित्त अनुज्ञा देगा अथवा न देगा-

धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये किसी आवेदन- पत्र अथवा नियमों अथवा उपविधियों के अधीन अपेक्षित किसी सूचना या लेख्यों के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा या तो ऐसी अनुज्ञा दे देगा या धारा 321 अथवा 322 में दिये हुए एक या एकाधिक कारणों से उसे अस्वीकार कर देगा।

320- कार्यकारिणी समिति का अभिदेश, यदि मुख्य नगराधिकारी अनुमोदन अथवा अनुज्ञा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विलम्ब करे-

1. यदि यथास्थिति धारा 318 अथवा 319 में दी हुई अवधि के भीतर मुख्य नगराधिकारी ने भवन के निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण कार्य को सम्पादित करने के निमित्त, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया हो, न तो अपनी अनुज्ञा दी हो और न अनुज्ञा देना अस्वीकार ही किया हो तो प्रार्थी के लिखित प्रार्थी के लिखित प्रार्थना-पत्र पर कार्यकारिणी

समिति लिखित आज्ञा द्वारा यह निर्धारित करने के लिये बाध्य होगी कि ऐसा अनुमोदन अथवा अनुज्ञा दी जानी चाहिये अथवा नहीं।

2. यदि कार्यकारिणी समिति उक्त लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने के एक मास के भीतर यह निर्धारित नहीं करती कि इस प्रकार को अनुज्ञा दी जानी चाहिये अथवा नहीं, तो ऐसी अनुज्ञा दी गई समझी जायगी और प्रार्थी कार्य को सम्पादित करना आरम्भ कर देगा, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या अपविधियों का उल्लंघन हो।

321- आधार जिन पर भवन के स्थल के निमित्त अनुमोदन अथवा भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है-

1. वे कारण केवल जिनके आधार पर कोई भवन निर्मित्त करने या धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण कार्य सम्पादित करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है, निम्नलिखित हैं, अर्थात्-

(क) निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य के लिये स्थल (site) का उपयोग या स्थल के नक्शे (site-plan); भूमि के नक्शे (ground-plan), उच्च स्थल (elevation),खण्ड (sections) या विशेष विवरण (specitications) किसी विधि के किसी विशिष्ट (specified) उपबन्ध या किसी विधि के अधीन दी गयी किसी विशिष्ट आज्ञा, बनाये गये

नियम की गयी घोषणा या निर्मित्त उपविधि का उल्लंघन करते हो;

(ख) उक्त अनुज्ञा के निमित्त दिये गये प्रार्थना-पत्र में वे विवरण नहीं हैं अथवा वह उस रीति से तैयार नहीं किया गया है, जो नियमों या उपविधियों द्वारा अपेक्षित है, या उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, जैसी या नियमों अथवा उपविधियों द्वारा अपेक्षित है;

(ग) कोई सूचना अथवा लेख्य जो नियमों या उप-नियमों के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, यथावत् प्रस्तुत नहीं किये गये है;

(घ) प्रस्तावित भवन से सरकार अथवा निगम की भूमि का अतिक्रमण होगा;

(ड़) ऐसे भवन का स्थल किसी सड़क अथवा प्रस्तावित सड़क (projected stret) से लगा हुआ नहीं है और ऐसे भवन में पहुँचने के लिये उस सड़क से कोई ऐसा मार्ग या पगडंडी (pathway) नहीं है, जो उस स्थल तक जाती हो और जो किसी भी स्थान पर 12 फुट से कम चौड़ी न हो;

(च) प्रस्तावित भवन का स्थल धारा 323 में निर्दिष्ट प्रकार का है;

(छ) निर्माण-कार्य के लिये स्थल उस क्षेत्र का एक भाग है, जिसके विन्यास (lay-out) नक्शा धारा 287 के अधीन व्यवस्थानुसार स्वीकृत नहीं हुआ है;

(ज) प्रस्तावित भवन या निर्माण-कार्य का प्रयोग धारा 383 के अधीन निर्मित नगर की महायोजना के अनुरूप नहीं है।

2. जब कभी मुख्य नगराधिकारी अथवा कार्यकारिणी समिति भवन-निर्माण करने अथवा धारा 317 में निदिष्ट निर्माण-कार्य को सम्पादित करने की अनुज्ञा न दे, तो ऐसे अस्वीकरण के कारण आज्ञा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगे।

322- भवन-निर्माण को अनुज्ञा को निलम्बित करने के लिये विशेष अधिकार-

धारा 321 में किसी बात के होते हुए भी यदि स्थल के नक्शे में प्रदर्शित कोई सड़क, कोई अभिप्रत निजी सड़क हो तो मुख्य नगराधिकारी अपने विवेकानुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकता है, जब तक कि सड़क का बनाना प्रारम्भ अथवा समाप्त न हो जाय।

323- कुछ दशाओं में मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण के निमित्त स्वीकृति प्रदान करने के विशेष अधिकार पर निबन्धन-

इस अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण या उसमें कोई परिवर्द्धन करने की स्वीकृति मुख्य नगराधिकारी या कार्यकारिणी समिति द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के न दी जायगी यदि

ऐसे भवन का निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल-

1. निम्नलिखित से एक फर्लांग (furlong) के अर्द्धव्यास (radius) के भीतर हो-

   (1) कोई आवासिक संस्था (residential institution), जो किसी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कालेज, हाई स्कूल या लड़कियों के स्कूल से संलग्न (attached) हो; या

   (2) कोई सार्वजनिक अस्पताल, जिसमें अस्पताल में भर्ति होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिये एक बड़ा कक्ष (ward) हो; अथवा

   (3) कोई अनाथालय, जिसमे एक सौ या उससे अकि व्यकि रहते हों;

2. किसी घनी आबादी के ऐसे आवासिक क्षेत्र (residential area) मेंत हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिये हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से भिन्न आवासिक प्रयोजनों के लिये रक्षित हो या सामान्यतया प्रयुक्त होता हो; या

3. किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जो किसी विधायन (enactment) के अन्तर्ग्रस्त किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन को योजना द्वारा या अन्य प्रकार से आकस्मिक प्रयोजनों के लिये रक्षित हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण को अनुज्ञा उस समय तक नहीं दी जायगी जब तक कि कार्यकारिणी समिति को यह समाधान

न हो जाय कि नक्शे और उसके विशेष व्योरोंके सम्बन्ध में सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

कार्य का आरम्भ

324- भवन का निर्माण अथवा निर्माण-कार्य का सम्पादन कैसे कार्यान्वित किया जायगा-

प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई नया भवन निर्माण करना चाहता हो, अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट कोई निर्माण-कार्य सम्पादित करना चाहता हो, भवन का निर्माण अथवा निर्माण-कार्य का सम्पादन ऐसी रीति से, ऐसी देख-रेख में, ऐसे अर्हता प्राप्त अभिकरण द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धनों के अधीन करेगा, जो एतदर्थ उपविधियों द्वारा उपबन्धित किये जायं।

325- भवनों के निर्माण, उनमें परिवर्तन आदि के दौरान में मुख्य नगराधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण-

मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम का एतदर्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या कर्मचारी भवन के निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण-कार्य के सम्पादन के दौरान में या उसके समाप्त होने के तीन मास के भीतर किसी भी समय कोई निरीक्षण कर सकता है और यदि उसके पास ऐसी शंका करने का समुचित कारण है कि किसी ऐसे भवन के निर्माण या किसी ऐसे निर्माण-कार्य के सम्पादन में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किन्हीं उपबन्धों के प्रतिकूल

कुछ किया गया है तो वह ऐसे भवन के निर्माण करने वाले अथवा निर्माण-कार्य का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को 15 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देने के उपरान्त भवन के ऐसे भाग को, यदि कोई हो, जो ऐसी शंका की पर्याप्त रूप से पुष्टि अथवा निराकरण करने वाले तथ्यों की खोज करने में बाधक हो, काट सकता है, खोल सकता है या गिरा सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस व्यक्ति के भवन अथवा निर्माण-कार्य को खोला गया हो या काटा गया हो, उस व्यक्ति को मुख्य नगराधिकारी उस क्षति के लिये जो ऐसे भवन या संरचना को ऐसे कार्य से पहुंचा हो, प्रतिकर देगा, यदि यह पता चले कि भवन के निर्माण अथवा उक्त निर्माण-कार्य के सम्पादन में उस व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है।

326- भवनों तथा निर्माण-कार्यो से सम्बद्ध उपबन्धों का प्रवर्तित किया जाना-

यदि मुख्य नगराधिकारी को उपयुक्त भवन के निर्माण अथवा निर्माण-कार्य के सम्पादन के दौरान में किसी भी समय या उसके समाप्त हो जाने के तीन मास के भीतर किसी भी समय, चाहे अपने निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा, किसी ऐसे विषय का पता चले जिसके सम्बन्ध में ऐसे भवन के निर्माण या ऐसे निर्माण-कार्य के सम्पादन से इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किसी उपबन्ध का उललघंन हुआ है, तो वह स्वामी को जो उक्त निर्माण अथवा सम्पादन कर रहा है या कर चुका है, ऐसे उपबन्ध, नियम या उपविधि के प्रतिकूल किये गये किसी कार्य को

संशोधित करने अथवा ऐसे कार्य करने के लिये आदेश दे सकता है, जिसका किया जाना ऐसे विधि उपबन्ध, नियम या उपविधि के अनुसार अपेक्षित हो, किन्तु जो किया न गया हो।

327- अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रारम्भ किये भवन अथवा निर्माण-

कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही-

1. यदि किसी भवन निर्माण का आरम्भ या धारा 317 में अभिदिष्ट निर्माण-कार्य का संपादन नियमों अथवा उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी जब तक कि वह ऐसे भवन अथवा निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में धारा 328 के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक न समझें-

(क) लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, जो ऐसा भवन-निर्माण अथवा ऐसे निर्माण-कार्य का संपादन कर रहा हो, अथवा कर चुका हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जायगा, अपने अथवा अपने द्वारा एतदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्रकथन में, जो मुख्य नगराधिकारी संशोधित किया गया हो, इस बात का पर्याप्त कारण बताय कि उक्त भवन अथवा निर्माण-कार्य क्यों न हटा दिया जाय (removed), परिवर्तित कर दिया जाय अथवा गिरा दिया जाय; अथवा

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति से, ऐसे दिन को, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर, जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट होगा, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने द्वारा तदर्थ यथावत् प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थित होने और इस बात का पर्याप्त कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा भवन, निर्माण-कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित कर दिया जाय अथवा गिरा दिया जाय।

2. यदि उक्त व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार इस बात का पर्याप्त कारण न दे सके कि ऐसा भवन या निमार्ण-कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित किया जाय अथवा गिरा दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी भवन अथवा निर्माण-कार्य को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता हूँ, अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने का व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

328- प्रार्थी के सारवान भ्रान्त कथन (material misrepresentation) के अधार पर मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार-

इस अधिनियम के अधीन किसी भवन-निर्माण या निर्माण-कार्य के प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् यदि किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा धारा 316 या 317 के अधीन दिय गये नोटिस या दी गयी सूचना में वणित किसी सारवान भ्रान्त कथन या प्रचारक प्रकथन या दी गयी किसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के फलस्वरूप दी गयी थी, तो

वह उस अनुज्ञा को निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कार्य बिना उसकी अनुज्ञा के किया गया समझा जायगा।

329-समाप्ति का प्रमाण-पत्र, कब्जा करने अथवा प्रयोग की अनुज्ञा-

1. प्रत्येक व्यक्ति भवन-निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किस निर्माण-कार्य की समाप्ति के एक महीने के भीतर, मुख्य नगराधिकारी को उसके कार्यालय में ऐसी समाप्ति के सम्बन्ध में एक नोटिस देगा या भेजेगा, अथवा दिलवायेगा या भिजवायेगा और उसके साथ उपविधियों में विहित प्रपत्र पर एक प्रमाण-पत्र पद भी होगा, जिस पर विहित रीति से उसके हस्ताक्षर होंगे और साथ ही मुख्य नगराधिकारी को ऐसे भवन अथवा निर्माण-कार्य के निरीक्षण के निमित्त सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगा तथा भवन में कब्जा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र भी देगा।
2. कोई व्यक्ति उक्त किसी भवन पर न तो कब्जा करेगा और न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा, या उस भवन का अथवा उसके किसी भाग का, जिस पर किसी निर्माण-कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा और न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक-

   (क) एतदर्थ मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त न हो गयी हो; अथवा

   (ख) मुख्य नगराधिकारी ने समाप्ति को नोटिस प्राप्त होने के 21 दिन तक अपनी उपर्युक्त

अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन भवन के किसी भाग के लिए भी आवेदन-पत्र दिया जा सकता है और अध्यासित करने के लिए मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा भी दी जा सकती है, जब मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि वह भाग निवास योग्य हो गया है।

संकटमय संरचनायें

330- भवनों की नियत कालीन जाँच-

1. प्रत्येक भवन के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि यह भवन के प्रत्येक भाग और उससे संलग्न प्रत्येक वस्तु की मरम्मत करके उसे इस प्रकार संधारित करे कि वह संकटमय होने से बचा रहे।
2. मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वस उपविधियों में विहित कालान्तरों (intervals) पर तथा रीति के अनुसार भवन का निरीक्षण करवाये।
3. उपधारा (2) के अधीन के भवन के निरीक्षण के दो महीने के भीतर स्वामी ऐसी मरम्मत

करना आरम्भ कर देगा, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के सभी उपबन्धों के ऐसी मरम्मत के सम्बन्ध में अनुपालन करने के पश्चात् धारा 331 के अर्थ में, संरचना की स्थिति को कायम रखने के अभिप्राय से आवश्यक बताये गये हों, और ऐसी मरम्मतों की समाप्ति के बाद, मुख्य नगराधिकरी को निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने (स्वामी ने) मरम्मत सम्बन्धी कार्य संतोषजनक रूप में कर दिये हैं।

4. उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट उस व्यक्ति द्वारा, जिसमें भवन का निरीक्षण किया हो, तुरन्तु मुख्य नगराधिकारी को प्रस्तुत की जायगी और यदि स्वामी उपधारा (3) के आदेशों का अनुपालन न करे तो मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे।
5. उपधारा (4) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय स्वामी को बहन करने पड़ेगे।

331- ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना, जो, खंडहर है (ruinous) अथवा गिरने वाले हों-

1. यिद मुख्य नगराधिकारी को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कोई संरचना जिसके अन्तर्गत कोई भवन, दीवाल, खंड़जा (pavement) मुडेंर (arapet), फर्श, सीढ़ियां, जंगले

(railing), दरवाजे अथवा खिड़की का चौखटें (woindow frame), संधारक (shutters) अथवा छत या अन्य संरचना और कोई चीज जो किसी भवन, दीवाल, मून्डेर (parapet) अथवा अन्य संरचना से लगी हुई हो, उससे बाहर निकली हो या उस पर आश्रित हो। खण्डहर (uinous) है, अथवा गिरने वाली है अथवा किसी भी प्रकार उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, जो उसमें अथवा उसके पड़ोस को किसी अन्य संरचना (structure) या स्थल में रहता है, वहां आता जाता है, या उसके पास से गुजरता है, तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, उस संरचना के स्वामी अथवा अध्यासी से उस संरचना या चीज को गिराने या उसे ढृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने या ऐसी ही एक या एकाधिक कार्य करने और उससे पैदा होने वाले संकट के समस्त कारणों को दूर करने की अपेक्षा कर सकता है।

2. यिद मुख्य नगराधिकारी उचित समझे तो वह उपर्युक्त नोटिस द्वारा उक्त भवन के स्वामी अथवा अध्यासी से यह भी अपेक्षा कर सकता हे कि वह या तो तुरन्त, या उपर्युक्त संरचना या चीज को गिराने दृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने से पहले बटोहियों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए और उचित और पर्याप्त बाड अथवा घेरा लगाये, ऐसे सुविधाजनक मंच तथा जंगले (handrail),यदि उनके लिए पर्याप्त स्थान हो और उन्हें मुख्य नगराधिकारी बांछनीय समझे, के सहित जो ऐसी बाड़ अथवा घेरा के बाहर आने-जाने वालों के लिये पगड़डी

(footway) के रूप में प्रयुक्त हो सके।

3. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी संरचना से, जो खंडहर (ruinous) है, अथवा गिरने वाला है, शीघ्र ही कोई संकट पैदा हो सकता है, तो यह उपर्युक्त नोटिस देने से पूर्व अथवा नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस संरचना पर घेरा डाल सकता है (fence off), उसे गिरा सकता है (take down), उसे दृढ़ कर सकता है अथवा उसकी मरम्मत करा सकता है या ऐसे उपाय कर सकता है या ऐसा निर्माण-कार्य संपादित करवा सकता है, जो उस संकट की रोकथाम कर दे।

4. उपधारा (3) के अधीन मुख्य नगराधिकारी जो उस संकट को रोकथाम कर दे।

5. **(क)** मुख्य नगराधिकारी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा यदि मुख्य नगराधिकारी की यह राय हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संरचना के स्वामी या अध्यासी के लिये उस संरचना को गिराने, दृढ़ करने या उसकी मरम्मत करने का एकमात्र अथवा सुविधायुक्त साधन यही है कि उक्त संरचना से लगे हुए किसी अन्रू व्यक्ति के किसी भू-गृहानि में प्रवेश किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा यदि कोई ऐसी आपतिर्त की जाय जो उसे अमान्य (invalid) अथवा अपर्याप्त प्रतीत हो, लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी

अथवा अध्यासी को उसे संलग्न भू-गृहादि (adjoining premises) में प्रवेश करने का अधिकार दे सकता है।

(ख) उक्त प्रत्येक आज्ञा द्वारा जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी जाय या किसी ऐसे अभिकर्त्ता या व्यक्ति को जिसे उसने एतदर्थ नियोजित किया हो, भू-गृहादि (premises) के स्वामी को अपने अभिप्राय का उचित लिखित नोटिस देने के बाद इस बात का पर्याप्त प्राधिकार होगा कि वह उक्त भू-गृहादि में सहायकों तथा श्रमिकों के साथ सूर्योदय तथ सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर और आवश्यक निर्माण-कार्यो का सम्पादन करे।

(ग) इस धारा के अधीन कोई निर्माण-कार्य सम्पादित करते समय संलग्न संपत्ति के स्वामी को सम्पत्ति को यथासंभव कम से कम क्षति पहुँचाई जायेगी तथा उस भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी, जिसे लाभ के लिये निर्माण-कार्य सम्पादित किया जा रहा हो-

(i) निर्माण-कार्य को कम से कम व्यावहारिक विलम्ब से सम्पादित करवायेगी;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देगा, जिसे उक्त निर्माण-कार्य के सम्पादन के फलस्वरूप क्षति पहुंची हो।

332- भवनों में संकटमय छिद्र-

यदि मुख्य नगराधिकारी को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी भवन के किसी भी भाग में कोई ऐसा छिद्र (opening) है, जो मानव जीवन के लिए संकटमय है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा छिद्र उसके सन्तोषानुसार छड़ों (bars), झंझरीदार तवों (grills) अथवा ऐसी ही अन्य युक्तियों द्वारा घेर दिया जाय अथवा सुरक्षित कर दिय जाय।

333- अवैध रूप से निर्माण कार्य करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को हटाने के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण-कार्य का सम्पादन किसी भू-गृहादि में अवैध रूप से आरम्भ किया गया है, अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह लिखित नोटिस द्वारा निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तुरन्त बन्द कर दे।
2. यदि उक्त निर्माण अथवा सम्पादन तुरन्त बन्द न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि उस निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी द्वारा उस भू-गृहादि से हटा दिया जाय और ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उक्त व्यक्ति को, बिना अपनी अनुज्ञा के, उस भू-गृहादि में पुन: प्रवेश

करने से रोकने के लिए उचित समझे।

3. उपधारा (2) के अधीन की गई किसी कार्यवाही का व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा।

भू-गृहादि को खाली कराने का अधिकार

334- कतिपय परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने के लिए मुख्य नगराधिकारी का अधिकार-

1. किसी अन्य विधि के उपबन्धों में कोई विपरीत बात के होते हुए भी, मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसा करने के कारण निर्दिष्ट होंगे, किसी भवन अथवा किसी भाग को तुरन्त अथवा ऐसे समय के भीतर जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय खाली कराने की आज्ञा दे सकता है-

(क) यदि उस भवन या उसके भाग में धारा 329 का उल्लंघन करके अवैध रूप् से कब्जा किया गया हो;

(ख) यदि उस भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया हो, जिसमें किसी वर्तमान जाने, दीर्घा (lobby), मार्ग अथवा उतरने के स्थान (landing) को परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित्त करने की अपेक्षा की गई हो और उस नोटिस में निर्दिष्ट निर्माण-कार्य आरम्भ अथवा समाप्त न किये गये हों;

(ग) यदि भवन अथवा उसका भाग धारा 331 के अर्थ में खण्डहर अथवा संकटमय स्थिति में हो।

2. उक्त भू-गृहादि के किसी भाग में पूर्वोक्त लिखित नोटिस के लगाये जाने से यह समझा जायगा कि ऐसे भवन अथवा उसके भाग के अध्यासियों को पर्याप्त सूचना दे दी गई है।

3. उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी होने के बाद ऐसे भवन अथवा उसके भाग का अध्यासी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने नोटिस का सम्बन्ध हो, ऐसे भवन या उसके भाग नोटिस के आदेश के अनुसार खाली करेगा, और जब तक नोटिस वापिस नहीं लिबा जाता तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नहीं करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण-कार्य को कार्यान्वित करने के लिए उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसे उसके निधित: कार्यान्वित करना हो।

4. मुख्य नगराधिकारी आदेश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (3) का उल्लंखन करे, किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भवन अथवा उस भवन के भाग से हटा दिया जाय।

5. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर, जिसने उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार किसी भू-गृहादि को खाली किया हो, ऐसे नोटिस की वापसी पर उसे उक्त भू-गृहादि में फिर से रखेगा जब तक उसकी राय में संरचना में सिकी परिवर्तन अथवा उसे

गिरा दिये जाने के कारण, वस्तुत: अध्यासन के उन्हीं निबन्धनों पर फिर से रखना अव्याहारिक न हो।

6. मुख्य नगराधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में उसे बाधा पहुंचाता हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा, उक्त भू-गृहादि से हटा दिये जाने का आदेश दे सकता है और ऐसी शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है जो उपयुक्त भू-गृहादि में प्रवेश करने के लिये यथोचित रूप से आवश्यक हो।

विशेष सड़कों या स्थानों में कुछ श्रेणियों के भवनों का विनियमन

335- विशेष सड़कों या स्थानों में कतिपय श्रेणी के भवनों के भावी निर्माण को विनियमित करने का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित को घोषित करने के अपने अभिप्राय का किसी ऐसी वैध आपत्ति के अधीन रहते हुये, जो तीन मास के भीतर की जा सकती है, सार्वजनिक नोटिस दे सकता है-

(क) कि ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किसी सड़क या सड़क के भाग में नोटिस के पश्चात् निर्मित्त या पुनर्निर्मित्त सभी भवनों या किन्हीं श्रेणियों के भवनो के सामने के भाग की ऊंचाई (elevation) या निर्माण जहां तक कि उनकी वास्तु विषयक विशिष्टताओं (architectural features) का

सम्बन्ध है, वैसा ही होगा जैसा निगम उस स्थान (locality) के लिए उपयुक्त समझे;

(ख) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों (localities) में केवल असंलग्न अथवा अर्द्धसंलग्न (detached or semi-detached) अथवा दानों प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति दी जायगी और ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम नहीं होगा, जो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो;

(ग) विशेष स्थानों में भवन के गाटों (plots) का न्यूनतम आकार (size) एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल का होगा;

(घ) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों में प्रत्येक एकड़ भूमि पर निर्दिष्ट संख्या से अधिक भवनों के निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जायगी; अथवा

(ङ) ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भागों या स्थानों में मुख्य नगराधिकारी की ऐसी विशेष अनुज्ञा के बिना, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ निर्मित्त सामान्य विनियमों के अनुसार दी गयी हो और केवल ऐसे ही अनुज्ञा के निबन्धनों के अधीनरहते हुये- दुकान, गोदामों (ware-houses), कारखानों, कुटियों, अथवा भवनों को जो विशेष प्रयोग के लिए अभिप्रेत हों, न बनाने दिया जायगा।

2. ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीन महीने की अवधि के भीतर प्राप्त हुई सभी आपत्तियों पर

कार्यकारिणी समिति विचार करेगी और तब नोटिस को मय उन आपत्तियों के विवरण के, जो उसे प्राप्त हुई हों और उन पर अपनी राय को निगम की भेज देगी।

3. उक्त तीन महीने की अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायगा।

4. निगम उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी लेख्यों (documents) को, उनके प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के भीतर उन पर अपनी राय सहित राज्य सरकार को भेज देगी।

5. उक्त घोषणा के सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह ठीक समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त घोषणा एतद्द्वारा (thereby) किसी ऐसी सड़क, सड़क के भाग अथवा स्थान पर लागू न की जायगी, जो उपधारा (1) अधीन जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट न हो।

6. घोषणा, जैसी कि वह राज्य सरकार द्वारा पृष्ठीकृत अथवा परिष्कृत हुई हो, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

7. कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी घोषणा का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित्त अथवा पुननिर्मित नहीं करेगा।

336- धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में मुख्य नगराधिकारी का

अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी को धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा, जो उपविधियों या नियमों द्वारा विहित की जाय।

337- परित्यक्त अथवा अनध्यासित भू-गृहादि-

यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन या संरचना परित्यक्त कर दी गई है (abandoned) या अमध्यासित (unoccuied) है और यह शान्ति भंग करने वाले (disorderly) व्यक्तियों का अड्डा बन गयी है, अथवा अपनी दशा के कारण पड़ोसियों की सुख-सुविधा के लिए अत्यन्त बाधक हो गयी है, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त भवन या संरचना के स्वामी को, यदि उसका पता ज्ञात हो और वह निगम की सीमाओं के भीतर विनास करता हो, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो उसका स्वामी माना जाता हो, या जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता हो, कि वह उसका स्वामी होने का दावा करता है और यदि वह निगम को सीमाओं के भीतर निवास करता है, लिखित नोटिस देगा और उक्त भवन या संरचना के किसी प्रमुख भाग पर उस नोटिस को एक प्रतिलिपि भी चिपकायेगा, जिसमें उक्त भवन या संरचना में कोई अधिकार या स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह आदेश होगा कि वे उक्त भवन या संरचना के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे, जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त रूप में अड्डा बनाये जाने अथवा पड़ोसियों की सुख-सुविधा

के लिए अत्यन्त बाधक होने को रोकने के लिये आवश्यक हो।

338- अगम्य स्थानों पर भवन के पुननिर्माण को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार-

1. यदि कोई भवन, जो इस प्रकार स्थित हो कि वह आग बुझाने वाले इंजिन के लिए अगम्य हो अथवा आग बुझाने वाले इंजश्न का अन्रू भवनों तक जाना अवरूद्ध करता हो, आग लग जाने अथवा किसी अन्य प्रकार से गिर जाय या नष्ट हो जाय, तो मुख्य नगराधिकारी एक लिखित नोटिस द्वारा, जो उपर्युक्त गिरे हुये भवन के स्वामी को सम्बोधित किया गया हो, आदेश दे सकता है कि कोई ऐसा भवन न बनाया जाय जो आग बुझाने वाले इंजिन के लिए अगम्य हो या जो आग बुझाने वाले इंजिन का अन्य भवनों तक जाना अवरूद्ध करे।
2. उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति किसी भवन को निर्मित्त अथवा पुननिर्मित नहीं करेगा।

339- कतिपय दशाओं में किसी भू-गृहादि से भवन-निर्माण सामग्री का हटाया जाना-

यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि पत्थरों, बल्ले (rafters) भवन-निर्माण सामग्री अथवा भवन-निर्माण सामग्री का मलवा किसी भू-गृहादि में अथवा घर, इतनी मात्रा अथवा परिमाण में इस प्रकार जमा अथवा एकत्र किया गया है कि वह चूहों या अन्य कीड़ो-मकोड़ो का आश्रय स्थल अथवा प्रजनन केन्द्र बन गया है, या अन्य प्रकार से उपर्युक्त भू-गृहादि के अध्यासियों या उसके पड़ोस में

रहने वाले लोगों के लिए खतरे या अपदुषण का कारण हो गया है, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे भू-गृहादि के या उसमें जमा अथवा एकत्रित किये हुये मलवे के स्वामी से लिखित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे ऐसे उचित समय के भीतर, जो नोटिस में नियत हो, हटवा दे या बेंच डाले या उनके सम्बन्घ में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उपर्युक्त अपदूषण कम करने या उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक या इष्टकर हो।

340- आवास के सम्बन्ध में विवरण-पत्र मांगने का मुख्य नगराधिकारी का अधिकार-

1. किसी भवन का स्वामी मुख्य नगराधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ऐसे भवन या उसके अध्यासियों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना देगा, जो निगम विहित करे।
2. किसी ऐसे भवन का, जो एक अलग निवास-स्थान (tenement) के रूप में कब्जे में हो, अध्यासी वैसी ही नोटिस मिलने पर और उसी अवधि के भीतर उपर्युक्त भवन के सम्बन्ध में, जो कि उसके कब्जे में हो, ऐसी सूचना देगा, जो विहित की जाय।

341- राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर लागू कर सकती है-

राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा ऐसी आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी क्षेत्र में, किन्तु जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय को किसी धारा अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे

परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रयुक्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध तथा नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वह क्षेत्र नगर के भीतर स्थित हो।

342- नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के नियम बना सकती है।
2. पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है।

(क) भवनों के निर्माण के लिए अनुज्ञा देने की रीति;

(ख) संकटमय भवनों की मरम्मत करने, गिराये जाने, दृढ़ करने ओर हटाने की रीति, तथा ऐसी मरम्मत करने, गिराये जाने, दृढ़ किये जाने, या हटाये जाने के व्यय की वसूली;

(ग) निर्बन्धन, जिनके अधीन भवनों के प्रयोग में परिवर्तन किये जा सकते हैं;

(घ) नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण;

(ङ) शर्ते, जिन पर भवन निर्माण के लिए निगम निधि में से ऋण दिए जा सकते हैं, तथा ऐसे ऋणों के लिए आवेदन-पत्र देने का प्रपत्र;

अध्याय 14

विकास योजनाएँ

343- विकास योजनाओं के प्रकार-

नगर में विकास करने के प्रयोजनार्थ कोई विकास योजना नीचे लिखे प्रकार में से किसी भी प्रकार को ही सकती है अथवा ऐसे दो या दो से अधिक प्रकारों अथवा उसकी विशेषताओं से युक्त हो सकती है अर्थात्-

(क) सामान्य विकास योजना;

(ख) बस्ती सुधार (slum clearance) योजना;

(ग) गृह पुनर्निर्माण योजना (re-housing scheme);

(घ) सड़क योजना (street scheme);

(ङ) भावी सड़क योजना (deferred street scheme);

(च) गृह-स्थान (housing accommodation) योजना; और

(छ) नगर प्रसार योजना (city expansion scheme)।

344- सामान्य विकास योजना- विकास समिति को जब कभी यह प्रतीत हो कि-

1. किसी क्षेत्र में कोई भवन, जो रहने के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हों, अथवा अभिप्रेत हों अथवा प्रयोग में लाये जाने की संभावना हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं, या
2. किसी क्षेत्र में स्थित भवनों अथवा पास-पड़ोस के भवनों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये ऐसे क्षेत्र में-

(1) सड़कों या भवनों के समूहों के संकरे होने, बहुत पास-पास होन अथवा उनकी दशा और प्रबन्ध खराब होने;

(2) प्रकाश, वायु, संवीजन (ventilation) तथा उपर्युक्त सुविधाओं का अभाव होने; अथवा

(3) अन्य कोई स्वच्छता सम्बन्धी त्रुति के कारण संकट पैदा हो गया है;

तो विकास समिति यह संकल्प पारित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है तथा उस क्षेत्र की विकास-योजना तैयार की जाय।

345- बस्ती सुधार (slum clearance) योजना-

1. यदि विकास समिति को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र पूर्वगत धारा के अर्थो में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है और इस क्षेत्र में स्थित भवनों तथा जहाँ पर वे निर्मित हैं, उन

स्थलों (sites) के तुलनात्मक मूल्य का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र अथवा उसके किसी अंश के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सर्वाधिक संतोषजनक ढ़ंग यह है कि अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में वर्तमान भवनों को हटाकर उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जाय तो वह संकल्प द्वारा यह निर्देश (direct) कर सकती है कि इस धारा के अनुसार बस्ती सुधार की एक योजना तैयार की जाय।

2. बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है :

(क) सड़कों, पीछे की गलियों (back lanes) तथा खुले स्थानों (open spaces) का आरक्षण (reservation) तथा वर्तमान सड़कों, पीछे की गलियों और खुले स्थानों का उस आयति तक विस्तार करना (enlargement) जो योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार रक्षित अथवा विस्तृत (ealarged) सड़कों, पीछे की गलियों, अथवा खुले स्थानों के क्षेत्र के स्थलों (sites) का पुनर्विन्यास (re-laying out);

(ग) ऐसे किसी भी आरक्षण (reservation) या विस्तार के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान तथा इस प्रकार रक्षित या विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का निर्माण;

(घ) वर्तमान भवनों तथा उनके उपाभूत भागों (appurtenances) का उनके स्वामियों द्वारा गिराया

जाना, अथवा स्वामी द्वारा ऐसा न करने पर निगम द्वारा गिराया जाना तथा योजना के अनुसार उन स्थलों पर, जिनकी परिभाषा योजना में की गई है, स्वामियों द्वारा भवनों का निर्माण अथवा स्वामियों के ऐसा न करने पर निगम द्वारा भवनों का निर्माण;

(ङ) स्वामियों को सूद तथा निक्षेप निधि (sinking fund) से सम्बद्ध ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर और अन्यथा जो इस योजना के अन्तर्गत विहित को जाय, ऐसी अग्रिम धनराशि का दिया जाना जो योजनानुसार नये भवनों के निर्माणार्थ उन्हें सहायता देने के लिए आवश्यक हो;

(च) योजना में सम्मिलित किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का निगम द्वारा अर्जन (acquisition):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम किसी भी भवन को गिराने से अपवर्जित (exclude) कर सकती है यदि उनका समाधान हो जाय कि वह भवन मनुष्यों के रहने के अयोग्य नहीं हे या संकटमय नहीं है या स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है अथवा उसमें सुधार करके उसे स्वास्थ्यकर तथा मुनष्यों के रहने के योग्य बनाया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र से गन्दी बस्ती हटाने के कार्य में अथवा उस क्षेत्र के पुनविकास में बाधा नहीं पहुंचती।

346- गृह पुननिर्माण योजना (rehousing scheme)-

विकास समिति जब वह ऐसी विकास योजना तैयार करने का निश्चय करती है जिसमें व्यक्तियों के

विस्थापित होने की संभावना है तो संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से यह भी अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे और उसने निवास गृहों तथा दुकानों के निर्माण, साधारण और प्रबन्ध के लिए, जिनकी उसके विचार में ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जारी चाहिए-

(क) जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के कार्यान्वित किए जाने के कारण विस्थापित हो जायं, या

(ख) जिनके इस अधिनियम के अधीन कोई विकास योजना जिसे तैयार करने का विचार हो अथवा जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया हो, के कार्यान्वित किए जाने के कारण विस्थापित हो जाने की संभावना हो,

एक योजना (जिसे यहां गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing scheme) कहा गया है) तैयार करें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विकास समिति को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे इस धारा के अधीन दायित्व से मुक्त कर सकती है।

347- सड़क योजना-

1. यदि विकास समिति का मत हो कि-

(क) भवन के लिए स्थलों की व्यवस्था करने, अथवा

(ख) दोषपूर्ण संवीजन (ventilation) दोष रहित करने, या

(ग) यातायात (traffic) की सुविधाओं एवं संचार के नये साधनों के सृजन अथवा वर्तमान साधनों में विकास करने, या

(घ) सफाई संरक्षण (cnservancy) के लिए अधिक सुविधायें उपलब्ध करने के प्रयोजनार्थ यह इष्टकर है कि नई सड़कों का विन्यास किया जाय अथवा वर्तमान सड़कों में परिवर्तन किया जाय तथा यह उद्देश्य अध्याय 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूरा न हो सकता हो, तो विकास समिति संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी को एक योजना तैयार करने का आदेश दे सकती हे जो "सड़क योजना" कहलायेगी।

2. सड़क योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) किसी भूमि का अर्जन जो योजना के कार्यान्वित किए जाने के लिए विकास समिति की राय में आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित सभी या किसी भूमि पुनर्विन्यास (re-laying out) जिसके अन्तर्गत

निगम अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण भी है तथा सड़कों का विन्यास, निर्माण एवं परिवर्तन;

(ग) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण (drainage), जल सम्भरण अथवा उनके लिए रोशनी की व्यवस्था (lighting);

(घ) इस योजना के प्रयोजनों के लिए निगम में निहित अथवा उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली किसी भूमि को ऊंचा करना, नीचा करना अथवा उसका पुनरूद्धार करना (re-clamation);

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्रों के अधिक अच्छे संवीजन के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था;

(च) योजना के अन्तर्गत किसी खुले स्थान (open space) अथवा सड़क से संलग्न किसी भूमि का अर्जन।

348- भावी- सड़क योजना-

1. यदि विकास समिति का यह मत हो कि धारा 347 में वर्णित प्रयोजनों में से किन्हीं के लिए यह इष्टकर है कि किसी वर्तमान सड़क के वर्तमान रेखाकरण (alignment) को परिवर्तित करके, उसे अन्ततः चौड़ा करने की व्यवस्था की जाय ताकि मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित किए जाने वाले ढ़ंग से रेखाकरण (alignment) का विकास हो सके, किन्तु प्रस्तावित

विकसित रेखाकरण के भीतर स्थित सभी या किसी सम्पत्ति का तुरन्त अर्जित किया जाना इष्टकर नहीं है, तो विकास समिति, यदि उसका समाधान हो जाय कि निगम के पास पर्याप्त साधन है, संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क के प्रत्येक ओर रेखाकरण (alignment) को विहित करते हुए एक योजना तैयार करे जो "भावी सड़क योजना" कहलायेगी।

(क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति समय-समय पर संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह हे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना को दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर हो विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह हे कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगा।

(ख) धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके

विष्पादन की समय-सीमा के भीतर निगम की लिखित अनुज्ञा के अनुकूल किसी भवन या दीवाल में कोई ऐसा निर्माण, पुननिर्माण अथवा परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करायेगा, जिससे कि वह सड़क के लिए विहित रेखाकरण (alignment) के बाहर तक निकल आये (project)।

2. भावी सड़क योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी-

(क) विहित सड़क रेखाकरण (alignment) के भीतर स्थित किसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अर्जन ;

(ख) ऐसी सभी या किसी सम्पत्ति का पुनविन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत निगम अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण तथा पुननिर्माण भी है तथा सड़क का तैयार किया जाना औश्र उसमें परिवर्तन ;

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी तथा परिवर्तित सड़क का जलोत्सारण (drainage) तथा उसके लिए रोशनी की व्यवस्था।

3. भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की

समय-सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर निगम को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांकसे 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ले। तदुपरान्त निगम तद्रनुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी ओर यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाभिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।

4. उस सम्पत्ति के अतिरिक्त, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन निगम को नोटिस मिल चुका हो, अन्य किसी सम्पत्ति को अर्जित करने के सम्बन्घ में कार्यवाही करने से पहले निगम उसके स्वामी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने के अपने अभिप्राय के सम्बन्ध में 6 महीने का नोटिस देगा।

349- गृह स्थान योजना (Housing Accommodation Scheme)-

यदि विकास समिति का कम हो कि नगर के किसी वर्ग के निवासियों के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था करना सार्वजनिक लाभ के लिये है, और इष्टकर हे तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार करे, जो गृह स्थान योजना कहलायेगी।

350- नगर प्रसार योजना-

1. यदि विकास समिति का यह मत है कि नगर के भावी प्रसार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना सार्वजनिक लाभ के लिए है और इष्टकर है तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है जो नगर प्रसार योजना कहलायेगी।

   (क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है।

   प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी।

   उग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।

2. ऐसी योजना में वे तरीके, जिनके अनुसार विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का विन्यास करने का

प्रस्ताव है तथा प्रयोजन, जिनके लिये किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जायेगा, दिखलाये जायेंगे।

3. नगर प्रसार योजना के प्रयोजनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, किन्तु निगम से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी, जो राज्य सरकार उचित समझे।

4. धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन अथवा दीवार का निर्माण, पुनर्निर्माण परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए निगम को प्रार्थना-पत्र देना होगा।

5. यदि निगम किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त क्षेत्र में स्थित उसकी भूमि पर किसी भवन अथवा दीवार के निर्माण, पुनर्निर्मण,परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की अनुज्ञा देना अस्वीकार कर दे, और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष के भीतर वह उक्त भूमि को अर्जित करने के लिये कार्यवाही न करें, तो वह उक्त अस्वीकृति के फलस्वरूप हुई उस व्यक्ति की किसी भी क्षति के लिये उसे उचित प्रतिकर देगा।

351- योजना तैयार करना-

1. जब कभी पूर्ववर्ती किसी भी धारा के अधीन कोई विकास योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाय तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह योजना का पान्डुलेख (draft) तैयार करे, और उसे विकास समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करे।
2. विकास समिति के पूर्वानुमोदन से मुख्य नगराधिकारी बनायी जाने वाली विकास योजना तैयार करने के प्रयोजन से समाविष्ट क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों का परिमापन (survey) करवा सकता है।

352- विकास योजनाओं का संयोजन-

ऐसे कितने ही क्षेत्र जिनके सम्बन्ध में विकास योजनाये तैयार की जा चुकी अथवा प्रस्तावित है, किसी भी समय किसी एक संयोजित योजना (combined scheme) अन्तर्गत लाये जा सकते हैं।

353- वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायगी-

1. योजना के स्वरूप् के अनुसार किसी भी विकास योजना में नीचे लिखे किन्हीं अथवा सभी विषयों की व्यवस्था की जा सकती है-

(क) खरीद, विनियम अथवा अन्य प्रकार के किसी सम्पत्ति का अर्जन, जो योजना को

कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, अथवा जिस पर योजना कार्यान्वित करने से प्रभाव पड़ता हो ;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों (site) का पुनर्वितरण ;

(घ) मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य निवास-गृहों अथवा उनके भागों का बन्द किया जाना अथवा गिराया जाना;

(ङ) अवरोध उपस्थित करने वाले (obstructive) भवनों अथवा उनके भागों का गिराया जाना;

(च) भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, किराये पर उठाया जाना अथवा उसका विनियम;

(ज) सड़कों तथा पीछे की गलियों (back lanes) का निर्माण तथा परिवर्तन और पैदल वालों के लिये पार्श्व पथों (side walks) की व्यवस्था;

(झ) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण, जल सम्भरण तथा रोशनी

की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र अथवा उससे संलग्न (adjoining) क्षेत्र के लाभ के लिए खुले स्थानों (open spaces) की व्यवस्था तथा वर्तमान खुले स्थानों तथा उन तक पहुँचने के भागों (approaches) का विस्तार;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये अपेक्षित स्वस्थता सम्बन्धी प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत सफाई संरक्षण (conservamcy) तथा नदियों ओर जल-सम्भरण के अन्य स्त्रोतों तथा साधनों को हानि पहुंचाने अथवा दूषित किये जाने को रोकना तथा उससे बचाना भी है;

(ठ) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिये स्थान (accommodation) की व्यवस्था;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिये अग्रिम धनराशि का दिया जाना;

(ढ़) संचार (communication) की सुविधाओं की व्यवस्था;

(ण) बाजार, उद्योनों, वनरोपण के लिये भूमि का पुनरूद्धार या रक्षण, ईंधन, घास के सम्भरण (supply) और जनता की अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अधिक भीड़ को रोकने की व्यवस्था;

(थ) अन्य कोई विषय जिसके लिए राज्य सरकार की राय में किसी सम्बद्ध क्षेत्र के विकास

अथवा योजना की सामान्य सक्षमता (general efficiency) दृष्टिकोण से व्यवस्था करना इष्टकर हो।

2. निगम समय-समय पर संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ किसे अधिक भीड़ समझा जायगा और ऐसे संकल्प में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उस भू-गृहादि में, जो केवल निवास गृह के लिए ही प्रयोग किये जाये और उन भू-गृहादि में जो निवास-गृह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाय, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयु के अनुसार निम्नतम स्थान कितना होगा।

354- कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना-

धारा 343 के खण्ड (क) या (ख) या (छ) में उल्लिखित विकास योजना अपने अन्तर्गत नगर की सीमा के बाहरदो मील तक किसी ऐसे समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित कर सकती है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसा क्षेत्र इस अध्याय के प्रयोजनों के निर्मित्त नगर के भीतर स्थित क्षेत्र समझा जायगा।

355- विकास योजनायें तैयार करते समय विचारणीय विषय-

किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा :-

(क) पड़ोस क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति (nature) और दशायें (conditions);

(ख) विभिन्न दिशायें, जिनमें नगर का प्रसार होना संभव है; और

(ग) नगर के अन्य भागों के लिए विकास योजनाओं के अपेक्षित होने की संभावना।

356- विकास समिति द्वारा विचार किया जाना-

1. विकास समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी योजना पर विचार करेगी और उसे परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के स्वीकृत कर लेगी अथवा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा करेगी कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे समिति के विचारर्थ पुन: प्रस्तुत करे।
2. विकास समिति लिखित रूप से योजना पर सवीकृति प्रदान करेगी और आदेश देगी कि योजना विज्ञापित की जाय।

357- विकास योजना की नोटिस-

1. विकास योजना का पांडुलेख (draft) विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी एक नोटिस तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा-

   (क) यह तथ्य कि योजना तैयार को जा चुकी है;

(ख) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी;

(ग) स्थान, जहां योजना का विवरण, योजना में समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उस भूमि का उल्लेख जिसके अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है,देखा जा सकता है।

2. मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस लगातार तीन सप्ताह तक सरकारी गजट तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हो, में प्रकाशित करायेगा तथा उसे एक या एकाधिक स्थानीय समाचार-पत्र या समाचार-पत्रों में, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी ठीक समझें, प्रकाशित करायेगा और उसमें ऐसी अवधि का उललेख करेगा, जिसके भीतर इस सम्बन्ध में आपत्तियों ली जायगी। यदि नगर से संलग्न कोई कन्टूमेन्ट बोर्ड हो तो उक्त नोटिस की एक प्रति उसके सभापति (President) के पास भी भेज दी जायगी।

3. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित सभी लेख्यों (documents) की प्रतिलिपियां किसी भी प्रार्थी को, उनके लिए विहित शुल्क प्राप्त होने पर दिलायेगा।

358- भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस-

1. किसी विकास योजना के सम्बन्ध में धारा 357 के अधीन किसी नोटिस के प्रकाशन के प्रथम दिन के पश्चात् से 30 दिनों तक की अवधि में मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित पर नोटिस

तामील करायेगा:

(क) योजना की कार्यान्वित के निमित्त अर्जन के लिए प्रस्तावित किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी कर को अदा करने का प्रथम दायित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, जिसका नाम निगम की सूची में दिखलाया गया हो; तथा

(ख) प्रत्येक भू-गृहादि, जिसे योजना को कार्यान्वित करने के लिए निगम ने अर्जित करने का प्रस्ताव किया हो और जो निगम की निर्धारण सूची में दर्ज हो, के अध्यासी पर (जिसका नाम देना आवश्यक नहीं है)।

2. उक्त नोटिस द्वारा :

(क) यह बतलाया जायगा कि निगम किसी विकास योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि अर्जित करना चाहती है; और

(ख) किसी व्यक्ति से, यदि वह उक्त अर्जन से असहमत हो, नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर लिखित रूप से अपनी असहमति का कारण बताने की अपेक्षा की जायगी।

359- निगम द्वारा योजना पर विचार- किसी विकास योजना के सम्बन्ध में क्रमशः

धारा 357 तथा 358 के अधीन विहित अवधियों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् विकास समिति

तदन्तर्गत प्राप्त किसी आपत्ति या निवेदन-पत्र (noitepresentar) पर विचार करेगी तथा उक्त आपत्तियां करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे निवेदकों की जो सुनवाई चाहते हों, सुनवाई कर लेने तथा योजना में ऐसे परिष्कार, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस योजना को उसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई किसी आपत्ति या निवेदन-पत्र सहित, निगम को अपनी इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगी कि योजना स्वीकृत की जानी चाहिये अथवा उसका परित्याग कर देना चाहिये।

360-निगम द्वारा योजना की स्वीकृति अथवा परित्याग (abandonment)-

1. विकास समिति द्वारा योजना और उसके साथ धारा 357 तथा 358 के अधीन प्राप्त आपत्तियों या निवेदन-पत्र तथा धारा 359 के अधीन विकास समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर निगम उस पर विचार करना आरम्भ करेगी, और या तो उस योजना का परित्याग कर देगी अथवा उसे ऐसे परिष्कारों, यदि कोई हों, के साथ स्वीकृत कर लेगी जिसे वह आवश्यक समझें:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि योजना की अनुमानित लागत 10,00,000 रूपये से अधिक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति भी ली जायगी।

2. उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक योजना में निम्नलिखित बातें होंगी।

(क) योजना का वर्णन और उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण तथा उसकी पूर्ण रूपरेखा और योजना की कार्यान्वित में लगने वाली लागत के तखमीने;

(ख) मुलत: निर्मित योजना में किये गये किन्हीं परिष्कारों के कारणों का विवरण;

(ग) धारा 357 के अधीन प्राप्त आपत्तियों का (यदि कोई हों) विवरण:-

(घ) उन सभी व्यक्तियों के (यदि कोई हो) नामों की सूची, जिन्होंने धारा 358 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी भूमियों के प्रस्तावित अर्जन से असहमति प्रकट की हो और ऐसी असहमति के लिये दिये गये कारणों का विवरण; तथा

(ङ) ऐसी योजना की जिसमें लोगों को फिर से घरों में बसाने की व्यवस्था करना अपेक्षित हो, कार्यान्वित के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने की संभावना हो, उन्हें फिर से घरों में बसाने (re- housing) के लिये निगम द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित प्रतिबन्धों का विवरण।

3. उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी इस बात की नोटिस धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार सरकारी गजट में तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हो, में लगातार दी सप्ताह तक प्रकाशित करायेगा।

4. निगम द्वारा योजना अनुमादित न किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार एक नोटिस तैयार करके उसे प्रकाशित करायेगा, और उस नोटिस में यह उल्लेख करेगा कि निगम ने योजना को आगे न बढ़ाने का संकल्प कर लिया है तथा उक्त प्रकाशन के उपरान्त धारा 357 के अधीन प्रकाशित योजना से संबद्ध विज्ञप्ति निरसित समझी जायगी।

361-योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार-

1. राज्य सरकार धारा 360 के अधीन प्रस्तुत किसी योजना को परिष्कारों सहित अथवा बिना किसी परिष्कार के स्वीकृत कर सकती है अथवा उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है।
2. यदि उपधारा (1) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना निगम द्वारा परिष्कृत कर ली जाय तो उसे निम्नलिखित दशा में धारा 357 के अनुसार पुन: प्रकाशित किया जायगा :

   (क) प्रत्येक ऐसी दशा में, जिसमें पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना क्षेत्र की चौदहवी (boundary) पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया हो; और

   (ख) अन्य प्रत्येक दशा में जब तक कि परिष्कार राज्य सरकार की राय में इतने महत्व का न

हो कि उसका पुन: प्रकाशन अपेक्षित हो।

362-निगम द्वारा परिष्कृत की जाने वाली योजना के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

यदि धारा 360 के अधीन आपत्तियां तथा निवेदन-पत्रों (representations) पर विचार करने के पश्चात् मूल योजना में कोई ऐसा परिष्कार किया गया हो जिससे धारा 361 को उपधारा (2) में वर्णित दशायें उत्पन्न हों, तो किसी योजना के सम्बन्ध में, जिसे निगम स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत कर सकती हो, धारा 357 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

363-विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति-

जब कभी निगम कोई योजना स्वयं अपने अधिकार से अथवा धारा 360 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृत करे तो यह तथ्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जायगा और निगम के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वयं अपने अधिकार से योजना स्वीकृत करने की दशा में तुरन्त ही इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दे और राज्य सरकार को सूचनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करे।

364- स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन-

राज्य सरकार द्वारा अथवा स्वयं अपने अधिकार से निगम द्वारा किसी योजना के स्वीकृत कर लिये

जाने के पश्चात् किसी समय, किन्तु उसके पूर्ण हो जाने के पूर्व, निगम उसमें परिवर्तन कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) योजना के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की दशा में यदि किसी परिवर्तन के कारण योजना को कार्यान्विति के सम्बन्ध में अनुमानित लागत एक लाख रूपये से अधिक बढ़ जाने का तखमीना हो तो बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उक्त परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(ख) निगम द्वारा स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत की गई किसी योजना की दशा में उक्त परिवर्तन राज्य सरकार के सूचनार्थ भेजा जायगा ;

(ग) यदि किसी परिर्वतन के कारण किसी ऐसी भूमि के अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जन से भिन्न अर्जन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो जिसके अर्जन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति न मिली हो तो उसके सम्बन्ध में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विहित प्रक्रिया का ही, जहाँ तक वह लागू हो सकती हो, इस प्रकार अनुसरण किया जायगा मानो उक्त परिवर्तन एक अलग योजना ही हो।

365- विकास योजना के लिये अपेक्षित भूमि का अर्जन-

1. इस अध्याय के अधीन किसी योजना के स्वीकृत किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को, जिसे विकास योजना के सम्बन्ध में अर्जित करने के लिये वह

प्राधिकृत हो अथवा उस भूमि से सम्बद्ध किसी स्वत्व (interest) को खरीदने, पट्टे पर लेने अथवा विनिमय के लिये अनुबन्ध कर सकता है।

2. इस अध्याय के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ निगम इस अध्याय द्वारा संशोधित लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है।

3. मुख्य नगराधिकारी किसी विकास योजना के प्रयोजनों के लिये धारा 273 की उपधारा (2) तथा धारा 290 के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला सकता है।

4. इस अध्याय के अधीन किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न अधिकृत विकास योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय (Award) देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायगा और कोई भी भूमि, जिसके सम्बन्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसका स्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेंगें

प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में, जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो शब्द तथा अंक "धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्‌ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व" रखे गये हों ;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध मैं इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे गये हों ;

1- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 21 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उपर्युक्त की धारा 20 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 67 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार पांच वर्ष या दस वर्ष को उक्त अवधि या, जैसी भी दशा हो,

31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

366-भवन इत्यादि के सम्बन्ध में निर्बन्धन (restriction)-

जब कि बस्ती सुधार (slum clearance) योजना के विषय में धारा 357 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित हो जाय तो कोई व्यक्ति अस्वास्थ्यकर (insanitary) तथा पुनर्निमाण क्षेत्रों में समाविष्ट किसी भवन को निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित नहीं करेगा या किसी भूमि का अन्यथा विकास नहीं करेगा, सिवाय उक्त कार्य योजना के क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट पुनर्निर्माण नियोजन (rebuilding plan) के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धनों (restrictions) एवं शर्तो के अधीन रहते हुए किये जाय जिन्हें लगाना मुख्य नगराधिकारी उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी, जो अपनी भूमि के प्रयोग पर इस प्रकार लगाई गई शर्तो तथा निर्बन्धनों के कारण अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाद में ऐसी किसी शर्त अथवा निर्बन्धन को रद्द अथवा परिष्कृत करना अस्वीकार कर दिये जाने के कारण क्षुब्ध हो, तो वह तीस दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है। न्यायाधीश इस विषय में, जैसा वह उचित समझेगा, आज्ञा दे देगा तथा न्यायाधीश की आज्ञा अंतिम होगी।

367-भवनों को गिराने के आदेश-

मुख्य नगराधिकारी विकास समिति की स्वीकृति से स्वीकृति को विज्ञाप्ति की धारा 363 के अधीन प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में समाविष्ट किसी भवन अथवा भवनों के अध्यासियों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उन्हें गिराये जाने के प्रयोजन के लिये नोटिस से तीन मास के भीतर खाली कर दें तथा ऐसे भवन अथवा भवनों के स्वामी या स्वामियों से अपेक्षा कर सकता है कि उन्हें एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरा दें तथा यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व भवन गिरा नहीं दिया जाता तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी के जोखिम (risk) तथा व्यय पर उक्त भवन अथवा भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगा, उसके मलवे (material) को बेचेगा तथा उस स्थान को साफ करायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवनों को खाली किये जाने तथा गिराये जाने का कार्य एक ही समय में किया जा सकता हैं।

367-क-

योजना का परित्याग--निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तो के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 42, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 या इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन

विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे।

1--उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24,1972 की धारा 7 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

2--उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 21 द्वारा जोड़ी गयी।

368-भूमि निस्तारित करने के अधिकार-

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये निगम इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा अर्जित अथवा अपने में निहित किसी भूमि को बनाये रख सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है अथवा उसे अन्यथा निस्तारित कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अध्याय के अधीन किसी योजना के निमित्त अर्जित भूमि के पट्टे पर देने, बेचने, विनिमय करने अथवा उसे अन्यथा निस्तारित करने में प्राथमिकता उस आयति तक तथा उस रीति से, जो, विहित की जाय, उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिनकी भूमि ऐसी योजना के निमित्त अर्जित की गयी हो।

369-परिमापन करने के अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी, जब कभी वह समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने लिये किसी भूमि का परिमापन आवश्यक है, उस भूमि का सर्वेक्षण करवा सकता है।

370-प्रविष्टि के अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी, धारा 562 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के साथ अथवा उसके बिना ही किसी भूमि में अथवा पर--

   (क) कोई निरीक्षण, परिमापन, पैमाइश, मूल्यांकन अथवा जांच करने;

   (ख) सतह लेने (take-levels) ;

   (ग) भूमिगत मिट्टी (sub-soil) खोदने अथवा भेदने (bore) ;

   (घ) चौहद्दियां (boundaries) तथा अभिप्रेत कार्य रखायें (line of works) निर्धारित करने (set-out);

   (ङ) ऐसी सतहों, (levels), चौहद्दियों तथा रेखाओं को चिन्हों द्वारा तथा खाई खोदकर चिन्हित करने;या

   (च) अन्य कोई कार्यवाही करने के लिये जब कभी इस अध्याय अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या स्वीकृत योजना के किसी प्रयोजन के लियें ऐसा करना

आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है।

2. यदि उपधारा (1) के अनुसरण में मुख्य नगराधिकारी के किसी भूमि में अथवा पर प्रवेश के कारण कोई क्षति पहुंचे तो निगम उसे पूरा करेगी।

3. मुख्य नगराधिकारी निरीक्षण अथवा छानबीन (search) के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है तथा वह कोई दरवाजा, फाटक (gate) अथवा अन्य कोई अवरोध (barrier) खोल अथवा खुलवा सकता है यदि-

(क) वह यह समझे कि उसका खोला जाना उक्त प्रवेश, निरीक्षण अथवा छानबीन आवश्यक है;और

(ख) उसका स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित हो अथवा उपस्थित होने पर भी उक्त दरवाजा, फाटक अथवा अवरोध खोलने से इन्कार करे।

371-न्यायाधिकरण (tribunal) का संगठन-

1. राज्य सरकार एक न्यायाधिकरण संगठित करेगी जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो आगे निर्दिष्ट किये गये हैं।

2. यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवेमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण नियत दिन से

विघटित हो जायेगा।

3. यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवेमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियों की सुनवाई अथवा संचालन उपधारा (1) के अधीन संगठित न्यायाधिकरण उसी भांति करेगा मानो कि वे उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की गई हों, तथा इस अधिनियम के उपबन्ध तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई नियम उक्त सभी वादों तथा कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

372-न्यायाधिकरण के कर्तव्य-

1. लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को निमित्त निगम के लिये भूमि अर्जन सम्बन्धी समस्त विषयों के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण न्यायालय के कृत्यों का निर्वहन करेगा :

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण तब तक ऐसे किसी दावे की सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि दावा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में वाद व्यय के लिये 7,000 रू0 से अनधिक को ऐसी धनराशि, जिसे न्यायाधिकरण निश्चित करे और जो दावा करने वाले व्यक्ति के असफल होने पर उसके विरोधी पक्ष को दी जा सके, न जमा कर दे।

2. न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7, जैसा कि वह धारा 129-क के अन्तर्गत निगम के भू-गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।

373-न्यायाधिकरण के सदस्यगण-

1. न्यायाधिकरण [एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायेगा] से मिलकर बनेगा।
2. उक्त सदस्य जिला जज से अन्यून पद का एक व्यवहार न्यायिक पदाधिकारी (Civil Judical Officer) होगा :
3. उक्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा,
4. यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से, जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकता हैं।

1- उ0प्र0 अधिनियम सं. 30, 1970 की धारा 29 द्वारा उपधारा (1) के रूप में

पुन:संख्याकित और नयी उपधारा (2) अन्तर्विष्ट।

2- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

4- उपर्युक्त की धारा 8 (2) द्वारा निकाला गया।

5- उपर्युक्त की धारा 8 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।]

374-पारिश्रमिक-

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को निगम द्वारा ऐसा निश्चित (fixed) पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार विहित करे।

375-न्यायाधिकरण के कर्मचारी-

1. न्यायाधिकरण समय-समय पर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित दिखलायें

जायेंगें :

(क) न्यायाधिकरण के लिये आवश्यक कर्मचारियों को संख्या तथा उनको कोटि (grade) ;

(ख) वेतन जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जायगा।

2. न्यायाधिकरण के कर्मचारी को सेवा के निबन्धन तथा शर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

376-लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 का परिष्कार-

लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन निगम के निमित्त भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिये, चाहे वह इस अधिनियम के इस अध्याय के अधीन हो, अथवा अन्य किसी अध्याय के-

(क) उक्त ऐक्ट इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन रहेगा;

(ख) न्यायाधिकरण का निर्णय (award) लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन न्यायालय का निर्णय माना जायगा।

377-न्यायाधिकरण पर प्रवृत्त विधि-

कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 तथा इण्डियन एवोडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, न्यायाधिकरण के समक्ष की जाने वाली सभी

कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

378-[XXX]

379-न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा-

धारा 381 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी विधिक न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

1- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उपर्युक्त की धारा 10 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

4- उपर्युक्त की धारा 10 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

5- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 11 द्वारा निकाला गया।

380-न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना-

धन की अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की प्रत्येक आज्ञा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा इसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानो कि वह उस न्यायालय की कोई डिग्री हो।

381-अपीलें-

1. न्यायाधिकरण के किसी निर्णय की अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी यदि-

   (क) न्यायाधिकरण इस आशय का प्रमाण-पत्र दे कि उक्त मामला अपील किये जाने योग्य है, अथवा

   (ख) हाईकोर्ट अपील के लिये विशेष अनुमति दे:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट ऐसी विशेष अनुमति तब तक न देगा जब तक कि न्यायाधिकरण ने खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत न कर दिया हो।

2. उपधारा (1) के अधीन अपील केवल निम्नलिखित एक या एकाधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात्-

   (क) निर्णय किसी विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) के प्रतिकूल है,

   (ख) निर्णय में विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) से संबद्ध किसी सारवान विषय (material issue) का निर्धारण नहीं किया गया है,

   (ग) कोई ऐसी सारवान भूल अथवा त्रुटि रह गयी है जिसके कारण गुण-दोष के आधार पर

(on merits), किसी मामले के निर्णय में तथ्य या विधि (point of fact or of law) सम्बन्धी कोई भूल अथवा त्रुटि हो गई है।

3. पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि अपीलकर्त्ता ने वह धनराशि न जमा कर दी हो, उस आज्ञा के अधीन जमा करना उसका दायित्व हो, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है।

4. उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मूल डिग्रियों (decrees) की अपोलों के विषय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध, यथासम्भव, इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होंगे।

5. **(1)**

    1. **(i)** उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

       (ii) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील उक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

       (iii) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट को प्रार्थना-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ

दिन के भीतर दिया जा सकता है।

1- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

5(5-क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध के परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

6. इस अधिनियम के अधीन किसी अपील पर हाईकोर्ट की आज्ञा, प्रार्थना-पत्र देने पर, नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानो वह उसी न्यायालय की काई डिग्री हो।

382-वृक्षों तथा वनभूमियों का परिरक्षण-

1. यदि विकास समिति को प्रतीत हो कि सुख-सुविधा के हित में नगर को किसी वनभूमि अथवा वृक्षों का परिरक्षण (preservatio) इष्टकर है, तो वह मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित आज्ञा देने के लिये प्राधिकृत कर सकती है-

(क) मुख्य नगराधिकारी को अनुज्ञा के बिना आज्ञा में निर्दिष्ट किसी वृक्ष अथवा वृक्ष-समूहों को काट कर गिराने, उनकी ऊंचाई छाटने (topping), डाल काटने (lopping) अथवा

जानबूझ कर उन्हें नष्ट करने का प्रतिषेध;

(ख) वनभूमि के किसी ऐसे भाग में, जहां के वृक्ष, वन प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं के दौरान में मुख्य नगराधिकारी को अनुज्ञा से अथवा बिना उसकी अनुज्ञा के गिरा दिये गये हों, आज्ञा में उल्लिखित रीति के अनुसार फिर से पौधे लगवाना (replanting)।

2. उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर उक्त आज्ञा की तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार ऐसी किसी आज्ञा की पुष्टि बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कारों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकती है अथवा उसे प्रतिसंहृत (revoke) कर सकती है।

383-नगर के लिये महायोजना-

1. निगम इस सम्बन्ध से बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से तथा शर्तो के अधीन रहते हुए नगर के लिए एक महायोजना तैयार कर सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित होने पर वह ऐसा अवश्य करेगी।

स्पष्टीकरण--इस धारा में "महायोजना" से तात्पर्य है वह विस्तृत योजना, जिसमें

निम्नलिखित की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति (location) एवं उनका सामान्य विन्यास (general layout) दिखलाया गया हो-

(क) मुख्य सड़कें (Arterial streets) तथा यातायात के रास्ते;

(ख) आवासिक खंड (residential sections);

(ग) व्यवसाय क्षेत्र (Business Areas);

(घ) औद्योगिक क्षेत्र;

(ङ) शिक्षा संस्थायें;

(च) सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की अन्य सुविधायें;

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भवन;

(ज) भूमि के अन्य प्रयोग जो आवश्यक हो;

1. -उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 12(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. महायोजना प्रत्येक 10 वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित की जायगी तथा यदि निगम उचित समझे तो उससे पहले भी पुनरीक्षित की जा सकती है।

3. इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी विकास योजनायें, नयी सड़कों, नालियों, उद्यानों, फैक्ट्रियों तथा भवनों का विन्यास यथासम्भव महायोजना के अनरूप होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंन्ट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1945 के अधीन पहले से ही स्वीकृत विकास योजनाओं पर लागू न होगी।

383- क- नगर के लिये विकास योजना तैयार करना-

1. निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम को विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।
3. योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और मुख्य नगर अधिकारी इसे संविधान के अनुच्छेद 243- य घ में उल्लिखित जिला योजना समिति की उस दिनांक तक, जो नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

384-नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकारों का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :-

(क) न्यायाधिकरणों के कार्यो का संचालन जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर के प्रतिकूल न हो;

(ख) विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार तथा वैयक्तिक (public and personal) नोटिस देने की रीति;

(ग) विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना;

(घ) नगर की महायोजना को तैयार करने तथा उसके पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभा विषय ; तथा

(ङ) भूमि प्रयोग सम्बन्धी परिवर्तनों का विनियमन।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 की धारा 62 द्वारा बढ़ायी गयी।

अध्याय 14

विकास योजनाएँ

343- विकास योजनाओं के प्रकार-

नगर में विकास करने के प्रयोजनार्थ कोई विकास योजना नीचे लिखे प्रकार में से किसी भी प्रकार को ही सकती है अथवा ऐसे दो या दो से अधिक प्रकारों अथवा उसकी विशेषताओं से युक्त हो सकती है

अर्थात्-

(क) सामान्य विकास योजना;

(ख) बस्ती सुधार (slum clearance) योजना;

(ग) गृह पुनर्निर्माण योजना (re-housing scheme);

(घ) सड़क योजना (street scheme);

(ङ) भावी सड़क योजना (deferred street scheme);

(च) गृह-स्थान (housing accommodation) योजना; और

(छ) नगर प्रसार योजना (city expansion scheme)।

344- सामान्य विकास योजना- विकास समिति को जब कभी यह प्रतीत हो कि-

1. किसी क्षेत्र में कोई भवन, जो रहने के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हों, अथवा अभिप्रेत हों अथवा प्रयोग में लाये जाने की संभावना हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं, या
2. किसी क्षेत्र में स्थित भवनों अथवा पास-पड़ोस के भवनों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये ऐसे क्षेत्र में-

   (1) सड़कों या भवनों के समूहों के संकरे होने, बहुत पास-पास होन अथवा उनकी दशा और प्रबन्ध खराब होने;

   (2) प्रकाश, वायु, संवीजन (ventilation) तथा उपर्युक्त सुविधाओं का अभाव होने; अथवा

   (3) अन्य कोई स्वच्छता सम्बन्धी त्रुति के कारण संकट पैदा हो गया है;

तो विकास समिति यह संकल्प पारित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है तथा उस क्षेत्र की विकास-योजना तैयार की जाय।

345- बस्ती सुधार (slum clearance) योजना-

1. यदि विकास समिति को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र पूर्वगत धारा के अर्थो में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है और इस क्षेत्र में स्थित भवनों तथा जहाँ पर वे निर्मित हैं, उन

स्थलों (sites) के तुलनात्मक मूल्य का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र अथवा उसके किसी अंश के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का सर्वाधिक संतोषजनक ढ़ंग यह है कि अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में वर्तमान भवनों को हटाकर उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जाय तो वह संकल्प द्वारा यह निर्देश (direct) कर सकती है कि इस धारा के अनुसार बस्ती सुधार की एक योजना तैयार की जाय।

2. बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है :

(क) सड़कों, पीछे की गलियों (back lanes) तथा खुले स्थानों (open spaces) का आरक्षण (reservation) तथा वर्तमान सड़कों, पीछे की गलियों और खुले स्थानों का उस आयति तक विस्तार करना (enlargement) जो योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार रक्षित अथवा विस्तृत (ealarged) सड़कों, पीछे की गलियों, अथवा खुले स्थानों के क्षेत्र के स्थलों (sites) का पुनविन्यास (re-laying out);

(ग) ऐसे किसी भी आरक्षण (reservation) या विस्तार के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान तथा इस प्रकार रक्षित या विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का निर्माण;

(घ) वर्तमान भवनों तथा उनके उपाभूत भागों (appurtenances) का उनके स्वामियों द्वारा गिराया

जाना, अथवा स्वामी द्वारा ऐसा न करने पर निगम द्वारा गिराया जाना तथा योजना के अनुसार उन स्थलों पर, जिनकी परिभाषा योजना में की गई है, स्वामियों द्वारा भवनों का निर्माण अथवा स्वामियों के ऐसा न करने पर निगम द्वारा भवनों का निर्माण;

(ङ) स्वामियों को सूद तथा निक्षेप निधि (sinking fund) से सम्बद्ध ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर और अन्यथा जो इस योजना के अन्तर्गत विहित को जाय, ऐसी अग्रिम धनराशि का दिया जाना जो योजनानुसार नये भवनों के निर्माणार्थ उन्हें सहायता देने के लिए आवश्यक हो;

(च) योजना में सम्मिलित किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का निगम द्वारा अर्जन (acquisition):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निगम किसी भी भवन को गिराने से अपवर्जित (exclude) कर सकती है यदि उनका समाधान हो जाय कि वह भवन मनुष्यों के रहने के अयोग्य नहीं हे या संकटमय नहीं है या स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है अथवा उसमें सुधार करके उसे स्वास्थ्यकर तथा मुनष्यों के रहने के योग्य बनाया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र् से गन्दी बस्ती हटाने के कार्य में अथवा उस क्षेत्र के पुनविकास में बाधा नहीं पहुंचती।

346- गृह पुननिर्माण योजना (rehousing scheme)-

विकास समिति जब वह ऐसी विकास योजना तैयार करने का निश्चय करती है जिसमें व्यक्तियों के

विस्थापित होने की संभावना है तो संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से यह भी अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे और उसने निवास गृहों तथा दुकानों के निर्माण, साधारण और प्रबन्ध के लिए, जिनकी उसके विचार में ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जारी चाहिए-

(क) जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के कार्यान्वित किए जाने के कारण विस्थापित हो जायं, या

(ख) जिनके इस अधिनियम के अधीन कोई विकास योजना जिसे तैयार करने का विचार हो अथवा जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया हो, के कार्यान्वित किए जाने के कारण विस्थापित हो जाने की संभावना हो,

एक योजना (जिसे यहां गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing scheme) कहा गया है) तैयार करें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विकास समिति को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे इस धारा के अधीन दायित्व से मुक्त कर सकती है।

347- सड़क योजना-

1. यदि विकास समिति का मत हो कि-

(क) भवन के लिए स्थलों की व्यवस्था करने, अथवा

(ख) दोषपूर्ण संवीजन (ventilation) दोष रहित करने, या

(ग) यातायात (traffic) की सुविधाओं एवं संचार के नये साधनों के सृजन अथवा वर्तमान साधनों में विकास करने, या

(घ) सफाई संरक्षण (cnservancy) के लिए अधिक सुविधायें उपलब्ध करने के प्रयोजनार्थ यह इष्टकर है कि नई सड़कों का विन्यास किया जाय अथवा वर्तमान सड़कों में परिवर्तन किया जाय तथा यह उद्देश्य अध्याय 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूरा न हो सकता हो, तो विकास समिति संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी को एक योजना तैयार करने का आदेश दे सकती हे जो "सड़क योजना" कहलायेगी।

2. सड़क योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :

(क) किसी भूमि का अर्जन जो योजना के कार्यान्वित किए जाने के लिए विकास समिति की राय में आवश्यक हो;

(ख) इस प्रकार अर्जित सभी या किसी भूमि पुनर्विन्यास (re-laying out) जिसके अन्तर्गत

निगम अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण भी है तथा सड़कों का विन्यास, निर्माण एवं परिवर्तन;

(ग) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण (drainage), जल सम्भरण अथवा उनके लिए रोशनी की व्यवस्था (lighting);

(घ) इस योजना के प्रयोजनों के लिए निगम में निहित अथवा उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली किसी भूमि को ऊंचा करना, नीचा करना अथवा उसका पुनरूद्धार करना (re-clamation);

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्रों के अधिक अच्छे संवीजन के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था;

(च) योजना के अन्तर्गत किसी खुले स्थान (open space) अथवा सड़क से संलग्न किसी भूमि का अर्जन।

348- भावी- सड़क योजना-

1. यदि विकास समिति का यह मत हो कि धारा 347 में वर्णित प्रयोजनों में से किन्हीं के लिए यह इष्टकर है कि किसी वर्तमान सड़क के वर्तमान रेखाकरण (alignment) को परिवर्तित करके, उसे अन्ततः चौड़ा करने की व्यवस्था की जाय ताकि मुख्य नगराधिकारी द्वारा विहित किए जाने वाले ढ़ंग से रेखाकरण (alignment) का विकास हो सके, किन्तु प्रस्तावित

विकसित रेखाकरण के भीतर स्थित सभी या किसी सम्पत्ति का तुरन्त अर्जित किया जाना इष्टकर नहीं है, तो विकास समिति, यदि उसका समाधान हो जाय कि निगम के पास पर्याप्त साधन है, संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क के प्रत्येक ओर रेखाकरण (alignment) को विहित करते हुए एक योजना तैयार करे जो "भावी सड़क योजना" कहलायेगी।

(क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी, जिसे विकास समिति समय-समय पर संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह हे कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना को दशा में, ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर हो विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह हे कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगा।

(ख) धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके

विष्पादन की समय-सीमा के भीतर निगम की लिखित अनुज्ञा के अनुकूल किसी भवन या दीवाल में कोई ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करायेगा, जिससे कि वह सड़क के लिए विहित रेखाकरण (alignment) के बाहर तक निकल आये (project)।

2. भावी सड़क योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी-

(क) विहित सड़क रेखाकरण (alignment) के भीतर स्थित किसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अर्जन ;

(ख) ऐसी सभी या किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत निगम अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण भी है तथा सड़क का तैयार किया जाना औश्र् उसमें परिवर्तन ;

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी तथा परिवर्तित सड़क का जलोत्सारण (drainage) तथा उसके लिए रोशनी की व्यवस्था।

3. भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की

समय-सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर निगम को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांकसे 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ले। तदुपरान्त निगम तद्रनुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी ओर यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अभिदिष्ट न्यायाभिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।

4. उस सम्पत्ति के अतिरिक्त, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन निगम को नोटिस मिल चुका हो, अन्य किसी सम्पत्ति को अर्जित करने के सम्बन्घ में कार्यवाही करने से पहले निगम उसके स्वामी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने के अपने अभिप्राय के सम्बन्ध में 6 महीने का नोटिस देगा।

349- गृह स्थान योजना (Housing Accommodation Scheme)-

यदि विकास समिति का कम हो कि नगर के किसी वर्ग के निवासियों के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था करना सार्वजनिक लाभ के लिये है, और इष्टकर हे तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकती है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए एक योजना तैयार करे, जो गृह स्थान योजना कहलायेगी।

350- नगर प्रसार योजना-

1. यदि विकास समिति का यह मत है कि नगर के भावी प्रसार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना सार्वजनिक लाभ के लिए है और इष्टकर है तो वह संकल्प द्वारा मुख्य नगराधिकारी से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है जो नगर प्रसार योजना कहलायेगी।

   (क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की जायगी जिसे विकास समिति, समय-समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है।

   प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में ऐसी समय-सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायगी।

   उग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय-सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।

2. ऐसी योजना में वे तरीके, जिनके अनुसार विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का विन्यास करने का

प्रस्ताव है तथा प्रयोजन, जिनके लिये किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जायेगा, दिखलाये जायेंगे।

3. नगर प्रसार योजना के प्रयोजनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, किन्तु निगम से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी, जो राज्य सरकार उचित समझे।

4. धारा 363 के अधीन ऐसी योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु उसके निष्पादन की समय-सीमा के भीतर यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन अथवा दीवार का निर्माण, पुनर्निर्माण परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए निगम को प्रार्थना-पत्र देना होगा।

5. यदि निगम किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त क्षेत्र में स्थित उसकी भूमि पर किसी भवन अथवा दीवार के निर्माण, पुनर्निर्मण,परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की अनुज्ञा देना अस्वीकार कर दे, और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष के भीतर वह उक्त भूमि को अर्जित करने के लिये कार्यवाही न करें, तो वह उक्त अस्वीकृति के फलस्वरूप हुई उस व्यक्ति की किसी भी क्षति के लिये उसे उचित प्रतिकर देगा।

351- योजना तैयार करना-

1. जब कभी पूर्ववर्ती किसी भी धारा के अधीन कोई विकास योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाय तो मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह योजना का पान्डुलेख (draft) तैयार करे, और उसे विकास समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करे।
2. विकास समिति के पूर्वानुमोदन से मुख्य नगराधिकारी बनायी जाने वाली विकास योजना तैयार करने के प्रयोजन से समाविष्ट क्षेत्र की सीमा के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों का परिमापन (survey) करवा सकता है।

352- विकास योजनाओं का संयोजन-

ऐसे कितने ही क्षेत्र जिनके सम्बन्ध में विकास योजनाये तैयार की जा चुकी अथवा प्रस्तावित है, किसी भी समय किसी एक संयोजित योजना (combined scheme) अन्तर्गत लाये जा सकते हैं।

353- वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायगी-

1. योजना के स्वरूप् के अनुसार किसी भी विकास योजना में नीचे लिखे किन्हीं अथवा सभी विषयों की व्यवस्था की जा सकती है-

   (क) खरीद, विनियम अथवा अन्य प्रकार के किसी सम्पत्ति का अर्जन, जो योजना को

कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो, अथवा जिस पर योजना कार्यान्वित करने से प्रभाव पड़ता हो ;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों (site) का पुनर्वितरण ;

(घ) मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य निवास-गृहों अथवा उनके भागों का बन्द किया जाना अथवा गिराया जाना;

(ङ) अवरोध उपस्थित करने वाले (obstructive) भवनों अथवा उनके भागों का गिराया जाना;

(च) भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, किराये पर उठाया जाना अथवा उसका विनियम;

(ज) सड़कों तथा पीछे की गलियों (back lanes) का निर्माण तथा परिवर्तन और पैदल वालों के लिये पार्श्व पथों (side walks) की व्यवस्था;

(झ) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण, जल सम्भरण तथा रोशनी

की व्यवस्था;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र अथवा उससे संलग्न (adjoining) क्षेत्र के लाभ के लिए खुले स्थानों (open spaces) की व्यवस्था तथा वर्तमान खुले स्थानों तथा उन तक पहुँचने के भागों (approaches) का विस्तार;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिये अपेक्षित स्वस्थता सम्बन्धी प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत सफाई संरक्षण (conservamcy) तथा नदियों ओर जल-सम्भरण के अन्य स्त्रोतों तथा साधनों को हानि पहुंचाने अथवा दूषित किये जाने को रोकना तथा उससे बचाना भी है;

(ठ) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिये स्थान (accommodation) की व्यवस्था;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिये अग्रिम धनराशि का दिया जाना;

(ढ़) संचार (communication) की सुविधाओं की व्यवस्था;

(ण) बाजार, उद्योनों, वनरोपण के लिये भूमि का पुनरूद्धार या रक्षण, ईंधन, घास के सम्भरण (supply) और जनता की अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अधिक भीड़ को रोकने की व्यवस्था;

(थ) अन्य कोई विषय जिसके लिए राज्य सरकार की राय में किसी सम्बद्ध क्षेत्र के विकास

अथवा योजना की सामान्य सक्षमता (general efficiency) दृष्टिकोण से व्यवस्था करना इष्टकर हो।

2. निगम समय-समय पर संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ किसे अधिक भीड़ समझा जायगा और ऐसे संकल्प में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उस भू-गृहादि में, जो केवल निवास गृह के लिए ही प्रयोग किये जाये और उन भू-गृहादि में जो निवास-गृह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाय, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयु के अनुसार निम्नतम स्थान कितना होगा।

354- कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना-

धारा 343 के खण्ड (क) या (ख) या (छ) में उल्लिखित विकास योजना अपने अन्तर्गत नगर की सीमा के बाहरदो मील तक किसी ऐसे समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित कर सकती है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसा क्षेत्र इस अध्याय के प्रयोजनों के निर्मित्त नगर के भीतर स्थित क्षेत्र समझा जायगा।

355- विकास योजनायें तैयार करते समय विचारणीय विषय-

किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा :-

(क) पड़ोस क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति (nature) और दशायें (conditions);

(ख) विभिन्न दिशायें, जिनमें नगर का प्रसार होना संभव है; और

(ग) नगर के अन्य भागों के लिए विकास योजनाओं के अपेक्षित होने की संभावना।

356- विकास समिति द्वारा विचार किया जाना-

1. विकास समिति मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी योजना पर विचार करेगी और उसे परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के स्वीकृत कर लेगी अथवा मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा करेगी कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे समिति के विचारर्थ पुन: प्रस्तुत करे।
2. विकास समिति लिखित रूप से योजना पर सवीकृति प्रदान करेगी और आदेश देगी कि योजना विज्ञापित की जाय।

357- विकास योजना की नोटिस-

1. विकास योजना का पांडुलेख (draft) विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी एक नोटिस तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा-

   (क) यह तथ्य कि योजना तैयार को जा चुकी है;

(ख) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी;

(ग) स्थान, जहां योजना का विवरण, योजना में समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उस भूमि का उल्लेख जिसके अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है,देखा जा सकता है।

2. मुख्य नगराधिकारी उक्त नोटिस लगातार तीन सप्ताह तक सरकारी गजट तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हो, में प्रकाशित करायेगा तथा उसे एक या एकाधिक स्थानीय समाचार-पत्र या समाचार-पत्रों में, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी ठीक समझें, प्रकाशित करायेगा और उसमें ऐसी अवधि का उललेख करेगा, जिसके भीतर इस सम्बन्ध में आपत्तियों ली जायगी। यदि नगर से संलग्न कोई कन्टूमेन्ट बोर्ड हो तो उक्त नोटिस की एक प्रति उसके सभापति (President) के पास भी भेज दी जायगी।
3. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित सभी लेख्यों (documents) की प्रतिलिपियां किसी भी प्रार्थी को, उनके लिए विहित शुल्क प्राप्त होने पर दिलायेगा।

358- भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस-

1. किसी विकास योजना के सम्बन्ध में धारा 357 के अधीन किसी नोटिस के प्रकाशन के प्रथम दिन के पश्चात् से 30 दिनों तक की अवधि में मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित पर नोटिस

तामील करायेगा:

(क) योजना की कार्यान्वित के निमित्त अर्जन के लिए प्रस्तावित किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी कर को अदा करने का प्रथम दायित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, जिसका नाम निगम की सूची में दिखलाया गया हो; तथा

(ख) प्रत्येक भू-गृहादि, जिसे योजना को कार्यान्वित करने के लिए निगम ने अर्जित करने का प्रस्ताव किया हो और जो निगम की निर्धारण सूची में दर्ज हो, के अध्यासी पर (जिसका नाम देना आवश्यक नहीं है)।

2. उक्त नोटिस द्वारा :

(क) यह बतलाया जायगा कि निगम किसी विकास योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि अर्जित करना चाहती है; और

(ख) किसी व्यक्ति से, यदि वह उक्त अर्जन से असहमत हो, नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर लिखित रूप से अपनी असहमति का कारण बताने की अपेक्षा की जायगी।

359- निगम द्वारा योजना पर विचार- किसी विकास योजना के सम्बन्ध में क्रमशः

धारा 357 तथा 358 के अधीन विहित अवधियों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् विकास समिति

तदन्तर्गत प्राप्त किसी आपत्ति या निवेदन-पत्र (noitepresentar) पर विचार करेगी तथा उक्त आपत्तियां करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे निवेदकों की जो सुनवाई चाहते हों, सुनवाई कर लेने तथा योजना में ऐसे परिष्कार, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस योजना को उसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई किसी आपत्ति या निवेदन-पत्र सहित, निगम को अपनी इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगी कि योजना स्वीकृत की जानी चाहिये अथवा उसका परित्याग कर देना चाहिये।

360-निगम द्वारा योजना की स्वीकृति अथवा परित्याग (abandonment)-

1. विकास समिति द्वारा योजना और उसके साथ धारा 357 तथा 358 के अधीन प्राप्त आपत्तियों या निवेदन-पत्र तथा धारा 359 के अधीन विकास समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर निगम उस पर विचार करना आरम्भ करेगी, और या तो उस योजना का परित्याग कर देगी अथवा उसे ऐसे परिष्कारों, यदि कोई हों, के साथ स्वीकृत कर लेगी जिसे वह आवश्यक समझें:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि योजना की अनुमानित लागत 10,00,000 रूपये से अधिक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति भी ली जायगी।

2. उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक योजना में निम्नलिखित बातें होंगी।

(क) योजना का वर्णन और उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण तथा उसकी पूर्ण रूपरेखा और योजना की कार्यान्वित में लगने वाली लागत के तखमीने;

(ख) मुलत: निर्मित योजना में किये गये किन्हीं परिष्कारों के कारणों का विवरण;

(ग) धारा 357 के अधीन प्राप्त आपत्तियों का (यदि कोई हों) विवरण:-

(घ) उन सभी व्यक्तियों के (यदि कोई हो) नामों की सूची, जिन्होंने धारा 358 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी भूमियों के प्रस्तावित अर्जन से असहमति प्रकट की हो और ऐसी असहमति के लिये दिये गये कारणों का विवरण; तथा

(ङ) ऐसी योजना की जिसमें लोगों को फिर से घरों में बसाने की व्यवस्था करना अपेक्षित हो, कार्यान्वित के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने की संभावना हो, उन्हें फिर से घरों में बसाने (re- housing) के लिये निगम द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित प्रतिबन्धों का विवरण।

3. उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी इस बात की नोटिस धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार सरकारी गजट में तथा निगम के बुलेटिन, यदि कोई हो, में लगातार दी सप्ताह तक प्रकाशित करायेगा।

4. निगम द्वारा योजना अनुमादित न किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार एक नोटिस तैयार करके उसे प्रकाशित करायेगा, और उस नोटिस में यह उल्लेख करेगा कि निगम ने योजना को आगे न बढ़ाने का संकल्प कर लिया है तथा उक्त प्रकाशन के उपरान्त धारा 357 के अधीन प्रकाशित योजना से संबद्ध विज्ञप्ति निरसित समझी जायगी।

361-योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार-

1. राज्य सरकार धारा 360 के अधीन प्रस्तुत किसी योजना को परिष्कारों सहित अथवा बिना किसी परिष्कार के स्वीकृत कर सकती है अथवा उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है।
2. यदि उपधारा (1) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना निगम द्वारा परिष्कृत कर ली जाय तो उसे निम्नलिखित दशा में धारा 357 के अनुसार पुन: प्रकाशित किया जायगा :

   (क) प्रत्येक ऐसी दशा में, जिसमें पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना क्षेत्र की चौदहवी (boundary) पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया हो; और

   (ख) अन्य प्रत्येक दशा में जब तक कि परिष्कार राज्य सरकार की राय में इतने महत्व का न

हो कि उसका पुन: प्रकाशन अपेक्षित हो।

362-निगम द्वारा परिष्कृत की जाने वाली योजना के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

यदि धारा 360 के अधीन आपत्तियां तथा निवेदन-पत्रों (representations) पर विचार करने के पश्चात् मूल योजना में कोई ऐसा परिष्कार किया गया हो जिससे धारा 361 को उपधारा (2) में वर्णित दशायें उत्पन्न हों, तो किसी योजना के सम्बन्ध में, जिसे निगम स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत कर सकती हो, धारा 357 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

363-विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति-

जब कभी निगम कोई योजना स्वयं अपने अधिकार से अथवा धारा 360 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृत करे तो यह तथ्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जायगा और निगम के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वयं अपने अधिकार से योजना स्वीकृत करने की दशा में तुरन्त ही इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दे और राज्य सरकार को सूचनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करे।

364- स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन-

राज्य सरकार द्वारा अथवा स्वयं अपने अधिकार से निगम द्वारा किसी योजना के स्वीकृत कर लिये

जाने के पश्चात् किसी समय, किन्तु उसके पूर्ण हो जाने के पूर्व, निगम उसमें परिवर्तन कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) योजना के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की दशा में यदि किसी परिवर्तन के कारण योजना को कार्यान्विति के सम्बन्ध में अनुमानित लागत एक लाख रूपये से अधिक बढ़ जाने का तखमीना हो तो बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उक्त परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

(ख) निगम द्वारा स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत की गई किसी योजना की दशा में उक्त परिवर्तन राज्य सरकार के सूचनार्थ भेजा जायगा ;

(ग) यदि किसी परिर्वतन के कारण किसी ऐसी भूमि के अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जन से भिन्न अर्जन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो जिसके अर्जन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति न मिली हो तो उसके सम्बन्ध में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विहित प्रक्रिया का ही, जहाँ तक वह लागू हो सकती हो, इस प्रकार अनुसरण किया जायगा मानो उक्त परिवर्तन एक अलग योजना ही हो।

365- विकास योजना के लिये अपेक्षित भूमि का अर्जन-

1. इस अध्याय के अधीन किसी योजना के स्वीकृत किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को, जिसे विकास योजना के सम्बन्ध में अर्जित करने के लिये वह

प्राधिकृत हो अथवा उस भूमि से सम्बद्ध किसी स्वत्व (interest) को खरीदने, पट्टे पर लेने अथवा विनिमय के लिये अनुबन्ध कर सकता है।

2. इस अध्याय के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ निगम इस अध्याय द्वारा संशोधित लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है।

3. मुख्य नगराधिकारी किसी विकास योजना के प्रयोजनों के लिये धारा 273 की उपधारा (2) तथा धारा 290 के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला सकता है।

4. इस अध्याय के अधीन किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न अधिकृत विकास योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय (Award) देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायगा और कोई भी भूमि, जिसके सम्बन्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसका स्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेंगें

प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में, जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो शब्द तथा अंक "धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व" रखे गये हों ;

(ख) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानो शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रखे गये हों ;

1- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 21 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उपर्युक्त की धारा 20 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 67 (1) द्वारा अन्तर्विष्ट।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार पांच वर्ष या दस वर्ष को उक्त अवधि या, जैसी भी दशा हो,

31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

366-भवन इत्यादि के सम्बन्ध में निर्बन्धन (restriction)-

जब कि बस्ती सुधार (slum clearance) योजना के विषय में धारा 357 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित हो जाय तो कोई व्यक्ति अस्वास्थ्यकर (insanitary) तथा पुनर्निमाण क्षेत्रों में समाविष्ट किसी भवन को निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित नहीं करेगा या किसी भूमि का अन्यथा विकास नहीं करेगा, सिवाय उक्त कार्य योजना के क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट पुनर्निर्माण नियोजन (rebuilding plan) के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धनों (restrictions) एवं शर्तो के अधीन रहते हुए किये जाय जिन्हें लगाना मुख्य नगराधिकारी उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी, जो अपनी भूमि के प्रयोग पर इस प्रकार लगाई गई शर्तो तथा निर्बन्धनों के कारण अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाद में ऐसी किसी शर्त अथवा निर्बन्धन को रद्द अथवा परिष्कृत करना अस्वीकार कर दिये जाने के कारण क्षुब्ध हो, तो वह तीस दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है। न्यायाधीश इस विषय में, जैसा वह उचित समझेगा, आज्ञा दे देगा तथा न्यायाधीश की आज्ञा अंतिम होगी।

367-भवनों को गिराने के आदेश-

मुख्य नगराधिकारी विकास समिति की स्वीकृति से स्वीकृति को विज्ञाप्ति की धारा 363 के अधीन प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में समाविष्ट किसी भवन अथवा भवनों के अध्यासियों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उन्हें गिराये जाने के प्रयोजन के लिये नोटिस से तीन मास के भीतर खाली कर दें तथा ऐसे भवन अथवा भवनों के स्वामी या स्वामियों से अपेक्षा कर सकता है कि उन्हें एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरा दें तथा यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व भवन गिरा नहीं दिया जाता तो मुख्य नगराधिकारी स्वामी के जोखिम (risk) तथा व्यय पर उक्त भवन अथवा भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगा, उसके मलवे (material) को बेचेगा तथा उस स्थान को साफ करायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवनों को खाली किये जाने तथा गिराये जाने का कार्य एक ही समय में किया जा सकता हैं।

367-क-

योजना का परित्याग--निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तो के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 की धारा 42, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 या इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन

विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे।

1--उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24,1972 की धारा 7 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

2--उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 21 द्वारा जोड़ी गयी।

368-भूमि निस्तारित करने के अधिकार-

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये निगम इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा अर्जित अथवा अपने में निहित किसी भूमि को बनाये रख सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है अथवा उसे अन्यथा निस्तारित कर सकती है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अध्याय के अधीन किसी योजना के निमित्त अर्जित भूमि के पट्टे पर देने, बेचने, विनिमय करने अथवा उसे अन्यथा निस्तारित करने में प्राथमिकता उस आयति तक तथा उस रीति से, जो, विहित की जाय, उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिनकी भूमि ऐसी योजना के निमित्त अर्जित की गयी हो।

369-परिमापन करने के अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी, जब कभी वह समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने लिये किसी भूमि का परिमापन आवश्यक है, उस भूमि का सर्वेक्षण करवा सकता है।

370-प्रविष्टि के अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी, धारा 562 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के साथ अथवा उसके बिना ही किसी भूमि में अथवा पर--

   (क) कोई निरीक्षण, परिमापन, पैमाइश, मूल्यांकन अथवा जांच करने;

   (ख) सतह लेने (take-levels) ;

   (ग) भूमिगत मिट्टी (sub-soil) खोदने अथवा भेदने (bore) ;

   (घ) चौहद्दियां (boundaries) तथा अभिप्रेत कार्य रखायें (line of works) निर्धारित करने (set-out);

   (ङ) ऐसी सतहों, (levels), चौहद्दियों तथा रेखाओं को चिन्हों द्वारा तथा खाई खोदकर चिन्हित करने;या

   (च) अन्य कोई कार्यवाही करने के लिये जब कभी इस अध्याय अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या स्वीकृत योजना के किसी प्रयोजन के लियें ऐसा करना

आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है।

2. यदि उपधारा (1) के अनुसरण में मुख्य नगराधिकारी के किसी भूमि में अथवा पर प्रवेश के कारण कोई क्षति पहुंचे तो निगम उसे पूरा करेगी।

3. मुख्य नगराधिकारी निरीक्षण अथवा छानबीन (search) के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है तथा वह कोई दरवाजा, फाटक (gate) अथवा अन्य कोई अवरोध (barrier) खोल अथवा खुलवा सकता है यदि-

(क) वह यह समझे कि उसका खोला जाना उक्त प्रवेश, निरीक्षण अथवा छानबीन आवश्यक है;और

(ख) उसका स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित हो अथवा उपस्थित होने पर भी उक्त दरवाजा, फाटक अथवा अवरोध खोलने से इन्कार करे।

371-न्यायाधिकरण (tribunal) का संगठन-

1. राज्य सरकार एक न्यायाधिकरण संगठित करेगी जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो आगे निर्दिष्ट किये गये हैं।

2. यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवेमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण नियत दिन से

विघटित हो जायेगा।

3. यथास्थिति यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवेमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन सभी वाद अथवा कार्यवाहियों की सुनवाई अथवा संचालन उपधारा (1) के अधीन संगठित न्यायाधिकरण उसी भांति करेगा मानो कि वे उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की गई हों, तथा इस अधिनियम के उपबन्ध तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई नियम उक्त सभी वादों तथा कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

372-न्यायाधिकरण के कर्त्तव्य-

1. लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को निमित्त निगम के लिये भूमि अर्जन सम्बन्धी समस्त विषयों के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण न्यायालय के कृत्यों का निर्वहन करेगा :

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण तब तक ऐसे किसी दावे की सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि दावा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में वाद व्यय के लिये 7,000 रू0 से अनधिक को ऐसी धनराशि, जिसे न्यायाधिकरण निश्चित करे और जो दावा करने वाले व्यक्ति के असफल होने पर उसके विरोधी पक्ष को दी जा सके, न जमा कर दे।

2. न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7, जैसा कि वह धारा 129-क के अन्तर्गत निगम के भू-गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।

373-न्यायाधिकरण के सदस्यगण-

1. न्यायाधिकरण [एक सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायेगा] से मिलकर बनेगा।

2. उक्त सदस्य जिला जज से अन्यून पद का एक व्यवहार न्यायिक पदाधिकारी (Civil Judical Officer) होगा :

3. उक्त सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा,

4. यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से, जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकता हैं।

1- उ0प्र0 अधिनियम सं. 30, 1970 की धारा 29 द्वारा उपधारा (1) के रूप में

पुन:संख्याकित और नयी उपधारा (2) अन्तर्विष्ट।

2- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

4- उपर्युक्त की धारा 8 (2) द्वारा निकाला गया।

5- उपर्युक्त की धारा 8 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

5. उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।]

374-पारिश्रमिक-

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को निगम द्वारा ऐसा निश्चित (fixed) पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार विहित करे।

375-न्यायाधिकरण के कर्मचारी-

1. न्यायाधिकरण समय-समय पर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित दिखलायें

जायेंगें :

(क) न्यायाधिकरण के लिये आवश्यक कर्मचारियों को संख्या तथा उनको कोटि (grade) ;

(ख) वेतन जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जायगा।

2. न्यायाधिकरण के कर्मचारी को सेवा के निबन्धन तथा शर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

376-लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 का परिष्कार-

लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन निगम के निमित्त भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिये, चाहे वह इस अधिनियम के इस अध्याय के अधीन हो, अथवा अन्य किसी अध्याय के-

(क) उक्त ऐक्ट इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन रहेगा;

(ख) न्यायाधिकरण का निर्णय (award) लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन न्यायालय का निर्णय माना जायगा।

377-न्यायाधिकरण पर प्रवृत्त विधि-

कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 तथा इण्डियन एवोडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, न्यायाधिकरण के समक्ष की जाने वाली सभी

कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे।

378-[XXX]

379-न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा-

धारा 381 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी विधिक न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

1- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 8 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।

2- उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

3- उपर्युक्त की धारा 10 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

4- उपर्युक्त की धारा 10 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।

5- उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 11 द्वारा निकाला गया।

380-न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना-

धन की अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की प्रत्येक आज्ञा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा इसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानो कि वह उस न्यायालय की कोई डिग्री हो।

381-अपीलें-

1. न्यायाधिकरण के किसी निर्णय की अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी यदि-

   (क) न्यायाधिकरण इस आशय का प्रमाण-पत्र दे कि उक्त मामला अपील किये जाने योग्य है, अथवा

   (ख) हाईकोर्ट अपील के लिये विशेष अनुमति दे:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट ऐसी विशेष अनुमति तब तक न देगा जब तक कि न्यायाधिकरण ने खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत न कर दिया हो।

2. उपधारा (1) के अधीन अपील केवल निम्नलिखित एक या एकाधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात्-

   (क) निर्णय किसी विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) के प्रतिकूल है,

   (ख) निर्णय में विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) से संबद्ध किसी सारवान विषय (material issue) का निर्धारण नहीं किया गया है,

   (ग) कोई ऐसी सारवान भूल अथवा त्रुटि रह गयी है जिसके कारण गुण-दोष के आधार पर

(on merits), किसी मामले के निर्णय में तथ्य या विधि (point of fact or of law) सम्बन्धी कोई भूल अथवा त्रुटि हो गई है।

3. पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकेगी जब तक कि अपीलकर्त्ता ने वह धनराशि न जमा कर दी हो, उस आज्ञा के अधीन जमा करना उसका दायित्व हो, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है।

4. उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मूल डिग्रियों (decrees) की अपोलों के विषय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध, यथासम्भव, इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होंगे।

5. **(1)**

    1. **(i)** उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जा सकता है।

       (ii) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील उक्त प्रमाण-पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

       (iii) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट को प्रार्थना-पत्र उक्त प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक से साठ

दिन के भीतर दिया जा सकता है।

1- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

5(5-क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध के परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

6. इस अधिनियम के अधीन किसी अपील पर हाईकोर्ट की आज्ञा, प्रार्थना-पत्र देने पर, नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानो वह उसी न्यायालय की काई डिग्री हो।

382-वृक्षों तथा वनभूमियों का परिरक्षण-

1. यदि विकास समिति को प्रतीत हो कि सुख-सुविधा के हित में नगर को किसी वनभूमि अथवा वृक्षों का परिरक्षण (preservatio) इष्टकर है, तो वह मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित आज्ञा देने के लिये प्राधिकृत कर सकती है-

(क) मुख्य नगराधिकारी को अनुज्ञा के बिना आज्ञा में निर्दिष्ट किसी वृक्ष अथवा वृक्ष-समूहों को काट कर गिराने, उनकी ऊंचाई छाटने (topping), डाल काटने (lopping) अथवा

जानबूझ कर उन्हें नष्ट करने का प्रतिषेध;

(ख) वनभूमि के किसी ऐसे भाग में, जहां के वृक्ष, वन प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं के दौरान में मुख्य नगराधिकारी को अनुज्ञा से अथवा बिना उसकी अनुज्ञा के गिरा दिये गये हों, आज्ञा में उल्लिखित रीति के अनुसार फिर से पौधे लगवाना (replanting)।

2. उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर उक्त आज्ञा की तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार ऐसी किसी आज्ञा की पुष्टि बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे परिष्कारों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकती है अथवा उसे प्रतिसंहृत (revoke) कर सकती है।

383-नगर के लिये महायोजना-

1. निगम इस सम्बन्ध से बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से तथा शर्तो के अधीन रहते हुए नगर के लिए एक महायोजना तैयार कर सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित होने पर वह ऐसा अवश्य करेगी।

   स्पष्टीकरण--इस धारा में "महायोजना" से तात्पर्य है वह विस्तृत योजना, जिसमें

निम्नलिखित की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति (location) एवं उनका सामान्य विन्यास (general layout) दिखलाया गया हो-

(क) मुख्य सड़कें (Arterial streets) तथा यातायात के रास्ते;

(ख) आवासिक खंड (residential sections);

(ग) व्यवसाय क्षेत्र (Business Areas);

(घ) औद्योगिक क्षेत्र;

(ङ) शिक्षा संस्थायें;

(च) सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की अन्य सुविधायें;

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भवन;

(ज) भूमि के अन्य प्रयोग जो आवश्यक हो;

1. -उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 12(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. महायोजना प्रत्येक 10 वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित की जायगी तथा यदि निगम उचित समझे तो उससे पहले भी पुनरीक्षित की जा सकती है।

3. इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी विकास योजनायें, नयी सड़कों, नालियों, उद्यानों, फैक्ट्रियों तथा भवनों का विन्यास यथासम्भव महायोजना के अनरूप होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंन्ट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1945 के अधीन पहले से ही स्वीकृत विकास योजनाओं पर लागू न होगी।

383- क- नगर के लिये विकास योजना तैयार करना-

1. निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम को विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।
3. योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और मुख्य नगर अधिकारी इसे संविधान के अनुच्छेद 243- य घ में उल्लिखित जिला योजना समिति की उस दिनांक तक, जो नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

384-नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

2. पूर्वोक्त अधिकारों का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :-

(क) न्यायाधिकरणों के कार्यो का संचालन जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर के प्रतिकूल न हो;

(ख) विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार तथा वैयक्तिक (public and personal) नोटिस देने की रीति;

(ग) विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना;

(घ) नगर की महायोजना को तैयार करने तथा उसके पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभा विषय ; तथा

(ङ) भूमि प्रयोग सम्बन्धी परिवर्तनों का विनियमन।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 की धारा 62 द्वारा बढ़ायी गयी।

अध्याय 15

सफाई व्यवस्था

सड़क की सफाई तथा स्वच्छता 0

385. मुख्य नगर अधिकारी द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा-करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था-

समस्त सड़कों और भू-गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता (scavenging and cleansing) के प्रयोजनार्थ मुख्य नगराधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगाः-

1. शहर की सभी सड़कों की सफाई (Surface cleansing) और उन पर ढेर किये गये कूड़े-करकट को हटाना;
2. निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लिए उचित और सुविधाजनक स्थानों (situations) में, सार्वजनिक पात्रों (public receptacles), संग्रहागारों (depots) और जगहों (places) की व्यवस्था या निर्धारण-

(क) धूल, राख, कूड़ा-करकट तथा गन्दगी,

(ख) व्यापारिक कूड़ा-करकट,

(ग) मृत पशुओं के शव,

(घ) मलमूत्र और दूषित वस्तुएँ।

3. समस्त पात्रों (receptacles) तथा संग्रहागारों (depots) के भीतर की वस्तुओं (contents) और धूल, राख, कूड़ा-करकट, गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा-करकट, मृत पशुओं के शव और मल-मूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को स्थायी रूप से जमा करने के लिए, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं का हटानाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित कूड़े-करकट आदि का अन्तिम रूप से निस्तारण [निगम] या राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य विशेष निर्देशो के अधीन होगा।

386. गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़े-करकट आदि के निस्तारण का विनियमन-

1. मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी-समिति की पूर्व स्वीकृति से सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो नियमों में विहित रीति से दिया जायेगा, ऐसे समय, ऐसे रीति और शर्तो आदि के सम्बन्ध में, जिनके अनुसार या जिनके अधीन धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़ा-करकट आदि सड़क पर से हटाया, वहाँ जमा किया या अन्यथा निस्तारण किया जा सकता है, आदेश जारी कर सकता है।

2. उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि निजी तौर पर सफाई करते समय मेहतरों (scavengers) द्वारा जमा किया गया ऐसा सारा कूड़ा-करकट, जो धारा 385 की उपधारा (2) में उल्लिखित है, उक्त खंड के अधीन व्यवस्थित या निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा किया जायेगा।

3. जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, तो कोई भी व्यक्ति धारा 385 की उपधारा (2) के निर्दिष्ट कूड़े-करकट, आदि को ऐसे आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क पर से न हटायेगा, न जमा करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसका निस्तारण ही करेगा।

387. कूड़ा-करकट आदि [निगम] की सम्पत्ति होगी-

धारा 385 के अधीन व्यवस्थित अथवा निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहालयों और स्थानों में जमा सभी चीजें (matter) और उक्त धारा 386 के अनुसार [निगम] कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की गयी सभी चीजें [निगम] की सम्पत्ति होंगी।

388. मुख्य नगराधिकारी मल-मूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के सम्बन्ध में व्यवस्था कर सकता है-

1. मुख्य नगराधिकारी अपने इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि वह नगर के किसी ऐसे भाग में, जिसे वह निर्दिष्ट करे, संडासो (privies) मूत्रालयों तथा मलकूपों (cesspools) से सभी मल-मूत्र और दूषित वस्तुओं को किसी 1[निगम] अभिकरण द्वारा इकट्ठा कराने, हटाने और निस्तारण करने के निमित्त व्यवस्था करना चाहता है और ऐसा करने पर मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नगर के उक्त भाग में स्थित सभी भू-गृहादि से उक्त वस्तुओं के प्रतिदिन इकट्ठा करने, हटाने और निस्तारण की व्यवस्था करे।
2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भाग में और किन्हीं भू-गृहादि में वे चाहे जहां भी स्थिति हों, जहाँ किसी [निगम] नाली से जुड़ा हुआ (connected) कोई नाबदान (water closet) अथवा संडास हो किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से नियोजित न किया गया हो, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, वह वैध (lawful) न होगा कि वह मेहतरों के किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करे।

389. कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध-

1. मुख्य नगराधिकारी किसी मन्दिर, मठ, मस्जिद, कब्र, अथवा धार्मिक उपासना या धर्मोपदेश अथवा मनोरंजन के किसी स्थान जहाँ विशेष अवसरों पर अधिक संख्या में जनता एकत्र होती हो आस-पास अथवा किसी ऐसे स्थान में जो मेलों, त्योहारों अथवा सार्वजनिक समारोहों अथवा

आयोजनों के निमित्त होता हो, सफाई बनाये रखने के निमित्त ऐसे विशेष प्रबन्ध कर सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझे।

2. मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नियंत्रण में उपर्युक्त कोई स्थान हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन किए गए विशेष कार्यो पर हुए व्यय का वह अंश (contribution) [निगम] को अदा करे, जिसे कार्यकारिणी-समिति समय-समय पर निश्चित करे, और ऐसा व्यक्ति उस स्थान से सम्बद्ध निधियों में से उक्त अंश अदा करने के लिए बाध्य होगा।

भू-गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन

390. सफाई के प्रयोजन से भू-गृहादि के निरीक्षण का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी किसी भी भवन अथवा दूसरे भू-गृहादि की सफाई की दशा जानने के प्रयोजन से उनका निरीक्षण कर सकता है।

2. यदि सफाई बनाये रखने के लिए मुख्य नगराधिकारी को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उस भवन या उसके किसी भाग को चूने द्वारा सफाई कराने, वहाँ कीटाणुनाशक द्रव का छिड़काव कराने (disinfect) अथवा अन्य प्रकार से उसे साफ कराने के आदेश दे सकता है।

391. मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि कोई भवन या भवन का कोई भाग, जो निवास के लिए अभिप्रेत हो अथवा प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य है तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और जब तक उसकी राय में अध्यासी के लिए तात्कालिक खतरा (imminent danger) न हो, ऐसे भवन के स्वामी या अध्यासी को कारण बताने का निहित रीति से अवसर देने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा उक्त भवन या उसके भाग के रहने के प्रयोजनार्थ उस समय तक उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकता है जब तक वह निवास के योग्य न बना दिया जाय।

स्पष्टीकरण-

इस धारा में पदावलि "मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य" से तात्पर्य है स्वच्छता की त्रुटि, के कारण अर्थात् वायु के लिए स्थान अथवा संवीजन स्थान का अभाव, अँधेरा, सीलन, समुचित तथा शीघ्र प्राप्य जल या स्वच्छावास (sanitary accommodation) या अन्य विधाओं के अभाव तथा आँगन या मार्गों में जल-निस्सारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य।

2. जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आज्ञा दे दी गयी हो तो भवन का स्वामी अथवा अध्यासी उस भवन को मनुष्यों के रहने के लिए तब तक प्रयुक्त नहीं करेगा, और न करने देगा, जब तक मुख्य नगराधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि वह भवन रहने के योग्य हो गया है।

3. जब मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी है तो वह भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित रूप में ऐसे अनुदेश (instructions) देगा कि भवन अथवा भवन के भाग को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के निमित्त कौन-कौन से सुधार अथवा परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है।

4. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी भवन अथवा कमरे को प्रयुक्त करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस के किसी पदाधिकारी अथवा [ख3,][निगम] के किसी कर्मचारी द्वारा उस भवन अथवा कमरे से निकलवा सकता है।

5. धारा 334 की उपधारा (4) और (6) के उपबन्ध, मुख्य नगराधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर कि यथास्थिति भवन अथवा भवन का भाग मनुष्यों के रहने के योग्य हो गया है, उसी प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा प्रमाण-पत्र उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस का वापस लेना (withdrawal) हो।

392. अस्वास्थ्यकर भवनों को मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि रहने के लिए अभिप्रेत अथवा प्रयुक्त कोई भवन किसी प्रकार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कारण बताये कि उस भवन में ऐसे कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे परिवर्तन करने की आज्ञा क्यों दी जाय कि वह मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय।

2. इस धारा के अधीन भवन के स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ ही मुख्य नगराधिकारी उस नोटिस की एक प्रतिलिपि किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील कर सकता है जो उक्त भवन में या उस भूमि में जिस पर यह भवन निर्मित किया गया हो, चाहे बन्धकी (mortgage), पट्टेदार (lessee) अथवा अन्य किसी रूप में कोई स्वत्व (interest) रखता हो।

3. यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति कोई आपत्ति प्रस्तुत न करे अथवा आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि उस भवन को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने के लिये उसमें निर्माण कार्यो का सम्पादन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा भवन के स्वामी को यह आदेश देगा कि वह 21 दिन से अन्यून किसी ऐसी उचित अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, उक्त कार्य का सम्पादन अथवा उक्त परिवर्तन करे।

4. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी आवास को मनुष्यों के रहने के अयोग्य दशा में बनाये रखने से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले आसन्न संकट की रोक के

प्रयोजनों के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने का परित्याग कर सकता है, तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस तत्काल जारी कर सकता है और उसकी एक प्रति उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है।

393. अस्वास्थ्यकर भवनों के गिरवाने की आज्ञा देने का अधिकार-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन जो रहने के लिए अभिप्रेत हो अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है, और उचित व्यय करने के बाद भी उसे रहने के योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो वह भवन के अध्यासी और भवन के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उस दिनांक को, जो नोटिस तामील होने के बाद 21 दिन से अन्यून होगा और उस स्थान को उल्लिखित कर दिया जायेगा जहाँ कार्यकारिणी समिति द्वारा भवन की दशा और निर्माण-कार्य के सम्पादन के विषय में प्रस्ताव (offer) अथवा भवन के भावी उपयोग के संबंध में विचार किया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उक्त नोटिस दिया गया होगा, मामले पर विचार होने के समय अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा।
2. यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस तामील होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कार्य के सम्पादन के संबंध में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो, तो वह प्रस्ताव (offer) प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस मुख्य

नगराधिकारी पर तामील करेगा और ऐसी उचित अवधि के भीतर जो मुख्य नगराधिकारी निर्धारित करे, वह उन निर्माण-कार्यो की एक विवरण-सूची उसके समक्ष रखेगा जिन्हें वह सम्पन्न करना चाहता है।

3. मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भवन के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले (interested) किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का वचन (undertaking) ले सकता है, कि या तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें ऐसे निर्माण-कार्य करवायेगा, जिनसे वह भवन मुख्य नगराधिकारी की राय में मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय या वह भवन मनुष्यों के रहने के लिए तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि वह भवन रहने के योग्य हो गया और जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से उक्त वचन को रद्द न कर दे।

4. यदि मुख्य नगराधिकारी उपधारा (3) में उल्लिखित वचन स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि किसी मामले में मुख्य नगराधिकारी ने उक्त वचन स्वीकार कर लिया हो किन्तु उस वचन से संबद्ध निर्माण-कार्य निर्दिष्ट अवधि में न किये गये हों अथवा यदि किसी समय भवन वचन की शर्तो के प्रतिकूल उपयोग में लाया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से भवन को गिरवाने के निमित्त आज्ञा दे सकता है जिसमें यह आदेश भी होगा कि भवन को आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के प्रभावी (operative) होने के दिनांक

से 28 दिन से कम न होगी, खाली कर दिया जायेगा और उतनी अतिरिक्त (further) अवधि के भीतर गिरवा दिया जाएगा, जिसे मुख्य नगराधिकारी उचित समझे। मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा जिस पर उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया था।

5. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भवन को आसन्न संकट से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायेगा तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से यथाशक्य उस रीति से जिसकी व्यवस्था उपधारा (4) में की गयी है, किन्तु आज्ञा का पालन करने की कम से कम अवधि घटा कर 7 दिन करते हुए उक्त भवन को गिरवाने की आज्ञा दे सकता है।

394. भवन गिराने की आज्ञा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया-

1. धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा प्रभावी (operative) होने पर उस भवन का स्वामी आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट अवधि में भवन को गिरवा देगा और यदि भवन निर्दिष्ट समय के भीतर न गिराया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे गिरवाने और उसके मलबे (materials) को बेचे देने की व्यवस्था कर सकता है।

2. उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये गये व्यय, मलबा बेचने से वसूल हुये रूपये का संधान करने के पश्चात् भवन के स्वामी द्वारा देय होंगे और व्यय चुकाने के पश्चात् मुख्य नगराधिकारी अपने पास बचे हुए शेष धन को भवन के स्वामी को वापस करेगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से क्षुब्ध हो, 1 महीने की अवधि के भीतर जज को अपील कर सकता है।

395. भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील-कोई व्यक्ति जो-

1. धारा 391 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से; अथवा
2. धारा 392 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन दी गयी आज्ञा से; अथवा
3. भवन गिराने के सम्बन्ध में धारा 393 के अधीन दी गयी आज्ञा, किन्तु जो उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दी गयी आज्ञा न हो; से क्षुब्ध हो तो वह आज्ञा की प्रतिलिपि तामील होने के दिनांक के पश्चात् 21 दिन के भीतर न्यायाधीश (Judge) को अपील कर सकता है और तब तक उस अपील का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक मुख्य नगराधिकारी उस आज्ञा को जिसके सम्बन्ध में अपील की गई है, कार्यान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

पशुओं की लाशों का निस्तारण

396. पशुओं के शवों का निस्तारण-

1. मुख्य नगराधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के भीतर मरे हुए सभी पशुओं के शवों को हटाने की व्यवस्था करे।

2. किसी भू-गृहादि जिसमें अथवा जिस पर कोई जानवर मरे अथवा जिसमें अथवा जिस पर किसी जानवर का शव पाया जायेगा, का अध्यासी और वह व्यक्ति, जो किसी ऐसे पशु का अवधायक (having the charge) हो जो किसी सड़क पर अथवा किसी खुले स्थान पर मरता है, उस जानवर के मरने के पश्चात् तीन घंटे के भीतर अथवा यदि वह पशु रात में मरता है तो सूर्योदय के पश्चात् 3 घंटे के भीतर, उसके मरने की रिपोर्ट निकटतम ख4,[निगम] के स्वास्थ्य विभाग को करेगा।

3. [निगम] अधिकरण द्वारा हटाये गये प्रत्येक शव को, चाहे वे किसी निजी भू-गृहादि से हटाया जाय या किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान से, हटाने के निमित्त पशु के स्वामी को अथवा यदि स्वामी अज्ञात हो तो उस भू-गृहादि के अध्यासी को, जिसमें अथवा जिस पर उक्त जानवर मरा हो या उस व्यक्ति को जिसके अवधायन में उक्त पशु मरा हो, ऐसा शुल्क देना होगा जो मुख्य नगराधिकारी निर्दिष्ट करे।

397. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खेती-बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिंचाई का निषेध-

यदि [खिचकित्सा] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करे कि किसी निर्दिष्ट रीति से फसलों की किसी प्रकार की खेती-बाड़ी अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग या किसी भूमि की सिंचाई

(क) जो नगर की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती हो, हानिकारक है या उससे ऐसी प्रक्रियाएं उद्भूत होती हों जो पास-पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है; अथवा

(ख) जो उक्त नगर की सीमाओं के भीतर अथवा बाहर स्थित किसी स्थान में की जाती है, से ऐसे नगर के जल सम्भरण (water supply) के दूषित हो जाने अथवा अन्यथा पीने के प्रयोजनों के लिए जल के अनुपयुक्त (unift) हो जाने की सम्भावना है; तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती-बाड़ी, उक्त खादों का उपयोग अथवा सिंचाई के उक्त साधनों के प्रयोग जो हानिकारक कहे जाते हों, का प्रतिषेध कर सकता है अथवा उनके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जो उक्त हानि अथवा दूषण (contamination) को रोकेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी भूमि पर जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका हो, प्रतिषिद्ध कार्य प्रतिषेध के दिनांक से निरन्तर 5 वर्ष पूर्व तक साधारणतः खेती-बाड़ी के दौरान में किया जाता रहा हो तो उस भूमि में स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त प्रतिषेध द्वारा क्षति पहुँचेगी, [ख5.][निगम] निधि में से प्रतिकर दिया जायेगा।

398. हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिए स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी वनस्पति या झाड़ी, आदि (undergrowth) को साफ करने या हटाने के आदेश दे सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर या पड़ोसियों के लिए कष्टदायक हो।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई, आदि का विनियमन

399. सार्वजनिक स्नान, आदि के स्थान मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किये जायेंगे और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन-

1. मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय-समय पर

(क) जनता के लिए स्नान करने, पशुओं को धोने अथवा कपड़े धोने या सुखाने के प्रयोजनार्थ किसी नदी के भागों को या अन्य उपयुक्त स्थानों को, जो [1][निगम] में निहित हों, अलग कर देगा;

(ख) ऐसे समय निर्दिष्ट करेगा जब उन स्थानों का उपयोग किया जाएगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि वे स्थान स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे अथवा पुरूषों द्वारा;

(ग) जनता द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध करेगा जो उन प्रयोजनों के लिए अलग न कर दिया गया हो;

(घ) उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए जनता द्वारा नदी के किसी भी भाग के अथवा ऐसे स्थान के, जो [1][निगम] में निहित न हों, उपयोग का प्रतिषेध करेगा;

(ड.) नदी के किसी भाग अथवा किसी अन्य स्थान को, जो [1][निगम] में निहित हो तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिए अलग कर दिया गया हो, जनता द्वारा उपयोग विनियमित करेगा; और

(च) जनता द्वारा उपयुक्त किसी भी प्रयोजन के लिए नदी के किसी भाग या अन्य किसी स्थान को, जो [1][निगम] में निहित न हो तथा किसी निर्माण कार्य और किसी निर्माण-कार्य के जल को इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट (assigned) तथा अलग कर दिया गया हो (set apart) प्रयोग विनियमित कर सकता है।

2. उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अलग किये गये किसी स्थान के किसी निर्दिष्ट (specified) वर्ग अथवा वर्गो के व्यक्तियों द्वारा या सामान्य जनता द्वारा प्रयोग के लिए मुख्य नगराधिकारी ऐसा शुल्क ले सकता है, जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करे।

400. आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध-

सिवाय जैसा कि मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा में अनुमति हो, कोई भी व्यक्ति

1. किसी झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएँ या नदी के किसी भाग में अथवा निगम में निहित किसी अन्य स्थल में न नहायेगा;

2. किसी तालाब, जलाशय, स्रोतें, कुएँ अथवा खाई में कोई ऐसा पशु, वनस्पति (vegetable) या खनिज-पदार्थ (material matter) न डालेगा जिससे उसका जल दूषित अथवा स्वास्थ्य के लिए भयप्रद (dangerous) हो जाय;

3. किसी संक्रामक संसर्ग जन्य अथवा घृणित रोग से ग्रस्त अथवा में किसी स्नान के प्लेटफार्म, झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुंड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएँ पर उसमें या उसके पास नहीं नहायेगा;

4. उक्त किसी स्थान या निर्माण-कार्य में या उसके पास कोई पशु, वस्त्र या अन्य वस्तुएँ न धोयेगा और न धुलवायेगा;

5. उक्त किसी स्थान या निर्माण-कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को न फेंकेगा, न वहाँ रखेगा और न प्रविष्ट होने देगा;

6. उक्त किसी स्थान या निर्माण-कार्य में या पर, न कोई वस्तु प्रवाहित करायेगा, न कराने देगा और न उसमें या उन पर कार्य करायेगा न कराने देगा, जिससे किसी भी अंश में जल गंदा या दूषित हो जाय;

7. उक्त किसी स्थान में, या पर, कपड़े नहीं सुखायेगा;

8. मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 399 के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हुये नदी के किसी भाग को अथवा किसी स्थान को, जो निगम में निहित न हो, उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लायेगा;

9. मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 399 के अधीन पूर्वोक्त किसी प्रयोजन के लिये नदी के उक्त किसी भाग अथवा स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में दिये गये किसी नोटिस के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

फैक्ट्रियों, व्यापारियों, इत्यादि का विनियमन

401. बिना मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के नयी फैक्ट्री, इत्यादि स्थापित न की जायेगी-

मुख्य नगराधिकारी की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री, कारखाना या कार्य-स्थान, जिसमें भाप, पानी, बिजली या किसी अन्य यन्त्र-चालित शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत हो या नानबाई की दुकान-

1. किसी भू-गृहादि में नये सिरे से स्थापित न करेगा;

2. एक स्थान से दूसरे स्थान को न हटायेगा;

3. तीन साल से अन्यून किसी अवधि तक बन्द रखने के पश्चात न फिर से खोलेगा और न उसका नवीकरण करेगा; या

4. का क्षेत्र या उनकी सीमाओं को न बढ़ायेगा न विस्तृत करेगा;

5. और न कोई व्यक्ति ऐसी किसी फैक्टरी, कारखाने, कार्यस्थान या नानबाई की दूकान को बिना उक्त अनुज्ञा के चलायेगा या चलाने देगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्द रहने की अवधि में उस स्थान से, जहाँ आरम्भ में कोई फैक्टरी, कारखाना, कार्यस्थान अथवा नानबाई की दूकान स्थापित की गयी थी, मशीनें आदि न हटायी गई हों तो खंड (3) के प्रयोजनों के निमित्त ऐसी किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी।

402. रासायनिक द्रव्यों, आदि द्वारा जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध-

धारा 43 या नियमावली में निर्दिष्ट किसी व्यापार या उत्पादन (manufacture) में संलग्न कोई व्यक्ति-

1. निगम की किसी झील, तालाब, जलाशय, जलकुंड, कुआँ, प्रणाली या अन्य जल स्थान के या उनसे संचरित (communicating) किसी नाली या पाइप में जानबूझकर उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन के दौरान में उदभूत (product) किसी धोवन (washing) या अन्य पदार्थ को न प्रवाहित करवायेगा और न ऐसा करने देगा;

2. उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन से सम्बद्ध कोई ऐसा कार्य जानबूझ कर न करेगा जिससे उक्त झील, तालाब, जलाशय, जलकुड, कुआँ या प्रणाली या अन्य जलस्थान का जल खराब, दूषित या गन्दा हो जाय।

403. निजी जल प्रणाली, इत्यादि की सफाई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी किसी निजी जल-प्रणाली (water course), सो तो (spring), तालाब, कुएँ या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उसे मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखे और समय-समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा-करकट या सड़ी-गली (decaying) वनस्पति हटा कर उसकी सफाई करे तथा उसे दूषित होने से इस रीति से बचाये, जिसे निगम उचित समझे।

2. जब किसी ऐसी जल-प्रणाली, श्रोतों, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान का जल मुख्य नगराधिकारी के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो गया हो तो वह उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस पानी के प्रयोग न करे और न दूसरों को उसका प्रयोग करने दे और यदि ऐसी नोटिस के पश्चात् कोई व्यक्ति उस पानी को पीने के काम में लाये तो मुख्य नगराधिकारी उसके स्वामी या उस पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा उस कुएँ को स्थायी या अस्थायी रूप में बन्द करने की या ऐसी जल-

प्रणाली, सोते, तालाब, कुएँ या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ा बना देने (fence) की आज्ञा दे सकता है, जिसे वह आदिष्ट करे, ताकि उसका पानी इस प्रकार प्रयुक्त न हो सके।

404. फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थान के निमित्त शौचालय-

मुख्य नगराधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार या स्कूल या प्रेक्षागृह या अन्य सार्वजनिक समागम-स्थान का स्वामी हो, उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह इतने शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे, जिन्हें वह उचित समझे, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और प्रतिदिन उनकी सफाई करायेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 द्वारा विनियमित फैक्ट्री पर इस धारा की कोई भी बात लागू न होगी।

405. तालाब, इत्यादि से होने वाले अपदूषणों को हटाने का आदेश देने का अधिकार-

मुख्य नगराधिकारी किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह किसी निजी कुएँ, तालाब या जलाशय, पोखरे (pools), गड्ढे या उतखात (excavation) को, जो मुख्य नगराधिकारी को स्वास्थ्य के निमित्त हानिप्रद या पास-पड़ोस वालों के लिये दोषकर प्रतीत हो,

साफ कराये, उसकी मरम्मत कराये और उसे आच्छदित कराये (cover), भरवाये या उसकी जल-निकासी की व्यवस्था करेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी इस धारा के अधीन आदेशित जल निकासी को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ निगम के व्यय से ऐसी जल-निकासी के लिये आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की मुख्य नगराधिकारी से अपेक्षा कर सकता है।

भयानक रोगों का निवारण और उनकी रोकथाम

406. भयानक रोगों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी, इत्यादि के प्रकार-

यदि किसी भयानक रोग से पीड़ित या ग्रस्त कोई व्यक्ति

1. किसी वाहन या सार्वजनिक स्थान पर लेटा हुआ पाया जाय; या
2. बिना किसी उपयुक्त निवास या स्थान के हो; या
3. किसी ऐसे कमरे या मकान में रहता हो, जिसका न वह स्वामी हो और न जिसके अध्यासन का अन्य रूप से ही उसे अधिकार हो; या

4. ऐसे कमरे में या कक्षों के समूह में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हों और उनमें से कोई भी अध्यासी उसके रहने पर आपत्ति करे, तो मुख्य नगराधिकारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जो असिस्टेन्ट सर्जन से न्यून न हो, उस रोगी को अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान में भिजवा सकता है, जहाँ ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के लिए प्रविष्ट किये जाते हों तथा उसको इस प्रकार हटाने के निमित्त कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

407. भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है-

मुख्य नगराधिकारी किसी भी समय, दिन में अथवा रात में, बिना नोटिस दिये या अपने निरीक्षण की इच्छ्ा का ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो उसे यथास्थिति जान पड़े ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वहाँ भयंकर रोग व्याप्त है अथवा जहाँ ऐसे रोग के विद्यमान होने की आशंका हो और ऐसे उपाय कर सकता है जिन्हें वह उक्त रोग को उस स्थान से बाहर फैलने से रोकने के लिये उचित समझे।

408. भयानक रोगों की सूचना दी जायेगी-प्रत्येक व्यक्ति-

1. जो चिकित्सक (medical practitioner) हो तथा जिसे चिकित्सा के दौरान में यह ज्ञात हो कि नगर के सार्वजनिक अस्पताल से भिन्न किसी निवास-स्थान में कोई भयानक रोग विद्यमान है; या
2. जो उस निवास-स्थान का स्वामी या अध्यासी हो, जिसे यह पता चले कि वहाँ कोई भयंकर रोग विद्यमान है, ऐसे चिकित्सक के चूक करने पर;
3. जो ऐसे निवास-स्थान में उक्त भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति का अवधायक हो या उसकी परिचर्या करता हो और जिसे यह पता हो कि वहां भयानक रोग विद्यमान है, उक्त स्वामी या अध्यासी के चूक करने पर; ऐसे किसी पदाधिकारी को, जिसे मुख्य नगराधिकारी इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उक्त रोग के सम्बन्ध में सूचना देगा।

409. वास-गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना-

यदि मुख्य नगराधिकारी का समाधान हो जाय कि कोई भी निवास-गृह या अन्य स्थान, जहाँ भोज्य और पेय पदार्थ बेचे या तैयार किये या बिक्री के लिये संग्रहीत या प्रदर्शित किये जाते हैं, ऐसा निवास-गृह या स्थान है, जहाँ भयानक रोग फैला है, या जहाँ हाल ही में फैल चुका है, और उस स्थान का बन्द किया जाना सार्वजनिक हित में होगा तो वह लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त स्थान आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक के लिये बन्द कर दिया जायः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उक्त निवास-गृह अथवा स्थान विसंक्रमित (disinfected) कर दिया गया है या संक्रमण (infection) से मुक्त है तो उस स्थान के खोले जाने की घोषणा की जा सकती है।

410. भयानक रोगादि से ग्रस्त व्यक्ति कुछ प्रकार के कार्य न कर सकेंगे-

कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी भयानक रोग या घृणित दुर्व्यवस्था (loathsome discorder) से ग्रस्त है, जब तक-

1. मानव उपयोग के लिये कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा औषधि या भेषज बिक्री के लिये न तैयार करेगा और न प्रस्तुत करेगा; या
2. यदि उक्त कोई पदार्थ, औषधिया भेषज दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये खुला रखा गया (exposed) हो तो उसे जानबूझ कर न छ ुयेगा; या
3. गन्दे कपड़े धोने या उन्हें लाद कर ले जाने के किसी कारोबार में भाग न लेगा।

411. किसी भयानक रोग के फैलने पर मुख्य नगराधिकारी विशेष उपाय कर सकता है-

1. यदि किसी समय नगर में कोई भयानक रोग फैले या उसके फैलने की आशंका हो या नगर में कोई संसर्गजन्य (infectious) रोग फैले अथवा उसके फैलने की आशंका हो तो मुख्य नगराधिकारी यदि वह समझता है कि इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बने नियमों के या

तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं हैं तो वह राज्य सरकार की स्वीकृति से-

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकता है; तथा

(ख) सार्वजनिक नोटिस देकर जनता द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष वर्ग द्वारा अनुपालनार्थ ऐसी अस्थायी आज्ञाएँ विहित कर सकता है जो तत्सम्बन्धी किसी नियमावली में निर्दिष्ट हों तथा जिन्हें वह ऐसे रोग के आविर्भाव या प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक समझे।

2. मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किन्हीं आज्ञाओं का प्रतिवेदन निगम, को देगा।

मृतकों का निस्तारण को

412. मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायगा-

1. यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान का स्वामी है या ऐसा स्थान उसके नियंत्रण में है जो पहले से ही मृतकों को दफनाने, अग्निदाह या किसी अन्य विधि से निस्तारित करने के लिये प्रयुक्त होता रहा हो, तो वह नियत दिन से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी के पास उसकी रजिस्टी के लिये प्रार्थना-पत्र देगा, और मुख्य नगराधिकारी उसकी रजिस्ट्री करायेगा।

2. ऐसे प्रार्थना-पत्रों के साथ एक नक्शा (plan) भी होगा जिस पर अनुज्ञप्त भू-मापक के इस बात के उपलक्ष्य में हस्ताक्षर होंगे कि वह उसके द्वारा अथवा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है तथा उसमें पंजीकृत होने वाला स्थान, उसकी स्थिति, उसकी आयति (extent) और चौहददी (boundaries) दिखायी जायगी। प्रार्थना-पत्र में स्वत्वधारी (interested) स्वामी या व्यक्ति या जाति का नाम तथा प्रबन्ध की पद्धति तथा अन्य ऐसे ब्योरे भी होंगे, जिनकी मुख्य नगराधिकारी अपेक्षा करे।

3. ऐसे प्रार्थना-पत्र और नक्शे की प्राप्ति पर मुख्य नगराधिकारी उस स्थान को एक रजिस्टर में, जो इस प्रयोजन के निमित्त रखा जायगा, पंजीकृत करेगा।

4. मुख्य नगराधिकारी पंजीयन के समय निगम के कार्यालय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट नक्शा जमा करवा लेगा।

5. यदि उस नक्शे से या उसके ब्योरे से मुख्य नगराधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह पंजीयन करने से इंकार कर सकता है या उसे ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि उसकी आपत्तियाँ दूर न कर दी जायँ।

6. मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या अन्य किसी रीति से निस्तारित करने का प्रत्येक ऐसा स्थान, जो निगम में निहित हो, उपधारा (3) के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा तथा

उस स्थान की स्थिति, आयति एवं सीमाओं का नक्शा, जिस पर मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, महापालिका कार्यालय में जमा कर दिया जायगा।

413. मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मृतकों को निस्तारित करने के लिए नये स्थान न खोले जायेंगे-

ऐसा कोई स्थान, जो विधितः मृतकों के निस्तारणार्थ पहले कभी भी प्रयुक्त न हुआ हो और न इस प्रकार पंजीकृत हुआ हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए, बिना मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के, जो निगम के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

414. मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था

1. यदि किसी भी समय मृतकों के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा 415 के उपबन्धों के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी निगम के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा।

414. मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था-

1. यदि किसी भी समय मृतकों के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा 415 के उपबन्धों के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी निगम की

स्वीकृति से नगर के भीतर अथवा बाहर उन प्रयोजनों के लिए अन्य उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था कर सकता है तथा उन्हें धारा 412 के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रत्येक स्थान के, जिसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई हो, पंजीयन के समय उसका एक नक्शा जिसमें उसकी स्थिति, आयति तथा सीमाएँ दिखाई गयी होंगी, निगम के कार्यालय में जमा करेगा।

2. इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के समस्त उपबन्ध ऐसे स्थान के संबंध में जिसकी उपधारा (1) के अधीन व्यवस्था की गई हो तथा जो नगर के बाहर स्थित हों, किन्तु निगम में निहित, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह स्थान नगर के भीतर स्थित हो।

415. मृतकों को दफनाने के स्थान बन्द किया जाना-

1. यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात कभी भी मुख्य नगराधिकारी का यह मत है कि

(क) सार्वजनिक उपासना का कोई स्थान अपने धरातल के नीचे या दीवालों के भीतर तहखानोंब (vaults) और कब्रों की दशा के कारण, या पास-पड़ोस में कोई कब्रिस्तान या दफनाने के स्थान के कारण जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है अथवा उसके हानिकर हो जाने की संभावना है;

(ख) मृतकों के निस्तारण के लिए अन्य कोई स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो गया है या उसके हानिकर हो जाने की संभावना है;

तो वह अपना इस आशय का निश्चित मत तथा उसके कारण निगम के समक्ष रखेगा और निगम उसे और उसके संबंध में स्वयं अपना मत राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगा।

2. उपधारा (1) में उल्लिखित मत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में तथा ऐसे पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, जिसे वह आवश्यक समझे, यह आदेश दे सकती है कि सार्वजनिक उपासना का उक्त स्थान या अन्य स्थान भविष्य में मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

3. उक्त किसी विज्ञप्ति के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति पर वह स्थान, जिससे वह विज्ञप्ति सम्बद्ध हो, मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुढत न किया जायगा।

4. मृतकों के दफनाने के लिए अलग किया गया निजी स्थान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ आरोपित करे, उक्त किसी आदेश से मुक्त किया जा सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे स्थान की सीमाएँ पर्याप्त रूप से परिभाषित हों तथा वह स्थान केवल अपने स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाय।

416. मृतकों के दफनाने के स्थान को फिर से चालू किया जाना-

1. यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात मुख्य नगराधिकारी का यह मत हो कि ऐसा कोई भी स्थान जो धारा 415 के उपबन्धों के अधीन बन्द कर दिया गया हो, समय बीतने के कारण अब स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं रह गया तथा अब बिना जोखिम अथवा भय के उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वह सकारण अपना मत निगम के पास प्रस्तुत करेगा और निगम अपने मत सहित उसे राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगा।
2. ऐसे मत की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी जाँच करने के पश्चात, जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदेश दे सकती है कि उक्त स्थान मृतकों के निस्तारणार्थ पुनः चालू कर दिया जाय।

417. मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना मुर्दे खोदे न जायेंगे तथा उपासना के स्थानों के भीतर दफनाये न जायेंगे-

1. कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना-

(क) किसी उपासना-स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग ड्योढ़ी (portico), कुर्सी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या मजार (internment) न बनायेगा;

(ख) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 415 के अधीन मृतकों के लिए बन्द कर दिया गया हो, कोई मजार न बनायेगा अथवा किसी अन्य रीति से कोई शव निस्तारित न करेगा;

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 412 के अधीन एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा, न खोदेगा, न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा, अथवा किसी भी रीति से किसी शव को न तो निस्तारित करेगा और न निस्तारित होने देगा;

(घ) सिवाय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 176 के या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अधीन शवों के निस्तारण के किसी भी स्थान से शवों को नहीं खोदेगा।

2. मुख्य नगराधिकारी ऐसी सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार एतदर्थ समय-समय पर दे, विशेष दाशाओं में उपर्युक्त प्रयोजनाओं में किसी के निमित्त अनुज्ञा दे सकता है।

418. मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिषिद्ध कार्य-

कोई भी व्यक्ति-

1. किसी शव को मृत्यु की इतनी देर बार तक कि वह अपदूषण का कारण बन जाय बिना अग्निदाह किये हुए, गाड़े हुए या अन्य किसी रीति से विधितः निस्तारित किये हुए किसी भू-गृहादि में रोक न रखेगा;
2. किसी शव या शव के भाग को बिना अच्छी तरह से ढके हुए या संक्रमण का जोखिम अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि को रोकने के लिए बिना ऐसे पूर्वावधान के, जिनकी मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय-समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, किसी भी मार्ग पर न ले जायगा;
3. सिवाय ऐसी दशा में जब दूसरा मार्ग उपलब्ध न हो, किसी भी शव या शव के भाग को उस मार्ग से न ले जायगा, जिस पर शवों का ले जाना मुख्य नगराधिकारी ने एतदर्थ दिये गये किसी सार्वजनिक नोटिस द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया हो;
4. किसी भी ऐसे शव अथवा ऐसे शव के भाग को, जिसे चीर-फाड़ (dissection) के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या प्रयुक्त किया गया हो, बिना किसी बन्द पात्र (receptaele) या वाहन में रखे हुए न हटायेगा;
5. किसी शव या शव के भाग को ले जाते समय उसे बिना किसी अत्यावश्यक प्रयोजन के किसी सड़क पर या उसके निकट न रखेगा और न छेड़ेगा;

6. किसी शव या शव के भाग को किसी कब्र या तहखाने में या अन्यत्र किसी रीति से न तो दफनायेगा और न दफनाने देगा, जिससे दफन की परी सतह या, यदि दफन न प्रयुक्त किया गया हो, तो शव का भाग भूमि के धरातल से 6 फुट से कम की गहराई में रहे;

7. किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र या तहखाने को किसी दूसरी कब्र या तहखाने के पार्श्व के 2 फुट से कम की दूरी न तो निर्मित करेगा, न खोदेगा और न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा;

8. किसी कब्रिस्तान में किसी पंक्ति में, जो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधीन इस प्रयोजन के निमित्त अंकित (marked) न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करायेगा, और न खोदेगा, और न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा;

9. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी शव या शव के भाग का मजार बनाने के लिए किसी ऐसी कब्र या तहखाने को, जिसमें पहले से ही कोई शव रखा गया हो, दोबारा नहीं खोलेगा;

10. किसी शव या शव के भाग को किसी शमशान में लाने या लिवा लाने के पश्चात उसे उस स्थान पर लाने के छः घंटे के भीतर उसका अग्निदाह कराने या करवाने में न चूकेगा;

11. किसी शव या शव के भाग को जलाते या जलवाते समय उसको या उसके किसी अंश को शमशान अथवा उसके निकट बिना पूर्णतः भस्मीभूत हुए न रहने देगा अथवा ऐसे शव या शव के अंश के ले

जाने अथवा अग्निदाह के लिए प्रयुक्त किसी वस्त्र या अन्य वस्तु को न तो वहाँ से हटाने देगा और न बिना पूर्ण रूप से भस्मीभूत हुए वहाँ रहने देगा।

419. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है-

राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस आज्ञा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर, जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में किये जायें, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो वह क्षेत्र नगर के भीतर हो।

420. नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है।
2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है-

(क) धूल इत्यादि को जमा करने और एकत्र करने के लिए स्वामियों और अध्यासियों का उत्तरदायित्व;

(ख) उन क्षेत्रों के, जो धारा 368 के अन्तर्गत न आते हों, अध्यासियों के ऐसे मल-मूत्र तथा दूषित वस्तुएँ, जो उसके भू-गृहादि में जमा हो जाया करती हों, ऐसे पात्रों आदि में, जिनकी व्यवस्था धारा 385 के अधीन की गई हो, एकत्र करने तथा हटाने का उत्तरदायित्व;

(ग) भू-गृहादि पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने वाले कूड़े-करकट और गन्दगी को हटाना;

(घ)

(1) भू-गृहादि पर भवन-निर्माण संबंधी सामग्री एकत्र करने,

(2) भू-गृहादि पर दोषपूर्ण छतों या अन्य अस्वास्थ्यकर वस्तुओं;

(3) निवास-स्थानों में पाकशाला के धुएँ तथा अन्य धुएँ और धूल इत्यादि;

(4) पोखरे, दलदल, खाई, तालाब, कुएँ, तड़ाग (pond), पत्थर की खानों के गड्ढे (quarry holes), नाली, जल-प्रणाली तथा जल संग्रह;

(5) खतरनाक तालाब, कुएँ, गड्ढे इत्यादि;

(6) पत्थरों की खतरनाक खानें खोदे जाने, तथा

(7) भू-गृहादि में दुर्गन्धयुक्त वस्तुएँ एकत्र करने से उत्पन्न अपदूषणों को हटाना;

(ङ) अस्वास्थ्यकर निजी जल-प्रणालियों, स्रोतों, तालाबों, कुओं इत्यादि का, जिनका जल पीने के काम में आता हो, साफ किया जाना;

(च) नगर में पशुओं के रखने और उनके बाँधे जाने का विनिश्चयन;

(छ) इंडियन ब्वाएलर्स ऐक्ट, 1923 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए फैक्ट्रियों, कारखानों या कार्य-स्थानों इत्यादि का सफाई सम्बन्धी विनियमन तथा तत्संबंधी सूचनाएँ देना;

(ज) धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का विनियमन तथा कपड़ा धोने के स्थानों की व्यवस्था;

(झ) संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त पशुओं के बारे में सूचनाएँ देना;

(ञ) भयानक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए घरों तथा सार्वजनिक और निजी स्थानों का विसंक्रमण;

(ट) सीटियों, तुरहियों और लाउडस्पीकरों तथा अन्य यंत्रचालित शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रतिषेध और विनियमन;

(ढ) वृक्षों और झाड़ियों का हटाना, छाँटना तथा काटना।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द महापालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 14, 1959 की धारा 7 द्वारा शब्द इण्डियन फैक्ट्रिज ऐक्ट, 1911 के स्थान पर रखा गया

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ0प्र0 अधिनियम सं0 12, 1964 की धारा 22 द्वारा खंड् (क) बदल दिया गया

उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 22 द्वारा खंड् (क) बदल दिया गया

कृपया देखें नवीन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की तत्सम्बन्धी धारा

अध्याय 16

बाजारों, वधशालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यो, आदि का विनियमन

421. किसे निजी बाजार और वधशाला समझा जायेगा-

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ निगम और वधशालाओं से भिन्न समस्त बाजारों और वधशालाओं को निजी बाजार और वधशालाएँ समझा जायेगा।

422. बाजारों और वधशालाओं, आदि के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी के अधिकार-

इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी को निम्नलिखित का अधिकार होगा-

1. निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमा के भीतर और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उसकी सीमा के बाहर किसी निगम के बाजार या निगम की वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, खरीदना, पट्टे पर लेना या किसी अन्य प्रकार से अर्जित करना और किसी वर्तमान निगम को बाजार या वधशाला का विस्तार या सुधार करना;

2. समय-समय पर ऐसे निगम के बाजारों, वधशालाओं और वधार्थ पशु-स्थानों और ऐसी छोटी दूकानों, दूकानों, आश्रय स्थलों, बाड़ों (pens) तथा अन्य भवनों और सुख-सुविधा के स्थानों को, जो उक्त निगम के बाजारों, वधशालाओं या वधार्थ पशु-स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहाँ पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायं, बनवाना और उनका संधारण करना;

3. ऐसे किसी निगम के बाजार में ऐसे भवनों, स्थानों, मशीनों, बाटों-तराजुओं और मापों के, जिन्हें वह वहाँ बिकने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के प्रयोजनार्थ उचित समझे, के संधारण की व्यवस्था करना;

4. निगम द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, किसी निगम के बाजार या वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान या उसके किसी भाग को बन्द करना और इस प्रकार बन्द किये गये किसी बाजार, वधशाला या वधार्‌थ पशु-स्थान या उसके भाग के लिए अध्यासित भू-गृहादि को निगम की सम्पत्ति के रूप में निस्तारित करना;

5. निगम की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर, सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी निगम के बाजार के पचास गज की दूरी के भीतर उक्त निगम के बाजार में साधारणतया बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं को, जो नोटिस में निर्दिष्ट हों या उनमें से किसी वस्तु को बेचने या बेचने के लिए प्रदाश्रित

करने का प्रतिषेध करना और इसी प्रकार निगम की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नोटिस को किसी भी समय निरस्त या परिष्कृत करना;

6. निगम के बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान में किसी छोटी दूकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिए, और किसी निगम के बाजार में विक्रय के प्रयोजनार्थ वस्तुएँ प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में बेचे जाने वाले सामान को तौलने और मापने का अधिकार प्रदान करना तथा ऐसी किसी निगम की वधशाला में पशुओं के वध का अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क लेना, जो कार्यकारिणी-समिति की स्वीकृति से, एतदर्थ समय-समय पर उसके द्वारा नियत किया जाय;

7. कार्यकारिणी-समिति की स्वीकृति के उपर्युक्त प्रकार से लगाये जाने वाले भाड़े, किराये और शुल्क या उसके किसी भाग को एक समय में किसी ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न हो, निर्धारित करना;

8. ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन, जिन्हें वह ठीक समझे, किसी निगम के बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान में किसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़े अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार का सार्वजनिक नीलाम करने या कार्यकारिणी-समिति की स्वीकृति से निजी बिक्री द्वारा उसे निस्तारित करना।

423. निजी बाजारों तथा निजी वधशालाओं का खोला जाना-

1. निगम समय-समय पर यह निर्धारित करेगी कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में नये निजी बाजारों की स्थापना की अथवा निजी वधशालाओं की स्थापना या उनके संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं।
2. बिना मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के और उससे अनुज्ञप्ति प्राप्त किये हुए, जो ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उपधारा (1) के अधीन निगम के तत्सामयिक निर्णयों द्वारा निर्देशित होगा, कोई भी युक्ति मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत पशुओं या मानव-योजना की कोई वस्तु या पशुधन या पशुधन के निमित्त खाद्य-सामग्रियों की बिक्री के लिए न तो किसी निजी बाजार की स्थापना करेगा और न किसी निजी वधशाला की स्थापना या उसका संधारण करेगाः

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी नियत दिन पर पहले से ही विधितः स्थापित किसी निजी बाजार या वधशाला को चलाने की स्वीकृति देने या उसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार न करेगा, यदि ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक से दो महीने के भीतर आवेदन-पत्र दिया गया हो, सिवाय इस आधार पर कि उस स्थान में जहाँ बाजार या वधशाला की स्थापना की गई है, इस अधिनियम की या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि की

अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है।

3. जब इस प्रकार किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी स्वीकृति का नोटिस हिन्दी या किसी ऐसी अन्य भाषाओं में, जिन्हें निगम समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान पर या उसके निकट, जहाँ ऐसा बाजार लगाया जाना है, किसी प्रमुख स्थल पर लगवा देगा।

स्पष्टीकरण-

उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान के स्वामी या अध्यासी के बारे में जहाँ किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की गई हो, यह समझा जायेगा कि उसने ही ऐसे बाजार की स्थापना की है।

4. मुख्य नगराधिकारी किसी कारण से किसी निजी बाजार को खुला रखने के सम्बन्ध में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित या उसके नवीकरण को अस्वीकार न करेगा सिवाय उस दशा के जब उसके स्वामी ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी विनियम अथवा किसी उपविधि का अनुपालन न किया हो।

5. मुख्य नगराधिकारी उस दशा में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जब निजी बाजार का कोई स्वामी, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार, किसी ऐसे भाड़े, किराये,

शुल्क या अन्य भुगतान की, जो किसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय-स्थान, बाड़े या उसमें किसी अन्य स्थान के अध्यासन या प्रयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से उसे उसके अभिकर्ता को प्राप्त हो, लिखित रसीद न दे।

6. जब मुख्य नगराधिकारी ने निजी बाजार को खुला रखने के निमित्त किसी अनुज्ञप्ति को अस्वीकार, निरस्त या निलम्बित किया हो तो वह अपने द्वारा ऐसे किये जाने की नोटिस, ऐसी भाषा या भाषाओं में जिसे निगम समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान के जहाँ करे, उस भवन या स्थान के जहाँ पर ऐसा बाजार लगता हो, पर या निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा देगा।

424.

किसी निगम की वधशाला, वधार्थ पशु-स्थान, बाजार या भू-गृहादि से जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअरों को हटाना-मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसे शुल्क का भुगतान किये बिना, जो वह विहित करे, कोई व्यक्ति किसी निगम की वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान से या किसी ऐसे निगम के बाजार या भू-गृहादि से जो वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान के निमित्त या सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता हो, या प्रयोग में लाये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअर न हटायेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे पशु को हटाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी जो ऐसी वधशाला, वधार्‌थ पशु-स्थान, बाजार या भू-गृहादि के भीतर न बेचा गया हो और जो मुख्य

नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई आज्ञा में विहित अवधि से अवधि से अधिक अवधि तक ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु-स्नान, बाजार या भू-गृहादि में न रहा हो या जिसे किसी/किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसी वधशाला, बाजार या भू-गृहादि में वध के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो।

425. नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी किसी निगम के बाजार, वधशाला, वधार्थ पशु-स्थान से किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकता है जो स्वयं, अथवा जिसका नौकर ऐसे बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान में प्रचलित किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो और ऐसे व्यक्ति या उसके नौकरों को उस बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु-स्थान में भविष्य में कोई व्यापार या व्यवसाय करने अथवा उसमें किसी छोटी दूकान, दूकान, खड़ा होने के स्थान, आश्रय-स्थान, बाड़ा या अन्य स्थान को अध्यासित करने से रोक सकता है, तथा किसी ऐसे पट्टे या भोगावधि को समाप्त कर सकता है, जो उस व्यक्ति को, ऐसी छोटी दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्र्य-स्थान, बाड़े या अन्य स्थान के सम्बन्ध में रखता हो।

2. यदि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति किसी निजी बाजार या वधशाला का स्वामी या ऐसे बाजार या वधशाला या उसमें किसी छोटी दूकान का पट्टेदार या ऐसे स्वामी या पट्टेदार या कोई

अभिकर्ता या नौकर, किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो, तो मुख्य नगराधिकारी ऐसे स्वामी, पट्टेदार, अभिकर्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में दिया हुआ हो, चले जाने का आदेश दे सकता है और यदि वह उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त जिस पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाय, ऐसे भू-गृहादि से तुरन्त हटाया जा सकता है।

3. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे मामले में स्वामी या पट्टेदार उपर्युक्त ऐसे दोषी ठहराये गये नौकर या अभिकर्त्ता के साथ अभिसंधि (collusion) से कार्य कर रहा है, जो उपधारा (2) के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करता, तो मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में उस स्वामी या पट्टेदार की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है।

426. बिना अनुज्ञप्ति के निगम के बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध-

1. कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी निगम के बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।
2. किसी भी व्यक्ति को जो इस धारा का उल्लंघन करे, किसी निगम, के पदाधिकारी या नौकर द्वारा

तुरन्त हटाया जा सकता है।

427. अनधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध-

यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि कोई बाजार मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया है या उसे खुला रखने की अनुज्ञप्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा अस्वीकृत, निरस्त या निलंबित हो जाने के पश्चात् भी उसे खुला रखा गया है तो वह उसमें किसी पशु या मानव-भोजन के किसी वस्तु या पशुधन (livestock) या पशुधन की भोजन-सामग्री को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा।

428. बाजारों से अन्यत्र पशुओं, आदि की बिक्री का प्रतिषेध-मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा

1. निगम या निजी बाजार से भिन्न किसी स्थान में मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत कोई चौपाया या किसी प्रकार का मांस या मछली ;
2. निगम के बाजार, निजी बाजार या अनुज्ञप्त भोजनालय या मिठाई की दूकान से भिन्न किसी स्थान में बर्फ और शर्बत या सोडावाटर, कुल्फी, गन्ने का रस, कुटा या छिला हुआ फल और सब्जी, किसी भी प्रकार के बिस्कुट, पेस्टी इत्यादि या मिठाइयाँ अथवा ऐसा अन्य पका हुआ भोजन या मानव-उपभोग के लिए अभिप्रेत अन्य वस्तुएँ जिन्हें समय-समय पर मुख्य

नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट करें।

429. बिक्री के निमित्त रखे गये पशुओं के वध पर निर्बन्धन-

कोई व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी की अनुज्ञा के बिना, नगर में बिक्री के लिए रखे गये किसी पशु, निगम की वधशाला या अनुज्ञप्त निजी वधशाला के अतिरिक्त किसी और स्थान में न वध करेगा और न वध करवायेगा।

430.

ऐसे पशुओं के जो बिक्री के लिए अभिप्रेत न हों या जिनका वध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता हो, वध के लिए स्थान-मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा, और निगम की पूर्व स्वीकृति से, नगर के भीतर ऐसे भू-गृहादि निश्चित कर सकता है, जिससे किसी विशेष प्रकार के पशु वध करने, जो बिक्री के लिए न हों, या उस पशु के शव को काटने की अनुज्ञा दी जायेगी और सिवाय उस दशा के जब आवश्यकता पड़े नगर में किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के वध का प्रतिषेध कर सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे पशुओं पर लागू न होंगे, जिनका किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ वध किया जाता हो।

431.

ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिसका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता, जिला मजिस्ट्रेट के

अधिकार-जब कभी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह विहित प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी नगर की सीमा के भीतर बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पशुओं के वध का प्रतिषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिसके द्वारा ऐसे पशु वध-स्थान में लाये जायेंगे तथा वहाँ से मांस बाहर ले जाया जायेगा, विहित कर सकता है।

432. बिना अनुज्ञा नगर में पशु, आदि के आयात का प्रतिषेध-

1. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु, भेंड़, बकरी या सुअर को या ऐसे किसी पशु के मांस को नगर में न लायेगा जिसका किसी ऐसी वधशाला में वध किया गया हो, जिसका संधारण इस अधिनियम के अधीन न किया जाता हो या जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न हो।
2. कोई पुलिस पदाधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो उपधारा (1) का उल्लंघन करके नगर के भीतर किसी पशु या उसके मांस को ला रहा हो।
3. इस धारा का उल्लंघन करके नगर में लाये गये किसी पशु का मुख्य नगराधिकारी या निगम का होगा।

4. इस धारा की कोई बात उपचारित (cured) या संरक्षित (preserved) मांस के सम्बन्ध में लागू न समझी जायेगी।

433. मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु-वध या मांस की बिक्री किये जाने का सन्देह हो-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है अथवा किसी ऐसे पशु का मांस किसी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से बेचा जा सकता है या बेचने के प्रयोजनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथावत प्राधिकृत नहीं है, तो मुख्य नगराधिकारी किसी भी दिन, दिन को या रात को, बिना नोटिस दिये, इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि वहाँ इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस का जो वहाँ इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस का जो वहाँ पाया जाय, अभिग्रहण कर सकता है।
2. यदि इस प्रकार अधिग्रहण किये जाने के एक महीने के भीतर पशु, पशु के शव या मांस की स्वामी

मुख्य नगराधिकारी के सामने उपस्थित होकर उसके सन्तोषनुसार अपने दावे को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि ऐसा स्वामी ऐसे पशु या शव या मांस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उपधारा (1) के अधीन किसी बिक्री से प्राप्त होने वाला धन निगम में निहित हो जायेगा।

3. किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी क्षेति के लिए, जो उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी प्रवेश के कारण या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक किसी बल-प्रयोग के कारण अनिवार्यतः पहुँची हो, कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा।

434. मुख्य नगराधिकारी मानव-भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गयी वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा-

मुख्य नगराधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशुओं, उनके शवों, गोश्त, मुर्ग-मुर्गियाँ, आखेट पशु, मांस, मछली, फल, सब्जी, अनाज, रोटी, आटा, दुग्धशाला के पदार्थों या अन्य वस्तुओं की निरन्तर एवं सतर्क निरीक्षण की व्यवस्था करे, जो बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हों तो जिन्हें फेरी लगाकर बेचा जाता हो या जो बिक्री के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में जमा की गयी या लायी गयी हो तथा जो मानव-भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत हों। यह प्रमाणित करने का भार दोषारोपित पक्ष पर होगा कि उक्त वस्तुएँ न प्रदर्शित की गयी थीं, न फेरी लगाकर बेची गयी थीं, न उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ जमा

किया या लाया गया था और न वे मानव-भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत थीं।

435. अस्वास्थ्यकर (unwholesome) वस्तुओं आदि का अभिग्रहण-

1. मुख्य नगराधिकारी सभी उचित समयों पर पूर्वोक्त किसी पशु या वस्तु का और उन्हें तैयार करने, बनाने या रखने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले बर्तन या भाड़े का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है।
2. यदि मुख्य नगराधिकारी को कोई ऐसा पशु या ऐसी कोई वस्तु मानव-भोजन के लिए यथास्थिति रोगग्रस्त या विकृत या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त प्रतीत हो या वह वैसी न हो जैसी कि बतायी गई हो या यदि कोई बर्तन या भाड़ा इस प्रकार का या ऐसी दशा में हो कि उसमें तैयार की गयी, बनाई गई या रखी गयी हो, वस्तुएँ मानव भोजन के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जाँय तो वह ऐसे पशु, वस्तु, बर्तन या भाड़े का अभिग्रहण कर सकता है और उसे उठा ले जा सकता है, जिससे उसके संबंध में आगे उपबन्धित ढंग से कार्यवाही की जा सके और वह ऐसे किसी पशु या वस्तु के अवधायक या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम थाने में ले जा सकता है।

436. धारा 435 के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण-

यदि किसी गोश्त, मछली, सब्जी या अन्य खराब होने योग्य वस्तु का धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय और वह मुख्य नगराधिकारी की राय में यथास्थिति रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर या मानव-भोजन के लिए अनुपयुक्त हो, तो मुख्य नगराधिकारी तुरन्त ही उसे उस रीति से नष्ट करवा देगा कि वह फिर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने अथवा मानव-भोजन के लिए प्रयोग किये जाने के योग्य न रह जायँ और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा जिसके अध्यासन में वह वस्तु अभिग्रहण करने के समय थी।

437. हानिकारक व्यापार का विनियमिन-

1. यदि मुख्य नगराधिकारी के सन्तोषानुसार यह बताया जाय कि नगर की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि को कोई व्यक्ति वस्तु के निर्माण, संग्रह, व्यवहार या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्ट्री के रूप में या अन्य व्यापारिक स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करना चाहता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा अभिप्रेत प्रयोग के कारण कोई सार्वजनिक अपदूषण पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, तो मुख्य नगराधिकारी विकल्प का प्रयोग करके ऐसे भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी को सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि वह

   (क) उक्त भवन या भूमि की यथास्थिति पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने या प्रयोग किये

जाने की अनुमति देने से रोके या मना करे, या

(ख) उक्त भवन या स्थान को केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसी दशाओं में या ढाँचे सम्बन्धी ऐसे परिवर्तन के पश्चात् जिन्हें निगम आरोपित करे या जो उक्त प्रयोजनार्थ उक्त भवन या स्थान के प्रयोग को आपति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस विहित करे, प्रयोग करे या प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करे।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस को प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति ऐसे नोटिस का उल्लंघन करके, अपराधी ठहराये जाने पर, जुर्माना किया जायेगा, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है और उसे इसके अतिरिक्त भी जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम बार अपराधी ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब वह उस स्थान या भवन का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, चालीस रूपये तक हो सकता है।

438. बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुएँ न रखी जायेंगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे-

सिवाय मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निर्बन्धनों और शर्तो के अनुकूल कोई भी व्यक्ति-

1. किसी भू-गृहादि में या उसके पर, उपविधियों में निर्दिष्ट कोई वस्तु किसी परिमाण में अथवा

उपविधियों में उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट ऐसे अधिकतम परिमाण से अधिक परिमाण में न रखेगा जो किसी एक समय में बिना अनुज्ञप्ति के उस भू-गृहादि में या उसके पर रखा जा सकता हो;

2. किसी ऐसे भवन में या उसके पर, जो निवास के लिए अभिप्रेत हो या प्रयोग में लाया जा रहा हो, अथवा ऐसे भवन के 15 फीट के भीतर, 4 हण्ड्रेड-वेट (hundred-weight) से अधिक परिमाण में कपास की दबी हुई गाँठों में या बोरों में या खुली हुई रूई या कपास न रखेगा;

3. किसी भू-गृहादि में या उसके पर निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए घोड़े, पशु या अन्य चौपाये न रखेगा और न रखने की अनुज्ञा देगाः

(1) बिक्री के लिए,

(2) किराये पर देने के लिए,

(3) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई पारिश्रमिक मिलता हो,

अथवा

(4) उसके किसी उत्पादन की बिक्री के लिए।

4. किसी भू-गृहादि में या उसके पर, निम्नलिखित कोई कार्य न सम्पादित करेगा और न संपादित करने की अनुज्ञा देगा-

(1) उपविधियों में निर्दिष्ट किसी व्यापार से संसक्त कोई व्यापार या कार्य;

(2) कोई ऐसा व्यापार या कार्य, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, या जिससे उनके प्रकार के कारण या ऐसी रीति या उन शर्तो के कारण जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो या सम्पादित करने का विचार हो, कोई अपदूषण पैदा होने की संभावना होः

(1) नगर के भीतर अश्व चिकित्सक का व्यापार या कार्य न करेगा और न किसी भू-गृहादि का उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुच्छेद (2) के अर्थ में कोई भी व्यक्ति इस बात से अभिन्न समझा जायेगा कि अमुक व्यापार खतरनाक है या उससे अपदूषण पैदा होने की संभावना है। यदि मुख्य नगराधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का लिखित नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील कर दिया गया हो या उस भू-गृहादि पर चिपका दिया गया हो, जिससे उस नोटिस का सम्बन्ध हो।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह व्यापार या कार्य सम्पादित कर रहा है या उनसे व्यापार या कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की है, यदि वह ऐसे व्यापार के बढ़ाने के लिए कोई कोई कार्य करता है या वह प्रधान अभिकर्त्ता, लिपिक,

स्वामी, नौकर, श्रमिक, दस्तकार के रूप में या अन्य प्रकार से उसमें किसी तरह संलग्न है या उससे सम्बन्ध रखता है।

(4) यदि उपधारा (1) के खंड (ग) या (घ) में वर्णित रीति से किसी भू-गृहादि का प्रयोग किया जा रहा हो जब तक कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने या दोनों ही ने उक्त प्रयोग की अनुमति दी है।

(5) मुख्य नगराधिकारी के लिए यह वैध होगा कि-

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति को ऐसे अतिरिक्त निर्बन्धनों या शर्तो के (यदि कोई हों) अधीन रखते हुए वे, जो मामले की परिस्थिति को देखते हुए उसे उपयुक्त जान पड़े;

(ख) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति को रोक ले।

(6) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई हो, ऐसी अनुज्ञप्ति को उस भू-गृहादि, यदि कोई हो, या उसके पर रखेगा, जिससे उसका सम्बन्ध हो।

(7) मुख्य नगराधिकारी दिन अथवा रात में किसी भी समय ऐसे भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके प्रयोग के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो।

(8) उपधारा (6) और (7) की कोई बात रूई, जूट, ऊन या रेशम की कताई या बुनाई की मिलों या ऐसी किसी अन्य बड़ी मिल, फैक्ट्री पर लागू न होगी जिसे मुख्य नगराधिकारी समय-समय पर कार्यकारिणी-समिति के अनुमोदन से उक्त धारा के प्रवर्तन से विशेष रूप से मुक्त कर दे।

(9) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उस क्षति के लिए कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा, जो ऐसे प्रवेश के कारण अथवा ऐसा प्रवेश करने के सम्बन्ध में आवश्यक बल-प्रयोग करने के कारण अनिवार्यतः पहुँची हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रवेश करने के लिए जब तक बल प्रयोग न किया ज ायेगा, जब तक कि वह विश्वास करने का कारण न हो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अथवा उसके अधीन बनायी गई किसी उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध किया जा रहा है।

439. कसाइयों और ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी-

कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकल-

(क) नगर के भीतर या निगम की वधशाला में कसाई का व्यापार न करेगा;

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु के मांस की बिक्री के लिए न करेगा, और न उपभोग के प्रयोजनार्थ ऐसे मांस की बिक्री के लिए नगर के बाहर किसी स्थान का प्रयोग करेगा।

440. दुग्धशालाजन्य पदार्थो का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी-

कोई व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकूल-

(क) नगर के भीतर दुग्धशाला का व्यापार का कारबार न करेगा,

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग दुग्धशाला के रूप में या दुग्धशालाजन्य पदार्थो की बिक्री के लिए न करेगा।

441. शर्तो जिनके अधीन वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढाँचा-निर्माता, भू-मापक या नल-मिस्त्री नगर के भीतर अपना-अपना व्यापार कर सकते हैं-

1. प्रत्येक वास्तुशास्त्री (architect), अभियन्ता, ढाँचा-निर्माता भू-मापक, नल-मिस्त्री जो नगर में अपना व्यवसाय करता हो, तदर्थ मुख्य नगराधिकारी से अनुज्ञप्ति लेगा।
2. अनुज्ञप्ति, उपविधियों द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए होगी, किन्तु विहित शुल्क अदा करने पर अतिरिक्त अवधियों के लिए उतनी बार उसका नवीकरण किया जा सकेगा जितनी बाद आवश्यक हो।
3. धारा (1) के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति न दी जाएगी जब तक कि उसके लिए आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्ति में वे अर्हताएँ न हों जो तदर्थ विहित की गई हों और अनुज्ञप्ति के लिए कोई

आवेदन-पत्र अस्वीकृत न किया जायेगा यदि प्रार्थी में उपर्युक्त अर्हताएँ वर्तमान हों। सिवाय उस दशा के जब इस बात की समुचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अक्षम है या वह, यथास्थिति वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढाँचा-निर्माता, भूमापक अथवा नल-मिस्त्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में गम्भीर दुव्यर्वहार का दोषी पाया गया है।

442. अनुज्ञप्त नल-मिस्त्री उचित रूप में कार्य सम्पादित करने के लिए बाध्य होंगे-

कोई अनुज्ञप्त नल-मिस्त्री इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य को असावधानी या अपेक्षा से सम्पादित न करेगा या ऐसे कार्य के प्रयोजन के लिए खराब सामग्री, उपकरण या संधायन का प्रयोग न करेगा।

443. कार्यकारिणी समिति नल-मिस्त्रियों के लिए शुल्क निश्चित करेगी-

कार्यकारिणी समिति वह शुल्क व्यय निश्चित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन किसी या सभी प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्त नल-मिस्त्रियों को उनके द्वारा किये गये कार्यो के लिए दी जायेगी और कोई अनुज्ञप्त नल-मिस्त्री ऐसे कार्य के लिए निश्चित शुल्क या व्यय से अधिक न माँगेगा और न प्राप्त करेगा।

444. अनैतिक प्रयोजनों के लिए इधर-उधर घूमता और याचना करना-

यदि कोई व्यक्ति नगर की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में वेश्यागमन प्रयोजनार्थ घूमता है या लैंगिक अनैतिकता करने के लिए किसी व्यक्ति को संकेत करता है तो वह अपराधी ठहराये

जाने पर जुर्माने का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का निग्रहण न करेगा सिवाय प्रेरित व्यक्ति की शिकायत पर अथवा एतदर्थ क्रमश: निगम, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी निगम प्राधिकारी या पुलिस-प्राधिकारी, जो सब-इन्स्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, की शिकायत पर।

445. वेश्यागृह, आदि-

1. जब प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि

   (क) किसी उपसना-स्थल, शिक्षा संस्था के या किसी बोर्डिंग हाउस, छात्रावास या भोजनालय (mess) के निकट जिसका छात्र प्रयोग करते हों या जिसमें वे अध्यस्थित हों, कोई मकान वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ अथवा किसी भी प्रकार के उच्छृंखल (disorderly) व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है; या

   (ख) कोई मकान उपर्युक्त रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो पास-पड़ोस के प्रतिष्ठित निवासियों के परिभव (annoyance) का कारण है; या

   (ग)छावनी के ठीक पड़ोस में कोई मकान वेश्यागृह या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है;

तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को स्वयं या अभिकर्त्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त मकान खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश दे सकता है कि वह ऐसी आज्ञा में लिखित अवधि के भीतर, जो उस आज्ञा के दिनांक से पाँच दिन से कम की न होगी, ऐसे प्रयोग को बन्द कर देः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल

(1) जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति या आज्ञा से; या

(2) जिस मकान के सम्बन्ध में शिकायत हो, उसके ठीक पास-पड़ोस में रहने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर, या

(3) निगम की शिकायत पर, की जायेगी।

2. यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गई है, ऐसी आज्ञा में दी गई अवधि के भीतर, उक्त आज्ञा का अनुपालन न कर सके तो मैजिस्ट्रेत उस पर जुर्माना कर

सकता है जो उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें उस मकान

को उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाय, एक सौ रूपये तक हो सकता है।

446. भिक्षावृत्ति, आदि-

यदि कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में लोगों को तंग करके भिक्षा माँगता है अथवा दान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से किसी कुरूपता या रोग या दुर्गन्धयुक्त घाव या व्रण को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है तो अपराधी ठहराये जाने पर उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जो एक महीने तक हो सकता है या जुर्माना किया जा सकता है, जो पचास रूपये तक हो सकता है या दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं।

447. दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना-

कोई भी व्यक्ति, उस पशु को जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या जो भोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हो, गन्दे या हानिकर पदार्थ न तो खिलायेगा और न खिलाने की अनुमति देगा।

448. ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाना, आदि-

जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वाले संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो तो मुख्य नगराधिकारी सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को किसी भी स्थान में या नोटिस में निर्दिष्ट सीमा के भीतर

लकड़ी, सूखी घास, पुआल या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाने या उन्हें संग्रह करने अथवा चटाइयाँ या फूस की झोपड़ी रखने या आग जलाने का प्रतिषेध कर सकता है।

449. खड़जो, आदि को स्थानच्युत करना-

1. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे, गन्दी मोरी (gutter), झंडे या अन्य सामग्री, या उसकी मेंड़, दीवाल या खंभों या निगम की बत्ती (lamp), बत्ती का खंभा, बेकेट, मार्ग निर्देशक स्तंभ, पानी का बम्बा, पानी निकालने का बम्बा या उसके भीतर की निगम की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को मुख्य नगराधिकारी यह अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना न स्थानच्युत करेगा, न लेगा और न उसमें परिवर्तन करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति निगम की बत्ती को नहीं बुझायेगा।
2. उपधारा (1) में उल्लिखित किसी काम के किये जाने के कारण निगम द्वारा जो व्यय किया जायेगा वह अपराधी से अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकता है।

450. आग्नेयशास्त्र चलाना, आदि-

कोई व्यक्ति उस रीति से आग्नेयशास्त्र न चलायेगा अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे न छोड़ेगा या खेल न करेगा, जिससे राह चलने वाले या पास-पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन को

संकट पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुँचने का डर हो।

451. अनुज्ञप्तियाँ और लिखित अनुज्ञाएँ देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क, आदि के लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपबन्ध-

1. जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रयोजनार्थ कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा देने की व्यवस्था हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में वह अवधि जिनके लिए और वह निर्बन्धन और शर्तो, जिनके अधीन रहते हुए वह दी गई हो और वह दिनांक भी दिया गया होगा, जिस तक उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र देना होगा और वह अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर से या धारा 119 के अधीन उसे देने के लिए अधिकृत किये गये किसी निगम के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से दी जायेगी।
2. सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य व्यवस्था की जाय, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से शुल्क लिया जा सकता है, जिसे निगम की स्वीकृति से मुख्य नगराधिकारी समय-समय पर निश्चित करे।
3. धारा 423 की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंह्यत की जा सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उसे गृहीता

(holder) के भ्रान्त कथन या कपट से प्राप्त किया है या वह व्यक्ति, जिसे वह दी गई है, उसके किसी निर्बन्धन या शर्तो का अतिलंघन (infringr) या अपवंचन (evade) करता है या यदि उक्त व्यक्ति किसी ऐसे मामले में, जिससे उक्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सम्बन्ध रखती हो, इस अधिनियम या किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध का अतिलंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया है।

4. यदि उक्त कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंह्यत की जाय या जब वह अवधि जिसके लिये वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई थी, समाप्त हो गई हो, तो वह व्यक्ति जिसे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, उस समय तक बिना अनुमति या लिखित अनुज्ञा के समझा जाएगा जब तक कि मुख्य नगराधिकारी यथास्थिति अपने द्वारा अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को निलम्बित या प्रतिसंह्यत करने के निमित्त दी गई आज्ञा को निरस्त न कर दे या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के नवीकरण न कर दिया जायः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक तक उसके नवीकरण के लिये कोई आवेदन-पत्र दे दिया गया हो, तो आज्ञा प्राप्त होने तक प्रार्थी को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार होगा, मानो कि उसका नवीकरण हो गया है।

5. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई हो, सभी समुचित समयों पर, जब तक कि उक्त लिखित अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रचलित हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिये जाने पर, उस अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा।

6. अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र मुख्य नगराधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा।

7. मुख्य नगराधिकारी द्वारा उसकी ओर से अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए शुल्क स्वीकार किया जाना ही शुल्क देने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का अधिकारी नहीं बना देगा।

452. अनुज्ञप्ति शुल्क, इत्यादि-

मुख्य नगराधिकारी किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, स्वीकृत हुई या अनुज्ञा के लिए जिसका उसके द्वारा दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अधिकृत अथवा अपेक्षित है, उपविधि द्वारा निश्चित शुल्क ले सकता है।

453. नियम बनाने का अधिकार-

1. इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

   उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की

व्यवस्था की जा सकती है-

(क) निगम के या निजी बाजारों के भीतर या बाहर बिक्री का विनियमन;

(ख) निजी बाजारों की सीमा निश्चित या निर्धारित करना;

(ग) निजी बाजारों के लिए पहुँच के उचित रास्ते, आस-पास में स्थान एवं संवीजन;

(घ) निजी बाजारों तथा वधशालाओं के लिए उचित खड़ंजे तथा जल-निस्सारण का प्रबंध;

(ड.) अनुज्ञप्त भू-मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियन्ताओं, ढाँचा-निर्माताओं, निर्माण लिपिकों तथा नल-मिस्त्रियों के पथ-प्रदश्रनार्थ क्रमश: आज्ञाएँ करना।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

6. उक्त शब्द के अर्थान्वयन हेतु कृपया "आक्सफोर्ड डिक्शनरी" में उल्लिखित विस्तृत व्याख्यान

का निम्नवत् अवलोकन करें-"measure of weight 112 lb or (metric hundred weight) 50 kg. (110.25 lb.).

7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

8. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर प्रतिस्थापित

9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 12 सन 1994 द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर रखा गया।

अध्याय 17

जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

454-जन्म तथा मृत्यु का पंजीकयन(registration)-

मुख्य नगराधिकारी जन्म तथा मृत्यु का एक रजिस्टर रखवायेगा, जिसमें नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु को विहित रीति से दर्ज किया जायगा।

455-नियम बनाने का अधिकार-

राज्य सरकार निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है:-

1. नगर में होने वाले जन्म मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया;
2. जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण;
3. जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना संग्रह करने के लिये निगम के पदाधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार;
4. नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु के सम्बन्ध में यथास्थिति नवजात अथवा मृत व्यक्ति के माता-पिता अथवा अन्य किसी सम्बन्धी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का, निगम के पदाधिकारियों और सेवकों को सूचना देना तथा जन्म और मृत्यु के

रजिस्टरों में गलतियां ठीक किया जाना;

5. बच्चे के नाम का अथवा नामों में परिवर्तन का पंजीयन(registration)

6. अन्य ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से आवश्यक हो।

अध्याय 18

प्रतिकर (Compensation)

456- प्रतिकर अदा करने का मुख्य नगराधिकारी का सामान्य अधिकार-

किसी ऐसे मामले में, जिसकी इस अधिनियम में अथवा इसके अन्तर्गत बने किसी नियम अथवा उपविधि में स्पष्टत: अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के पूवनिमोदन से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर(compensation) अदा कर सकता है, जिसे इस अधिनियम द्वारा अथवा उक्त किसी नियम या उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी निगम पदाधिकारी अथवा सेवक में निहित अधिकार का प्रयोग करने के कारण कोई क्षति हुई हो।

4**57- मुल्यापकर्षित (deteriorated) अचल संपत्ति के मूल्य के लिये स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिकर-**

1. किसी ऐसे मामले में, जिसमें धारा 231, 232, 249, 250 और 284 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उपयोग करने के कारण किसी अचल सम्पत्ति के मुल्य में अपकर्ष हो गया हो (deteriorated), निगम उस सम्पत्ति के स्वामी को उचित प्रतिकर दे सकती है;

2. यदि उस सम्पत्ति का, जिसके मूल्य में अपकर्ष हुआ हो, स्वामी प्रतिकर स्वीकार कर लेता है, तो यह समझा जायगा कि उसने निगम को उपर्युक्त किन्ही भी धाराओं के अधीन ऐसी रीति से अपने अधिकारों का प्रयोग जारी रखने का सतत अधिकार (perpetual right) दे दिया है कि उस अपदुषण अथवा उस क्षति की अपेक्षा, जो उस समय, जब प्रतिकर प्राप्त हुआ था, की जा रही थी या पहुंचायी जा रही थी, अधिक अपदुषण (nuisance) अथवा क्षति न की जायगी ओर न पहुंचाई जायगी।

458- सिद्धान्त, जिन पर और रीति जिनसे प्रतिकर निर्धारित किया जायगा-

1. धारा 457 की उपधारा (1) अधीन अदा किये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारण करते समय यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम यथासंभव लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट 1894, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ हे, की धारा 23 तथा 24 के उपबन्धों से तथा उन विषयों के सम्बन्ध में, जिन पर इन उपबन्धों के अधीन विचार नहीं किया जा सकता, ऐसे उपबन्धों से निर्देशित (guided) होगा; जो नियमों द्वारा विहित किये जायं।

2. यदि कोई व्यक्ति धारा 456 अथवा धारा 457 के अधीन दिये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी अथवा निगम के निर्णय से क्षुब्ध हो तो वह एक महीने की अवधि के भीतर अध्याय 20 के उपबन्धों के अनुसार न्यायधीश के समक्ष अपील कर सकता है।

459- नियम बनाने का अधिकार-

1. राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
2. पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है-

(क) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा,

(ख) मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण,

(ग) अस्थायी निर्धारणों (tentative assessments) के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण।

शास्तियाँ

460-कुछ अपराध, जिनमें जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है-

1. जो भी व्यक्ति-

   (क) अनुसूची 3 की सारणी के भाग 1 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उपधाराओं या खण्डों या उनके अन्तर्गत दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करें;या

   (ख) उक्त किन्ही धाराओं अपधाराओं या खण्डों के अधीन उसे विधित: दिये गये किसी आदेश का अनुपालन कर;

   तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्धी में उक्त भाग के दूसरे स्त्मभ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

2. जो भी व्यक्ति-

(क) अनुसूची 3 की सारणी के भाग २ के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं उपधाराओं या खण्डों या उनके अन्तर्गत किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं उपधाराओं या खण्डों के अधीन उसे विधित: दिये गये किसी आज्ञा का

अनुपालन करने के कारण सिद्धदोष हो जाने के पश्चात् भी बराबर उक्त उपबन्ध का उल्लंघन अथवा उक्त आदेश का अनुपालन करने में उपेक्षा करता रहे या उक्त उपबन्ध के उल्लंघन में किये गये किसी निर्माण-कार्य या वस्तु को न हटाये या ठीक न करे जैसी भी स्थिति हो, या किसी भू-गृहादि का रिक्त न करे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब तक वह उक्त अपराध करता रह दण्ड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है।

461- पीनल कोड के अधीन दण्डनीय अपराध-

1. जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारणी के पहले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं उपधाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गात दी गई किसी आज्ञा क किसी उपबन्ध का उल्लंघन करें और जो भी व्यक्ति उक्त किन्ही धाराओं या खंडों के अधीन उसे विधित दिये गये उसी आदेश का अनुपालन करें, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो इण्यिन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दण्डनीय है जो क्रमश: उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिष्ट की गई है जिसके अधीन उस व्यक्ति को दण्ड दिया जायेगा अर्थात्-

इस अधिनियम की धारायें जिनके अधीन अपराधी दण्डनीय	**इण्यिन पीनल कोड की वे**

है।	
[267(3)],400, खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) और (च)	277
411	188
556	177

2. जो भी व्यक्ति मुख्य नगराधिकारी द्वारा विधित: दिये गये किसी ऐसे आदेश नोटिस अथवा आज्ञा का अनुपालन नहीं करता जो किसी भवन के वार्षिक मूल्य की निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना देने अथवा निखित विवरणी के सम्बन्ध में हो या किसी निगम कर के लगाये जाने या निर्धारण के सम्बन्ध में हो, या जो भी व्यक्ति ऐसी सूचना देया ऐसी विवरणी तैयार करें, जिसके विषय में वह यह जानता हो कि वह असत्य, अशुद्ध या भ्रामक है, तो यह समझा जायेगा कि उसने इण्डियन पीनल कोड की यथास्थिति, धारा 176 या 177 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

462-

463- संविदा आदि के स्वत्व अर्जित करने वाले सदस्य या नगर प्रमुख को दण्ड-

1. निगम का कोई सदस्य या नगर प्रमुख, जो विहित प्राधिकारी का लिखित अनुज्ञा के अननुकूल

जानबूझकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वये या अपने साझीदार द्वारा निगम के साथ उसके द्वारा उसकी ओर किसी संविदे या नियोजन (contract or employment) में कोई अंश (share) या स्वत्व (intrest) अर्जित करे उसे बराबर बनाये रखे तो यह समझा जायेगा कि इण्यिन पीनल कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किया है या उसे बराबर बनाये रखा है, यदि वह केवल-

(क) भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे विक्रय अथवा क्रय में अथवा उसके लिये किसी अनुबन्ध में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो; परन्तु ऐसा अंश अथवा स्वत्व उसके सदस्य अथवा नगर प्रमुख बनने के पूर्व ही अर्जित किया गया हो; अथवा

(ख) किसी ऐसे संयुक्त सम्भार समवाय (joint stock company) में कोई अंश रखता हो जो निगम के साथ संविदा करेगा अथवा निगम द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगा, अथवा

(ग) किसी ऐसे समाचार-पत्र में अंश अथवा स्वत्व रखता हो जिसमें निगम के कार्यो से सम्बद्ध होना विज्ञापन दिया जाता हो; अथवा

(घ) कोई ऋण-पत्र (debenture) रखता हो अथवा नियम द्वारा अथवा उसकी ओर से उगाहे

गये (raised) ऋण में अन्यथा कोई स्वत्व रखता हो; अथवा

(ङ) निगम द्वारा विधिक व्यवसायी (legal practitioner) के रूप में बनाये रखा गया हो,(retained); अथवा

(च) किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो जिसक वह निगम के साथ नियमित रूप से किसी एक वर्ष में ऐसी धनराशि से अनषिक का व्यवसाय करता हो, जिसे निगम राज्य सरकार की स्वीकृति से एतदर्थ निरिचत करे; अथवा

(छ) जल संभरण आदि में कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध-(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम कर्मचारियों से भिन्न किसी रूप में स्वयं या अपने साझीदार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निगम के साथ उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा निगम के साथ उसके द्वारा उसके अधीन अथवा उसकी ओर से किसी नियोजन में कोई अंश या स्वत्व रखे, उक्त निगम का कर्मचारी बना रहने के लिए अनर्ह होगा।

2. ऐसा निगम कर्मचारी जो स्वयं अथवा अपने साझीदार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त किसी संविदे अथवा नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे अथवा बनाये रखे तो वह निगम कर्मचारी न रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

3. ऐसा निगम से वक (servant), जो किसी निगम, जिसका वह कर्मचारी है के साथ अधीन

अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा उस दशा को छोड़कर जब संविदे का सम्बन्ध किसी निगम कर्मचारी के रूप में उसे नियोजन से हो किसी नियोजन में जानबूझकर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या स्वत्व अर्जित करता है (accquires) अथवा बनाये रखता है, के सम्बन्ध में यह समझ जायगा कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा 198 के अधीन अपराध किया है।

4. इस धारा की कोई भी बात निगम के साथ, उसके अधीन उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये किसी ऐसे संविदे अथवा नियोजन में जो धारा 463 के प्रतिबन्ध के खण्ड (ख), (घ) तथा (छ) में निर्दिष्ट हो, किसी अंश तथा स्वत्व के सम्बन्ध में अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, क्रय या विक्रय में अर्जित किये अथवा बनाये रखे गये किसी अंश अथवा स्वत्व के, अथवा संदर्भ किये गये किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में लागू न होगी।

464-क-

धारा 112-ग और 112-घ का उल्लंघन करने के लिये दण्ड-जो भी व्यक्ति, धारा 112-ग या धारा 112-घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिये अनुतेजित करता है, तो सिद्ध-दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक को हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायेगा, जो पांच सौ रूपये तक को हो सकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जायेगे।

465-धारा 267 के प्रतिकूल किये गये अपराधो के लिये दण्ड-

1. जो भी व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, उसे दोष-सिद्ध होने पर एक मास तक का कारावास दण्ड अथवा 100 रूपये तक का अर्थ दण्ड अथवा दोनों ही दण्ड दिये जा सकते है।
2. जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सिद्ध-दोष होता है तो दोष-सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन को तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आशा दे सकता है, जिसके सम्बन्ध में उक्त दोष-सिद्ध (convietion) की गयी हो।
3. यदि उपधारा (2) के अधीन किसी आज्ञा का पालन न किया जाय अथवा उसके संपादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति का दोष सिद्ध होने पर एक महीने का कारावास दण्ड अथवा 100 रूपये तक का अर्थ-दण्ड अथवा दोनो ही दण्ड दिये जा सकते है।

466-

467- सामान्य शास्ति-

जो भी व्यक्ति इस अधिनियम क उपबन्धों के अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी नियम, उपविधि, विनियम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या नोटिस का उल्लंघन करे अथवा ऐसे किसी उपबन्ध के अधीन विधित:

दी गयी किसी आज्ञा का पालन करने में असफल रहे, तो यदि इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन अथवा असफलता के लिए किसी शस्ति की व्यवस्था न की गयी हो, उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये 100 रूपये का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष-सिद्ध के उपरान्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि उक्त उल्लंघन अथवा असफलता जारी रहे, 25 रूपये तक का अर्थ-दण्ड दिया जा सकता है।

468- स्वामियों के अभिकर्ताओं तथा न्यासियों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में शरित आयति-

कोई भी व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) की कंडिका (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी रूप में भू-गृहादि का किराया प्राप्त करता है, उक्त भू-गृहादि के स्वामी के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के न करने के लिए किसी शास्ति का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि चूक (default) इसी कारण हुई है कि उपेक्षित कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उसके पास स्वामी की देय पर्याप्त धनराशि न थी।

469- समवाय (companies) आदि द्वारा किए गए अपराध-

इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम क अधीन अपराध करने वाल व्यक्ति, यदि कोई समवाय, निगमित संस्था अथवा व्यक्तियों का संघ(चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) या फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री, अभिकर्ता या अन्य किसी पदाधिकारी अथवा उसके

प्रबन्ध से सम्बद्ध किसी व्यक्ति तथा फर्म के प्रत्येक हिस्सेदार जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी अथवा सहमति से किया गया है, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उक्त अपराध का दोषी है।

470- इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषी व्यक्तियों द्वारा की गई क्षति के लिए उनके द्वारा देय प्रतिकर-

1. यदि कोई कार्य करने या न करने (omission) के कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी नियम,विनियम या उपविधि के प्रतिकूल किसी अपराध सिद्ध-दोष हुआ हो और उस व्यक्ति के उक्त कार्य करने के कारण निगम की किसी सम्पत्ति की कोई क्षति पहुंची हो, तो उक्त उपराध के लिए उस व्यक्ति को दण्ड दिए जा चुकने पर भी उसे उस क्षति के लिए प्रतिकर देना होगा।

2. कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा देय प्रतिकर की धनराशि उस मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायगी, जिसके समक्ष उक्त अपराध के सम्बन्ध मे वह सिद्ध-दोष हुआ हो और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर की धनराशि अदा न किए जाने पर वह उक्त मैजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा इस प्रकार वसूल की जायगी मानो वह धनराशि मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया कोई जुर्माना हो जिस पर उसे अदा करने का दायित्व हो।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 23, 1961 की धारा 2 (6) द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 की धारा 64 द्वारा निकाल दी गयी।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 21, 1964 की धारा 23 द्वारा जोड़ा गया।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 23, 1961 की धारा 2 (7) द्वारा प्रतिस्थापित।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 12,सन् 1990 की धारा 12 द्वारा निकाली गयी।

न्यायाधीश (Judge), जिला जज और मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियाँ

471- न्यायालय (Judge) का अभिदेश (reference)-

निम्नलिखित मामलों के न्यायाधीश (Judge) का अभिदेश (reference) किया जायगा-

1. इस सम्बन्ध में कि धारा 249 के अधीन भवन अथवा कुटी के स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर मुख्य नगराधिकारी को दण्ड या पाइप हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है या नहीं;
2. धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने (setting forward) के लिए अपेक्षित भूमि के मूल्य को धनराशि के सम्बन्ध में;
3. धारा 522 के अधीन मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम के पदाधिकारी की आज्ञा के अधीन संपादित कोई निर्माण-कार्य अथवा किया गया कोई कार्य (measure) या की गई बातों (things) के लिए व्यय की धनराशि अथवा उसके भुगतान के सम्बन्ध में;
4. इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उप-विधि के अधीन होने वाले व्यय या प्रतिकार की धनराशि या उसके भुगतान और उसके सविभाजन के सम्बन्ध में (apportionment) जिनके लिये अन्यथा विशिष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

मुल्यांकनों और करों के विरूद्ध अपील

472- अपीलें कब और किसकी की जायेगी-

1. आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन निश्चित् (fixed) अथवा भारित (charged) किसी वार्षिक मूल्य या कर के विरूद्ध अपीले न्यायाधीश (Judge) द्वारा सुनी और निर्धारित की जायेगी।

   प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश के समक्ष किसी प्रक्रम पर लम्बित कोई ऐसी अपील सुनवाई और निस्तारण के लिए जिला जज द्वारा लघुवाद न्यायालय के किसी अपर न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश की, जिसकी नगर में अधिकारिता हो, अन्तरित की जा सकती है।

2. ऐसी कोई अपील उस समय तक न सुनी जायगी जब तक कि-

(क) वह शिकायत का कारण प्रोदभूत होने (accrual) के पश्चात् 15 दिन के भीतर न की गई हो;

(ख) वार्षिक मूल्य के विरूद्ध की गई किसी अपील की दशा में पहिले, आपत्ति न की गई हो और (धारा 209 के अधीन उसका) निपटारा न किया जा चुका हो;

(ग) किसी ऐसे करके विरूद्ध अपील की दशा में, जिसके सम्बन्ध में माँग के विरूद्ध मुख्यनगराधिकारी

को आपत्ति किये जाने के लिये इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था हो, ऐसी आपत्ति पहले न की गई हो और उसका निपटारा न किया जा चुका हो;

(घ) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की विर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो

(ङ) किसी कर के विरूद्ध के अपील की दशा में अथवा वार्षिक मुल्यांकन के विरूद्ध अपील की दशा में, जब ऐसे मुल्यांकन पर निर्धारित कोई सम्पत्ति कर का बिल अपीलकर्ता को प्रस्तुत किया जा चुका हो, अपीलकर्त्ता से अभियाचित धनराशि उसके द्वारा मुल्य नगराधिकारी के पास जमा न कर दी गई हो।

473- शिकायत का कारण कब प्रोदभूत समझा जायगा-

धारा 472 के प्रयोजनों के लिये शिकायत का कारण निम्नलिखित प्रकार से प्रोदभूत हुआ समझा जायगा, अर्थात्-

(क) धारा 209 के अधीन ऐसे मुल्यांकन के विरूद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे मुल्यांकन के विरूद्ध मुख्य नगराधिकारी को की गई आपत्ति का निपटारा किया जाय;

(ख) धारा 472 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कर के विरूद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे कर के विरूद्ध की गयी आपत्ति का सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाय;

(ग) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय;

(घ) किसी ऐसे कर के विरूद्ध अपील की दशा में जो उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आता हो, उस दिन जब उसका भुगतान मांगा जाय अथवा तदर्थ बिल (bill) तामिल किया जाय।

474- मध्यस्थ निर्णय (arbitration)-

जब इस अधिनियम के अधीन निश्चित या भारित किस वार्षिक मुल्यांकन या कर के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन ही तथा उसमें स्वत्व रखने वाले सभी पक्ष इस बात से सहमत हों कि उनके बीच मतभेद का कोई भी विषय मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जाय तो वे ऐसी अपील में निर्णय होने से पूर्व किसी भी समय न्यायाधीश (Judge) को ऐसे विषय में अभिदेश (reference) का आज्ञा के निर्मित लिखित प्रार्थना-पत्र दे सकते है और ऐसा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर वादों में मध्यस्थ निर्णयन सम्बन्धी आविट्रेशन ऐक्ट, 1940 के उपबन्ध जहां तक कि वे लागू किये जा सकते हों, उस प्रार्थना-पत्र ओर उस पर आगे होने वाली कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होगे मानो उक्त

न्यायाधीश(Judge) उस अधिनियम उस अधिनियम के अर्थ में कोई कोर्ट (न्यायालय) हो और वह प्रार्थना-पत्र किसी वाद में प्रस्तुत किया गया कोई प्रार्थना-पत्र हो।

475- कुशल मूल्यांकन करने वाले की नियुक्ति-

1. यदि वार्षिक मूल्यांकन के विरूद्ध की गई किसी अपील का कोई पक्ष (party) अपील की सुनवाई से पूर्व अपील को सुनवाई के दौरान में किसी भी समय, किन्तु मुल्यांकन से सम्बद्ध साक्ष्य प्रस्तुत होने से पूर्व, न्यायाधीश (Judge) की प्रार्थना-पत्र देता है कि उस भू-गृहादि के निमित्त जिसके बारे में अपील की गई हो, मुल्यांकन के लिये आदेश (direction) दिया जाय तो न्यायाधीश (Judge) स्वविवेक से किसी भी सक्षम व्यक्ति को मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस भू-गृहादि में प्रवेश करने उसको परिमाप करने (survey) तथा उसका मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके सम्बन्ध में आदेश दिया गया हो:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा को छोड़कर जब ऐसा प्रार्थना-पत्र मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाय, न्यायाधीश (Judge) तब तक ऐसा आदेश नहीं देगा जब तक प्रार्थी मुख्य नगराधिकारी को ऐसी प्रतिभूति न दे दे, जिसे न्यायाधीश (Judge) इस उपधारा के अधीन

मूल्यांकन की लागत (costs) के भुगतान के लिये उचित समझे।

2. उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन के लिये किया गया व्यय अपील का व्यय (costs) होगा, किन्तु वह पहले पहल (in the first instance) प्रार्थी द्वारा देय होगा।

3. न्यायाधीश (Judge) को अधिकार होगा, और अपील के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके लिये आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाये तथा जब वह इस प्रकार बुलाया जाय तो अपील के किसी भी पक्ष को उसमें जिरह करने का अधिकार होगा।

476- जिला जज की अपीलें-

जिला जज को निम्नलिखित मामलों में अपील हो सकेगी-

(क) धारा 472 के अधीन किसी अपील में न्यायाधीश (Judge) के उस निर्णय के विरूद्ध, जिसके द्वारा वार्षिक मूल्यांकन बारह हजार रूपये से अधिक निश्चित किया जाय; और

(ख) उक्त धारा के अधीन विधि सम्बन्धी अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा (usage) सम्बन्धी अथवा किसी लेख्य के अन्वय (construction of a document) सम्बन्धी किसी अपील में न्यायाधीश (Judge) के किसी अन्य निर्णय के विरूद्ध:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी अपील जिला जज द्वारा तब तक न सुनी जायगी, जब तक कि वह उक्त न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निर्दिष्ट (file) न की जाय।

477- अपील में कार्यवाहियों का व्यय-

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष धारा 472 के अधीन अपील की कार्यवाहियों का, जिसके अन्तर्गत धारा 474 के अधीन मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियों तथा धारा 475 के अधीन मूल्यांकन की कार्यवाहियां भी हैं, व्यय उन पक्षों ,द्वारा ऐसे अनुपात में देय होगा जिसे न्यायाधीश (Judge) आदिष्ट (direct) करें और वह धनराशि, यदि आवश्यक हो, इस प्रकार बसूल की जा सकेगी मानो वह प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस ऐक्ट 1887 के अधीन किसी स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अधीन देय हो।

478- ऐसे मुल्यांकन और कर, जिनके विरूद्ध अपील न की गई हो, तथा अपील में किये विर्णय अन्तिम होंगे-

1. इस अधिनियम के अधीन निश्चित प्रत्येक ऐसा वार्षिक मूल्यांकन जिसके विरूद्ध पहले की गई व्यवस्था के अनुसार कोई शिकायत न की गयी हो तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के निमित्त किसी व्यक्ति से अभियाचित (claimed) प्रत्येक धनराशि, यदि पहले दी हुई व्यवस्था के अनुसार उसके विरूद्ध कोई अपील न की गई हो, तथा ऐसे किसी मूल्यांकन अथवा

कर के विरूद्ध की गई अपील में उपर्युक्त न्यायाधीश (Judge) का निर्णय, यदि धारा 476 के अधीन ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील न की जाय, और यदि ऐसी अपील की जाय तो ऐसी अपील पर जिला जज का निर्णय, अंतिम होगा।

2. किसी ऐसे मूल्यांकन अथवा करके विरूद्ध अपील होने पर, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उक्त न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज का निर्णय कार्यान्वित किया जायेगा।

न्यायाधीश (Judge) तथा जिला जज के समक्ष अपीले

479- न्यायाधीश के समक्ष अपील -

1. न्यायाधीश (Judge) के समक्ष की जाने वाली ऐसी किसी अन्य अपील के अतिरिक्त, जिसकी इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित मामलों में मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के विरूद्ध न्यायाधीश(Judge) के समक्ष अपील की जा सकेगी, अर्थात-
    i. धारा 249 के अधीन दण्ड या पाइप को न हटाने की आज्ञा;
    ii. धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने की आज्ञा;
    iii. धारा 308 के अधीन किसी स्थान के खतरनाक पाये जाने पर उसके स्वामी या अध्यासी को उसकी मरम्मत करने, उसे सुरक्षित करने अथवा घेरने के लिये दी गई

आज्ञा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अपील तब तक न की जा सकेगी, जब तक कि वह मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट न की जाय।

480- भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील-

1. धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध धारा 395 के अधीन अपील की जाने पर न्यायाधीश (Judge) उस आज्ञा को पुष्ट करने अथवा निरस्त करने की ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और यदि वह उचित समझे तो अपील करने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई वचन (under asking) स्वीकार कर सकता है, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने स्वीकार किया होता तथा न्यायाधीश (Judge) द्वारा इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई वचन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो वह धारा 393 के अधीन मुख्य नगराधिकारी को दिया गया हो और उसके द्वारा स्वीकृत किया गया हो:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश (Judge) अपील करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर धारा 393 की उपधारा (1) में वर्णित नोटिस तामील किया गया हो, कोई निर्माण-कार्य सम्पादित करने का वचन तब तक स्वीकार नहीं करेगा, तब तक कि अपील करने वाले व्यक्ति

ने उपधारा (2) के आदेशों का अनुपालन न किया हो।

2. इस धारा के अधीन किसी के सम्बन्ध में न्यायाधीश (Judge) द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध ऐसे निर्णय के एक महीने के भीतर जिला जज को अपील हो सकेगी, यदि मुख्य नगराधिकारी की निर्धारण पंजी में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दर्ज उस भू-गृहादि का वार्षिक मूल्यांकन जिनसे गिराये जाने की आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, पूर्णत: अथवा अंशत: सम्बद्ध हो, 2,000 रू० से अधिक दर्ज की गई हो।

3. इस धारा के अधीन न्यायाधीश (Judge) द्वारा किया गया निर्णय, यदि उपधारा (2) के अधीन उसके विरूद्ध अपील न हो सकती हो अथवा यदि अपील न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय तो जिला जज द्वारा अपील में किया गया निर्णय अन्तिम होगा।

4. ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन अपील की जा सकती हो- यदि ऐसी अपील न की जाय- तो धारा 395 में उल्लिखित 21 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो जायेगी तथा उन विषयों के सम्बन्ध में जो उक्त अपील में उठाये जा सकते थे, अन्तिम और निश्चायक होगी और ऐसी कोई आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की जाय- यदि और जहां तक न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज उसे पुष्ट करे- अपील के अन्तिम निर्णय के दिनांक से प्रभावी हो जायेगी।

5. इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी अपील की वापसी (withdrawal) उसका अन्तिम निर्णय समझा जाएगा तथा उसका वैसा ही प्रभाव होगा, जैसा उस आज्ञा को पुष्ट करने वाले निर्णय का हो, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो तथा उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए, कोई भी अपील अन्तिम रूप से उस दिन निर्णीत समझी जाएगी जिस दिन जिला जज निर्णय दे, अथवा जिला जज को अपील न की जाने की दशा में उस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात जिसके भीतर अपील की जा सकती थी अथवा उस दशा में जबकि जिला जज को अपील न हो सके, तो उस दिनांक को, जिस पर न्यायाधीश निर्णय दे, अन्तिम रूप से निर्णीत समझी जाएगी।

481- सम्पादित कार्यो के व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध अपील-

1. किसी निर्माण-कार्य के सम्पादन के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में, जबकि उस दावे की धनराशि, जिसमें निर्णय दिया गया हो, 2,000 रू० से अधिक हो, न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध जिला जज को अपील हो सकेगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला जज द्वारा ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जाएगी जब तक कि वह न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निर्दिष्ट न की जाय।

2. सम्पादित किए गए किसी निर्माण-कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधीश (Judge) का निर्णय, यदि इस धारा के अधीन अपील निर्दिष्ट न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय, तो ऐसी अपील में जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा।
3. जब सम्पादित किए गये किसी निर्माण-कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के सम्बन्ध में किसी निर्णय के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अपील निर्विष्ट की जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उक्त धारा के अधीन देय निर्धारित की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही तब तक के लिए स्थगित कर देगा, जब तक कि जिला जज का निर्णय न हो जाय तथा निर्णय के पश्चात् उसी धनराशि की, यदि कोई वसूली करेगा, जो एतद्द्वारा देय निर्धारित की जाय।

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कार्यवाहियाँ

482- भवन या भूमि के स्वामी का ऐसे अध्यासी के विरूद्ध उपशमाधिकार, जो ऐसे स्वामी को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुपालन से रोके-

1. यदि किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी उसके अध्यासी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के किन्हीं उपबन्धों के अथवा ऐसे भवन या भूमि के सम्बन्ध

में इस अधिनियम या किसी ऐसे नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दिए गये किसी आदेश के अनुपालन से रोका जाय, तो स्वामी न्यायाधीश (Judge) को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

2. न्यायाधीश (Judge) ऐसे किसी प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर लिखित आज्ञा द्वारा अथवा भूमि के अध्यासी को आदेश दे सकता है कि वह उक्त उपबन्ध अथवा आदेश के अनुपालनार्थ स्वामी को सभी उचित सुविधायें दे अथवा यदि उक्त उपबन्ध या आदेश धारा 331 के अन्तर्गत की जाने वाली किसी ऐसी कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है, जिसमें उक्त अध्यासी की सुरक्षा और सुविधा अन्तर्ग्रस्त हो तो भू-गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे तथा यदि वह उचित समझे तो यह भी आदेश दे सकता है कि उक्त प्रार्थना-पत्र एवं आज्ञा का व्यय अध्यासी द्वारा वहन किया जाय।

3. उक्त आज्ञा के दिनांक से आठ दिन के पश्चात् उक्त अध्यासी इसके लिए बाध्य होगा कि वह उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त उक्त आज्ञा में विहित रीति के अनुसार स्वामी को समस्त यथोचित सुविधायें प्रदान करे या उक्त भू-गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे तथा यदि वह लगातार ऐसा करने से इन्कार करे तो उस समय तक जब तक वह इस प्रकार इन्कार करता रहे स्वामी किसी ऐसे दायित्व से मुक्त रहेगा, जो उक्त व्यवस्था या आदेश के अनुपालन न करने के कारण

उस पर अन्यथा होता।

4. इस धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी के किसी भू-गृहादि को खाली कराने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी।

483- साक्षियों को बुलाने और लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करे का अधिकार-

इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध किसी वाद की सुनवाई करते समय न्यायाधीश की वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 ई० के अधीन न्यायालय में निहित है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी पक्ष को लेख्य (documents) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; तथा

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए आयोग (Commissions) जारी करना और इस अध्याय के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कोई भी कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अर्थो में तथा 196 के प्रयोजनों के निमित्त "जूडोशियल प्रोसीडिंग" समझी जायगी।

484- न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों का शुल्क-

1. राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क, यदि कोई हो, विहित कर सकती है-

   (क) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना-पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर; तथा

   (ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) की किसी जांच अथवा कार्यवाही में कोई अह्वान (Summons) अथवा अन्य आदेशिका (process) जारी होने से पूर्व:

   किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, उन दशाओं में जबकि दावे अथवा वाद-विषय (subject-matter) का मूल्य रूपयों में आंका जा सकता हो, कोर्ट फोर्स ऐक्ट, 1870 के उपबन्धों के अधीन ऐसे मामलों में तत्समय लगाए गए, (levied) शुल्क से अधिक न होगा, जिसमें दावे अथवा बाद-विषय का मूल्य समान धनराशि का हो।

2. राज्य सरकार समय-समय पर उक्त प्रकार का विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विहित शुल्क किसी व्यक्ति द्वारा देय होगा।

3. न्यायाधीश (Judge) द्वारा कोई भी प्रार्थना-पत्र अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायगा, जब तक कि तदर्थ उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो,

न दे दिया गया हो।

485- निर्धन व्यक्तियों को शुल्क से मुक्ति-

न्यायाधीश (Judge), जब भी वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी प्रार्थना-पत्र, अपील अथवा अभिदेश को ले सकता है और धारा 484 के अधीन विहित शुल्क को अदायगी के बिना अथवा उसको आंशिक अदायगी पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आदेशिका जारी कर सकता है।

486- सुनवाई के पूर्व समझौता हो जाने पर आधे शुल्क की वापसी-

जब कभी इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) को दिया गया कोई प्रार्थना-पत्र, अपील अथवा अभिदेश सुनवाई से पूर्व पक्षों में अनुबन्ध (agreement) द्वारा तय हो जाय तो उस समय तक अदा किए गए समस्त शुल्कों की आधी धनराशि न्यायाधीश (Judge), द्वारा क्रमश: उन्हीं पक्षों को वापस कर दी जायगी, जिन्होंने उसे अदा किया हो।

मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

487- प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति-

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के विरूद्ध किए गए अपराधों पर विचारार्थ निगम की सहमति से

एक या एकाधिक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन कर सकती है अथवा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है, या ऐसे मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के निमित्त ऐसे प्रशासी पदाधिकारी(ministerial officers) नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि इस धारा के अधीन प्रथम श्रेणी के एक या एकाधिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होते हुए भी जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्य-विवरण का विनियम करने वाले कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 ई० की धारा 17 के अधीन तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन रहते हुए इस बात के लिए स्वाध न होगा कि वह ऐसे अपराधों की सुनवाई के कार्य का तथा मैजिस्ट्रेटों के जिनके अन्तर्गत इस धारा के अधीन नियुक्त मैजिस्ट्रेट भी है, न्यायालयों के अन्य समस्त कार्यो का ऐसा वितरण करे जो कार्य कुशलता के हित में उसे सर्वश्रेष्ट प्रतीत हों।

2. ऐसा मैजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मैजिस्ट्रेट तथा उनके स्थापनों (establishments) को ऐसे वेतन, निवृत्ति-वेतन (pension), अवकाश भत्ते (leave allowance) तथा अन्य दिये जायेगे, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार निश्चित करे।

3. उपधारा (2) के अधीन निश्चित किए गए वेतन तथा भतों की धनराशि की भरपाई, अन्य

समस्त प्रासंगिक परिव्ययों(charges) सहित, निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायगी और निगम राज्य सरकार को ऐसे मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटों के तथा उनके स्थापन के निवृत्ति-वेतनों, अवकाश भत्तों तथा अन्य भत्तों के लिए भी ऐसा अंशदान देगा, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर निश्चित करे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निगम की सहमति से यह आदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन देय धनराशियों के बदले निगम प्रतिवर्ष ऐसे दिनांक पर,जिसे राज्य सरकार एतदर्थ निश्चित करे, राज्य सरकार को ऐसी नियत (fixed) धनराशि अदा करेगी, जो राज्य सरकार एतदर्थ निर्धारित करे।

मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश

488- मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश-

नगर की सीमा के भीतर अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को किसी भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को नियमों के अधीन सार्वजनिक अस्पताल में निरूद्ध किये जाने (detention) के सम्बन्ध में, अभिदेश किया जायेगा।

489- ऐसे पशुओं तथा शीघ्र खराब न होने वाली वस्तुओं का निस्तारण, जिनका धारा 435 के

अधीन अभिग्रहण किया जाय-

1. धारा 435 के अधीन अभिगृहीत कोई पशु तथा शीघ्र खराब न होने वाली कोई वस्तु अथवा कोई वर्तन या पात्र प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायेगा।
2. यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट की यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई पशु अथवा वस्तु यथास्थिति, रोग-ग्रस्त, विकृत अथवा मानव उपभोग (consumption) के लिए अस्वास्थ्य- कर अथवा अनुपयुक्त है, अथवा वह उस प्रकार की नहीं है जैसी कि वह बताई गई थी, अथवा ऐसा वर्तन या पात्र इस प्रकार का हे, अथवा ऐसी दशा में हें, जिससे उसमें तैयार किया गया, निर्मित अथवा रखा गया पदार्थ मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त हो जायगा तो उसे अधिकार होगा कि- और यदि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसके लिए अवश्य होगा कि- वह उसे उस व्यक्ति के व्यय पर, जिसके कब्जे में वह अभिग्रहण के समय रहा हो, ऐसी रीति से नष्ट कर दे, जिससे कि वह फिर प्रदर्शित या फेरो लगाकर बेची न जा सके या मानव उपभोग के लिए अथवा उपर्युक्त किसी वस्तु के तैयार या निर्मित करने या उसमें रखने के लिये प्रयुक्त न हो सके।

490- ऐसा भोजन रखने के सम्बन्ध में दण्ड, जो रोगग्रस्त, विकृत अथवा अस्वास्थ्यकर अथवा मानव भोजन के लिये अनुपयुक्त प्राप्त हो-

ऐसे प्रत्येक दशा में जब धारा 489 के अधीन भोजन सामग्री के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने पर, मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि वह रोगग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसका स्वामी अथवा वह व्यक्ति जिसके कब्जे में वह पाया गया हो, किन्तु जो उसका केवल उपनिहिती अथवा वाहक (bailee or carrier) न हो, सिद्ध-दोष होने पर, यदि ऐसी दशा में इंडियन पीनल कोड की धारा 273 के उपबन्ध न लागू होते हों, जुमाने से दंडित किया जायगा, जो 500 रू० तक हो सकता है।

491- उचित समय के भीतर न दिये जाने पर आह्वान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जायगा-

धारा 490 के अधीन सभी अभियोजनों में मैजिस्ट्रेट उक्त धारा के विरूद्ध अपराध करने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति का उपस्थिति के लिये आह्वान जारी करने से इन्कार कर देगा जब तक कि उस अपराध का, जिसका कि उक्त व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है, उस कथित (alleged) दिनांक से उचित समय के भीतर आह्वान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र न दिया जाय।

मैजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ

492- हस्तक्षेप योग्य अपराध-

1. धारा 112-ग, धारा 112-घ या धारा 417 का उल्लंघन करने के अपराध हस्तक्षेप योग्य

(cognizable) होगा।

2. कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये समस्त अपराध, चाहे वे नगर के भीतर किये गये हों अथवा नगर के बाहर अभिक्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्तक्षेप योग्य होंगे, तथा कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट केवल इसी कारण से किसी ऐसे अपराध अथवा एतदद्वारा निरस्त किसी विधायन के विरूद्ध किये गये अपराध में हस्तक्षेप करने के निमित्त अक्षम न होगा कि वह किसी निगम कर का देनदार है अथवा उसे निगम निधि से लाभ पहुंचता है।
3. उक्त कोड की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के विषय में परिवादी (complainant) की परीक्षा करना आवश्यक न होगा यदि परिवाद (complaint) लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाय।

493- कालावधि, जिसके भीतर इस अधिनियम के दण्डनीय अपराधों के परिवाद लिये जायेंगे, का परिसीमन-

कोई भी मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दण्डनीय

किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप न करेगा जब तक कि उसके समक्ष ऐसे अपराध के सम्बन्ध में परिवाद निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया जाय-

(क) ऐसा अपराध करने के दिनांक के पश्चात् 6 महीनों के भीतर; अथवा

(ख) यदि ऐसा दिनांक ज्ञात न हो या अपराध लगातार किया जाता हो तो उस अपराध के किये जाने अथवा उसकी जानकारी होने के 6 महीने के भीतर।

494- मैजिस्ट्रेट का अभियुक्त क अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करने का अधिकार-

यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के आरोप का प्रस्तुत्तर देने के लिये किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष आहूत कोई व्यक्ति, आह्वान की तामील मैजिस्ट्रेट के सन्तोषानुसार सिद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं प्रदर्शित किया जाता तो मैजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई कर सकता है ओर उसमें निर्णय दे सकता है।

495- सरकार के लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन-

उत्तर प्रदेश सरकार के लोक विश्लेषक (Public Analyst) के विश्लेषण के लिये यथोचित रूप से (duty) प्रेषित किसी भी पदार्थ के सम्बन्ध में, उसके हस्ताक्षर सहित किसी लेख्य (document) को, जो

प्रतिवेदन के रूप में अभिप्रेत हो, उसमें उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अभियोजन (prosecution) में बिना किसी प्रमाण के प्रयुक्त किया जा सकता है।

496- अपदुषणों सम्बन्धी परिवाद-

1. नगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसमें अधिकार क्षेत्रयुक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से, नगर में किसी अपदूषण के विद्यमान होने के सम्बन्ध में अथवा इस सम्बन्ध में शिकायत कर सकता है कि धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 या 385 द्वारा प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग करने में न्यूनतम व्यावहारिक अपदूषण से अधिक अपदूषण उत्पन्न हुआ है।
2. किसी ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, मुख्य नगराधिकारी की निम्नलिखित आदेश दे सकता है यदि वह ऐसा करना उपयुक्त समझे-

   (क) इस अधिनियम या किसी नियम, या उपविधि के किन्हीं उपबन्धों को प्रवर्तित करे या ऐसे उपाय करे जो उस मैजिस्ट्रेट को उस अपदूषण को रोकने, हटाने, कम करने या दूर करने के निमित्त व्यावहारिक और उचित जान पड़े;

   (ख) परिवादी (complainant) को उक्त शिकायत तथा आज्ञा के या से सम्बद्ध ऐसे उचित व्यय (costs) अदा करे, जिसे उक्त मैजिस्ट्रेट निर्धारित करे, जिन व्ययों में उक्त शिकायत के

सम्बन्ध में परिवादी के समय का जो अपव्यय हुआ है उसका प्रतिकार भी सम्मिलित है।

3. धारा 497 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

4. इस अधिनियम में वर्णित कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी जिसे अथवा जिसकी सम्पत्ति की धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 अथवा 385 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किए गए किसी कार्य के कारण हानि पहुंची हो।

497- धारा 496 के अधीन पारित आज्ञा के विरूद्ध सत्र न्यायालय में अपील-

1. धारा 496 के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आज्ञा के विरूद्ध उस आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर सत्र (Sessions Court) में अपील हो सकेगी।

2. सत्र न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपील निस्तारित करते समय, यह आदेश दे सकता हे कि अपील का व्यय किसके द्वारा और किस अनुपात में, यदि कोई हो, अदा किया जाएगा और इस प्रकार अदा किए जाने के लिए आदिष्ट व्यय, नगर में अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर सत्र-न्यायालय के आदेशानुसार उसके द्वारा उसी प्रकार

वसूल किया जा सकेगा मानों वह उसके द्वारा किया गया कोई जुर्माना हो।

3. यदि इस धारा के अधीन सत्र न्यायालय में अपील निविष्ट की जाय तो मुख्य नगराधिकारी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पर तब तक के लिए कार्यवाही स्थागित कर देगा जब तक वह अपील निस्तारित न हो जाय और तदुपरान्त सत्र- न्यायालय द्वारा उस अपील में पारित आज्ञा को अथवा यदि सत्र-न्यायालय मैजिस्ट्रेट की आज्ञा की बहाल रखे तो मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को तुरन्त कार्यान्वित करेगा।

4. राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के पश्चात् समय-समय पर उपधारा (1) के अधीन अपीलों के प्रवेश तथा उन पर न्यायिक विचार करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

अपराधियों की गिरफ्तारी (Arrest)

498- इस अधिनियम के विरूद्ध आचरण करने वाले अपराधी कुछ दशाओं में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जा सकते है-

1. कोई पुलिस पदाधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसके विचार से इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध किया हो, गिरफ्तार कर सकता है, यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, तथा यदि वह व्यक्ति पूछने पर

अपना नाम और पता न बताए, अथवा ऐसा नाम और पता बताए जिसे ऐसा पदाधिकारी सकारण मिथ्या समझता है।

2. इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति, उसका ठीक नाम व पता ज्ञात हो जाने के पश्चात् या मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना, गिरफ्तारी से 24 घण्टे से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, अभिरक्षा (custody) में न रखा जायगा, जो उसे उक्त अपराध में हस्तक्षेप करने के लिए (to take cognizance) सक्षम (competent) मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिए आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

499- कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना-

1. इस अध्याय में स्पष्ट रूप् से की गई व्यवस्था को छोड़कर मूल डिक्रियों पर की गई अपीलों से सम्बद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित; जिला जज को की जाने वाली अपीलों पर लागू होंगे।

2. अन्य समस्त विषय, जिनके लिए इस अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे नियमों द्वारा निर्धारित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर हाई कोर्ट से परामर्श करने

के पश्चात् बनावे।

500- कालावधि-

1. इस अध्याय में निर्दिष्ट अपील अथवा प्रार्थना-पत्र के लिए विहित कालावधि का संगणना करते समय इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 ई० की धारा 5,12 तथा 14 के उपबन्ध यथाशक्य लागू होंगे।
2. यदि किसी अपील, प्रार्थना-पत्र अथवा अभिदेश को प्रस्तुत करने के निमित्त इस अधिनियम में कोई समय विहित न हो तो ऐसी अपील, प्रार्थना-पत्र अथवा अभिदेश उसे आज्ञा के, जिसके सम्बन्ध में अथवा जिसके विरूद्ध उक्त अपील, प्रार्थना-पत्र अथवा अभिदेश प्रस्तुत किया गया हो, दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायगा।

501- न्यायाधीश (Judge) और जिला जज की आज्ञा का सम्पादन-

1. न्यायाधीश (Judge) की सभा आज्ञाये उसी रीति से सम्पादित की जायेगी मानों वे प्राविन्शियल स्माल काजज कोर्ट ऐक्ट, 1887 ई० के अधीन स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्रिया हों।
2. जिला जज की सभी आज्ञाये उसी प्रकार सम्पादित होंगी मानों वे उसी के न्यायालय की

डिक्रिया हों।

502- मैजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त जांचों ओर कार्यवाहियों में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होगा-

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ई० के उपबन्ध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन मैजिस्ट्रेट के समक्ष सभी जांचों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

अध्याय - 21

करों तथा अन्य निगम देयों(dues) की वसूली

503- निगम करों की वसूली की रीति-

कोई भी निगम कर नियमों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित ढ़ंगो से वसूल किया जा सकता है

1. बिल प्रस्तुत करके;
2. मांग की लिखित नोटिस तामील करके;
3. बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण (distraint) तथा बिक्री से;
4. बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) तथा बिक्री से;
5. सम्पत्ति कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क करके;
6. वाद द्वारा।

504- बिल प्रस्तुत करना

1. जैसे कोई व्यक्ति तात्कालिक (immediate) मांग पर देय किसी कर के रूप में किसी धनराशि

के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाय, मुख्य नगराधिकारी यथा शीघ्र ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवायेगा।

2. जब तक नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क (licence fee) के भुगतान के लिए उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क देय हो।

505- बिल में समाविष्ट होने वाले विषय उक्त प्रत्येक बिल में निम्नलिखित का उल्लेख होगा-

(क) अवधि जिसके निमित्त तथा सम्पत्ति, पेशा (occupation) हैसियत (circumstances) या कोई बात जिसके सम्बन्ध में किसी धनराशि का मांग की गयी हो, तथा

(ख) भुगतान न करने की दशा में लागू किये जाने वाले (enforceable) दायित्व या शासित (penalty) तथा

(ग) समय, यदि कोई हो, जिसके भीतर धारा 472 में उपबन्धित अपील की जा सकती हो।

506- मांग की नोटिस -

यदि कोई धनराशि, जिसके निमित्त उपर्युक्त बिल प्रस्तुत किया जाय, निगम के कार्यालय में या उस व्यक्ति

को, जो किसी विनियम द्वारा ऐसा भुगतान लेने के लिये अधिकृत किया गया हो, बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर न दे दी जाय, तो मुख्य नगराधिकारी उत्तरदायी व्यक्ति पर नियम द्वारा विहित प्रपत्र (form) में उक्त धनराशि के भुगतान के मांग का नोटिस तामील करा सकता है।

507- वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति-

1. यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस के तामील होने के 15 दिन के भीतर-

   (क) नोटिस में मांगी गई धनराशि का भुगतान न करे, या

   (ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी को, जिसे निगम विनियम द्वारा एतदर्थ नियुक्त करे, उसके संतोषानुसार उक्त धनराशि के भुगतान न किये जाने के कारण न बताये,

   तो ऐसा धनराशि वसूली सम्बन्धी समस्त व्ययों (coste) सहित नियमों में विहित प्रपत्र में निगम द्वारा जारी कराये गए वारन्ट द्वारा अथवा बाकीदार की चल सम्पत्ति की तत्समान प्रभावी अभिहरण (distress) या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है।

2. इस धारा के अधीन जारी किये गये उक्त प्रत्येक वारन्ट पर मुख्य नगराधिकारी के या उपधारा (1)

के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

508- वारन्ट की कार्यान्वित के लिये बलपूर्वक प्रवेश- उस निगम पदाधिकारी के लिये, जिसे धारा 507 के अधीन जारी किया गया वारन्ट सम्बोधित किया जाय, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निम्नलिखित परिस्थितियों में, और अन्यथा नहीं वारन्ट में आदिष्ट अभिहरण को कार्यान्वित करने के लिये भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करे-

(क) यदि वारन्ट में ऐसा कोई विशेष आज्ञा हो जिसमें उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो;

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि भवन में ऐसा सम्पत्ति है, जिसे वारन्ट के अधीन अधिगृहीत किया जा सकता है; तथा

(ग) यदि, अपना प्राधिकार (Authority) और प्रयोजन बताने और यथावत प्रवेश मांगने के पश्चात उसे अन्यथा प्रवेश न मिल सकता हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पदाधिकारी महिलाओं के किसी कक्ष में तब तक न प्रवेश करेगा

अथवा उसके दरवाजे को तब तक न तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी भी महिला को, जो वहां हो, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया होः

509- वारन्ट किर्यान्वित करने की रीति-

1. वारन्ट कार्यान्वित करने की रीति उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त पदाधिकारी के लिये उस व्यक्ति को, जिसका नाम बाकीदार के रूप में दर्ज किया गया हो, चल सम्पत्ति को, जहां कहीं भी वह हो, अभिहरण (distress) करना वैध होगा।
2. निम्नलिखित सम्पत्ति अभिहृत न की जायगी

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवाश्यक वस्त्र तथा विस्तरे,

(ख) कारीगरों (artisans) के औजार,

(ग) लेखा-पुस्तकें (books of account),

(घ) यदि बाकीदार खेतिहर (agriculturist) हो तो खेती के औजार, बीज और ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवाश्यक हो।

3. अभिहरण (distress) अतिशय (excessive) न होगा, अर्थात अभिहृत सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी, जिसे वारन्ट के अधीन वसूल किया जाना है और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की राय में, जिससे धारा 507 की उपधारा (2) के अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो, कोई ऐसा वस्तुयें अभिहृत हो गयी हों, जो अभिहृत न होनी चाहिये थी, तो वो तुरन्त वापस कर दी जायगी।

4. उक्त पदाधिकारी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के पश्चात तुरन्त उसकी सूची (invantory) बनायेगा तथा उसे हटाने से पहले उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय रही हो, नियम द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का एक लिखित नोटिस देगा कि वह सम्पत्ति नोटिस में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बेच दी जायगी।

510-वारन्ट के अधीन सामानों की बिक्री और उससे प्राप्त धन का उपयोग

1. यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति जल्द और स्वाभाविक रूप से खराब हो जाने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा (coustody) में रखने का व्यय मय उस धनराशि के, जिसे वसूल किया जाना है, सम्पत्ति के मूल्य से बढ़ जाने की आशंका हो, तो मुख्य नगराधिकारी या अन्य ऐसा पदाधिकारी, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हो, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी थी, इस आशय का तुरन्त एक नोटिस देगा कि उसे फौरन बेच दिया जायगा और यदि

वारन्ट में उल्लिखित धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता तो वह उसे तदनुसार बेच देगा।

2. यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त बेच नहीं दी जाती तो अभिग्रहीत सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग, वारन्ट को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी द्वारा तामील किये गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, निगम की आज्ञा के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हो, वारन्ट निलम्बित कर न दिया जाय या बाकीदार देय धन और नोटिस, वारन्ट अभिहरण और सम्पत्ति के निरोध (detention) के सम्बन्ध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान न कर दे।

3. अधि-धन (surplus), यदि कोई हों, तुरन्त हो निगम निधि में जमा कर दिया जायगा तथा उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गयी थी, जमा किये गये उक्त धन के सम्बन्ध में फौरन नोटिस दिया जायगा और यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मुख्य नगराधिकारी को दिये गये लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई दावा किया जाय तो वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा। यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उक्त धन के सम्बन्ध में कोई दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायगी।

511-नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रक्रिया-

1. यदि किसी बाकीदार को पर्याप्त चल सम्पत्ति या ऐसा सम्पत्ति, जो उस भू-गृहादि पर हो जिसके सम्बन्ध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, नगर के भीतर प्राप्त न हो तो निगम के प्रार्थना-पत्र देने पर जिला मैजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के किसी पदाधिकारी को-

   (क) बाकीदार की किसी ऐसा चल सम्पत्ति अथवा सामानों (effects) के अभिहरण और बिक्री के लिए जो जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्रस्थ किसी अन्य भाग में हो, या

   (ख) बाकीदार के किसी ऐसा चल सम्पत्ति अथवा सामानों के अभिहरण और बिक्री के लिए, जो किसी अन्य ऐसे जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो, अथवा वारन्ट जारी कर सकता है।

2. उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही होने की दशा में, अन्य जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये वारन्ट की अनुलिखित (endorse) करेगा तथा उसे कार्यान्वित करवायेगा और वसूल हुई किसी धनराशि को वारन्ट जारी करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट को प्रेषित करा देगा और वह उसे निगम को भेज देगा।

512-बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली-

धारा 507 की उपधारा (1) में वर्णित परिस्थितियों में मुख्य नगराधिकारी या धारा 507 की उपधारा (1)

के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के चल सम्पत्ति के अभिहरण और बिक्री का वारन्ट जारी करने के स्थान पर जब ऐसा वारन्ट जारी हो चुका हो किन्तु वसूल की जाने वाली धनराशि पूर्णत: अथवा अंशतः वसूल न हुई हो, बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारन्ट जारी कर सकता है।

513-चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किस प्रकार कार्यान्वित होगा-

1. जब किसी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री का वारन्ट धारा 512 के अधीन जारी किये जाये तो कुर्की ऐसा आज्ञा द्वारा की जायेगी जो बाकीदार को उक्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित अथवा भारित करने से तथा समस्त व्यक्तियों को ऐसे किसी हस्तान्तरण अथवा भार (charge) से लाभ उठाने से प्रतिषिद्ध करे तथा इस बात की घोषणा करे कि यदि 5 दिन के भीतर उक्त देय धन तथा वसूली का व्यय निगम के कार्यालय में जमा न किया गया तो सम्पत्ति बेच डली जायगी।

2. ऐसा आज्ञा सम्पत्ति पर या उसके सन्निकट किसी स्थान पर डुग्गी पीट कर या अन्य रूढ़िगत ढंग (customary mode) से घोषित की जायगी तथा आज्ञा की एक प्रति सम्पत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा निगम के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर और यदि सम्पत्ति ऐसा हो जिससे राज्य सरकार को मालगुजारी मिलती हो तो उस जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी; जहां वह भूमि स्थित हो, चिपका दी जायगी।

3. मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना किया हुआ अभिहृत सम्पत्ति के किसी भार (charge) का या तदन्तर्गत स्वत्व (interest) का हस्तान्तरण, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय (enforceable) निगम के सभी दावों के विरूद्ध शून्य होगा।

514-अचल सम्पत्ति की बिक्री- यदि देय धनराशि धारा 513 की उपधारा

1. में उल्लिखित अवधि के भीतर अदा न कर दी जाय। तो मुख्य नगराधिकारी की आज्ञा से अचल सम्पत्ति अथवा उसके पर्याप्तांश आम नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है, जब तक कि वह वारन्ट को निलम्बित न कर दे या बाकीदार वसूली व्यय सहित देय धनराशि अदा न कर दे। मुख्य नगराधिकारी बिक्री से प्राप्त धनराशि या उसके ऐसे अंश को, जो आवश्यक हो, उक्त देय धनराशि तथा वसूली के व्ययों की अदायगी में लगायेगा।

2. अधि-धन (surplus), यदि कोई हो तुरन्त निगम निधि में जमा कर दिया जायगा, किन्तु यदि विक्रय के दिनांक से 6 महीने के भीतर मुख्य नगराधिकारी को लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अधि-धन के लिए दावा प्रस्तुत किया जाय तो वह बाकीदार को वापस कर लिया जायगा और यदि किसी अधि-धन का पूर्वोक्तानुसार 6 महीने के अन्दर दावा न किया जाय तो वह निगम की सम्पत्ति हो जायगी।

3. यदि बाकीदार विक्रय होने से पूर्व देय धनराशि तथा वसूली की लागत का भुगतान कर दे तो

अचल सम्पत्ति की कुर्की के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उठा ली गयी है।

4. इस धारा के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय नियमों में विहित रीति से संचालित होगे।

5. पूर्वोक्तानुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात मुख्य नगराधिकारी उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसे खरीदार घोषित किया गया हो तथा उसे इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति खरीद ली है जिसका प्रमाण-पत्र में निर्देश है।

6. मुख्य नगराधिकारी के लिए वह वैध होगा कि विक्रयार्थ प्रदर्शित अचल सम्पत्ति के लिए निगम की ओर से नाममात्रिक बोली (nominal bid) बोले, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा बोली के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

7. मुख्य नगराधिकारी किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति पर से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है जो उपधारा (5) के अनुसार की गयी उसकी किसी कार्यवाही में बाधा डलता हो तथा वह ऐसा बल भी प्रयोग कर सकता है जो ऐसा सम्पत्ति में प्रवेश के लिये समुचित रूप से आवाश्यक हो।

515-[* * *]

516-देय किराये की कुर्की-

1. यदि सम्पत्ति कर के रूप में देय किसी धनराशि के निमित्त किसी भू-गृहादि के अध्यासी को धारा 504 की उपधारा (1) के अनुसार कोई बिल दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसके दिये जाने के समय या तत्पाश्चात किसी समय अध्यासी पर नोटिस तामील कराके यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त कर के भुगतान के लिए प्रथमतः (primary) उत्तरदायी हो, देय अथवा देय होने वाले किराये में से निगम को इतनी धनराशि दे जिससे उक्त देय धनराशि का भुगतान किया जा सके।

2. ऐसा नोटिस उक्त किराये की कुर्की के समान प्रभावी होगा जब तक कि सम्पत्ति कर के रूप में देय धनराशि की अदायगी और भरपाई न हो जाय तथा अध्यासी का यह अधिकार होगा कि वह उक्त नोटिस के अनुसार अपने द्वारा निगम को दी गयी धनराशि उस व्यक्ति के किराये के हिसाब में से काट ले जिसे वह देय हो।

3. पूर्वोक्त रूप से तामील किये गये नोटिस के अनुसार यदि किसी अध्यासी को यह आदेश दिये गये हो कि वह देय अथवा देय होने वाला किराया निगम को अदा करे और वह अध्यासी उक्त किराये की धनराशि निगम को न दे तो मुख्य नगराधिकारी उस धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह धारा 504 के अधीन सम्पत्ति कर की कोई बकाया हो।

517-यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकाये के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा-

किसी बाकीदार के विरूद्ध अभिहरण (distress), कुर्की (attachment) और विक्रय, जिनकी इसके पूर्व व्यवस्था की गयी है, द्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा यदि बाकीदार के विरूद्ध, ऐसा कार्यवाही में कोई सफलता न मिली हो अथवा आंशिक सफलता मिली हो, तो कर के रूप में किसी बाकीदार द्वारा देय (due) कोई धनराशि अथवा उसका कोई शेष भाग (balance), जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उससे वसूल किया जा सकता है।

518-शुल्क व व्यय (cost)-

1. धारा 506 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस का शुल्क-
2. धारा 509 के अधीन किया गया प्रत्येक अभिहरण (distess) का शुल्क; तथा
3. उक्त धारा के अधीन अभिगृहीत (seized) पाशु धन के रख-रखाव के व्यय (cost), राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में क्रमश: निर्दिष्ट दरों से वसूल किये जा सकेगे (shall be chargeable) तथा उन्हें धारा 507 के अधीन आदेश (to be levied) वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायगा।

519-अपवाद-

इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभिहरण (distress), कुर्की (attachment) या विक्रय अवैध नहीं

समझा जायेगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल, नोटिस, अभिहरण (distress) के वारन्ट, सूची (inventery) या तत्सम्बन्धी कार्यवाही में कोई त्रुटि या कमी (defect of want) होने के कारण अनाधिकार प्रवेश करने वाला (trespasser) ही समझा जायगा।

520-ऐसे देयों (dues) की वसूली, जिनके सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी हो कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते है-

कोई निगम देय धनराशियां (dues), जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी हो कि वह इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते है, मुख्य नगराधिकारी द्वारा यथासंभव धारा 504 से 514 तथा 516 से 519 तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वे कोई कर हों।

521-कुछ धाराओं के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा सामानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में व्ययों की वसूली-

1. मुख्य नगराधिकारी द्वारा, जो धारा 296 या धारा 302 की उपधारा (3) या धारा 303 या धारा 305 की उपधारा (3) या धारा 305 की उपधारा (1) या धारा 331 के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, धारा 558 के अधीन किये गये व्यय तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्यय और परिव्यय (charges), यदि कोई हो, उपधारा (2) के

उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हटाये गए सामान की बिक्री से वसूल किये जा सकेंगे तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथेष्ट न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा।

2. यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहले अदा कर दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप से निस्तारित होने के पूर्व तथा मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ अथवा उसके अभिप्रेत (intented) विक्रय अथवा निस्तारण के सम्बन्ध में किये गये अन्य समस्त व्यय, यदि कोई हो, तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय (charges), यदि कोई हों, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी सामान को जमा रखने (storage) के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात उस सामान को वापस लेने के सम्बन्ध में दावा करे।

3. यदि उपधारा (2) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाय तो मुख्य नगराधिकारी उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य ऐसा रीति से निस्तारित करेगा जो वह उचित समझेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो उसके हटाये जाने के दिनांक से एक महीने के भीतर यथा सुविधा बेचा या निस्तारित किया जायेगा, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने के परिव्यय, यदि कोई हो, इसी बीच में अदा कर दिये गये हों या नहीं तथा

विक्रय अथवा अन्य प्रकार के निस्तारण से प्राप्त धन, यदि कोई हों, उसमें से, विक्रय का अन्य प्रकार के निस्तारण के व्यय और यदि आवाश्यक हो, सामान हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने (storage) से सम्बद्ध परिव्यय (charge) काट लेने के बाद निगम निधि में जमा किया जायेगा तथा निगम की सम्पत्ति होगी।

522-इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करने पर देय होंगे और यदि मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे सम्पत्ति कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे-

1. यदि इस अधिनियम, किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा धारा 119 में एतदर्थ अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण-कार्य (work), कार्य (measure) या बात (thing) सम्पादित की गयी हो और उसके व्ययों का भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय (payable) होंगे।
2. यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो इस धारा की उपधारा (4) तथा 481 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मुख्य नगराधिकारी द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेगें मानो वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति कर हों।

3. मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उनके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के सम्बन्ध से अथवा मुख्य नगराधिकारी द्वारा धारा 308 की उपधारा (2) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवाश्यकता के सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी निर्धारण के लिये उसे न्यायाधीश (judge) के पास भेज देगा।
4. मुख्य नगराधिकारी न्यायाधीश (judge) का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित (claimed) धनराशि की वसूली से सम्बद्ध आगे की कार्यवाही को रोक देगा तथा निर्णय के पश्चात धारा 481 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा जो निर्णय द्वारा देय (due) धनराशि निर्धारित की जाय।

523-यदि बाकीदार उस भू-गृहादि का स्वामी हो जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा-

यदि धारा 522 में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में अथवा पर, या उसके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण कार्य या की गयी किसी बात के सम्बन्ध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी कार्य के फलस्वरूप देय हो और बाकीदारे ऐसे भवन, भूमि या उस भू-गृहादि का, जो सड़क के सामने, उसके पार्श्व में या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थिति हो,

स्वामी है, तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, भूमि या भू-गृहादि पर अध्यासित रहा हो तथा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान न करे तो वह उसकी चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) तथा विक्रय से अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति कर होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

(क) जब तक उक्त व्यक्ति, मुख्य नगराधिकारी द्वारा मांग करने पर यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू-गृहादि के लिये कितना किराया देता है तथा उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे किराया देय होता है, सच-सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इनकार न करे तब वह व्यक्ति उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उस भवन, भूमि या भू-गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो, किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धनराशि से अधिक है।

(ख) उक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि यदि उसने उक्त व्ययों के कारण कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गयी है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट ले।

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण-कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारे में उक्त व्यक्ति तथा भवन, भूमि या भू-गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुये किसी अनुबन्ध पर प्रभाव न डलेगी।

524-मुख्य नगराधिकारी व्यय को किस्तों में लेने के लिये अनुबन्ध कर सकता है-

उपर्युक्त व्ययों की पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूल करने के बजाय मुख्य नगराधिकारी, यदि वह उचित समझे और कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति से, उन व्ययों के देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसा किस्तों में तथा ऐसे कालान्तरों (intervals) में अदा करे जिससे पूरी देय धनराशि उस ब्याज सहित, जो उस पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जाएगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निश्चित करे, 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर वसूल हो जाय।

525-कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते है-

1. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में दिये गये (supplied) किसी सामान या संधयन (fittings) या उनमें, उन पर अथवा उनके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण-कार्य अथवा की गई किसी बात के सम्बन्ध में हुए व्यय, जो

उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते (recoverable) हों, विनियमों के अधीन रहते हुए विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं। यदि मुख्य नगराधिकारी निगम की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे और ऐसा घोषणा होने पर उक्त व्यय तथा उपधारा (2) के अधीन उन पर देय ब्याज उन भू-गृहादि पर भार (charged) होंगे जिनके सम्बन्ध में अथवा जिनके लाभ के लिए वे व्यय किये गये हो।

2. विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे जो किसी भू भू-गृहादि के लिए 12 रूपये प्रतिवर्ष से कम की न होगी। ये व्यय ऐसे कालान्तरों (intervals) में वसूल किए जायेंगे जिनसे वे उस ब्याज सहित, जो उन पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसा दर से लगाया जायगा, जिसे कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निश्चित करे, 30 वर्ष से अनधिक की ऐसा अवधि में अदा किए जा सकेंगे जिसे प्रत्येक मामले में मुख्य नगराधिकारी निगम के अनुमोदन से निर्धारित करे।

3. ऐसी किस्तें उस भू-गृहादि के, जिस पर व्यय और उसका ब्याज भारित हो, अध्यासी द्वारा देय होंगी अथवा ऐसे व्ययों के भुगतान की निश्चित अवधि व्यतीत होने से पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किए जाने से पूर्व उक्त भू-गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में उक्त किस्तें, भू-गृहादि अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू-गृहादि के स्वामी द्वारा

देय होंगी।

526-विकास व्ययों की निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है-

1. यदि कोई ऐसा अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किए जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू-गृहादि में किराये पर हरता हो तो उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू-गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में किए गये भुगतानों के निमित्त किराये का तीन चौथाई भाग काट ले।

2. यदि वह भू-गृहादि का स्वामी (landlord), जिसके किराये में से ऐसा कटौती की जाय, स्वयं ही उस भू-गृहादि के लिए, जिसके सम्बन्ध में कटौती की जाती हो, किराये का देनदार हो तथा वह भू-गृहादि उसके अधिकार में ऐसा अवधि के लिए हो जिसके 20 से कम वर्ष अव्यतीत हों (किन्तु अन्यथा नहीं) तो वह अपने द्वारा देय किराये में से ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है, जो अपने द्वारा देय और अपने को प्राप्त किराये में होता हो और यही क्रम एक ही (same) भू-गृहादि के ऐसे प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू-गृहादि 20 वर्ष से अनधिक अव्यतीत अवधि के लिए हो) के सम्बन्ध में लागू होगा जो किराया प्राप्त कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात का ऐसा अर्थ न लगाया जायगा कि किसी

व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये में से उसे प्राप्य किराये से काटी गई कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है।

527-विकास व्यय के निमित्त भार विमोचन (redemption of charge)-

ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि व्यतीत होने से पूर्व किसी भी समय, उस भू-गृहादि का, जिस पर ऐसे व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, मुख्य नगराधिकारी को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय (due) ब्याज, यदि कोई हो, अदा करके, जो हपले से अदा न किया गया हो अथवा वसूल न हुआ हो, उक्त भार (charge) का विमोचन (redemption) कर सकता है।

528-धारा 524 व 525 के अधीन देय किस्तों की वसूली-

धारा 524 अथवा 525 के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय, मुख्य नगराधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा यह देय हो, चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है मानो वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति कर हो।

529-किसी भू-गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है-

जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नहीं करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनिमय या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसा भूमि या भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति से उक्त कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा उस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय-समय पर अपने द्वारा देय किराये में से काट सकता है।

530-व्यय अथवा प्रतिकर के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उनकी वसूली का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है-

किसी व्यय या प्रतिकर की, जिसकी देय धनराशि यहां पर पहले (hereinbefore) वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसा कार्यवाही असफल या अंशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष (balance) धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति (person loable) के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करके वसूल की जा सकेगी।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 18 सन 1990 की धारा 13 द्वारा निकाली गयी।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 18 सन 1990 की धारा 14 द्वारा निकाली गयी।

उ०प्र० अधिनियम संख्या 18 सन 1994 की धारा 15 द्वारा निकाली गयी।

अध्याय - 22

नियंत्रण

531- राज्य सरकार का कार्यवाहियों इतयादि से अवतरण मांगने का अधिकार-

1. राज्य सरकार किसी भी समय निगम को यह ओदश दे सकती है कि वह उसे निगम कार्यकारिणी समिति अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी अन्य समिति को किसी कार्यवाही से या निगम के नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख से कोई अवतरण और इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई आंकड़े प्रस्तुत करे और निगम उसे बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत करेगी।
2. राज्य सरकार किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को यह आदेश दे सकती हे कि वह इन अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या आंकड़े प्रस्तुत करे और मुख्य नगराधिकारी यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब के उन्हें प्रस्तुत करेगा।

532- राज्य सरकार का निरीक्षण कराने का अधिकार-

राज्य सरकार निगम के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा-कार्य अथवा वस्तु का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने ओर उस पर प्रति वेदन देने के लिए किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त (vjmh) कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण अथवा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उन समस्त अधिकारों का प्रयोग

कर सकता है जो धारा 531 के अधीन सरकार को प्राप्त हैं।

533- राज्य सरकार के कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निदेश देने के अधिकार-

यदि धारा 531 अथवा 532 के अधीन कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह राय हो कि-

(क) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत किसी निगम प्राधिकारी पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया है, या अपूर्ण, अकुशल अथवा अनुपर्युक्त रीति से उसका पालन किया गया है; या

(ख) उक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है,तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा स्थिति कर्त्तव्य का उचित प्रकार से पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार प्रबन्ध करे अथवा कर्त्तव्य पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार नित्तीय व्यवस्था करे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे कारणों के आधार पर, जो अभिलिखित किये जायेगे, राज्य सरकार की राय में ऐसी आज्ञा का तात्कालिक निष्पादन आवश्यक न हो, राज्य सरकार इस धारा के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व निगम को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय।

534- राज्य सरकार के चूक (default) करने पर कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को निगम के खर्च से

नियुक्त करने का अधिकार-

1. यदि धारा 533 के अधीन प्रसारित किसी आज्ञा द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उस धारा के अधीन आदिष्ट कोई कार्यवाही यथवत् नहीं की गई है तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा-

(क) इस प्रकार आदिष्ट कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है;

(ख) उसे दिये जाने के लिए पारिश्रमिक निश्चित कर सकती है; और

(ग) यह आदेश दे सकती है कि ऐसा पारिश्रमिक और ऐसी कार्यवाही करने में होने वाला व्यय निगम निधि से पूरा किया जायेगा और यदि आवश्यक हो तो अध्याय 9 के अधीन प्राधिकृत कोई एक या एकाधिक कर लगाये जायेगे अथवा बढ़ाये जायेगे, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वे उस भाग द्वारा विहित अधिकतम सीमा से बढ़ जाय।

1. उपयुक्त रूप से आदिष्ट कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संविदाओं (contracts) को, जो आवश्यक हों करने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी निगम प्राधिकारी को प्रदत्त और उपधारा (1) के अधीन प्रचारित आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकारी का प्रयोग कर सकता है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार संरक्षण (protection) का अधिकार प्राप्त होगा मानो वह निगम का प्राधिकार हो।
2. राज्य सरकार, उक्त करों में से किसी कर को लगाने अथवा बढ़ाने का आदेश देने के अतिरिक्त या उसके बदले में विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकती है कि कोई धनराशि जो उसकी राय में उसकी

आज्ञाओं को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हो, ब्याज को ऐसी दर से और उक्त करों में से सभी अथवा किसी कर की प्रतिभूति (security) पर ऋण-पत्र (debenture) द्वारा भुगतान की अवधि और अन्य प्रकार को ऐसी शर्तो पर जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, उधार ली जाय।

3. धारा 156 से लेकर 170 तक के उपबन्ध जहां तक संभव होगा इस धारा के अनुसार लिये गये ऋण पर लागू होंगे।

535- आपात के समय राज्य सरकार के अधिकार-

1. आपात की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण-कार्य के ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी रीति से, जो वह अपनी आज्ञा में नियत करे, निष्पादिन की अथवा ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था कर सकती है जो निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी, निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से अथवा उसके बिना निष्पादित करने या उस कार्य के करने का अधिकार रखती हो और उसकी राय में जिसका तात्कालिक निष्पादन अथवा किया जाना जनता की सुरक्षा अथवा संरक्षण (safety to protection) के लिये आवश्यक हो और यह आदेश दे सकती है कि निर्माण-कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को करने का व्यय तुरन्त निगम द्वारा अदा किया जायगा।
2. यदि उक्त व्यय उपर्युक्त प्रकार से अदा न किया जाय तो राज्य सरकार एक आज्ञा दे सकती है जिसमें निगम के निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से उक्त व्यय अदा करने का

आदेश दिया जायगा।

536- राज्य सरकार को संकल्पों की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना-

मुख्य नगराधिकारी राज्य सरकार को और राज्य सरकार यदि ऐसा आदेश दे तो विहित प्राधिकारी को निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति के और निगम की समितियों और संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सभी संकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

537- राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यावाही को निलम्बित करने का अधिकार-

1. यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि निगम के अथवा निगम के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति अथवा संयुक्त समिति अथवा उपसमिति अथवा निगम के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी के किसी संकल्प या आज्ञा के निष्पादन अथवा किसी ऐसे कार्य के करने से, जो निगम द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि का उल्लंघन होगा या उनका अतिक्रमण होगा या वह ऐसे किसी अधिकार का दुरूपयोग करके पारित किया या दिया गया है या उससे शांति भंग होने या जनता अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संख्या की बाधा, क्षति अथवा परिभव (annoyance) पहुंचने या मानव-जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या वह अनहित के प्रतिकूल हो तो राज्य सरकार लिखित आज्ञा ऐसे संकल्प अथवा आज्ञा

के निष्पादन को निलम्बित कर सकती है या ऐसे किसी कार्य किये जाने का प्रतिषेध कर सकती है।

2. उक्त आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा तुरन्त निगम को भेज दी जायेगी।
3. राज्य सरकार किसी भी समय निगम द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आज्ञा की पुनरीक्षित, परिष्कृत अथवा प्रतिसंहृत (revoke) कर सकती है।

538- अक्षमता, सतत् चूक या अधिकारों के अतिक्रमण या दुरूपयोग की दशा में राज्य सरकार का निगम को निघटित करने का अधिकार-

1. यदि किसी समय अभ्योवेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निगम इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में समक्ष नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत् चूक सकती है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरूपयोग करती हे तो राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यो एसी आज्ञा न दी जाये, सरकारी गजट में उसके कारणें के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके निगम को विघटित कर सकती है।
2. उपधारा (1) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथा सम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दी जायेगी।
3. यदि निगम उपधारा (1) के अधीन भंग कर दिया जाये तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे-

(क) नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और समस्त सभासद आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को पुनिवाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे;

(ख) धारा (8) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निगम के संगठन तक मुख्य नगर अधिकारी निगम और धारा 5 में उल्लिखित समितियों के भी कार्य चलाता रहेगा।

अध्याय - 23

निगम, उपविधियां तथा विनियमन

540--<u>राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना</u>--

1. इस अधिनियम के पूर्व अध्यायों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है तथा निगम के पथ प्रदशनार्थ (guidence) इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित विषयों के निमित्त आदर्श नियम (Model Rules) भी बना सकती है।

स्पष्टीकरण--

इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों में निगम तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो को विनियमित करने के सम्बन्ध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियां न बन जायें, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है।

2. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही नियम बनाये जायेंगे और जब तक वे सरकारी गजट में प्रकाशित न हो जाये तब तक प्रभावी न होंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम सामान्यत: सभी निगमों के लिये या विशेषत: ऐसे किसी एक या एकाधिक निगमों के लिये हो सकता है जो निर्दिष्ट किये जायें।

4. [XXXX]

541--किन प्रयोजनों के लिये उपविधियां बनायी जायेगी--

निगम समय-समय पर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी उपविधियां बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हों, अर्थात्--

1. ऐसे किसी विवरण के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम या नियमों में विशेषरूप से व्यवस्था न की गई हो, नालियों, संवीजन छड़ों या पाइपों, नलकूपों, नावदानों, संडासों, शौचालयों, मूत्रालयों, धुलाई-गृहों, प्रत्येक प्रकार के जलोत्सारण निर्माण-कार्यो चाहे वे निगम के हों अथवा अन्य व्यक्तियों के, निगम जलकलों, निजी संचार पाइपों (communication pipes), निजी सड़कों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, सधारण, रक्षा, धुलाई (flashing), सफाई और नियंत्रण को विनियमित करना ;

2. जल-संभरण और उसके उपयोग से सम्बद्ध सभी विषयों को विनियमित करना ;

3. सार्वजनिक तथा निजी गाड़ी के अड्डों के संधारण, निरीक्षण (supervision) और प्रयोग को तथा उनमें से ऐसे अड्डों के प्रयोग के लिये, जो निगम की हों, शुल्क लगाने का कार्य (levy) विनियमित करना ;

4. धारा 316 और 317 के अधीन नोटिस का प्रपत्र और विभिन्न श्रेणी के निर्माण-कार्यो के ढांचों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले सूचना आलेख्यों (information documents) तथा नक्शों (plans) एवं ऐसी रीति जिससे वे व्यक्ति, जिनके द्वारा नोटिसों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा वह रीति जिससे नक्शा, खंड-विवरण, संरचना सम्बन्धी रेखाचित्र (structural drawing) या संरचना सम्बन्धी गणनायें (structural calculations) क्रमश: बनाये, दिये, तैयार किये और हस्ताक्षरित किये जायेंगे, विहित करना ;

5. वह रीति, निरीक्षण (supervision), अभिकरण, शर्ते एवं निबन्धन विनियमित करना क्रमश: जिससे, जिसके अन्तर्गत, जिसके द्वारा और जिनके अधीन विशेष श्रेणियों के भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निमाण का कार्य अथवा धारा 317 में वर्णित कोई कार्य किया जायगा ;

6. सुदृढ़ बनाने और अग्निकांड से बचाव तथा आग लगने की दशा में गृहवासियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनार्थ या तो सामान्यत: या निर्माण-कार्य के प्रकार और उसके अभिप्रेत

प्रयोग की दृष्टि से दीवालों, नीवों, छतों और चिमनियों का ढांचा (structure), जीनों (staircases) की संख्या, चौड़ाई और स्थिति, बरामदों (corridors) और रास्तों की चौड़ाई, फर्श, सीढ़ियों और छोटे-छोटे सभी टुकड़ों (scantlings), गार्डरों, खम्भों (posts) तथा भवन स्तम्भों की सामग्री, आकार और मजबूती;

7. कार्य करने वालों और सामान्य जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित्त भवन-निर्माण के प्रयोजनार्थ पाढ़ों (scaffolding) का निर्माण ;

8. भवनों के पर्याप्त संवीजन के लिये वायु के निर्बाध संचार तथा अन्य साधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भवनों के निकट पर्याप्त खुली जगह-चाहे वह बाहर हो या भीतर-की व्यवस्था करना तथा उसका संधारण;

9. भवनों में पहुंचने के लिये उपयुक्त साधनों की व्यवस्था और उनका संधारण तथा उनमें अतिक्रमण (encroachment) का निवारण ;

10. गृह-पथों (House gullies) और सेवा मार्गो (service passages) की व्यवस्था और उनका संधारण

11. उन शर्तो को विनियमित करना, जिनके अधीन ढांचे के भवन (frame buildings) बनाये जा सकते है

12. भवन-निर्माण स्थल के रूप में भूमि के प्रयोग को विनियमित करना, ऐसे स्थलों का न्यूनतम आकार--सामान्यत: अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये विहित करना--और निर्दिष्ट स्थानों (localities) में, निर्दिष्ट सड़कों या सड़कों की श्रेणियों पर सभी या विशेष श्रेणियों के भवनों के लिये यह विहित करना कि सड़क के पार्श्व (margin) से वे कितने पीछे (set-back) रहेंगे ;

13. सामान्यत: अथवा उन सामानों की दृष्टि से, जिससे वे बनाये जायें या उन सड़कों की चौड़ाई की दृष्टि से, जिनकी ओर उनका सामने का भाग पड़ता हो, अथवा उन क्षेत्रों की दृष्टि से, जिनमें वे स्थित हों या उस प्रयोजन की दृष्टि से, जिसके लिये उनका प्रयोग अभिप्रेत हो, ढांचों की ऊंचाई को विनियमित करना;

14. भूमि के ऊपर, या अगली निचली मंजिल (next lower storey) के ऊपर भवन में बनाये जाने वाले मंजिलों की संख्या और ऊंचाई का विनियमित करना ;

15. धारा 329 के अधीन अपेक्षित समाप्ति के प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र, वह रीति जिससे तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायगा, विहित करना ;

16. कालान्तरों (intervals), जिन पर, रीति जिससे तथा व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 330 के अधीन भवन का समय-समय पर निरीक्षण किया जायगा, विनियमित करना ;

17. निगम में निहित तथा समाज के निर्धन वर्गो के लिये अभिप्रेत निवास-गृहों (dwellings) के प्रबन्ध, संधारण, नियंत्रण तथा प्रयोग को विनियमित करना ;

18. अनुज्ञप्त भू-मापकों, वास्तुशास्त्रियों, अभियन्ताओं, ढांचा-निर्माताओं, निर्माण लिपिकों और लन-मिस्त्रियों के लिए अर्हतायें और अनुभव विहित करना ;

19. किसी ऐसे विवरण की दृष्टि से जिसकी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, सफाई-संरक्षण और स्वच्छता का और कृन्तकों (redents) तथा अन्न को नुकसान पहुँचाने वाले अन्य कीड़े-मकोड़ों के विनाश, मच्छरों, मक्खियों तथा अन्य कृमियों (Pests) के विरूद्ध रोकथाम (preventive) तथा औपचारिक (remedial) उपायों का विनियमन ;

20. धारा 438 में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी भू-गृहादि और उस पर किये जाने वाले सभी व्यापारों और उत्पादनों (manufactures) का नियन्त्रण तथा निरीक्षण (supervision) तथा ऐसे किसी भू-गृहादि के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल-संभरण की विहित तथा विनियमित करना ;

21. दूध देने वाले पशुओं का निरीक्षण तथा पशुशालाओं (cattle sheds) और दुग्धशालाओं के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल-सम्भरण को विहित और विनियमित करना ;

22. दूध के भण्डारों, दूध की दुकानों तथा ग्वालों (dairymen) या दूध बेचने वालों द्वारा दूध रखने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध-भाड़ों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना ;

23. नगर में दूध की बिक्री को विनियमित करना, दूध को दूषित होने से बचाना और दूषित दूध की बिक्री की रोक-थाम करना ;

24. जब दूध देने वाला कोई पशु किसी सांसर्गिक रोग से ग्रस्त हो जाय तो उस दशा में नोटिस दिये जाने का आदेश देना तथा दूध देने वाले पशुओं और दुध को संक्रमित (infection) या दूषित होने से (condemnetion) बचाने के लिये पूर्वोपाय विहित करना ;

25. पशुओं में ऐसी बिमारी के फैलने की दशा में, जो मनुष्यों को भी लग सकती है, किये जाने वाले उपायों (measures) तथा ऐसी सूचनायें देने के कार्यो को विनियमित करना, जो उन उपायों के सम्पन्न करने में सुविधा प्रदान करे ;

26. बाजारों, वधशालाओं और ऐसी दुकानों के कुशल निरीक्षण को सुनिश्चित करना, जिसमें मानव-भोजन के लिए अभिप्रेत वस्तुयें रखी या बेची जाती हों,

27. नगर के भीतर या नगर के बाहर किसी निगम वधशाला में कारबार करने वाले कसाइयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण ;

28. निगम का बाजार के किसी भवन, बाजार-स्थल (market place) या वधशाला या उसके किसी भाग के प्रयोग को विनियमित करना ;

29. बाजारों और वधशालाओं की सफाई की स्थिति को नियंत्रित और विनियमित करना और उसमें निर्दयता (cruelty) के प्रयोग का निवारण करना ;

30. धारा 183 के अधीन कर-निर्धारण से मुक्त ठेलों से भिन्न हाथ से चलाये जाने वाले ठेलों (handcarts) को अनुज्ञप्त करना और ऐसे किसी ठेले का अभिग्रहण करना (seizure) और उसे निरूद्ध करना, जो यथावत् अनुज्ञप्त न हो ;

31. किसी ऐसे संक्रामक (infections) रोग, महामारी या स्थानिक प्रकार के (epedemic) ऐसे रोगो की घटनाओं के सम्बन्ध में जो भयानक न हों, ऐसा नोटिस दिये जाने का आदेश देना, जो निर्दिष्ट किया जाय तथा किसी ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे रोग के संक्रमण की आशंका हो सकती हो (exposed to infection), किये जाने वाले पूर्वोपायों (precautions) को विहित करना

32. समाज के विभिन्न वर्गो की धार्मिक प्रथाओं का उचित ध्यान रखते हुए मृतकों के निस्तारण को तथा मृतकों के निस्तारण के समस्त स्थानों का अच्छी, स्वच्छ तथा सुरक्षित दशा में संधारित किया जाना, विनियमित करना ;

33. मृत पशुओं के शरीरों से चमड़ा निकालने (skinning) और उन्हें काटने के निमित्त किसी स्थान के प्रयोग को विनियमित करना ;

34. जन्म और मरण के पूर्ण और यथार्थ पंजीयन को सुविधाजनक बनाना और सुनिश्चित करना ;

35. विवाहों का पंजीयन (registration) ;

36. निगम में निहित या उसके नियंत्रण के अधीनस्थ सार्वजनिक बाजारो, उद्यानों, मोटर गाड़ी इत्यादि खड़ा करने के सार्वजनिक स्थानों (public parking places) तथा खुले मैदानों की क्षति या दुरूपयोग से रक्षा करना, उसके प्रबन्ध और उस रीति को विनियमित करना, जिससे वे जनता द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों तथा वहां के लोगों के उचित व्यवहार (proper behaviour) की व्यवस्था करना ;

37. किसी ऐसी सड़क, पगडंडी (pathway) या स्थान, जिसे प्रयोग करने या जिसमें आने-जाने का सर्वसाधारण को अधिकार हो, से लगी हुई भूमि या भू-गृहादि पर मेड़ लगाने के लिये कांटेदार तार या अन्य सामग्री के प्रयोग को विनियमित करना ;

38. चिथड़ों, हड्डियों या पुराने (second hand) कपड़ों, बिस्तरों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके हटाये जाने, बिक्री या बिक्री के लिये प्रदर्शित किये जाने या किसी उत्पादन-

क्रिया में प्रयोग किये जाने के पूर्व उसे कीट शोधित (disinfect) करने के उपाय भी सम्मिलित है ;

39. नगर में मेलों के आयोजन और औद्योगिक प्रदर्शनियों को विनियमित करना ;

40. नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित करना और आग जलाने को विनियमित और प्रतिषिद्ध करना ;

41. इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिये शुल्क निश्चित करना ;

42. किसी निगम प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क (charges) विनियमित करना ;

43. निगम के अस्पतालों, औषधालयों (dispensaries), आरोग्यशालाओं (infirmaries) गृहों (homes) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में जनता के प्रवेश और जनता द्वारा उनके प्रयोग को और उसके सम्बन्ध में लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना ;

44. निगम की सम्पत्ति की रक्षा ;

45. निगम अभिलेखों का जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण की अनुमति देने के पूर्व लिये जाने वाले शुल्कों का विनियमन ;

46. निगम अभिलेखों से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियों या उद्धरण (extract) दिये जाने और उनके लिए लिये जाने वाले शुल्कों को विनियमित करना ;

47. नगर में भवनों और भूमियों के ऐसे स्वामियों द्वारा, जो उस नगर में निवास न करते हों इस अधिनियम या नियमों, विनियमों या उपविधियों के सभी या किसी प्रयोजन के लिए स्वामी की ओर से कार्य करने के निमित्त उक्त नगर में या उसके निकट रहने वाले अभिकर्ताओं का नियुक्ति को विनियमित करना ;

48. विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा विनियमन ; और

49. सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों और अभिप्रायों को कार्यान्वित करना।

542--मुख्य नगराधिकारी उपविधियों के पांडुलेख को निगम के समक्ष विचारार्थ रखेगा--

मुख्य नगराधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह समय-समय पर निगम के समक्ष विचारार्थ किसी ऐसी उपविधि का पांडुलेख रख, जिसे वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को आगे बढ़ाने (furtherance) के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे।

543--प्रस्तावित उपविधियों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों को निगम द्वारा सुनवाई--

निगम द्वारा कोई भी उपविधि न बनायी जायगी, जब तक कि--

1. नोटिस में निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधि पर विचार किये जाने के निगम के अभिप्राय का नोटिस, उक्त दिनांक के पूर्व, सरकारी गजट और निगम की बुलेटिन, यदि कोई हो, में न दे दिया गया हो।

2. ऐसी उपविधि की एक मुद्रित प्रति निगम के मुख्य कार्यालय में न रख दी गई हो और किसी व्यक्ति द्वारा जो खण्ड (1) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के बाद किसी उचित समय में उसे पढ़ना चाहता हो, सार्वजनिक रूप से नि:शुल्क निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध न करा दी गई हो।

3. ऐसी उपविधि की मुद्रित प्रतियां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिए ऐसा शुल्क भुगतान करने पर, जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा, न दे दी गई हो।

4. खण्ड (1) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के पूर्व उस उपविधि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी लिखित आपत्तियों और सुझावों के सम्बन्ध में निगम ने विचार न कर लिया हो।

544--उपविधियों को राज्य सरकार पुष्ट करेगा और उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा--

1. धारा 541 के अधीन बनाई गई किसी उपविधि की कोई वैधता न होगी जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुष्ट न कर दिया जाय।
2. राज्य सरकार किसी उपविधि को परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कारों सहित पुष्ट कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।
3. उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी उपविधि के पुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और तदुपरान्त उसका विधि का सा प्रभाव होगा।

545--उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिये रखी जायेंगी--

1. मुख्य नगराधिकारी समय-समय पर प्रचलित सभी उपविधियों को मुद्रित करायेगा और उनकी मुद्रित प्रतियां किसी भी व्यक्ति को जिसे उनकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिये ऐसा शुल्क देने पर, जिसे मुख्य नगराधिकारी निश्चित करे, दिलायेगा।
2. तत्समय प्रचलित उपविधियों की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ निगम के कार्यालय के ऐसे भाग में, जहां सर्वसाधारण को आने-जाने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक आश्रय-स्थान, बाजार, वधशालायें या उससे प्रभावित होने वाले अन्य निर्माण-कार्य या स्थान जैसे अन्य स्थानों में, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे रखी जायेंगी और मुख्य नगराधिकारी उक्त प्रतियों के स्थान पर समय-समय पर नई प्रतियां रखेगा।

546--निगम द्वारा उपविधियों का परिष्कार और खंडन--

1. निगम अपनी बनाई हुई किसी उपविधि को परिष्कृत या खंडित कर सकती है।
2. धारा 542, 543 और 544 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (1) के अधीन उपविधि के परिष्कार या खंडन (rescision) पर लागू होंगे।

547--राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकती है--

1. यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि का पूर्णत: या अंशत: परिष्कृत या निरस्त किया जाना चाहिये, तो वह अपने ऐसे मत के कारण निगम को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में निगम कोई ऐसा अभ्यावेदन (representation) कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।
2. ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णत: या अंशत: परिष्कृत या निरस्त कर सकती है।
3. उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन उस दिनांक से, जिसे राज्य सरकार उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे या यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो विज्ञप्ति

के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा, सिवाय किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक के पूर्व की गयी हो, करने दी गयी हो, या न की गयी हो (done or suffered or omitted to be done)।

4. उक्त विज्ञप्ति निगम की बुलेटिन में भी, यदि कोई हो, प्रकाशित की जायगी।

548--विनियम--

1. कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निम्नलिखित विनियम के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बनायेगी, जो इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों से असंगत न हो, किन्तु जो निगम द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुकूल हों--

(क) किसी ऐसे निगम का पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, जिससे प्रतिभूति मांगना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार (nature) निश्चित करना ;

(ख) निगम पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी का दिया जाना विनियमित करना ;

(ग) उक्त किन्हीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक निर्धारित करना ;

(घ) उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा या सवारी भत्ते (travelling or conveyance allowance) के भुगतान की प्राधिकृत करना ;

(ङ) उक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अवधि विनियमित करना ;

(च) उन शर्तो को, जिनके अधीन उक्त पदाधिकारी और कर्मचारी या उनमें से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सेवा-निवृत्त (retirment) या सेवा-मुक्त (discharge) होने पर निवृत्ति-वेतन, उपदान या कारूण्य अधिदेय (compassiouate allowance) प्राप्त करेगा और जिसके अधीन उत्तरजीवी पति / पत्नी (spouse) और बच्चे तथा उत्तरजीवी पति / पत्नी और बच्चों की अनुपस्थिति में उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों में से किसी पदाधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित उनके माता-पिता, भाई और बहन, यदि कोई हो, उनकी मृत्यु के पश्चात्, कारूण्य अधिदेय प्राप्त करेंगे और ऐसे निवृत्ति-वेतन, उपदान याकारूण्य अधिदेय की धनराशि निर्धारित करना ;

(छ) कतिपय विहित दरों से तथा कतिपय विहित शर्तो के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निवृत्ति-वेतन या भविष्य-निधि (provident fund) में, जो कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति से उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित की जाय या ऐसी भविष्य-निधि में, यदि कोई हो, जो निगम द्वारा उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित की जाय, अंशदानों (contributions) के भुगतान को प्राधिकृत करना ;

(ज) वे शर्तें जिनके अधीन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को जब वह कर्त्तव्यरत(on duty) हो, या छुट्टी पर हो, किसी व्यक्ति या निजी संस्था या किसी सार्वजनिक संस्था, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित है, के लिये या सरकार के लिये कोई निर्दिष्ट सेवा या श्रेणीबद्ध सेवायें (series of services) सम्पादित करने और उसके लिये पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, विहित करना ;

(झ) सामान्यतया उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा को किन्हीं अन्य शर्तो को विहित करना;

2. कार्यकारिणी समिति, समय-समय पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे विनियम भी बना सकती है, जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो-

(क) मनुष्यों के रहने के प्रयोजनार्थ भवनों की उपयुक्तता के स्तरों को निर्धारित करना ;

(ख) उन व्ययों की घोषणा को विनियमित करना, जो किसी भवन या भूमि के लिये संभरित किये गयें (supplied) सामानों या संघायनों (fittings), अथवा उसमें, उस पर या उसके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये निर्माण-कार्य या किये गये काम के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये हों और जो विकास व्यय के रूप में उसके स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते हो ;

(ग) धारा 335 के अधीन प्रचलित (in force) घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भाग या स्थानों (localities) में विशेष प्रयोजनों के हेतु अभिप्रेत दुकानों, गोदामों (warehouses), फैक्टरियों, कुटियों, अथवा भवनों के निर्माण के लिये मुख्य नगराधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुमति को विनियमित करना ;

3. उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई भी विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि निगम द्वारा न कर दी गई हो और यदि वह उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन बनाया गया हो तो जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा भी न कर दी गई हो और दोनों दशाओं में जब तक कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिया गया हो।
4. निगम या राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखे गए किसी विनियम को पुष्ट करने से इन्कार कर सकती है या उसे परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिसे वह उचित समझे, पुष्ट कर सकती है।

549--राज्य सरकार को उपविधियां तथा विनियम बनाने का अधिकार--

1. यदि धारा 541 में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में निगम ने कोई उपविधियां न बनाई हो या यदि निगम द्वारा बनाई गई उपविधियां, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त न हों तो राज्य

सरकार ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिए उस सीमा तक उपविधियां बना सकती है, जिसे वह उपयुक्त समझे।

2. शब्द 'निगम' के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख कर धारा 543 के उपबन्ध इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने के सम्बन्ध में लागू होंगे और उपविधियों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उनका विधि का सा प्रभाव होगा।

3. यदि इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का कोई उपबन्ध निगम द्वारा बनाई गई उपविधि के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल हो तो इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि प्रभावी होगी और धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधि, उसकी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य (void) होगी।

4. राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा धारा 548 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुकूल विनियम बना सकती है।

550--नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों की अवहेलना करने का दंड--

नियम, उपविधियां अथवा विनियम बनाते समय यथास्थिति निगम अथवा कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अवहेलना (breach) करने के लिये सिद्धदोष होने पर अपराधी पर--

(क) जुर्माना किया जायेगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम अवहेलना की दोषसिद्धि (conviction) के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकता है ;

(ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा अवहेलना को रोकने के लिये तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी निगम पदाधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर जुर्माना किया जायगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकता है ;

(ग) उक्त जुर्माना किये जाने के साथ-साथ उसे यह भी आदेश दिया जायगा कि वह दूषण का यथाशक्ति परिहार करे।

अध्याय - 24

विविध

सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन

551-सार्वजनिक नोटिस का प्रचार कैसे किया जाएगा-

जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा सकता है, तो ऐसी सार्वजनिक नोटिस, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होगा और उस पर मुख्य नगराधिकारी अथवा उसे देने के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी मुख्य नगराधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तथा उससे प्रभावित होने वाले स्थानों (locality) में उसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह प्रचार उक्त स्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाकर अथवा डुग्गी पिटवाकर अथवा स्थानीय समाचार-पत्रों में उसका विज्ञापन देकर अथवा निगम के बुलेटिन में उसे प्रकाशित कराकर अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा, जिन्हें मुख्य नगराधिकारी उचित समझे, किया जाएगा।

552-विज्ञापन किस प्रकार किया जाएगा-

जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जाएगा अथवा यह कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित

की जाएगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस, विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले अथवा नगर में आने वाले कम से कम दो समचार-पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञापित की जाएगी, जिन्हें निगम समय-समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करें

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निगम अपना कोई बुलेटिन निकालती है, तो निगम के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों में उक्त नोटिस का प्रकाशन इस धारा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

553-निगम आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि का दिया जाना-

1. जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपनियम, विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता-

   (क) निगम कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति; या

   (ख) मुख्य नगराधिकारी अथवा किसी निगम पदाधिकारी ;

   की सम्पत्ति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती हो तो उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य (written documents) जिसका उद्देश्य ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन सहमति,

पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान को ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित लेख्य पर जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई होः

(क) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, निगम कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो, तो ऐसे प्राधिकारी (authority) की ओर से मुख्य नगराधिकारी;

(ख) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, मुख्य नगराधिकारी अथवा कोई निगम पदाधिकारी हो तो, यथास्थिति, मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे निगम पदाधिकारी, हस्ताक्षर करेंगे।

नोटिसों आदि की तामील

554-नोटिस और उनकी तामील-

1. नोटिस, बिल, अनुसूचियां, आहवान (summons) तथा अन्य ऐसे ही लेख्य, जिन्हें इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके

लिए जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, निगम पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुख्य नगराधिकारी एतदर्थ प्राधिकृत करें, तामील किए जायेंगे जारी किए जायेंगे, प्रस्तुत किए जायेंगे अथवा दिए जायेंगे।

2. यदि इस अधिनियम अथवा किसी निगम विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा ऐसे अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामील, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिए उपधारा (3) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा-

(क) उक्त नोटिस, बिल अनुसूची, आहवान (summons) अथवा अन्य लेख्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत करके;

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर छोड़कर, अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारबार (business) के सामान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़कर अथवा ऐसे स्थान में उसके किसी वयस्क

कर्मचारी, यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके; अथवा

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर में निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता मुख्य नगराधिकारी को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल अनुसूची आहवान अथवा अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रखकर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो, डाक द्वारा भेजकर; अथवा

(घ) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य लेख्य को उससे सम्बद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हो, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर।

3. यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य ऐसे ही लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना अथवा उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसमें स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखना आवश्यक न होगा तथा उसकी तामील, उसका जारी किया जाना अथवा उसका प्रस्तुत किया जाना अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा, अर्थात-

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हों तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके, अथवा

(ग) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य लेख्य की सम्बद्ध भवन अथवा भूमि के किसी प्रमुख स्थान (conspicuous) पर चिपकवा कर।

4. यदि वह व्यक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, आवश्यक (minor) हो तो उसके अभिभावक (guardian) अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस आवश्यक पर उसकी तामील समझी जायगी।

5. इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्टेट द्वारा जारी किये गये आहवान (summons) पर लागू न होगी।

555-नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते है-

1. प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान न या अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा मुख्य नगराधिकारी अथवा अन्य किसी निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हों, यथोचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जायगा, यदि उस पर यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी अथवा ऐसे निगम पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि (faesimile) मुद्रांकित हो;
2. इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निगम निधि के नाम काटे गये चेक (cheque) अथवा किसी संविदापत्र (deed of contract) पर लागू नहीं समझी जायगी।

556-मुख्य नगराधिकारी का भू-गृहादि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना मांगने का अधिकार-

1. किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामील करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए मुख्य

नगराधिकारी किसी भी भू-गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्राक्कथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर जिसे, मुख्य नगराधिकारी नोटिस में निर्दिष्ट करे, यह बताये कि उसमें उसक स्वत्व का क्या स्वरूप (nature) है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार (fee-holder), बंधकी, पटटेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो, नाम और पता जहां तक कि ऐसा नाम और पता उसे ज्ञात हो, क्या है।

2. कोई व्यक्ति, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने उपधारा (१) के अनुसार कोई सूचना देने के लिए आदेश दिया हो, उक्त आदेश का पालन करने और ऐसी सूचना जिसे वह अपनी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, देने के लिए बाध्य होगा।
3. अनधिकृत कार्य

557-मुख्य नगराधिकारी को लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझे जायेंगे-

1. यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिए इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियमन या उपविधि के अधीन मुख्य नगराधिकारी को लिखित अनुज्ञा अपेक्षित हो, बिना ऐसी अनुज्ञा प्राप्त किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा बाद में मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी

कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंह्यत (revoked) कर दी गई हो, तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य अनाधिकृत समझा जायगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगराधिकारी किसी समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे, गिरा दे अथवा अकारथ कर दे (undo)। यदि ऐसे निर्माण को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जाने के समय जो भी व्यक्ति स्वामी हो वह मुख्य नगराधिकारी के आदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2. यदि उक्त लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति उक्त व्यक्ति या स्वामी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो मुख्य नगराधिकारी उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारण कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायगा।

निर्माण आदि के सम्बन्ध में आज्ञाओं का प्रवर्तन

558-निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति, से सम्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, कुछ दशाओं में उक्त व्यक्ति की लागत पर मुख्य नगराधिकारी द्वारा सम्पादित किये जा सकते है-

1. इस अधिनियम तथा नियमों, उपविधियों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस

अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन मुख्य नगराधिकारी अथवा एतदर्थ यथावत अधिकृत किसी निगम पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस देकर कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक उचित अवधि विहित की जायगी और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा अथवा उक्त आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा ऐसा कार्य करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवा दी गई आज्ञा को यथोचित रूप से पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो और जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा, जिसे या जिन्हें उक्त आदेश अथवा आज्ञा सम्बोधित की गई थी।

2. मुख्य नगराधिकारी इस धारा के अधीन, कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त आदेश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति, आज्ञा का अनुपालन न करने के लिए दंड का भागी रहा हो या अभियोजित किया गया हो (prosecuteed) या एतदर्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा

नहीं।

559-सामग्री का सम्भरण (supply)-

किसी ऐसे व्यक्ति को लिखित प्रार्थना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों (fittings) के संभरण का आदेश दिया गया हो, मुख्य नगराधिकारी ऐसे व्यक्ति की ओर से आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 524 या 525 के उपबन्ध लागू न होते हों, तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायगी जो मुख्य नगराधिकारी की राय में उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो।

प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार

560-प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई निगम पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू-गृहादि में, या, पर जहां इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवेश अथवा निरीक्षण करने का अधिकार हो अथवा कोई ऐसा निरीक्षण, तलाशी,

भूमापन, माप, मूल्यांकन अथवा जांच करने का कोई ऐसा निर्माण संपादित करने के निमित्त, जिसके लिए वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो अथवा जिसे करना इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों के प्रयोजनार्थ, अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपने सहायकों सहित या रहित, प्रवेश कर सकता है।

2. उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात-

(क) कोल, अस्तबल, मोटरखाना, वाहनगृह अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो ;

(ख) कोई भूमि, जहां निगम की कोई नाली रही हो अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो-धारा 230 के अधीन ;

(ग) कोई भूमि, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में स्वयं अपनी नाली निगम की नालियों में गिराने के

उद्देश्य से हो-धारा 234, 236, 241 तथा 242 के अधीन ;

(घ) कोई भूमि जिसमें नालियों के संवीजन के निमित्त दंड और पाइप लगाने की आवश्यकता हो-धारा 249 के अधीन ;

(ङ) नालियां, संवीजन, दंड, पाइप, मलकूप, शौचालय, मूत्रालय, स्नान और धुलाई के स्थल-धारा 255 के अधीन;

(च) कोई भूमि, जिससे होकर निगम के जलकल में जाने का मार्ग हो-धारा 264 के अधीन ;

(छ) कोई भू-गृहादि जिनके बारे में यह संशय हो कि उसमें धारा 438 का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है ;

(ज) कोई भू-गृहादि जिसके प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गयी हो ;

(झ) निर्माण-काल में कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण-कार्य ;

(ञ) कोई भू-गृहादि, जिनकी व्यवस्था निगम में निगम के पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिए की हो।

3. मुख्य नगराधिकारी अथवा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के लिए तब तक बल-प्रयोग न करेगा जब तक कि-

(क) ऐसा प्रवेश अन्यथा न किया जा सकता हो ;

(ख) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है।

561-निर्माण कार्यो से संलग्न भूमियों पर मुख्य नगराधिकारी का प्रवेशाधिकार-

1. मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य से संलग्न अथवा उसके 100 गज के भीतर स्थित भूमि, उसमें मिट्टी, बजरी, बालू, ईटे, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ डालने या ऐसे निर्माण-कार्य में प्रवेश के पाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण-कार्यो को संपादित करने से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन

के निमित्त प्रवेश कर सकता है।

2. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो), अपने प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करे तो पर्याप्त मेड़ों के द्वारा उतनी भूमि को पृथक कर देगा जो उक्त धारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो।

3. मुख्य नगराधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व, कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु यथाशाक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो), ऐसे प्रवेश के लिए तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तज्जन्य किसी स्थायी क्षति के लिए भी प्रतिकर देगा।

562-प्रवेश करने का समय-

1. सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नहीं किया जायगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गयी हो, ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है।

2. उस दशा को छोड़कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिए प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना अथवा उसे अभिप्रत प्रवेश तथा सिवाय उस दशा के जब तत्सम्बन्धी प्रयोजन बताना अनुपर्युक्त समझा जाय, ऐसे प्रयोजन की 6 घन्टे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना प्रवेश न किया जायगा।

3. जब ऐसे भू-गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो तो प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिस दिया जायगा, जिससे उस कक्ष के, जो महिलाओं के प्रयोग के लिए अलग कर दिया गया हो, रहने वाले वहां से हट सकें।

4. जहां तक प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू-गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायगा जहां प्रवेश किया जाय।

5. धारा 438 की उपधारा (7) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक बल-प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकर का दावा नहीं

किया जायगा।

563-धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश अवरूद्ध करने का प्रतिषेध-

कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, मुख्य नगराधिकारी के धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश करने में या किसी निगम पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा जो ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए मुख्य नगराधिकारी की प्रार्थना से उसके साथ हो या जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो।

वैधिक कार्यवाहियां

564-दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निवेशन, आदि तथा विधिक परामर्श आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपबन्ध-

मुख्य नगराधिकारी-

1. किसी व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषारोपण किया गया हो (charged) कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है-

   (1) इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध ;

   (2) कोई ऐसा अपराध जिससे निगम की सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के

उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो ;

(3) कोई भी अप्रदूषण करना ;

2. इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में समझौता कर सकता है जिसमें तत्समय प्रचलित विधि के अधीन विधितः समझौता किया जा सकता हो ;

3. इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचित याचिका में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में, यदि स्वयं उस पर अथवा निगम अथवा अन्य किसी निगम के पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो (sued) प्रतिवाद कर सकता है ;

4. वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरूद्ध धारा 472 के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

5. धारा 470 की उपधारा (2), धारा 522 की उपधारा (3) व (4) तथा धारा 481 के अधीन तथा ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके सम्बन्ध में यह दावा किया गया हो कि वे निगम को प्राप्य हैं, कार्यवाही वापस कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

6. मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थदण्ड के सम्बन्ध में उसे व्यक्ति के विरूद्ध 500 रूपये से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से 500 रू० से अधिक की धनराशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

7. निगम के विरूद्ध लाये गये या मुख्य नगराधिकारी के विरूद्ध उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में क्रमशः किये गये अथवा न किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है ;

8. निगम के विरूद्ध या मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत किसी कार्य के सम्बन्ध में लाये गये किसी दावे, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

9. उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजित कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (6) में वर्णित दावे से भिन्न किसी दावे की, जो निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी के नाम से निविष्ट किया गया हो, वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

10. ऐसा विधिक परामर्श या सहायता का, जिसे वह समय-समय पर, इस उपधारा के पूर्वगामी खंड़ों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी निगम प्राधिकारी, या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के प्रयोग अथवा पालन को सुनिश्चित (secure) करने के निमित्त, प्राप्त करना आवश्यक या इष्टकर समझे, या जिसे निगम या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिए भुगतान कर सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्सम्बन्धी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसे वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा, जिसके सम्बन्ध में निगम यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय।

सामान्य

565. सभासद, इत्यादि जन-सेवक (public servant) समझे जायेंगे

1. मुख्य नगराधिकारी तथा प्रत्येक सभासद पदाधिकारी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो तथा निगम को प्राप्त कर, शुल्क या अन्य धनराशि की उगाही के निमित्त

प्रत्येक ठेकेदार या अभिकर्त्ता तथा ऐसे किसी ठेकेदार या अभिकर्त्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में जन-सेवक समझे जायेंगे।

2. उपधारा (1) के प्रयोजनों के निमित्त इंडियन पीनल कोड की धारा 161 में लीगल रेम्युनरेशन (legal remuneration) की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द गवर्नमेन्ट (Government) में निगम का अन्तर्भाव भी समझा जायगा।

566. पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य-

प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगेः-

1. इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने के षड्यंत्र (design) की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है, कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उसे उपर्युक्त निगम पदाधिकारी को ज्ञापित करना ;
2. मुख्य नगराधिकारी को या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे मुख्य नगराधिकारी ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त मुख्य नगराधिकारी में या ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में निहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिए उचित

रूप में उसकी सहायता माँगता हो, सहायता देना ;

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिए उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के पालन में प्राप्त हैं।

567. पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार

1. यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरूद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उस ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूछने पर वह अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है।
2. उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को-

(क) उसका ठीक-ठीक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात, या

(ख) बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा की गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए, जो उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो,

अभिरक्षा में निरूद्ध न किया जायगा।

568.

निगम कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोगराज्य सरकार किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी को या निगम पदाधिकारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है।

569. निर्धारण, इत्यादि में अनौपचारिकताएँ तथा त्रुटियॉ ऐसे निर्धारण, आदि को अवैध करने वाली न समझी जायेंगी

1. इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किये गये किसी निर्धारण या किया गया अभिहरण या की गयी कुर्की या जारी किये गये नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान या लेख्य में कोई अनौपचारिकता, लिपिक-त्रुटि, अकर्म या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किये जा सकते हैं।
2. उक्त कोई भी ऐसी अनौपचारिकता, लिपिक-त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष उपर्युक्त निर्धारण, अभिहरण, कुर्की, नोटिस, बिल, अनुसूची, आहवान या अन्य लेख्य को अमान्य अथवा अवैध करने वाली न समझी जायगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबन्ध सारतः तथा प्रभावतः अनुपालित किये गये हों, किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे

अनौपचारिकता, लिपिक-त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष के कारण कोई विशेष क्षति पहुँची हो, किसी अधिकार-क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

570.

सद्भावना से किये गये कार्यो के लिए क्षति-पूर्ति इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये समझे गये या अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार किसी सभासद नगर प्रमुख या मुख्य नगराधिकारी या किसी निगम के या इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी समिति के, मुख्य नगराधिकारी के या किसी निगम पदाधिकारी के या मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

571.

1. इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का वादों से संरक्षण(1) इस अधिनियम के अनुसार अथवा इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा अभिप्रेत कार्यान्वित के सम्बन्ध में किये गये या समझे गये कार्य के सम्बन्ध में या इस अधिनियम की कार्यान्वित के सम्बन्ध में तथाकथित किसी असावधानी या चूक के कारण, निगम के या मुख्य नगराधिकारी के या किसी निगम पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक निविष्ट नहीं किया जायगा

(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो निगम की दशा में निगम के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा मुख्य नगराधिकारी या निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में, उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाय और जिसमें वाद का कारण, प्रार्थित उपाशम का प्रकार, अभियाचित, प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसा वाद के प्रयोजन के लिए वादेच्छुवादी, उसके मुख्तयार, एडवोकेट, वकील या अभिकर्ता (agent) का नाम तथा निवास-स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा ; तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोदभूत होने के पश्चात 6 मास के भीतर प्रारम्भ न किया जायः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश () हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा।

2. ऐसे किसी वाद पर विचार के समय-

(क) प्रतिवादी की उपर्युक्त प्रकार छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद-कारण के अतिरिक्त अन्य किसी

वाद का कारण का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायगी ;

(ख) वाद, यदि क्षति के लिए हो, अपास्त (dismiss) कर दिया जाएगा, यदि वाद निदेशित किये जाने वाली क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर दी गयी हो या यदि वाद के निवेशित किये जाने के पश्चात न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गयी हो।

3. यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी निगम का पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या फलस्वरूप-लागत, परिव्यय, व्यय क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में या अन्यथा उसके द्वारा धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी, कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से, निगम निधि में से की जा सकती है।

टिप्पणी

1. किराये का बकाया हेतु नोटिस की आवश्यकता - यदि परिषद के प्रयोग के लिए किराये का दावा किया गया तथा वाद किराये के बकाये की वसूली के लिए हो, जिसका नगर निगम भुगतान करने में विफल रही, तो ऐसा वाद उ०प्र० नगर निगम अधिनियम की धारा 57 द्वारा आच्छादित नहीं होता, क्योंकि वह किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं है कि जिसका किया जाना या जिसके

किये जाने का अभिप्राय अधिनियम के निष्पादन अथवा आशयित निष्पादन में हो, या जो इस अधिनियम के निष्पादन में किसी अपेक्षा अथवा गफलत के सम्बन्ध में हो [राम प्रसाद बनाम न०म०पा०, 1971 ए०ड्ब्ल्यू०आर० (अ०न्या० 871)] नगर निगम के विरूद्ध किराये के बकाये तथा बेदखली के लिए वाद में धारा 571 के अधीन नोटिस की अपेक्षा नहीं की जाती [महादेव जी डे टी बनाम न०म०पा०, कानपुर, 1982 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 614]

2. निषेधाज्ञा उसके लिए जहाँ कि हर्जाना में पर्याप्त उपचार न हो -जहाँ म्युनिसिपैलिटी के विरूद्ध निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया जाय और क्षति के लिए प्रतिकर तथा हर्जाना पर्याप्त अनुतोषन हो, वहाँ पूर्व नोटिस देने में विफलता के कारण वाद को खारिज नहीं किया जा सकता। [लक्ष्मन दास बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, 1978 ए० ड्ब्ल्यू० सी० (एन०ओ०सी०) 24]

3. निषेधाज्ञा के लिए वाद-नोटिस- लेखनबद्ध रूप में नोटिस दिये जाने से जब तक दो मास बीत न जायँ, वाद दायर नहीं किया जा सकता। [आगरा न०म०पा० का मामला, 1982 यू०पी०एल० बी०ई०सी० 192]

निगम के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति- निगम के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शे, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि

प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्टया (prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राहय होता।

571-ख़

लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए निगम के पदाधिकारियों या सेवकों को आहूत करने पर निर्बन्धन निगम के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें निगम एकपक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे।

572. कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिक निषेधाज्ञा न दे सकेगा किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय

1. किसी व्यक्ति को, निगम की किसी समिति या उप-समिति के किसी सभासद पदाधिकारी या

कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुआ है, निरूद्ध करने के लिए ; या

2. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को या किसी निगम की किसी समिति अथवा उप-समिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रूप से निर्वाचन आयोजित करने से निरूद्ध करने के लिए कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तिम आज्ञा न देगा।

573.स्वामी के अभिकर्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा

1. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) के पैरा (1), (2) या (3) में वर्णित किसी रूप में किसी भी भू-गृहादि का किराया ग्रहण करता है, कोई ऐसा कार्य करने के लिए उत्तरदायी न होगा जिसका इस अधिनियम के अधीन स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिए स्वामी को, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हो, या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक न किये जाने की दशा में, जो उसके पास रही होती, न हो।
2. उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार, जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकार हो, स्वयं उसी व्यक्ति पर होगी।

3. यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपशम प्राप्त कर ले तो मुख्य नगराधिकारी लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को स्वामी की ओर से या स्वामी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार उत्सर्जित करने का आदेश दे सकता है, जिसे वह उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार के उत्सर्जन के निमित्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा जायगा।

4. इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक निर्माण-कार्य संपादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है।

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1997 द्वारा शब्द या विशिष्ट सदस्य निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1977 द्वारा शब्द या विशिष्ट सदस्य निकाले गये

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1964 की धारा 27 द्वारा बढ़ायी गयी

उ०प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1964 की धारा 27 द्वारा बढ़ायी गई

उ०प्र० अधिनियम सं० 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित

उ०प्र० अधिनियम सं० 12, 1977 की धारा 32 द्वारा शब्द या विशिष्ट सदस्य निकाल दिये गये

अध्याय - 25

संक्रान्तिकालीन (Transitory) उपबंध, निरसन (Repeals) तथा संशोधन

574--अन्य विधायनों में निर्देशों का अर्थ--

I. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 से भिन्न किसी विधायन (enactment) में, जो किसी नगर में नियत दिन से ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रवृत्त हो, या तदन्तर्गत निर्मित या प्रचारित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में, जो उक्त दिनांक पर उक्त नगर में प्रवृत्त हो (in force), जब तक कि यह न प्रतीत हो कि उससे कुछ आशय है--

II. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित नगरपालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डो के प्रति किये गये निर्देशों (references) का अर्थ यह लगाया जायगा कि वे यथास्थिति नगर अथवा उक्त नगर का निगम के प्रति किये गये निर्देश हैं और ऐसा विधायन, नियम, आज्ञा अथवा विज्ञप्ति उक्त नगर अथवा निगम के सम्बन्ध में लागू होंगी ;

III. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित नगरपालिका के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के प्रति किये गये निर्देश का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य नगराधिकारी के प्रति किये निर्देश हो ;

IV. यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड तथा ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड के चेयनमैन या अध्यक्ष (President) के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे क्रमश: इस अधिनियम के अधीन संगठित विकास समितियों तथा मुख्य नगराधिकारी के प्रति किये गये निर्देश है ;

V. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नगर के लिये संगठित निगम कें सदस्यों के प्रति किये गये निर्देश है ; तथा

VI. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा यू0 पी0 कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के किसी अध्यक्ष अथवा किसी धारा के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ किसी नगर के सम्बन्ध में यथाशक्य यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम, या इसके तत्स्थानी (corresponding) अध्याय या धारा के प्रति किये गये निर्देश हैं।

2. उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेखा या कार्यवाही में नगरपालिका या निगम के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह क्रमश: नगर निगम या निगम के प्रति किये गये निर्देश हैं।

575--देय धनराशियां--

चाहे वे किसी कर (tax) के चाहे अन्य किसी लेखे (account) के सम्बन्ध में देय हों किसी ऐसे क्षेत्र के, जो अब नगर बना दिया गया हो, नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी धनराशियां नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा वसूल की जायेगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ वह कोई ऐसा कार्य (measure) करने अथवा कोई ऐसी कार्यवाही निवेशित (institute) करने के लिये सक्षम होगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने, तथा उक्त क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित न किये जाने की दशा में उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी सम्पन्न कर सकता।

576--ऋण, आभार, संविदे तथा विचाराधीन (pending) कार्यवाहियां--

1. उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन से ठीक पूर्व उपगत (incurred) सभी ऋण तथा आभार (obligations) और किये गये सभी संविदों के सम्बन्ध में, जो उक्त दिन पर विद्यमान (subsisting) हों, यह समझा जायगा कि वे इस

अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उक्त नगर के मुख्य नगराधिकारी द्वारा उपगत हुए है अथवा किये गये हैं और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

2. उक्त दिन पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी के समक्ष समस्त विचाराधीन कार्यवाहियां, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुख्य नगराधिकारी के समक्ष निदेशित किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, उसे हस्तान्तरित कर दी जायेगी, और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां यथाशक्य ऐसे अधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवेशित की जाती अथवा सम्पन्न की जाती।

3. उक्त दिनांक पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्थ इस प्रकार निस्तारित की जायेगी मानों उन्हें प्रस्तुत करने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

4. उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से विवेशित सभी अभियोजन (prosecutions) तथा उक्त नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकारी, अथवा उस नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी द्वारा, अथवा उसके विरूद्ध निदेशित सभा वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, यथा स्थिति मुख्य

नगराधिकारी अथवा उक्त नगर की महापालिका द्वारा अथवा उसके विरूद्ध इस प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद अथवा कार्यवाही के विदेशित किये जाने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

577--नियुक्तियों, करों, बजट के तख्मीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना--

इस अध्याय के उपबन्धों अथवा धारा 579 के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था को छोड़ कर--

I. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या नियत दिन से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई, प्रचारित, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति,प्रतिनिधायन (delegation), विज्ञप्ति, नोंटिस, कर, आज्ञा, निदेश (direction), योजना, अनुज्ञप्ति (license), अनुज्ञा (permission), पंजीयन (registration), नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र (form) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेंगा जब तक कि वह यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त अन्य किसी विधि के अधीन की गई प्रसारित, आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति,

प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश, योजना, अनुज्ञप्ति अनुज्ञा, पंजीयन, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाय ;

II. नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को किसी विकास योजना के सम्बन्ध में यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 या कानुपर अरबन एरिया डेबलपमेन्ट ऐक्ट, 1945 के अधीन प्रसारित किसी नोटिस, विज्ञप्ति या स्वीकृत (sanction) के विषय में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रसारित की गयी है तथा ऐसी योजना को बढ़ाने के हेतु आगे की कार्यवाहियां तदनुसार की जायेगी ;

III. यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या नगर के अन्तर्गत क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य किसी विधायन के अधीन किसी भूमि के अर्जन से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां, चाहे वे किसी विकास योजना के अनुसरण में अथवा अन्यथा आरब्ध (initiated) की गयी हो, उसी प्रकार जारी रखी जायेगी मानों वे इस अधिनियम के अधीन आरब्ध हों ;

IV. यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या नियत दिनांक से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किये गये बजट के सभी तखमीनें, निर्धारण, मूल्यांकन (valuations), माप (measurements) तथा विभाजन (divisions) जहां

तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे ;

V. नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, डेवलपमेन्ट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित निगम के पदाधिकारी तथा कर्मचारी ही जायेंगे और जब तक इस अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय वे वहां वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तो के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे।

VI. खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निगम द्वारा धारा 106 के अधीन निर्मित पदों पर [नियुक्ति करने में धारा 112-क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा]

1. (1) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य, जिनके सम्बन्ध में धारा 107 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है, उक्त धारा के अनुसार किया जायेगा।
2. (2) अन्य पदों पर नियुक्तियां मुख्य नगराधिकारी, नगर-प्रमुख के परामर्श से और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निर्देशों के अनुसार करेगा।

3. (3) यदि किसी पद के लिए उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये न मिले तो ऐसे पद के लिये अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायेगी।

4. (4) यदि कोई उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारी या कर्मचारी निगम द्वारा निर्मित किसी पद के लिए उपयुक्त न समझा जाये अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाये उस पद को ग्रहण करेगा वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय-मान (time-scale) उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समय-मान से कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तो की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी, जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई हों, ऐसे अवकाश, निवृत्त-वेतन (pension) या उपदान (gratuity) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशायें सेवा से पृथक् किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता।

VII. खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व जितनी भी सेवा (service) की होगी वह निगम के अधीन की गई सेवा समझी जायेगी।

578--अधिक्रान्त अथवा विघटित नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी के लिये व्यवस्था--

पूर्ववर्ती धाराओं में किसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई निर्देश तदर्थ निर्मित किसी विधायन के अधीन किसी ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिक्रान्त या विघटित होने अथवा किसी प्रशासक (administrator) के अवधायन में रख दिये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया गया निर्देश समझा जायेगा, जो ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया अथवा किये गये हों।

579--विशेष उपबन्ध--

1. धारा 3 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित किये जाने पर, इस अधिनियम अथवा ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन में किसी बात के रहते हुए राज्य सरकार--

I. (क) ऐसे नगर में निगम के संगठन के हेतु निर्वाचनों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन मुख्य नगराधिकारी के अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी अन्त:कालीन मुख्य नगराधिकारी की नियुक्ति कर सकती है ;

II. (ख) ऐसे नगर में निगम की स्थापना से सम्बद्ध समस्त कार्यो के प्रयोजनार्थ ऐसे नगर के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्य करने वाले म्यूनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या विकास

बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अभियाचित (requisition) कर सकती है ;

III. (ग) आज्ञा देकर अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था कर सकती है जो ऐसे नगर में निगम की स्थापना को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हो।

2. उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उस स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से किया जायेगा जिसके कि वे सेवाओं की अभियाचना (requisition) के समय पदाधिकारी या कर्मचारी रहे हों तथा अन्त:कालीन मुख्य नगराधिकारी के वेतन और भत्तों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से किया जायेगा जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे।

579-क--नगर निगम के संगठन तक के लिये व्यवस्था--

1. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये नियत दिनांक तक की अवधि के दौरान नगर महापालिका और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्य क्रमश: नगर निगम और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का

सम्पादन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे और नगर निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे।

2. (2) जहां निगम का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्ररम्भ से छः मास के भीतर समात्त होता है और नए निगम का संगठन नहीं होता है, वहां ऐसी समाप्ति पर, और नए निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत दिनांक तक--

I. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद और धारा 95 तथा 97 के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा निगम का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जायेंगी :

II. निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से निगम नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी

समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा ;

III. प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में--

1. उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा
2. इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप-खंड (1) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा,

IV. प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, निगम की निधि से दिए जायेंगे।

3. निगम के गठन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से छः मास के भीतर किए जायेंगे और ऐसे चुनाव के पश्चात् निगम के संगठित हो जाने के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये

नियत दिनांक तक, या ऐसे प्रारम्भ के छः मास के बीतने पर, इनमें जो भी पहले हो, उपधारा (2) के खंड (ख) , (ग) और (घ) प्रभावी नहीं रहेंगे।

4. जहां उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से पूर्व ही किसी निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वहां भी उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध लागू होंगे और जहां ऐसे प्रारम्भ के पूर्व प्रशासक नियुक्त किया गया है उसे इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक समझा जायेगा।

580--कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति--

1. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।
2. उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

3. उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक न होगा, दिया जा सकता है।
4. उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

580-क--कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार--

1. उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ की ओर से, और धारा 140 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए--

I. (क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले नगर महापालिका में निहित थीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी, तथा

II. (ख) पूर्वोक्त नगर महापालिका के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे।

2. यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गयी है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार निगम का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति, मुख्य नगर अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा।

580-ख--देय धनराशियां--

किसी नगर निगम को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खातें में निगम द्वारा वसूल की जायेगी और निगम ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, जिसे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त नगर महापालिका करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती।

580-ग--ऋण, आधार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां--

1. किसी नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से धारा 580-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गयी सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निगम द्वारा हुए अथवा किये गये और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे :
2. उक्त नगर निगम के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, निगम को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।
3. उक्त नगर निगम के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानो उसके प्रारम्भ किये जाने के समय निगम विद्यमान था।
4. उक्त नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त नगर निगम द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त नगर महापालिका के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, निगम या अषिकारी

द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय निगम संगठित किया जा चुका हो।

581--निरसान-

यू0 पी0 म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट (एडाप्टेशन) ऐक्ट, 1948, [यू0 पी0 डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, 1922, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) अधिनियम, 1953] तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, नियत दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त हों, निरस्त हो जायेंगे।